VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

फरवरी - 2018

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

विषय सूची

1. राजव्यवस्था और संविधान 4

1.1. कावेरी नदी जल विवाद निर्णय 4

1.2. जनजातीय उप-योजना 6

1.3. ग्राम पंचायतों के लिए मानव संसाधन 8

1.4 कारागारों की अत्यधिक भीड़ 11

1.5. उच्च न्यायालय में नियुक्तियाँ 13

1.6. भारत में गवाहों का संरक्षण 14

1.7. स्वायत्त निकायों को युक्तिसंगत बनाना 16

1.8. पूर्वोत्तर हेतु नीति फोरम 17

1.9. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, 2017 17

1.10. नीले रंग का आधार कार्ड 17

1.11. विकास की प्रगति पर निगरानी रखने हेतु सांसदों के लिए ऐप 18

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध 19

2.1. भारत की सॉफ्ट पावर 19

2.2. भारत-कनाडा 20

2.3. भारत, अश्गाबात समझौते में सम्मिलित 22

2.4. भारत-संयुक्त अरब अमीरात (India-UAE) 22

2.5. भारत-ओमान 24

2.6. तापी गैस पाइपलाइन 25

2.7. भारत और ईरान संबंध 26

2.8. मालदीव में अस्थिरता 27

2.9. पाकिस्तान को वित्तीय कार्यवाही कार्यबल (FATF) निगरानी-सूची में रखने का प्रस्ताव 28

2.10. ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप-11 29

2.11. एआईआईबी (AIIB) द्वारा भारत में परियोजनाओं के लिए ऋण को मंजूरी दी गयी 29

2.12. न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा राजस्थान की परियोजना का वित्तपोषण 30

2.13. असम में रसद केंद्र 30

3. अर्थव्यवस्था 32

3.1. ऑपरेशन ग्रीन्स 32

3.2. कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2017 का मसौदा 33

3.3. किसान उत्पादक कंपनियाँ 35

3.4. NABARD अधिनियम, 1981 में संशोधन 36

3.5. कोयले का व्यावसायिक खनन 37

3.6. राष्ट्रीय खनिज नीति 2018 का मसौदा 39

3.7. रणनीतिक तेल भंडार 41

3.8. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्रक 42

3.9. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद 44

3.10. नेशनल ऑटो पॉलिसी 2018 का मसौदा 44

3.11. शुष्क पत्तन 46

3.12. 'पत्तन संभार तंत्र: भारत में मुद्दे और चुनौतियाँ' रिपोर्ट47

3.13. स्टेट स्टार्ट-अप रैंकिंग 2018 48

3.14. RBI ने SDR, S4A वापस लिया 48

3.15. कोर बैंकिंग से SWIFT को जोड़ना 50

3.16. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना51

3.17. अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक तथा चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018 52

3.17.1. अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक, 201852

3.17.2. चिट फंड (संशोधन) अधिनियम, 2018 53

3.18. सरकार द्वारा राजस्व घाटा लक्ष्यीकरण का त्याग 54

3.19. सेंट्रलाइज्ड कम्यूनिकेशन स्कीम 2018 55

3.20. न्यूनतम वैकल्पिक कर 56

3.21. शहरी अवसंरचना वित्तीयन 56

3.22. राष्ट्रीय शहरी आवास कोष 58

3.23. सेवा क्षेत्र में चैम्पियन क्षेत्रक 59

3.24. बेटर रेगुलेटरी एडवाइजरी ग्रुप 59

3.25. कुसुम 60

3.26. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 60

3.27. गोबर-धन योजना 61

4. सुरक्षा 63

4.1. एंटी-नारकोटिक्स योजना की अवधि में 3 वर्षों का विस्तार 63

4.2. मिसाइल परीक्षण 65

VISION IAS

4.3. रुस्तम-2 ड्रोन 66

4.4. भारत-सेशेल्स संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास-लामिती 66

4.5. पश्चिम लहर अभ्यास 67

5. पर्यावरण 68

5.1. भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 68

5.2. टाइगर रिज़र्व क्षेत्रों से आदिवासियों के विस्थापन पर रोक69

5.3. संरक्षित क्षेत्रों को दोगुना करना 70

5.4. प्रतिपूरक वनीकरण अधिनियम, 2016 के लिए मसौदा नियम 71

5.5. फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड 73

5.6. ऋषिकुल्य में ओलिव रिडले नेस्ट 73

5.7. रेड सैन्डर्स 74

5.8. संधारणीय जैव ईंधन 75

5.9. विश्व सतत विकास सम्मेलन 2018 76

5.9.1. एनर्जी ट्रांजीशंस कमीशन इंडिया (ETC INDIA)76

5.10. ऐश ट्रैक 76

5.11. हीट वेव 77

5.12. डस्ट मिटिगेशन प्लान 79

5.13. ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 80

6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी 82

6.1. थ्री पेरेंट्स बेबी 82

6.2. स्टेम करियर में महिलाएं 83

6.3. द्वितीयक पेटेंट 84

6.4. सुपर क्रिटिकल CO2- ब्रेटन चक्र 84

6.5. एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रीडीएंट्स 85

6.6. स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट 86

6.7. स्पेसएक्स के फॉल्कन हेवी रॉकेट का प्रक्षेपण 87

6.8. प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता योजना 87

6.9. डिजिटल थेराप्यूटिक्स या डिजीस्यूटिकल 88

6.10. ग्राम संसाधन केंद्र 88

6.11. अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा सूचकांक, 2018 89

7. सामाजिक 90

7.1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (NHPS) 90

7.2. भारत में शहरी पोषण 92

7.3. नवजात शिशुओं पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता93

7.4 'स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत' रिपोर्ट 95

7.5. इंडिया हेल्थ फण्ड 96

7.6. उत्कृष्टता के संस्थान 96

7.7. तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम 98

7.8. रिवाइटलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन 98

7.9. एजुकेशन डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड 99

7.10. राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 99

7.11. खाप पंचायत 100

7.12. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0: एक मूल्यांकन101

7.13. स्वजल योजना 102

7.14. सोशल मीडिया केंद्र 102

7.15. प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना 103

8. संस्कृति 104

8.1. महामस्तकाभिषेक 104

8.2. वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम 104

8.3. यूनेस्को की इन्डैन्जर्ड सूची में 40 से अधिक भाषाएँ 104

9. नीतिशास्त्र 106

9.1. एनकाउंटर में होने वाली मौतें और नैतिकता 106

9.2 नैतिकता और एसिड हमला 107

10. विविध 108

10.1. भारत की प्रथम राजमार्ग क्षमता नियम पुस्तिका (इंडो-एचसीएम) 108

10.2. स्विट्जरलैंड वित्तीय गोपनीयता सूचकांक में सर्वोच्च स्थान पर 108

10.3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी A श्रेणी का दर्जा बनाए रखने में सफल 109

10.4. रूल ऑफ़ लॉ इंडेक्स 110

VISION IAS

1. राजव्यवस्था और संविधान

(POLITY AND CONSTITUTION)

1.1. कावेरी नदी जल विवाद निर्णय

(Cauvery River Verdict)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक को कावेरी नदी से प्राप्त होने वाले जल के हिस्से में वृद्धि की। जल के बँटवारे के सन्दर्भ में फरवरी 2007 में कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल द्वारा निर्णय दिया गया था।

पृष्ठभूमि

- 1986 में तमिलनाडु द्वारा अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम (1956) के तहत कावेरी नदी जल विवाद के निवारण हेतु एक ट्रिब्यूनल के गठन की अपील की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप 2 जून, 1990 को कावेरी जल ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई।
- 16 वर्षों तक मामले की सुनवाई करने तथा अंतरिम निर्णय देने के पश्चात्, अंत में वर्ष 2007 में ट्रिब्यूनल ने अपने अंतिम निर्णय की घोषणा की।
- हालाँकि, वर्तमान विवाद की शुरुआत तब हुई, जब उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु के लिए 10 दिनों तक प्रतिदिन 15000 क्यूसेक जल छोड़ने का आदेश जारी किया था।

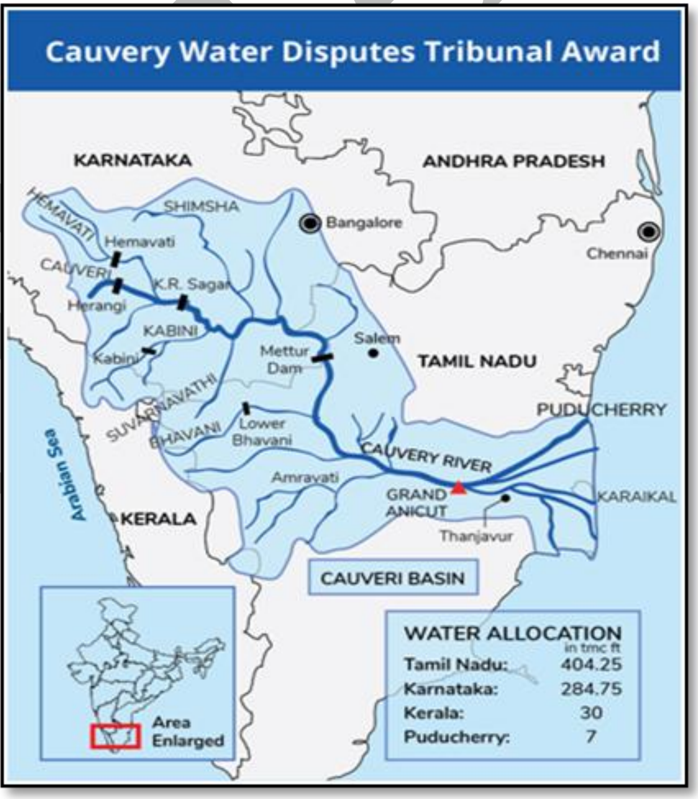

अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित संवैधानिक तथा वैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 262(2)** के अंतर्गत संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय ऐसे किसी विवाद या परिवाद के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा।
- **अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (IRWD Act)** को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत अधिनियमित किया जाता है। साथ ही, इसी अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा **नदी बोर्ड अधिनियम (1956)** को भी अधिनियमित किया जाता है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का महत्त्व

- उच्चतम न्यायालय के अनुसार नदी तट पर स्थित विभिन्न राज्यों के मध्य समानता के सिद्धांत का अर्थ यह नहीं है कि उनके मध्य जल का समान वितरण हो; यह केवल जल के न्यायसंगत तथा उचित उपयोग एवं "पेयजल की आवश्यकता" को उच्च प्राथमिकता प्रदान करने पर बल देता है।
- उच्चतम न्यायालय के निर्णय से दो सिद्धांत निर्धारित हुए हैं, जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों पर निरंतर एवं विस्तृत प्रभाव डाल सकते हैं:-
    - **भूजल-** राज्य में भूजल की उपलब्धता के कारण, तमिलनाडु को आवंटित जल की मात्रा को घटाकर कुछ कम किया गया था।
    - **वैध लचीलापन-** अनेक वर्षों के दौरान बंगलुरु शहर में हुए विकास के परिणामस्वरूप नागरिक सुविधाओं की मांग में भी वृद्धि हुई है। यह मालप्रभा बेसिन से हुबली-धारवाड़ क्षेत्र में पानी की कमी को संबोधित करने के लिए नदी के हिस्से पर चल रहे महादायी जल विवाद ट्रिब्यूनल में कर्नाटक द्वारा प्रस्तुत बहस के समान है।

सम्बंधित खबर -

महानदी जल विवाद के लिए मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दी -

- महानदी नदी पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित विवाद के लिए ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाएगा।

VISION IAS

- यह **1966 के हेलसिंकी नियमों** को संदर्भित करता है, जो राज्य के बेसिन के भूगोल और जल विज्ञान, जलवायु, पानी का पिछला उपयोग, आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं, आश्रित आबादी और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बेसिन राज्य द्वारा जल के उचित उपयोग को मानते हैं।
- कावेरी विवाद के संदर्भ में यह **कैम्पियन नियमों** को भी संदर्भित करता है। इन नियमों का मानना है कि बेसिन राज्य अपने संबंधित क्षेत्रों में न्यायसंगत और उचित तरीके से अंतरराष्ट्रीय जल निकासी बेसिन के जल का प्रबंधन करेंगे।
- **समतापूर्ण विभाजन (Equitable Apportionment)** के सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर **हेलसिंकी नियमों, कैंपियन (campione) नियमों तथा बर्लिन नियमों द्वारा** मान्यता प्रदान की गयी है और इसे 1987 से लेकर 2002 तक की राष्ट्रीय जल नीतियों में भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही, इसे अंतर्राज्यीय नदी जल विभाजन के मुद्दों से निपटने हेतु मार्गदर्शी कारक के रूप में भी स्वीकार किया गया है।
- कावेरी जैसी अंतर्राज्यीय नदी एक **राष्ट्रीय परिसंपत्ति** है तथा कोई भी राज्य इसके जल पर अपने एकमात्र स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता और न ही अन्य राज्यों को उनके न्यायोचित हिस्से से वंचित कर सकता है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- नदी जल उपयोग **राज्य सूची** का एक विषय है (राज्य सूची की प्रविष्टि 17) परन्तु केंद्र सरकार सार्वजनिक हितों के लिए अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों के विनियमन तथा विकास से संबंधित कानून का निर्माण कर सकती है (संघ सूची प्रविष्टि 56)।
- **अनुच्छेद 263** के अंतर्गत राष्ट्रपति, अंतर्राज्यीय परिषद् की स्थापना कर सकता है, जिसका कार्य राज्यों के मध्य उत्पन्न हुए विवाद की जांच तथा उससे संबंधित अनुशंसा करना है।

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956- केवल अंतर्राज्यीय नदियों/नदी घाटियों पर लागू होता है।

- इसका मुख्य उद्देश्य नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित (अपस्ट्रीम) राज्यों द्वारा उपलब्ध जल संसाधनों का अतिरिक्त उपयोग किये जाने पर नदी के उद्गम स्थल से दूर स्थित (डाउनस्ट्रीम) राज्यों के हितों की रक्षा करना है।

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) बिल, 2017

- इसने मौजूदा अनेक ट्रिब्यूनलों के स्थान पर एक **सिंगल स्टैंडिंग ट्रिब्यूनल** (अनेक पीठों के साथ) गठित करने की अनुशंसा की है।
- इसने तकनीकी सहायता देने हेतु **आंकलन कर्त्ताओं की नियुक्ति** की अनुशंसा की है।
- इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित **विवाद समाधान समिति (DRC)** के माध्यम से, वार्ता द्वारा विवाद को सुलझाने हेतु एक तंत्र का प्रस्ताव किया गया है।
- यह केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त या अधिकृत एजेंसी द्वारा प्रत्येक नदी बेसिन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शी डेटा संग्रहण प्रणाली का प्रावधान करता है।

सुर्ख़ियों में रहे कुछ अन्य अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद इस प्रकार हैं:-

- **वंशधारा नदी जल विवाद**- आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा के मध्य।
- **महानदी जल विवाद**- ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ के मध्य।
- **महादायी (मांडोवी) नदी जल विवाद**- गोवा, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के मध्य।
- **कृष्णा नदी जल विवाद**- महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के मध्य।

आगे की राह

- भूजल की स्थिति, राज्यों की जल संबंधी समस्याओं में और अधिक वृद्धि कर रही है। इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में, केन्द्रीय भूजल बोर्ड और केंद्रीय जल आयोग को सम्मिलित कर राष्ट्रीय जल आयोग की स्थापना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गयी है। इसकी अनुशंसा मिहिर शाह पैनल द्वारा की गयी थी।
- **अंतरराज्यीय जल से संबंधित मुद्दों के लिए संस्थागत मॉडल**- देश में अंतरराज्यीय नदी जल अधिनिर्णयों को लागू करने हेतु संस्थागत मॉडल का अभाव विद्यमान है। इसके कारण जलाभाव के वर्षों में जल-साझाकरण की चुनौतियां वर्तमान में भी बनी हुई हैं। अतः एक स्थायी तंत्र की आवश्यकता है जिसके द्वारा न्यायपालिका की सहायता के बिना राज्यों के मध्य उत्पन्न जल विवाद को हल किया जा सके।
- इसके अतिरिक्त, अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017 पर चर्चा से ऐसे विवादों को सुलझाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में भी सहायता प्राप्त हो सकती है।

VISION IAS

- **चार 'R' को अपनाना-** जल प्रबंधन के लिए 4Rs (रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल, रिकवर) की अवधारणा का प्रयोग करने की आवश्यकता है जो SDGs के लक्ष्य 6 (जल और स्वच्छता तक पहुंच सुनिश्चित करना) को हासिल करने के अनुरूप हो।
- **राष्ट्रीय जल नीति का पालन करना-** इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय जल नीति के तहत जल के उचित उपयोग और जल स्रोतों के संरक्षण हेतु किये गए प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। बेंगलुरू जैसे शहरों के शहरी जल प्रबंधन में आद्रभूमियों का संरक्षण करना शामिल होना चाहिए, जो उचित मलजल उपचार के साथ भूजल की भरपाई करती हैं।
- **अन्य उपाय-** जल विवादों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और इन्हें क्षेत्रीय गौरव से संबंधित भावनात्मक मुद्दों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, फसल पद्धतियों के वैज्ञानिक प्रबंधन की आवश्यकता है जिससे जल दक्ष फसलों और किस्मों को बढ़ावा देने वाले नीतिगत उपायों को आगे बढ़ाया जा सके।

1.2. जनजातीय उप-योजना

(Tribal Sub Plan)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, लोक लेखा समिति (PAC) ने जनजातीय उप-योजना से संबंधित अपनी रिपोर्ट सौंपी।

अनुसूचित जनजाति

- **अनुच्छेद 366(25)** में अनुसूचित जनजातियों को ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदाय अथवा ऐसी जनजातीय समुदायों के भाग अथवा उनके अन्दर के समूहों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिन्हें संविधान के **अनुच्छेद 342** के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियाँ समझा जाता है।
- **अनुच्छेद 342-** राष्ट्रपति किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के संदर्भ में तथा जहाँ वह राज्य है वहाँ के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद, जनजातियों या जनजातीय समुदायों या उसके समूहों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर सकता है तथा उन्हें इस संविधान के प्रयोजनों हेतु, उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजाति माना जाएगा।

पृष्ठभूमि:

- 1972 में, सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु एक व्यापक नीति का निर्माण किया गया था। इस नीति के तहत 1976 में (5वीं पंचवर्षीय योजना), जनजातीय उप-योजना (TSP) का सुझाव दिया गया था।
- अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास संबंधी हस्तक्षेप हेतु पूर्व का दृष्टिकोण, केवल सरकार द्वारा किये जाने वाले विभिन्न हस्तक्षेपों से मिलने वाले **"आकस्मिक" लाभों** पर निर्भर था। TSP को **प्रत्यक्ष 'नीति- संचालित' लाभों** को सुनिश्चित करने हेतु प्रस्तावित किया गया था।
- योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों को समय-समय पर TSP के निर्माण और कार्यान्वयन पर दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। TSP के कार्यान्वयन हेतु 2014 में नवीनतम संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए।

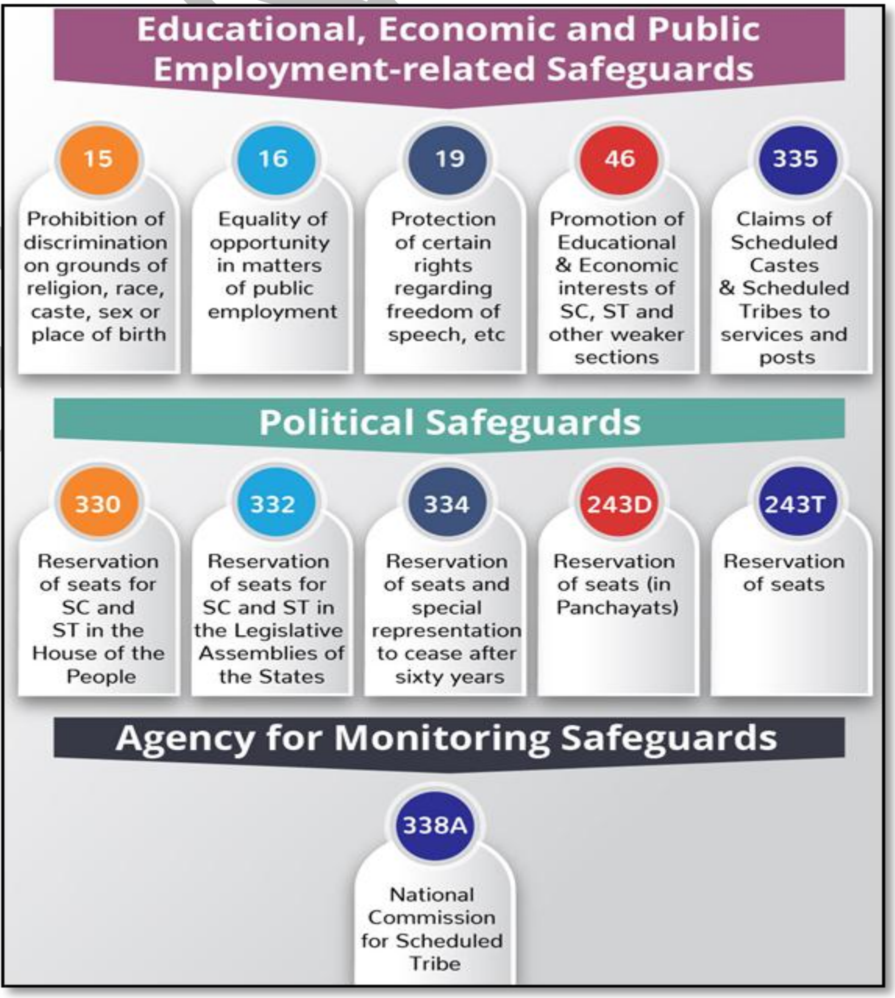

VISION IAS

जनजातियों से संबंधित अन्य कार्यक्रम/योजनाएं

- जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण।
- निम्न साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के मध्य शिक्षा का सुदृढ़ीकरण।
- जनजातीय उत्पादों के लिए बाजार का विकास।
- भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (TRIFED - जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन)।
- लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम।
- विशेष रूप से सुभेद्य जनजातीय समूहों (PVTGs) का विकास।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम।

TSP के विषय में :

- यह राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की **वार्षिक योजना का अंग है** तथा TSP के अंतर्गत प्रदत्त कोष प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए।
- TSP कोष में **अनुच्छेद 275 (i)** के तहत भारत की **संचित निधि से** राशि आवंटित की जाती है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसके अंतर्गत राज्यों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रदान की जा रही है।
- इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों की शोषण से सुरक्षा सहित सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों के संदर्भ में, उनके व जन सामान्य के मध्य **के अंतर को समयबद्ध ढंग से समाप्त करना** है।
- यह राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की समग्र योजना से उत्पन्न होने वाले लाभ के **अतिरिक्त भी लाभ प्रदान करता है**। परन्तु यह 60% से अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले राज्यों पर लागू नहीं होता है।

TSP के उद्देश्य:

- जनजातीय समुदाय की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में वृद्धि करके मानव संसाधन विकास करना।
- जनजातीय क्षेत्रों में आवास सहित आधारभूत सुविधाएं प्रदान कर जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना।
- गरीबी और बेरोजगारी में पर्याप्त रूप से कमी लाना, उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन और आय अर्जित करने हेतु अवसर प्रदान करना।
- अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता में, अधिकारों एवं सरकार समर्थित अनुदानों की प्राप्ति तथा अन्य क्षेत्रों के समान बेहतर सुविधाओं में वृद्धि करना।
- शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध संरक्षण।

TSP के खराब प्रदर्शन के कारण

- एकीकृत योजना, कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र का अभाव
- केंद्रीय योजना TSP फंड और राज्य योजना TSP फंड के लिए प्रभावी तंत्र का अभाव
- अव्यवस्थित वित्तीय संसाधनों का अव्यवस्थित रीति से प्रयोग
- क्षेत्र-विशिष्ट योजना का अभाव
- अंतराल के विश्लेषण(gap analysis) का अभाव
- विशेष रूप से जनजातीय आबादी के लिए वस्तुओं और सेवाओं के वितरण हेतु निर्मित संस्थानों की दुर्बलताएं।

अन्य संबंधित तथ्य :

- **अनुसूचित जाति उप-योजना** एक अम्ब्रेला रणनीति है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों को लाभान्वित करने हेतु विकास के सभी सामान्य क्षेत्रों से वित्तीय एवं भौतिक लाभों के प्रवाह को सुनिश्चित करना है। इस रणनीति के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए संसाधनों के निर्धारण के माध्यम से वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत विशेष घटक योजना (SCP) का निर्माण एवं कार्यान्वयन करना आवश्यक है।
- वर्तमान में अनुसूचित जाति की पर्याप्त जनसंख्या वाले 27 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अनुसूचित जाति उप-योजना का कार्यान्वयन कर रहे हैं।

VISION IAS

रिपोर्ट के अवलोकन एवं अनुशंसाएं

- **वित्तीय प्रबंधन -** धन के उचित उपयोग एवं निगरानी के लिए, इसका अलग-अलग लेखा शीर्षों(head of account) में पृथक्करण नहीं किया गया है।
    - इस प्रकार,निधियों को जारी करने के लिए प्रत्येक स्तर पर अलग-अलग शीर्ष में निधियों के निर्धारण को अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पर्यवेक्षण, निधि के उपयोग और योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु सक्रिय दृष्टिकोण भी अपनाना चाहिए।
- **TSP फंड के लिए अव्यपगत (non-lapsable) पूल -** वर्तमान में, वित्तीय वर्ष के अंत में फंड को ऐसे अव्यपगत पूल में स्थानांतरित किये जाने का प्रावधान नहीं है, जिसे बाद में उपयोग में लाया जा सके।
    - इसके समाधान के लिए, समिति ने TPS फंड के लिए एक अव्यपगत पूल बनाने की सिफारिश की है।
- **निरीक्षण हेतु केन्द्रीय नोडल इकाई-** जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा निरीक्षण के लिए प्रक्रिया को वर्णित करने वाले दिशा-निर्देश जारी नहीं किये गए। इसके अतिरिक्त, आदिवासी बाहुल्य राज्यों के साथ गैर-आदिवासी आबादी वाले राज्यों को भी धन जारी किया गया था। यह TSP के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हैं।
    - अतः, निरीक्षण के लिए एक केंद्रीय नोडल इकाई का गठन किया जाना चाहिए, जो ऑनलाइन निगरानी प्रणाली के माध्यम से TSP के बेहतर समन्वय और कुशल कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगी।
- **नियोजन प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय की भागीदारी-** CAG ऑडिट रिपोर्ट (2015) द्वारा स्पष्ट किया गया था कि TSP के तहत निर्धारित विशिष्ट विचार-विमर्श किए बिना आदिवासी लाभार्थियों से संबंधित योजनाएं तैयार की जा रहीं थीं।
    - TSP के तहत किसी भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व, स्थानीय आदिवासी समुदाय के विचारों/सुझावों पर विचार किया जाना चाहिए।

अन्य सिफारिशें

- कार्यान्वयन चरण पर TSP की प्रभावी निगरानी के लिए, सभी TSP मंत्रालयों या विभागों द्वारा समर्पित नोडल इकाइयों की स्थापना की जानी चाहिए।
- भ्रष्ट अधिकारियों पर दंड आरोपित करना और अनुपालन न करने वाले राज्यों या जिलों को दंडित करना।
- जमीनी स्तर पर डेटा के समुचित संग्रह के साथ रियल टाइम इनफार्मेशन शेयरिंग सिस्टम की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य और जिला स्तर इकाइयों को केंद्रीय इकाई के साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता होगी।

1.3. ग्राम पंचायतों के लिए मानव संसाधन

(Human Resource for Gram Panchayat)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुमित बोस की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति द्वारा 'ग्रामीण विकास (RD) कार्यक्रमों में बेहतर परिणामों के लिए प्रदर्शन आधारित भुगतान' नामक अपनी रिपोर्ट सौंपी।

मूलभूत कार्य (core Functions)

- मूलभूत कार्य वे कार्य होते हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों (स्थानीय शासन) को हस्तांतरित किया जाता है। ये कार्य प्रायः कानून द्वारा अधिदेशित अथवा ऐतिहासिक प्रथाओं द्वारा स्वीकृत होते है।
- इनमें अन्य विषयों के अतिरिक्त- मूलभूत सार्वजनिक स्वच्छता से सम्बंधित कार्य, पेय जल, आंतरिक संपर्क, स्ट्रीट लाईटनिंग, खेल के मैदानों, पार्कों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों का रख-रखाव, स्थानीय कराधान तथा राजस्व के अन्य स्रोतों का सृजन करना इत्यादि कार्य भी सम्मिलित होते हैं।
- इन मामलों में आम नागरिक के प्रति ग्राम पंचायत की जवाबदेहिता अत्यधिक स्पष्ट होती है।

संस्थागत कार्य (Agency Functions)

- केंद्र तथा राज्यों द्वारा संचालित सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को विभिन्न संस्थागत कार्यों का क्रियान्वयन करना पड़ता है, जैसे- नियोजन, लाभार्थियों का चयन, दैनिक कार्यों का निष्पादन, विस्तृत निगरानी इत्यादि।
- परन्तु इस प्रकार की भूमिकाओं में स्थानीय सरकार के रूप में ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता को योजनागत दिशा-निर्देशों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है।
- अधिकांश मामलों में जनता या शासन के उच्चतर स्तर के प्रति जवाबदेहिता अस्पष्ट है।

पृष्ठभूमि

- ग्राम पंचायत (GP), मध्यवर्ती पंचायत तथा जिला पंचायत स्तर पर मानव संसाधन को इस प्रकार से नियोजित किया जाना चाहिए कि वे **पंचायतों के प्रति जवाबदेह** बने तथा **व्यक्तिगत लाभार्थियों एवं स्वयं सहायता समूह को समर्थन** देने हेतु सदैव उपलब्ध रहें। इसके माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है।
- ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों को सामान्यतः दो श्रेणियों- **मूलभूत कार्य** (विशिष्ट योजनाओं से असम्बद्ध) तथा **संस्थागत कार्य** (ग्रामीण विकास हेतु योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं निगरानी हेतु) में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- स्वतंत्रता के पश्चात भारत द्वारा ग्रामीण विकास हेतु **सामुदायिक विकास दृष्टिकोण** को अपनाया गया। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने मानव संसाधन की संरचना, प्रशिक्षण आदि में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया।
- नई पीढ़ी के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के आरंभ के साथ ही विभिन्न स्तरों पर योजना विशिष्ट कर्मचारी वर्ग का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायतें संस्थागत भूमिकाओं का अधिकाधिक निर्वहन कर रही हैं जिनमें और अधिक वृद्धि होने की आशा है।
- इसके अतिरिक्त, **14वें वित्त आयोग** ने ग्राम पंचायतों के लिए वृहद् स्तर पर शर्तरहित अनुदानों (untied grants) को सम्मिलित करने की अनुशंसा की है। इससे GP की भूमिका तथा उत्तरदायित्व में वृद्धि हुई है, परन्तु मानव संसाधन स्तर पर उनका पर्यवेक्षण विभिन्न राज्यों में असमान है।
- इस प्रकार, संगठनात्मक एवं कार्यक्रम दक्षता हेतु ग्राम पंचायतों के लिए उपलब्ध मानव संसाधन को सशक्त बनाने की आवश्यकता है क्योंकि ग्राम पंचायतों की मुख्य क्षमता को सुदृढ़ किए बिना संस्थागत कार्य करते समय इसके प्रदर्शन में पर्याप्त सुधार संभव नहीं होगा।

ग्राम पंचायत स्तर पर मानव संसाधन से सम्बंधित चिंता के विषय

- **उत्तरदायित्व का अभाव-** ग्राम पंचायत के स्तर पर कार्मिक अधिकांश मामलों में ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा (GS) के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। हालांकि वे उस स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आजीविका सृजन करने जैसी महत्त्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं।
- **क्षमताओं का अभाव-** इनमें बहु-कार्य (multi-task) करने या अन्य दायित्वों के निर्वहन संबंधी क्षमताओं का विकास एक निश्चित समयावधि में नहीं किया जा सकता है।
- ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यवाहियों के **क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समन्वय का अभाव** विद्यमान है तथा विभिन्न विभागों और योजनाओं के तहत उन्हें विशिष्ट अधिदेश के साथ नियुक्त करने के कारण ऊर्ध्वाधर एकीकरण सुनिश्चित नहीं किया जा सका है।
- **निगरानी का अभाव-** मौजूदा नियमों के उल्लंघन की जांच हेतु सुव्यवस्थित निगरानी तंत्र का अभाव है। विशेष रूप से ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों में प्रशासनिक अनुभव के अभाव की स्थिति में सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। इस कारण कर्मचारियों द्वारा इस स्थिति का अनुचित दोहन (exploitation) किया जा सकता है अथवा निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के मध्य संघर्ष उत्पन्न हो सकता है।
- **राज्यों के मध्य भिन्नता-** नियुक्ति के सन्दर्भ में विभिन्न राज्यों के मध्य व्यापक विविधता पाई जाती है, जैसे- योग्यता एवं भर्ती के तरीके, अवधि, पारिश्रमिक, यात्रा-भत्ते तथा एकसमान कैडरों के लिए अन्य भिन्न परिस्थितियाँ। इसके अतिरिक्त, अधिकांश राज्यों में मानव संसाधन नीति का अभाव है।
- **पारिश्रमिक में भिन्नता-** अन्य विभागों द्वारा अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता, परिणामस्वरूप कर्मचारियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में तथा कभी-कभी एक योजना से दूसरी योजना में स्थानान्तरण हो जाता है।

सामाजिक जवाबदेहिता

यद्यपि, केवल मानव संसाधन ही प्रभावी रूप से ग्राम पंचायतों के बेहतर प्रदर्शन को सुनिश्चित नहीं कर सकता है, जब तक कि उसे उचित जवाबदेही तंत्र द्वारा पूरित न किया जाए। इसके लिए समिति ने सामाजिक जवाबदेहिता की आवश्यकता की जांच करते हुए निम्नलिखित अनुशंसाएं प्रस्तुत की हैं:-

- ग्राम सभा का सुदृढ़ीकरण
- सहभागी नियोजन तथा बजटिंग
- अग्र-सक्रिय प्रकटीकरण
- नागरिकों के चार्टर और सेवाओं के वितरण का अधिकार
- पंचायतों की सामाजिक लेखा परीक्षा

VISION IAS

समिति की सिफारिशें

समिति के अनुसार, कार्यान्वयन के ढांचे के भीतर निर्णय लेने की स्वायत्तता को स्थानीय प्राथमिकताओं जैसे- प्रतिक्रियाओं तथा सुझावों का ऊपर की ओर प्रवाह, नवाचार को बढ़ावा, उत्कृष्ट कलाकारों को प्रोत्साहित करने आदि को ध्यान में रखते हुए निर्वहित किया जाना चाहिए जिससे मूल स्तर के कर्मचारियों के बेहतर प्रदर्शन में योगदान सुनिश्चित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम दक्षता को संसाधनों तथा सेवाओं के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर समन्वय द्वारा बढाया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित अनुशंसाएं की गई हैं-

- **मानव संसाधन उपयोग के सन्दर्भ में-**
  - स्टाफिंग, भर्ती, पारिश्रमिक, कैरियर की उन्नति और **उचित योग्यता आधारित क्षमता निर्माण** के लिए स्पष्ट मानदंडों के साथ मानव संसाधन के लिए एक अधिक व्यवस्थित **नीति आधारित दृष्टिकोण** होना चाहिए।
  - ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत मानव संसाधनों को एक साथ एकजुट किया जा सकता है। मनरेगा के तहत विविधतापूर्ण कार्यों हेतु, विभिन्न विभागों के मानव संसाधनों का औपचारिक रूप से प्रयोग किया जा सकता है।
- **सूचना एवं प्रौद्योगिकी-**
  - विद्यमान ग्राम रोजगार सेवक (GRS) को औपचारिक रूप से बेयर फुट तकनीशियनों के रूप में इंजीनियरिंग कार्यों जैसे पानी की आपूर्ति और स्वच्छता सम्बन्धी कार्यों को पूर्ण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
  - सभी कर्मचारियों को अपने कार्य के लिए अनिवार्य रूप से कंप्यूटर ज्ञान का होना आवश्यक है।
  - आईटी स्तर पर, पंचायतों को आईसीटी का उपयोग लेन-देन आधारित सॉफ्टवेयर के रूप में करने के लिए प्रोत्साहित करना, अकाउंटिंग की डबल एंट्री सिस्टम को अपनाना; सुरक्षित सॉफ्टवेयर को सार्वभौमिक बनाना, ग्राम पंचायत स्तर पर लेन-देन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए PES को अपग्रेड करना आदि।
- **वित्तपोषण-** MoRD , MoPR तथा MDWS संयुक्त रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशासनिक लागतों के लिए निर्धारित धनराशि योजनाओं में सलंग्न नहीं हैं(funds are untied from the schemes) तथा राज्यों को ग्राम पंचायतों तथा IP स्तर पर मानव संसाधन संबंधी लागतों को पूर्ण करने की स्वतंत्रता होगी।
- **ग्राम पंचायत (GP), स्वयं- सहायता समूह (SHG) तथा गैर-सरकारी संगठन (NGO)**
  - ग्राम पंचायतों द्वारा SHG तंत्र के मानव संसाधन का उपयोग निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है:
    - विशिष्ट कार्यों के लिए प्रशिक्षित गतिविधि समूहों के रूप में; तथा
    - विशिष्ट कार्य करने और ग्राम सभाओं (GSs) के दौरान भागीदारी बढ़ाने के लिए SHG में से प्रशिक्षित समुदाय संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) के रूप में।
  - गैर सरकारी संगठनों द्वारा निम्नलिखित मामलों में ग्राम पंचायतों की सहायता की जा सकती है:
    - स्थानीय नियोजन प्रक्रिया में,
    - लाभार्थियों की पहचान करने,
    - सर्वेक्षणों और अध्ययनों का संचालन करने में,
    - सामाजिक जवाबदेहिता में सुधार करने में,
    - करों और शुल्कों का भुगतान करने हेतु समुदाय को एकजुट करने में,
    - FRA एवं PESA के तहत दावों और विधिक मामलों में,
    - विवादों के समाधान में; तथा
    - GP एवं अन्य संस्थानों के बीच गठजोड़ में।
- सुगम कार्यप्रणाली हेतु **जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरणों(DRDA)** का उन राज्यों में जिला पंचायतों (DPs) के साथ विलय किया जा सकता है, जहाँ ये अब तक नहीं हो सका है।
- अन्य अनुशंसाओं के अंतर्गत- ग्रामीण क्षेत्रों में नई तथा लघु पंचायतों का निर्माण ना करना, **लोक शिकायत निवारण तंत्र** की व्यवस्था करना, कर्मचारियों को बेहतर प्रशिक्षण, सुव्यवस्थित भर्ती प्रक्रिया की स्थापना इत्यादि सम्मिलित हैं।

1.4 कारागारों की अत्यधिक भीड़

(Overcrowding of Prisons)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) से कारागारों की अत्यधिक भीड़ का विवरण और आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए कहा है।

अन्य संबंधित तथ्य

- उच्चतम न्यायालय देशभर की जेलों में अमानवीय परिस्थितियों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहा है।
- उच्चतम न्यायालय, विचाराधीन कैदियों की समीक्षा समितियों (UTRCs) के मानक परिचालन प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों पर तथा खुली जेलों पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर भी सुनवाई करने के लिए सहमत हुआ है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की **प्रिज़न स्टेटिस्टिक्स इंडिया 2015** रिपोर्ट के अनुसार, भारत की जेलों में उनकी धारण क्षमता से 14% अधिक के धारण अनुपात के कारण अत्यधिक भीड़ विद्यमान है।
- जबकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश की 149 जेलों में 100 फीसदी से अधिक भीड़ है और इनमें से आठ जेलों में 500 फीसदी से भी अधिक भीड़ है।

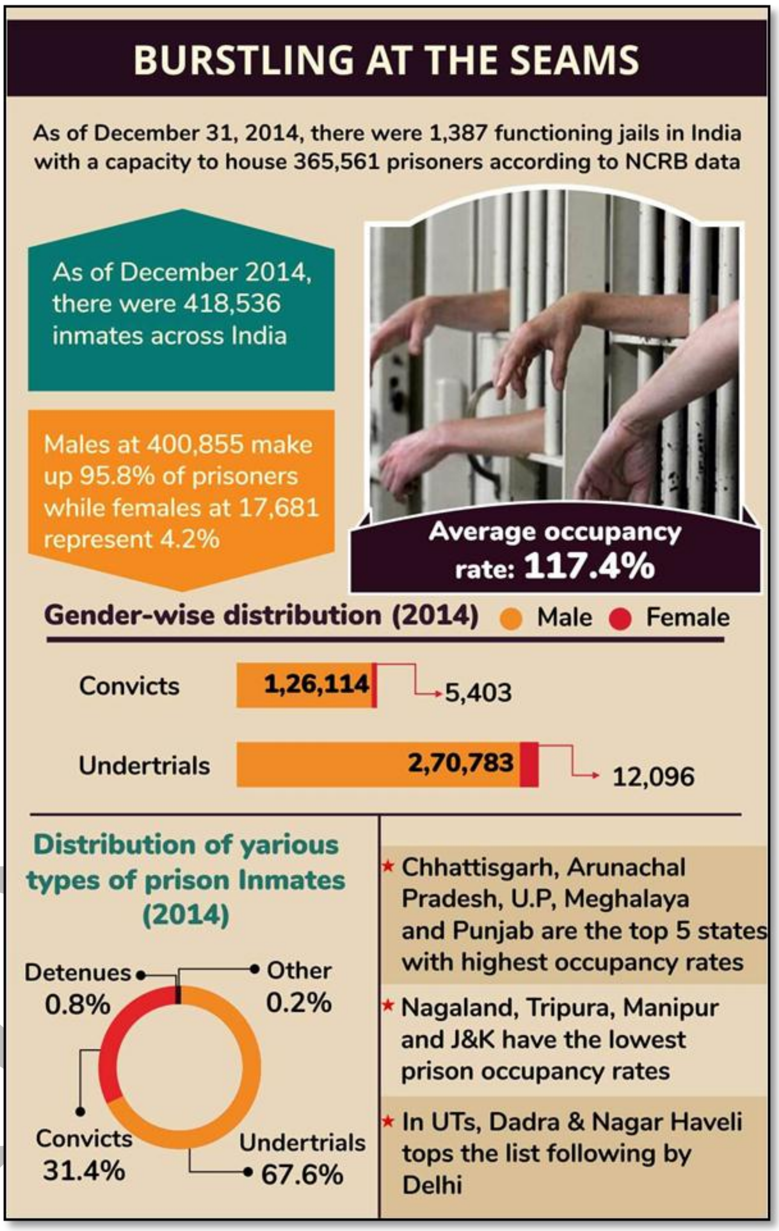

अत्यधिक भीड़ के कारण

- **विचाराधीन कैदियों की संख्या** - भारत की जेलों में 67% कैदी विचाराधीन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे UK में 11%, US में 20% और फ्रांस में 29% से बहुत अधिक है।
- **न्यायपालिका में लंबित मामले**- देश के विभिन्न न्यायालयों में 3.1 करोड़ मामले (2016) लंबित हैं, अतः किसी भी प्रभावी प्रणालीगत हस्तक्षेप की अनुपस्थिति में जेलों की अत्यधिक भीड़ यथावत बनी रहेगी।
- **जेलों की अपर्याप्त क्षमता**- अधिकांश भारतीय जेलें औपनिवेशिक काल की है। इन जेलों में निरंतर सुधार करने की आवश्यकता है और उनमें से कई जेलें दीर्घावधि हेतु आवास योग्य नहीं (uninhabitable) हैं।
- **कानूनी प्रतिनिधियों तक सीमित पहुँच**- जेलों में रहने वाले अधिकांश कैदी अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हैं और वे क़ानूनी सहायता वहन नहीं कर सकते हैं। जेल परिसर में वकीलों से संवाद की सीमित पहुँच के कारण कैदियों की स्वयं को निर्दोष साबित करने की क्षमता में रूकावट आती है।
- **जमानत लेने में समस्याएं**- निर्धन और हाशिए पर स्थित लोगों के लिए जमानत पाना कठिन होता है जिससे उनके पास जेल में रहने और न्यायालय के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रहता है।
- **अनावश्यक गिरफ्तारी**- 60 प्रतिशत से अधिक गिरफ्तारियाँ अनावश्यक थीं और इस प्रकार की गिरफ्तारियों का जेल खर्च में 42.3% का योगदान था **(विधि आयोग)**।

विचाराधीन कैदी समीक्षा समितियां (UTRCs)

- इन समितियों में जिला न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी शामिल होते हैं।
- ये प्रत्येक जिले में स्थापित की गयी हैं। यह ऐसे विचाराधीन कैदियों और अपराधियों की रिहाई की विवेचना और अनुशंसा करती हैं जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं अथवा जमानत या क्षमा प्राप्ति के कारण रिहा होने के योग्य हैं।

जेलों में अत्यधिक भीड़ का प्रभाव

- **गरिमापूर्ण और बुनियादी जीवन निर्वाह स्थितियों का उल्लंघन** *UN स्टैण्डर्ड मिनिमम रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ़ प्रिज़नर्स* के विरुद्ध हैं, जो यह सुझाव देते हैं कि जेल आवास में "*मिनिमम फ्लोर स्पेस*", प्रकाश, ऊष्मा और वायुसंचार" का ध्यान रखना चाहिए।
- **लोगों के मूल अधिकारों और मानवाधिकारों का उल्लंघन-** यह उच्चतम न्यायालय की उस ऐतिहासिक व्यवस्था का उल्लंघन है जिसके तहत माना गया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में कैदियों के जीवन और स्वतंत्रता के उनके मूल अधिकार के भाग के रूप में निष्पक्ष और शीघ्र सुनवाई का अधिकार निहित है।
- **निगरानी में कठिनाई-** जेलों में 4,19,623 कैदियों की देखभाल करने के लिए 53,009 अधिकारी हैं। अर्थात् **आठ कैदियों पर एक अधिकारी** उपलब्ध है। इससे अप्रभावी निगरानी की समस्या उत्पन्न होती है।
- **कैदियों के बीच टकराव-** अत्यधिक भीड़ के परिणामस्वरूप जेलों के अन्दर अनियंत्रित हिंसा और अन्य आपराधिक गतिविधियां सामने आती हैं।
- **अपराधियों के सुधार पर सीमित ध्यान-** जेलों की कार्य प्रणाली भी व्यवस्था-उन्मुख हो जाती है। जिससे वहां सुधारात्मक सुविधाओं और सुधारों पर सीमित ध्यान दिया जाता है।
- **सामाजिक कलंक-** कई कैदी अपने पारिवारिक परिवेश, सामुदायिक संबंध और आजीविका खो देते हैं। इसके अतिरिक्त, जेल की अवधि उन्हें व्यक्तिगत रूप से और समुदाय के सदस्य के तौर पर सामाजिक कलंक बना देती है।

जेल नियमावली (2016)

इसका उद्देश्य देश भर में जेलों के प्रशासन और कैदियों के प्रबंधन को प्रशासित करने वाले कानूनों, नियमों और विनियमों में आधारभूत एकरूपता लाना है। नियमावली के प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं-

- निःशुल्क विधिक सहायता तक पहुंच
- महिला कैदियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान
- मृत्युदंड प्राप्त कैदियों के अधिकार
- जेलों का आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण
- रिहाई पश्चात् देखभाल सेवाओं पर फोकस
- महिला कैदियों के बच्चों के लिए प्रावधान
- संगठनात्मक एकरूपता और जेल के सुधारक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना
- जेलों का निरीक्षण आदि

सुधारात्मक उपाय

- **जेल नियमावली 2016** का अनुपालन करने की आवश्यकता है।
- उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सरकार द्वारा **खुली जेलों** का परीक्षण और क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।
- **प्रभावी निगरानी के लिए जेल निरीक्षकों** को नियमित रूप से जेलों का दौरा करना चाहिए, कैदियों की शिकायतों को सुनना, विद्यमान समस्याओं की पहचान और उनके समाधान हेतु उपाय प्रस्तुत करना चाहिए। निगरानी में सुधार हेतु सभी जेलों में CCTV कैमरे लगाने की आवश्यकता है।
- हिरासत में यातनाओं के मामलों एवं पीड़ितों के पुनर्वास और क्षतिपूर्ति की **समयबद्ध और प्रभावी जांच** के लिए एक स्वतंत्र तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए, क्योंकि पुलिस द्वारा की गयी जांच पक्षपातपूर्ण हो सकती है।
- UTR समितियों में जेल अधीक्षकों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों को शामिल करके **UTRCs में सुधार** करना चाहिए। इसके साथ ही UTR समितियों की कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए इसकी कार्य पद्धति हेतु एक मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) को भी तैयार किया जाना चाहिए।
- **विधि आयोग की निम्नलिखित अनुशंसाएं हैं। जैसे-**
  - विचाराधीन कैदी जो किए गए अपराध के लिए अधिकतम सात वर्ष तक की सजा का एक तिहाई भाग पूरा कर चुके हैं, उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। सात वर्ष से अधिक की कैद वाले दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे कैदियों को जमानत दी जानी चाहिए यदि वे अपनी सजा का आधा भाग पूरा कर चुके हों।

VISION IAS

- विचारधीन कैदियों की जमानत पर शीघ्र रिहाई पर बल देने के साथ अपराध प्रक्रिया संहिता के जमानत प्रावधानों में संशोधन करना। (268वीं रिपोर्ट 2017)
- यातना विरोधी कानून के मसौदे के आधार पर व्यापक यातना विरोधी कानून का निर्माण करना चाहिए (273वीं रिपोर्ट द्वारा सुझाव)।

- **कारागार सुधार एवं सुधारात्मक प्रशासन पर राष्ट्रीय नीति प्रारूप, 2007** की अनुशंसाएं-
  - रिहाई के पश्चात् देखभाल और पुनर्वास सेवाओं तथा कैदियों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करना चाहिए।
  - इसके अतिरिक्त इसमें एक अनुसंधान और विकास शाखा की स्थापना की तथा कैदियों के पुनर्वास के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।
  - अपेक्षाकृत छोटे अपराधों के दोषी अपराधियों के लिए कारावास हेतु समुदाय आधारित विकल्प।
- **कारागार सुधारों पर अखिल भारतीय समिति** (न्यायमूर्ति मुल्ला समिति) ने भारत में जेलों के आधुनिकीकरण के लिए एक **राष्ट्रीय कारागार आयोग** की स्थापना करने का सुझाव दिया था। जेलों में विचारधीन कैदियों की संख्या को कम किया जाना चाहिए और उन्हें दोषी कैदियों से अलग रखा जाना चाहिए।

1.5. उच्च न्यायालय में नियुक्तियाँ

(Appointment to High Court Judiciary)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय में नियुक्ति से जुड़े कुछ पहलुओं पर स्पष्टीकरण दिया है।

विवरण

- सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की गयी जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए दो अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व के निर्णयों के आधार पर चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने निम्नलिखित आधारों पर इसे ख़ारिज कर दिया:
  - सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को **अनुच्छेद 217(2)(A)** के अंतर्गत उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। क्योंकि इसमें यह अनिवार्य नहीं किया गया है कि नियुक्त होने वाला व्यक्ति, नियुक्ति की अधिसूचना जारी किए जाने के समय किसी न्यायिक पद को धारण करता हो।
  - उच्च न्यायालयों के अपर न्यायाधीशों को 2 वर्षों से कम के कार्यकाल के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है (**अनुच्छेद 224** के संदर्भ में), भले ही मामलों की लंबितता(PENDENCY) 2 वर्षों से अधिक की हो (जो कि *एस पी गुप्ता बनाम भारत संघ वाद* में मतभेद और विवाद का विषय था)।
- इसके साथ यह भी कहा गया कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को शीघ्रता से संपन्न किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 217- यह अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की शर्तों से सम्बंधित मुद्दों से जुड़े प्रावधान करता है। इसके तहत:

1. उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी … और वह न्यायाधीश, अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की दशा में अनुच्छेद 224 में उपबंधित रूप में पद धारण करेगा और किसी अन्य दशा में तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है।
2. एक व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह नहीं माना जाएगा यदि वह भारत का नागरिक नहीं है तथा उसने
   (A) भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम दस वर्षों तक कोई न्यायिक पद धारण न किया हो; अथवा
   (B) कम से कम दस वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों में लगातार एक अधिवक्ता के रूप में कार्य ना किया हो।

अनुच्छेद 224- अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी मामलों से सम्बंधित है।

1. अपर न्यायाधीश : किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि या उसमें कार्य लंबित रहने पर राष्ट्रपति सम्यक् रूप से अर्हित व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट अवधि (अधिकतम दो वर्षों तक) के लिए उस न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा।

2. कार्यकारी न्यायाधीश : जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भिन्न कोई न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब राष्ट्रपति सम्यक् रूप से अर्हित किसी व्यक्ति को तब तक के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा जब तक स्थायी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों को पुन: नहीं संभाल लेता है।

3. उच्च न्यायालय के अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति **बासठ वर्ष** की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा।

अनुच्छेद 224A- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की (अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में) नियुक्ति।

अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति में होने वाले विलंब से संबंधित मुद्दे

- यह **अनुच्छेद 224(1) के उद्देश्य को निष्फल** करता है और साथ ही, न्यायपालिका की क्षमता में कमी के कारण विलंब का सामना कर रहे वादियों की आशा व विश्वास को हतोत्साहित करता है।
- **न्यायिक अधिकारियों** को पदोन्नति (उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में) का अवसर उस समय प्राप्त होता है, जब उनकी सेवा के कुछ वर्ष ही शेष होते हैं और कार्यपालिका के द्वारा अनुचित विलंब से उनका कार्यकाल तथा कभी-कभी पदोन्नति के अवसर कम हो जाते हैं

उठाए जा सकने वाले कदम

- नियुक्ति प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए **निश्चित समयसीमा** निर्धारित की जा सकती है, ताकि प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो सके।
- नियुक्ति के मामलों में **अधिक पारदर्शिता** के माध्यम से विलंब के कारणों को स्पष्ट किया जा सकता है।
- कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य उचित परामर्श के माध्यम से, उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु **प्रक्रिया ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर) को शीघ्रता से अंतिम रूप** प्रदान करना चाहिए।
- व्यवस्था को अबाध रूप से संचालित करने हेतु **भौतिक अवसंरचना** को विस्तारित करने और आवश्यक सहायक स्टाफ उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है।
- **अन्य उपाय:** सरकारी मुकदमों में कमी, मध्यस्थता और अन्य वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली का अनिवार्य उपयोग, प्रक्रियाओं को सरल बनाना, सटीक क्षमता सुदृढीकरण और प्रौद्योगिकी के प्रयोग की अनुशंसा करना इत्यादि।

1.6. भारत में गवाहों का संरक्षण

(Witness Protection in India)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI से गवाहों को दिए जाने वाले संरक्षण के बारे में सवाल किया क्योंकि उनमें से अधिकांश अपने बयानों से मुकर गए थे।

भारत में गवाहों के संरक्षण के लिए प्रावधान-

- भारत में गवाहों के संरक्षण के लिए कोई पृथक कानून नहीं है। इन प्रावधानों का विभिन्न कानूनों में उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, गवाहों या उनके संबंधियों की संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ये कानून प्रभावी नहीं हैं। इनमें से कुछ क़ानून निम्नलिखित हैं -
- साक्ष्य अधिनियम की धारा 151 और 152
- राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 की धारा 17

गवाहों के संरक्षण का महत्व

- गवाह, न्याय व्यवस्था की आंख और कान होते हैं। जब किसी अपराध से संबंधित गवाह को धमकी दी जाती है, उसकी हत्या की जाती है या उसका उत्पीड़न किया जाता है, तब केवल गवाह को धमकी ही नहीं मिलती अपितु किसी नागरिक के स्वतंत्र एवं उचित ट्रायल के मौलिक अधिकार का भी हनन होता है।
- न्याय प्रशासन का मुख्य स्तंभ न्यायालय में बिना किसी पक्षपात या भय के तथा बिना किसी धमकी या प्रलोभन के अपनी गवाही देने वाले गवाहों के अस्तित्व पर निर्भर होता है। यदि गवाह अपनी गवाही किसी भय या धमकी अथवा पक्षपात या प्रलोभन के वशीभूत होकर देता है, तो इससे न केवल न्याय प्रशासन की नींव कमज़ोर होती है, बल्कि इसका अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है।

VISION IAS

- देश में दोषसिद्धि में होने वाले विलम्ब का यह सबसे बड़ा कारण रहा है। उदाहरणस्वरुप, गंभीर अपराधों से संबंधित पीड़ित और गवाह विशेष रूप से तब संकट की स्थिति में होते हैं जब दोषी व्यक्ति शक्तिशाली, प्रभावशाली या समृद्ध वर्ग से संबंधित हो वहीं पीड़ित या गवाह सामाजिक या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से संबंध रखता हो।

गवाहों के संरक्षण से संबंधित चुनौतियां

- **न्यायिक क्षेत्राधिकार में अतिव्यापन (Overlap)-** पुलिस और लोक व्यवस्था संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का विषय है, जबकि आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया समवर्ती सूची का विषय हैं। अतः न्यायिक क्षेत्राधिकार में अतिव्यापन के कारण गवाहों के लिए एक सुदृढ़ संरक्षण नीति की समस्या विद्यमान है।
- स्वतंत्रता और जवाबदेहिता के अभाव जैसे **पुलिस विभाग से संबंधित कई मुद्दों** ने गवाहों को संरक्षण प्रदान करने की उनकी क्षमता को प्रभावित किया है। पुलिस बल की संख्या काफी कम है। एक लाख आबादी में मात्र 136 पुलिसकर्मी ही हैं। विकसित देशों के मानकों की तुलना में यह अनुपात काफी कम है।
- **गवाहों की संरक्षण और अभियुक्तों के अधिकारों में संतुलन स्थापित करना -** कई मामलों में गवाहों की गुमनामी उनके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है लेकिन अपराध प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) की धारा 327 ने खुली सुनवाई (open trial) के महत्त्व को वर्गीकृत किया है। खुली सुनवाई के तहत आरोपी के लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि उसके खिलाफ कौन गवाही दे रहा है। यह प्रक्रिया मुख्यतः उन्हें इस तरह की गवाही के खिलाफ खुद को सुरक्षित करने के लिए होती है।
- **प्रशासन में भ्रष्टाचार-** दूसरी बड़ी समस्या यह है कि प्रशासन और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। गवाह संरक्षण कार्यक्रम अप्रभावी पर्यवेक्षण के कारण सुचारू ढंग से कार्यान्वित नहीं हो पा रहे हैं।
- **वित्तपोषण :** गवाह संरक्षण कार्यक्रम में अत्यधिक व्यय होने की संभावना है जिसका भुगतान राज्यों द्वारा किया जाएगा। वित्तीय अभाव गवाहों की संरक्षण में विलम्ब का कारण बन सकते हैं विशेषरूप से उस समय जब CCTV एवं अन्य अवसंरचनाओं की स्थापना के लिए वित्त की आवश्यकता हो।

भारत में विभिन्न आयोगों के दृष्टिकोण/विकासात्मक दृष्टिकोण

इस मुद्दे को विगत कई वर्षों से विभिन्न समितियों और आयोगों द्वारा संबोधित किया गया है। उदाहरण के लिए-

- विधि आयोग ने अपनी विभिन्न रिपोर्टों में गवाहों के संरक्षण के लिए कई सिफारिशें की हैं जैसे कि गवाहों की पहचान को सुरक्षित रखना बनाम अभियुक्त के अधिकार।
- **न्यायमूर्ति मलिमथ समिति** ने संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के कानूनों की तर्ज पर गवाह संरक्षण कानून बनाने की सिफारिश की है।
- सरकार द्वारा **गवाह संरक्षण विधेयक 2015** भी प्रस्तुत किया गया, हालांकि इसे अभी तक पारित नहीं किया जा सका है।

निष्कर्ष

गवाह संरक्षण कानून के विकास का प्रथम चरण यह होगा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि गवाहों का संरक्षण राज्य का कर्तव्य है। धमकी के कारण गवाहों के अपने बयानों से मुकरने की समस्या से निपटने के लिए भारत द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है:

- **गवाहों को ट्रायल के पहले, दौरान और उसके बाद** संरक्षण दिया जाना चाहिए। देश भर में गवाहों के संरक्षण हेतु दिल्ली मॉडल के समान एक मॉडल विकसित किया जाना चाहिए।
- भारत को गवाहों के संरक्षण हेतु प्रभावी विधान बनाने की आवश्यकता है, जिसमें पुलिस, सरकार तथा न्यायपालिका को सम्मिलित करना चाहिए। सरकार द्वारा आवश्यक अधिनियमों को लागू किया जाना चाहिए, कानूनी पहलुओं की पड़ताल न्यायपालिका द्वारा की जानी चाहिए और पुलिस द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

गवाह संरक्षण विधेयक 2015 - प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य गवाहों का संरक्षण सुनिश्चित करना है -

- गवाह संरक्षण कार्यक्रम का निर्माण करने और उसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु **राष्ट्रीय गवाह संरक्षण परिषद और राज्य गवाह संरक्षण परिषद का गठन करना।**
- कार्यक्रम में प्रवेश दिए जाने के पश्चात गवाह (जिसे यहाँ "संरक्षित" कहा गया है) से पूछताछ करने एवं उसे संरक्षण प्रदान करने के संबंध में ट्रायल कोर्ट हेतु एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए "गवाह संरक्षण प्रकोष्ठ" का गठन करना।
- गवाहों की पहचान सुरक्षित रखने के लिए संरक्षणत्मक उपाय प्रदान करना।
- यह सुनिश्चित करना कि मूल न्यायिक क्षेत्राधिकार से स्थानांतरित वादों (Cases) के गवाह स्वतंत्र रूप से अपनी गवाही दे सकें।
- कोई व्यक्ति जिसने इन प्रावधानों का उल्लंघन किया हो और झूठी गवाही दी हो उसके लिए कठोर दंड का उपबंध करना।

दिल्ली गवाह सुरक्षा योजना

- दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) द्वारा जोखिमों के आकलन के बाद प्रत्येक मामले में सुरक्षा संबंधी आदेश दिए जाते हैं।
- गवाह सुरक्षा संबंधी आदेश के समग्र कार्यान्वयन के लिए पुलिस आयुक्त उत्तरदायी होते हैं।
- संरक्षण उपायों में सशस्त्र पुलिस संरक्षण, गवाहों के घर के आसपास नियमित गश्त, क्लोज़्ड-सर्किट टेलीविज़न कैमरे लगाना और गवाहों का स्थानांतरण आदि शामिल हो सकते हैं।

1.7. स्वायत्त निकायों को युक्तिसंगत बनाना

(Rationalization of Autonomous Bodies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो स्वायत्त निकायों को बंद करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है तथा इनके कार्यों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (DoHFW) को सौंपे जाने का प्रस्ताव किया है।

विवरण

- 2014 में सरकार ने व्यय सुधारों के विभिन्न पहलुओं पर नजर रखने के लिए एक **व्यय प्रबंधन आयोग (EMC)** का गठन किया था। इसे भोजन, उर्वरक और तेल सब्सिडियों को कम करने तथा भारत के राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने हेतु अन्य उपायों के लिए सुझाव देने का कार्य दिया गया था।
- EMC की अनुशंसाओं के आधार पर, नीति आयोग ने DoHFW के अंतर्गत 19 स्वायत्त निकायों की समीक्षा की और **स्वायत्त निकायों की समीक्षा के लिए बनी समिति** (रतन वाटल की अध्यक्षता में) को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- सरकार की मुख्य चिंता यह है कि परिणामों, प्रभावशीलता और दक्षता में सुधार हेतु स्वायत्त निकायों की समीक्षा और उन्हें तर्कसंगत बनाए जाने की आवश्यकता है।

बंद किए जाने वाले अनुमोदित निकाय -

राष्ट्रीय आरोग्य निधि (RAN) को एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। इसे नामित केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में उपचार कराने वाले गरीब मरीजों को वित्तीय चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था।

जनसंख्या स्थिरता कोष (JSK) की स्थापना वर्ष 2003 में जनसंख्या स्थिरीकरण रणनीतियों के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु 100 करोड़ रुपए के कार्पस अनुदान के साथ की गई थी।

1.8. पूर्वोत्तर हेतु नीति फोरम

(NITI Forum for Northeast)

समाचार में क्यों?

केंद्र सरकार ने 'उत्तर-पूर्व के लिए राष्ट्रीय फोरम' स्थापित करने का आदेश दिया है।

- **फोरम को दिया गया कार्य** - भारत के पूर्वोत्तर में स्थित आठ राज्यों की त्वरित, समावेशी व सतत आर्थिक संवृद्धि के मार्ग में आ रही विभिन्न बाधाओं की पहचान करना तथा इस हेतु उपयुक्त हस्तक्षेपों की अनुशंसा करना। यह इसके साथ-साथ पूर्वोत्तर में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी करेगा।
- **गठन**- नीति आयोग के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER) इसकी सह-अध्यक्षता करेंगे।
    - पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी आठ राज्यों के मुख्य सचिव इस फोरम के सदस्य होंगे। इसमें विभिन्न मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व भी रहेगा।

1.9. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, 2017

(Corruption Perception Index 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल** द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया गया है।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल

- यह एक विश्वस्तरीय सिविल सोसायटी संगठन है। यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व करता है। यह बर्लिन (जर्मनी) में स्थित है।
- यह **ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर** का प्रकाशन भी करता है।

करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के सन्दर्भ में

- इस सूचकांक में विशेषज्ञों एवं व्यवसायियों के अनुसार 180 देशों व क्षेत्रों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्तर पर 0 से 100 तक के पैमाने पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। यहाँ 0 अत्यधिक भ्रष्ट और 100 अत्यधिक ईमानदार है।
- नवीनतम सूचकांक **भ्रष्टाचार तथा प्रेस, संघ और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मध्य संबंध पर एक विश्लेषण है**। रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि प्रेस और NGO के लिए न्यूनतम सुरक्षा वाले देशों में **भ्रष्टाचार की दर सबसे खराब** होती है।

सूचकांक के निष्कर्ष

- सूचकांक के अनुसार दो तिहाई से अधिक देशों ने 43 के औसत स्कोर के साथ 50 से कम स्कोर किया है।
- 43 स्कोर के साथ भारत को 81वीं रैंक प्रदान की गई है। सूची के शीर्ष पर न्यूजीलैंड और निम्नतम रैंक पर सोमालिया है।
- उप-सहारा अफ्रीका, पूर्वी यूरोप तथा मध्य एशिया सबसे खराब प्रदर्शन वाले क्षेत्र हैं।

1.10. नीले रंग का आधार कार्ड

(Blue Aadhaar)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए **नीले रंग का आधार कार्ड / बाल आधार** प्रारंभ किया गया है।

यह क्या है?

- इसमें बच्चे की बॉयोमीट्रिक सूचनाएं शामिल नहीं होंगी। पहला बॉयोमीट्रिक अपडेट 5 वर्ष की उम्र में आवश्यक है, जबकि दूसरा बॉयोमीट्रिक अपडेट 15 वर्ष की आयु में आवश्यक है और यह माता-पिता की UID से जुड़ा होगा।
- हालांकि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आधार प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग लेने और सरकारी छात्रवृत्तियां प्राप्त करने के लिए यह उपयोगी होगा।

VISION IAS

1.11. विकास की प्रगति पर निगरानी रखने हेतु सांसदों के लिए ऐप

(App for MPS to Track Development)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सरकार द्वारा **UPAAI (यूनिफाइड प्लानिंग एंड एनालिसिस इंटरफ़ेस) अथवा 'सॉल्यूशन'** नामक ऐप लांच की गयी है। यह सांसदों की उनके राज्यों में हो रहे विकास कार्यों पर निगरानी रखने में सहायता करेगी।

इस ऐप के बारे में अन्य जानकारी

- यह ऐप प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अवसंरचना एवं सामाजिक संकेतकों से सम्बंधित आंकड़ों का एक समेकित प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी।
- यह सांसद को उसके निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित जिलेवार सूचनायें प्रदान करेगी तथा MPLAD निधियों व किसी अन्य केंद्रीय योजना से संबंधित बेहतर निर्णय लेने में उनकी सहायता करेगी।
- इसकी **निगरानी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा** की जाएगी और यह डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप है।
- अगले चरण में, राज्य योजनाओं को सम्मिलित करने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा और यह जिलाधिकारियों एवं विधायकों को एक ही मंच पर ले आएगा।

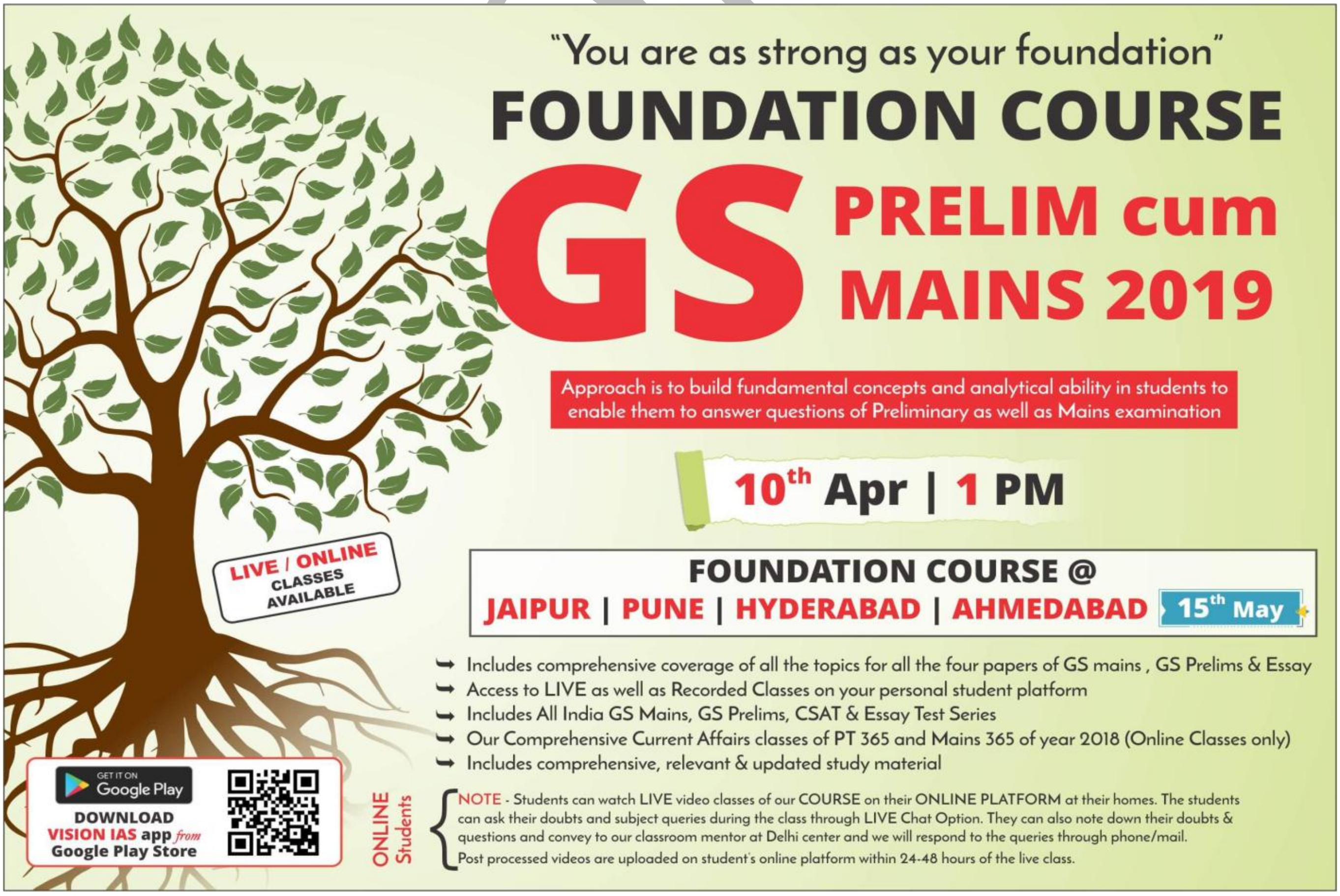

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध

(INTERNATIONAL RELATIONS)

2.1. भारत की सॉफ्ट पावर

(India's Soft Power)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विदेश मंत्रालय ने भारत की सॉफ्ट पावर आउटरीच की प्रभावशीलता को मापने और कूटनीति के क्षेत्र में भारत की सॉफ्ट पावर और उसके ठोस परिणामों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए "सॉफ्ट पावर मैट्रिक्स" विकसित करने का निर्णय लिया है।

महत्त्व

- सॉफ्ट पावर सार्वजनिक कूटनीति (पब्लिक डिप्लोमेसी) का एक महत्वपूर्ण साधन बन गयी है। यह आधिकारिक कूटनीतिक प्रयासों जैसे कि एक्ट ईस्ट नीति, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी और अफ्रीका में सामरिक सहायता तथा व्यापार भागीदारी के विकास में सहायता करती है।
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान के बढ़ने से विदेशों में भारत के संबंध में सार्वजनिक जानकारी और भारत की महत्ता (appreciation) में वृद्धि की संभावना है।
- हार्ड पावर का उपयोग सामान्यतः अपने साथ व्यापक वैश्विक सार्वजनिक अस्वीकृति लाता है, जबकि सॉफ्ट पावर को सूचना युग में सरलतापूर्वक स्वीकृत किया जाता है तथा यह किसी देश की मुख्य पूँजी का निर्माण करता है।
- यद्यपि भू-राजनीति के क्षेत्र में हार्ड पावर अभी भी प्रचलित है, परन्तु सॉफ्ट पावर के क्षेत्र में अधिकांश देशों द्वारा अपना प्रभाव, निवेश, देशी और विदेशी प्रतिभाओं के लिए प्रतिधारण और आकर्षण आदि बढ़ाने के लिए इस पर बल दिया जा रहा है।
- सॉफ्ट पावर न केवल विश्व में किसी राष्ट्र की भूमिका के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि देश की वैश्विक स्तर पर मान्यता और अंततः उसकी समृद्धि के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए: कोई देश यथोचित सॉफ्ट पावर के साथ, अपने प्रवासियों के लिए आकर्षक होगा, इस प्रकार यह प्रतिभा और धन दोनों के लिए महत्वपूर्ण संपर्कता को सुदृढ़ करेगा।

सॉफ्ट पावर

- यह किसी देश द्वारा अपने लक्ष्यों के अनुरूप विचारों की समानता से अन्य राष्ट्रों को सहमत करने की क्षमता है।
- यह तीन प्रमुख संसाधनों यथा- किसी देश की संस्कृति, उसके राजनीतिक मूल्य और उसकी विदेश नीति से प्राप्त होती है।

हार्ड पावर

- यह किसी देश अथवा राजनीतिक संस्था द्वारा अन्य देशों के व्यवहार को आर्थिक प्रोत्साहन या सैन्य शक्ति के प्रयोग के माध्यम से प्रभावित करने की क्षमता है।
- इसमें आर्थिक प्रतिबंध, व्यापार समझौते, सैन्य हस्तक्षेप तथा सैन्य या आर्थिक दबाव सम्मिलित है।

भारत की सॉफ्ट पावर संबंधी अभिव्यक्तियां

- भारत की सॉफ्ट पावर के संवर्धन हेतु **भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद** (ICCR) प्रमुख उत्तरदायी सरकारी नोडल एजेंसी है।
- **अतुल्य भारत अभियान:** इसे भारत के ब्रांड निर्माण और देश की एक विशिष्ट पहचान बनाने के लिए 2002 में पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से प्रारंभ किया गया था।
- 2006 में, विदेश मंत्रालय ने विदेशों में भारत की पहुँच को बढ़ावा देने के लिए एक **सार्वजनिक कूटनीति प्रभाग** की स्थापना की।
- **प्राचीन औषधि प्रणाली और योग** विकसित देशों में भी तेजी से लोकप्रिय हो चुके हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का वैश्विक आयोजन भी हमारी सॉफ्ट पावर आउटरीच की एक प्रभावशाली अभिव्यक्ति है।
- विदेशी व्यापार हितों तथा विदेशी सहायता एवं विकास कार्यक्रम के साथ भारतीय प्रवासियों तक पहुंचने और संपर्क स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
- न केवल युवाओं को जोड़ने बल्कि "नेशन-ब्रांड" के रूप में भारत के निर्माण हेतु भी **सोशल मीडिया और आईटी का उपयोग**। मेक इन इंडिया के लिए अभियान, विदेशों में व्यापार मेले तथा रायसीना वार्ता जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी विश्व में सॉफ्ट पावर के रूप में भारत की उपस्थिति को दर्शाता है।
- भारत ने पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ पारंपरिक संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए **प्रोजेक्ट मौसम और स्पाइस रूट परियोजनाएं** तथा सिल्क रोड जैसे प्राचीन व्यापारिक मार्ग (जिसमें प्राचीन एशियाई महाद्वीप और यूरोप के कई हिस्से सम्मिलित हैं) का शुभारंभ किया है।

VISION IAS

- भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का प्रयोग बॉलीवुड के बढ़ते प्रभाव, विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षिक छात्रवृत्ति, प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में सहायता करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के माध्यम से भी किया है।

विदेश मामलों की स्थायी समिति की सिफारिशें

- यह कहा गया है कि भारत अपनी सांस्कृतिक कूटनीति के उपयोग में पीछे रहा है और सिफारिश की गयी है कि भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा सॉफ्ट पावर संबंधी संसाधनों और उनकी अभिव्यक्तियों को विदेशों में अभिव्यक्त किये जाने के लिए "व्यापक और बेहतर ढंग से संरचित नीति" तैयार की जानी चाहिए।
- विदेश मंत्रालय और ICCR को देश के प्राकृतिक ऐतिहासिक आकर्षण को बढ़ाने, अपनी कूटनीति और विदेश नीति को सशक्त बनाने के लिए संसाधनों का उचित आवंटन करना चाहिए।
- विकास भागीदारी (development partnerships) को सावधानीपूर्वक क्रियान्वित किया जाना चाहिए और इसके लिए समय पर वित्तीय आवंटन होना चाहिए।

चुनौतियां

- चूंकि 'सॉफ्ट पावर' को राज्य की शक्ति का अमूर्त अवयव माना जाता है, इसलिए इन उपायों के निश्चित प्रभाव का आकलन करना कठिन है।
- इसके अलावा, सॉफ्ट पॉलिसी अभी तक सरकारी नीतियों से स्वतंत्र, एक फ़ोकस्ड नीति अथवा वित्तीय संसाधनों के पर्याप्त समर्थन के बिना कार्य कर रही है।
- सॉफ्ट पावर के आलोचक साथ में यह भी कहते हैं कि सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर का स्थान नहीं ले सकती। यह केवल तभी सहायता करती है जब किसी देश ने अपनी सैन्य और आर्थिक शक्तियों के पारंपरिक स्रोतों का विकास किया हो।

निष्कर्ष

- अंत में, निस्संदेह सॉफ्ट पावर सद्भावना पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालांकि, भारत की सॉफ्ट पावर का उपयोग संसाधनों की कमी, विशेषकर चीन जैसे देशों की तुलना में और आंतरिक विरोधाभासों के कारण स्पष्ट रणनीति की कमी जैसी प्रमुख सीमाओं से प्रभावित है।
- इसके अलावा, स्पष्ट आर्थिक नीति और हार्ड पावर के अभाव में सॉफ्ट पावर पर्याप्त रूप से निर्णायक साबित नहीं होगी। उदाहरण के लिए, दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका का भारत के साथ मजबूत सामरिक सम्बन्ध स्थापित हो सकता है, परन्तु यह चीन की आर्थिक शक्ति ही है जो उसे निर्णायक बढ़त प्रदान करती है।

2.2. भारत-कनाडा

(India-Canada)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत का आधिकारिक दौरा किया।

विवरण

- **आतंकवाद का मुकाबला और चरमपंथ** जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ ही पारस्परिक निवेश में वृद्धि करके व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के उपायों पर विस्तृत वार्ता की गई।
- दोनों पक्ष जलवायु परिवर्तन, महासागर, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा पर एक साथ मिलकर कार्य करने पर सहमत हुए हैं।
- इसके अलावा, ऊर्जा सहयोग संबंधी **छह समझौतों पर हस्ताक्षर** किए गए। दोनों देश ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष ध्यान देने के साथ कनाडा-भारत मंत्री स्तरीय ऊर्जा वार्ता का दायरा बढ़ाने पर सहमत हुए हैं।
- कनाडा ने अंतर्निहित रूप से चीन के **मेगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव** पर भारतीय आपत्तियों को साझा किया। दोनों पक्षों ने कोरियाई प्रायद्वीप में स्थिति के अपने विश्लेषण पर सहमति व्यक्त की।
- कनाडा ने **परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह** में भारत को अपना समर्थन देने का आश्वासन भी दिया।

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- ऐतिहासिक रूप से भारत-कनाडा के मध्य घनिष्ट संबंधों का विकास नहीं हो पाया है। 2015 में सरकार द्वारा संबंधों में सुधार लाने के प्रयास में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कनाडा की यात्रा की गयी (42 वर्ष में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा)।
- इस यात्रा के दौरान, कनाडा के साथ पांच वर्ष की अवधि के लिए यूरेनियम की आपूर्ति हेतु ऐतिहासिक परमाणु ऊर्जा समझौता हुआ। इसी के साथ औपचारिक रूप से कनाडा द्वारा लंबे समय से भारत पर आरोपित परमाणु सामग्री के निर्यात संबंधी प्रतिबंध को भी हटा दिया गया।
- इसके अलावा, 1980 के दशक से तीन दशकों तक खालिस्तान के मुद्दे को लेकर भी भारत-कनाडा संबंधों का विकास प्रभावित रहा।

भारत-कनाडा संबंध

- **राजनीतिक रूप से** दोनों देशों के मध्य विभिन्न उच्च स्तरीय यात्राएं हुई हैं।
- भारत और कनाडा के संबंध **रणनीतिक रूप से** कमज़ोर हैं। कनाडा को भारत के प्रमुख सामरिक उद्देश्यों के साथ सहयोग करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है जिसमें चीन, पाकिस्तान, भारतीय उपमहाद्वीप और इसके अलावा हिंद महासागर रिम (RIM) में समुद्री सुरक्षा जैसे विषय शामिल हैं।
- **व्यापार और अर्थव्यवस्था-** द्विपक्षीय व्यापार 2016 में 4.2 बिलियन कनाडाई डॉलर से बढ़कर 8.02 अरब कनाडाई डॉलर हो गया है।
    - 2016 में कनाडा में कुल भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2811 मिलियन कनाडाई डॉलर था, जबकि भारत में कनाडा का FDI 1210 मिलियन कनाडाई डॉलर था।
    - द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौते (BIPPA) और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) अपने अंतिम दौर में चल रहे हैं।
- **ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग -** जून 2010 में हस्ताक्षरित परमाणु सहयोग समझौता (NCA), सितंबर 2013 से लागू हुआ। NCA हेतु उचित व्यवस्था (Appropriate Arrangement) के लिए मार्च 2013 में हस्ताक्षर हुआ, जिसके तहत नागरिक परमाणु सहयोग पर एक संयुक्त समिति का गठन किया गया था।
- **शिक्षा क्षेत्र -** उच्च शिक्षा में सहयोग पर जून 2010 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें छात्र और शिक्षक विनिमय, अनुसंधान और पाठ्यक्रम विकास, कार्यशाला और सेमिनार का आयोजन आदि सम्मिलित है।
- **विज्ञान एवं तकनीक (S&T) तथा अंतरिक्ष-** इसरो की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स (ANTRIX) ने टोरंटो यूनिवर्सिटी के एयरोस्पेस स्टडीज (UTIAS) के साथ व्यावसायिक व्यवस्था के तहत नौ नैनो उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है।
    - जून 2014 में प्रक्षेपित पीएसएलवी-सी 23 में दो कनाडा के उपग्रह भी शामिल थे।
- **भारतीय डायस्पोरा-**कनाडा, भारतीय मूल (PIO) के 12 लाख से अधिक व्यक्तियों का निवास स्थल है, जोकि इसकी जनसँख्या का 3% से अधिक हिस्सा है।
    - चार PIO वर्तमान में कैबिनेट पद धारणकर्ता हैं। (पिछले मंत्रिमंडल में दो राज्य मंत्री के रूप में थे)

दोनों देशों के बीच कड़वाहट के कारण

- **खालिस्तान कारक,** दोनों देशों के मध्य यह सबसे बड़ा मुद्दा है, जोकि कट्टरपंथ समर्थकों के साथ कनाडा के प्रधानमंत्री की कथित निकटता के कारण है। कनाडा में खालसा चरमपंथियों और उनके समर्थकों के अत्यधिक विकास के कारण भारत ने उनके दृष्टिकोण पर अनेक बार प्रश्न-चिन्ह उठाए हैं ।
- **व्यापार के संदर्भ में,** समग्र व्यापार में वृद्धि के बावजूद स्थिति वास्तविक क्षमता को प्रतिबिंबित नहीं करती है। भारत का कनाडा से व्यापार, भारत के वैश्विक व्यापार का केवल 1.95% है।
- औद्योगिक संरचनाओं और भौगोलिक परिस्थितियों में अंतर को देखते हुए भी दोनों देशों के मध्य व्यापार मंद हुआ है।
- **ऊर्जा** क्षेत्र में कनाडा की अत्यधिक क्षमता के बावजूद भी सीमित सहयोग ही दिखाई देता है।

सहयोग की संभावना

- **एक खुली अर्थव्यवस्था** होने के कारण कनाडा छात्रों और पेशेवरों, दोनों के लिए एक आकर्षक गंतव्य स्थल है। यहां, भारतीय डायस्पोरा नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- **ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में,** कनाडा में तेल और गैस का बड़ा भंडार है, बदलती परिस्थितियों में यह भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा हेतु एक प्रमुख भागीदार बन सकता है।

- **सुरक्षा मोर्चे पर,** इंडो-पेसिफिक क्षेत्र में शक्तियों के मध्य एक स्थिर संतुलन भारत और कनाडा दोनों के हितों की सुरक्षा करेगा। नेविगेशन की स्वतंत्रता और "भारत-प्रशांत क्षेत्र" में उड़ान भरने की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए सम्मान और समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर दोनों देशों के दृष्टिकोण समान हैं।
- आर्कटिक क्षेत्र, जहां कनाडा भी एक हितधारक है, में चीन की बढ़त को देखते हुए घनिष्ट संस्थागत सहयोग और आसूचना-साझाकरण जैसे कारक भी समय की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

एक पूंजी, प्रौद्योगिकी और नवाचार समृद्ध अर्थव्यवस्था तथा एक खुले, समावेशी एवं बहु-सांस्कृतिक समाज के रूप में कनाडा, भारत के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। यह एक प्रशांत महासागरीय शक्ति के रूप में अपनी भूमिका में वृद्धि कर रहा है। भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि के प्रति भारत की प्रतिबद्धता भू-राजनीतिक आत्मीयता को विकसित करना चाहिए। इस प्रकार दोनों देशों के पारस्परिक हितों के कारण सामरिक भागीदारी के सुदृढ़ होने की संभावना है। हालांकि, इस दृष्टि को वास्तविकता में बदलने के लिए, कनाडाई नेतृत्व को भारत की मुख्य चिंताओं के प्रति अधिक संवेदनशीलता प्रदर्शित करने की आवश्यकता है।

2.3. भारत, अश्गाबात समझौते में सम्मिलित

(India joins Ashgabat Agreement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारत, अश्गाबात समझौते में शामिल हो गया है।

अश्गाबात समझौते के बारे में

- मध्य एशिया को फ़ारस की खाड़ी के साथ जोड़ने वाले **इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर** को स्थापित करने का लक्ष्य, 2016 में लागू हुआ था।
- यह ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान गणराज्य की सरकारों के बीच एक समझौता है। 2011 में अश्गाबात में इस पर सहमति व्यक्त की गयी थी। प्रारंभ में कतर भी इस समझौते में शामिल था परन्तु 2013 में वह समझौते से बाहर निकल गया।
- 2016 में कजाखस्तान और पाकिस्तान समझौते में शामिल हुए। अप्रैल 2016 में भारत ने समझौते के दस्तावेज (instrument of accession) को प्रस्तुत किया था।
- अश्गाबात समझौते के तहत ईरान-तुर्कमेनिस्तान-कजाखस्तान (ITK) रेलवे लाइन प्रमुख मार्ग होगा। यह दिसंबर 2014 में प्रारंभ हो गया था और इसे INSTC के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है।

इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC)

- यह सदस्य देशों में परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ईरान, रूस और भारत द्वारा 2000 में स्थापित एक 7200 किमी लंबी मल्टी-मॉडल परिवहन परियोजना है।
- यह गलियारा हिंद महासागर और फ़ारस की खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर से जोड़ता है, तत्पश्चात यह रूसी फेडरेशन द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग और उत्तरी यूरोप से जुड़ा हुआ है।

महत्व

- अश्गाबात समझौते का लक्ष्य भी यूरेशियन रेलवे कनेक्टिविटी परियोजना और भारत, रूस, ईरान, यूरोप तथा मध्य एशिया के मध्य माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग को सम्मिलित करते हुए INSTC के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
- अफगानिस्तान के साथ भारत का व्यापार अश्गाबात परियोजना के बाद 5 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। INSTC का संचालन शुरू हो गया है क्योंकि अफगानिस्तान ने अपने व्यापार को कराची के स्थान पर ईरान के चाहबहार और बंदर अब्बास बंदरगाह से शुरू कर दिया है।
- अश्गाबात समझौते में शामिल होने से भारत का मध्य एशिया के रणनीतिक और उच्च मूल्य वाले खनिजों जैसे यूरेनियम, तांबे, टाइटेनियम, फेरो अलॉय, पीला फास्फोरस, लौह अयस्क आदि तक पहुंच स्थापित करना आसान हो जाएगा।

2.4. भारत-संयुक्त अरब अमीरात (India-UAE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने UAE की यात्रा की।
- वे **दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट** में गेस्ट ऑफ़ ऑनर भी थे।

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य प्राचीन सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंधों के आधार पर घनिष्ठ मित्रता रही है। भारत की **पश्चिम एशिया नीति** में संयुक्त अरब अमीरात का महत्वपूर्ण स्थान है।
- गत वर्ष भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अपने संबंधों को **व्यापक सामरिक भागीदारी समझौते** के रूप में उन्नत किया था, जोकि इनके केवल क्रेता-विक्रेता संबंधों से परे कदम है।
- हाल ही में, दोनों देशों के मध्य अनेक आधिकारिक यात्राएं भी हुईं, जैसे क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था।

वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट

- यह दुबई में आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है जो शासन प्रक्रियाओं और नीतियों के साथ भविष्यवाद(Futurism), प्रौद्योगिकी, नवाचार के साथ-साथ अन्य मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए विभिन्न सरकारों के प्रमुखों को एक मंच पर लेकर आता है।
- यह 2013 में 7 बिलियन लोगों के जीवन में सुधार के उद्देश्य के साथ विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा स्थापित की गई थी।

UAE का महत्व

- **ऊर्जा सुरक्षा:** संयुक्त अरब अमीरात पांचवां सबसे बड़ा आयात स्रोत है और हमारे कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 6% हिस्सा धारण करता है। ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
  - अपतटीय लोअर जकुम तेल और गैस क्षेत्र में 10% हिस्सेदारी के अधिग्रहण हेतु
  - मैंगलोर में एक भूमिगत सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व के भराव को शुरू करने हेतु
- **निवेश:** UAE सरकार ने भारतीय अवसरंचना के विकास के लिए 75 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
  - अमीरात एयरलाइंस ने आंध्र प्रदेश के विमानन क्षेत्र के विकास में सहायता करने की घोषणा की है।
  - NIIF ने दुबई स्थित एक फर्म के साथ 3 अरब डॉलर तक के निवेश के लिए समझौता किया है।
- **महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारी:** पिछले वर्ष UAE के साथ द्विपक्षीय व्यापार लगभग 50 अरब अमेरिकी डॉलर था, भारत में UAE का निवेश स्मार्ट शहरों से रियल एस्टेट तक विस्तृत था।
- **भारतीय समुदाय-** 2.5 मिलियन से अधिक भारतीय संयुक्त अरब अमीरात में निवास करते हैं, जो विश्व में सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीयों की संख्या वाले देशों में से एक है तथा भारत में 13.6 अरब डॉलर प्रतिवर्ष विप्रेषित करते हैं।
- **साझा सुरक्षा चिंता** - हिंद महासागर और खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना, दोनों देशों के मध्य एक समान हित का विषय है।
  - इसके अलावा, पश्चिम एशिया में निरंतर परिवर्तनों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, भारत इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए संयुक्त अरब अमीरात को एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में देखता है। इस पृष्ठभूमि में भारत आतंकवादी खतरों और ऑनलाइन रैडिकलाइजेशन का मुकाबला करने के लिए, संयुक्त अरब अमीरात सहित खाड़ी देशों के साथ सुरक्षा सहयोग में वृद्धि कर रहा है।
- **रक्षा** - दोनों देशों के मध्य रक्षा अभ्यास में भी तीव्रता लाई गई है उदाहरण के लिए, मई-जून 2016 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात की वायु सेना के मध्य एक दस दिवसीय एयर एक्सरसाइज 'डेजर्ट ईगल II', का आयोजन किया गया था।
- **समुद्री सुरक्षा** - भारत ने मरीन एजुकेशन और ट्रेनिंग पर द्विपक्षीय समझौते को स्वीकृति दी है। समुद्री परिवहन, सीमा शुल्कों के सरलीकरण और कचरे के निपटान के लिए मौजूदा प्रतिष्ठानों के उपयोग की सुविधा के लिए एक एमओयू (MoU) को भी स्वीकृति दी है।

यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित MoU

- संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय श्रमिकों के संविदात्मक रोजगार के सहयोगात्मक प्रशासन को संस्थागत बनाना।
- रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए
- वित्तीय सेवाओं संबंधी उद्योग में दोनों देशों के मध्य सहयोग को बढ़ाने के लिए
- मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और गोदामों और विशेष भंडारण का समाधान करने के लिए जम्मू में हब स्थापित करना शामिल हैं।

चुनौतियां

- **धीमी क्रियान्वयन प्रक्रिया-** जहां तक निवेश का संबंध है, भारतीय पक्ष से विभिन्न परियोजनाओं के धीमे कार्यान्वयन के कारण प्रणालीगत समस्या का सामना करना रूकावट का मुख्य कारण है।

VISION IAS

- **संयुक्त अरब अमीरात में व्यावसायिक स्पष्टता का अभाव-** संयुक्त अरब अमीरात में कार्यरत भारतीय कंपनियां, श्रम कानूनों और पारिश्रमिक की कमी और व्यवसायों में पारदर्शिता की कमी संबंधी व्यावसायिक नियमों के कई पहलुओं में स्पष्टता का अभाव जैसी समस्याओं का सामना कर रही हैं।
- **भारतीय श्रमिकों के लिए अवसरों में कमी-** अमीरात के नियोक्ता के पक्ष में कठोर एवं सख्त नियमों, जिसके कारण भारतीय श्रमिकों, विशेष रूप से अकुशल श्रमिकों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारतीय प्रवासियों के सामने आने वाली समस्याओं को दूर किये जाने की आवश्यकता है।

आगे की राह

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ती संलग्नता को व्यापक संदर्भों में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अपनी आर्थिक संभावनाओं में वृद्धि करने हेतु एशिया के साथ संलग्नता की नीति तथा भारत द्वारा आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए विदेशी निवेश की आवश्यकता और अतिवाद एवं आतंकवाद के खतरे से निपटने के रूप में देखा जाना चाहिए।

- **मेडिकल पर्यटन** एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता है, जहां भारत में चिकित्सा क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली मानव शक्ति और चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढांचा में सुधार, संयुक्त अरब अमीरात को आकर्षित कर सकते हैं।
- **अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र** में अधिक अप्रयुक्त क्षमताएं हैं। UAE में सौर ऊर्जा के उत्पादन और पारेषण की लागत, भारत की सौर ऊर्जा के उत्पादन और पारेषण की लागत की तुलना में अत्यंत कम है और यह UAE सरकार के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र है।
- भारत में इंजीनियरिंग और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट उच्च शिक्षा संस्थान हैं। जहाँ लागत प्रभावी और विश्वस्तरीय शिक्षा दी जाती है। वे संयुक्त अरब अमीरात के छात्रों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन सकते हैं।
- रक्षा क्षेत्र में, भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सहयोग को और बढ़ाने की आवश्यकता है।

2.5. भारत-ओमान

(India-Oman)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने ओमान की आधिकारिक यात्रा की।

मुख्य तथ्य

- वार्ता के दौरान भारत ने सैन्य उपयोग और लॉजिस्टिक सहायता के लिए ओमान के डुक्म पोर्ट (port of Duqm) तक पहुंच हासिल की।
- भारतीय सैन्य जहाजों के रखरखाव के लिए बंदरगाह और सूखी गोदी (dry dock) की सेवाएं उपलब्ध होंगी।
- यह ओमान के दक्षिण-पूर्वी समुद्र तट पर अरब सागर और हिंद महासागर की ओर स्थित है। यह ईरान के चाबहार बंदरगाह के निकट सामरिक अवस्थिति है।

हस्ताक्षर किए गए MoU

- पर्यटन सहयोग के क्षेत्र में
- अकादमिक और स्कॉलर्स के सहयोग में
- बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग
- भारतीय विदेश मंत्रालय और ओमान के राजनयिक संस्थान के मध्य विदेशी सेवा संस्थानों में सहयोग
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग

हस्ताक्षर किए गए समझौते

- नागरिक और वाणिज्यिक मामलों में कानूनी और न्यायिक सहयोग
- राजनयिक, आधिकारिक और विशेष सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकताओं में पारस्परिक छूट
- सैन्य सहयोग में MoU के अनुबंध

इस यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम

- **डुक्म पोर्ट का महत्व-**
  - **सामरिक -** डुक्म पोर्ट, हिन्द महासागर क्षेत्र में चीनी प्रभाव और गतिविधियों का सामना करने के लिए भारत की समुद्री रणनीति का एक हिस्सा है।
    - मॉरीशस में अगलेगा और सेशल्स में अज़म्पशन द्वीप के विकास के साथ, डुक्म भारत की सक्रिय समुद्री सुरक्षा रोडमैप का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
    - इसके उत्तर में ईरान का चाबहार बंदरगाह है जो ईरान और अफ़ग़ानिस्तान में भारत के माल परिवहन पर पाकिस्तान द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध के समाधान में भी महत्वपूर्ण है।
    - यह पाकिस्तान में चीन द्वारा विकसित ग्वादर बंदरगाह के लिए एक प्रत्युत्तर के रूप में भी कार्य करेगा।
  - **आर्थिक रूप से -** बंदरगाह में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र भी है, जहां भारतीय कंपनियों द्वारा 1.8 अरब डॉलर का निवेश किया जा रहा है।
- **ऊर्जा सुरक्षा-** भारत ने ओमान के शासक को सामरिक तेल रिजर्व के बारे में भी अवगत कराया है तथा भारत, ओमान को इस परियोजना हेतु आमंत्रित और शामिल करने की योजना बना रहा है।
  - ओमान ने भी डुक्म बंदरगाह के निकट रास मार्कज़ में अपनी सामरिक तेल रिजर्व परियोजना के बारे में भारत को अवगत कराया।
  - **पश्चिमी एशिया से भारत के संबंधों में सुधार-** डुक्म, इस क्षेत्र में भारत की भागीदारी के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, जिससे भारत 7 मिलियन भारतीय डायस्पोरा की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम हो सकता है।

2.6. तापी गैस पाइपलाइन

(TAPI Gas Pipeline)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, अफगानिस्तान में तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत (तापी) गैस पाइपलाइन परियोजना पर कार्य प्रारंभ हो गया है।

तापी परियोजना के बारे में

- तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड (TPCL) द्वारा तुर्कमेनिस्तान से भारत तक प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन प्रस्तावित है।
- आपूर्ति मार्ग गलकी नाइश फ़ील्ड (तुर्कमेनिस्तान) से दौलताबाद- हेरात - कंधार - चम्मान - झॉब- डीजी खान- मुल्तान- फाजिल्का (पाक-भारत सीमा) तक है।
- वर्ष 2020 के प्रारंभ से, प्रति वर्ष लगभग 33 बिलियन घन मीटर गैस आपूर्ति की जाएगी।
- इस परियोजना का वित्त पोषण एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) द्वारा किया जा रहा है और भारत द्वारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ट्रांजिट शुल्क दिया जाएगा।

एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB)

- यह 1960 के प्रारंभिक दशक में एक वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित हुआ जो कि स्वरुप में एशियाई होगा तथा आर्थिक विकास एवं सहयोग के क्षेत्र में कार्य करेगा।
- बहुपक्षीय विकास के लिए वित्त संस्था के रूप में ADB ऋण, तकनीकी सहायता और अनुदान प्रदान करता है।
- इसकी सदस्य सरकारें ही इसकी ग्राहक (clients) हैं, जो इसके शेयरधारक भी हैं। इसके अलावा, यह इक्विटी निवेश और ऋण के माध्यम से सदस्य देशों के विकास में निजी उद्यमों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करता है।
- यह 67 सदस्य देशों (भारत सहित) से मिलकर बना हैं, जिनमें से 48 देश एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं।
- इसके शीर्ष 5 शेयरधारक हैं: जापान (15.6%), संयुक्त राज्य अमेरिका (15.6%), चीन (6.4%), भारत (6.3%) और ऑस्ट्रेलिया (5.8%)

परियोजना का महत्व

- यह दक्षिण एशिया को मध्य एशिया से जोड़ने वाले ऐतिहासिक मार्ग को पुनः खोल देगा।
- यह प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर भारत और उसके पड़ोसी देशों को बहुमूल्य ऊर्जा उपलब्ध कराएगा। यह परियोजना पाकिस्तान की गैस संबंधी जरूरतों के एक-चौथाई भाग, भारत की अनुमानित आवश्यकताओं का 15 प्रतिशत, और साथ ही अफगानिस्तान की आवश्यकताओं की भी सरलता से आपूर्ति कर सकती है।

VISION IAS

- तापी, एक विश्वसनीय भंडार के साथ एक वैकल्पिक आपूर्ति का स्रोत भी प्रदान करेगा, यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए फ्यूल बास्केट में विविधता लाएगा, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा।
- यह अफगानिस्तान के लोगों के लिए आर्थिक अवसर उत्पन्न करके, अफगानिस्तान में सामंजस्य बढाने में योगदान कर सकता है। इससे युद्धग्रस्त देश में रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा हेतु रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जा सकती है।
- यह परियोजना भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने में सहायता कर सकती है। यह दो परमाणु संपन्न शक्तियों के मध्य संघर्ष की संभावना को कम कर सकती है, जिससे उन्हें सहयोग के अन्य तरीके तलाशने में भी सहायता मिल सकती है।

चुनौतियां

- **वित्त:** परियोजना लागत का लगभग 85% तुर्कमेनिस्तान द्वारा वहन किए जाने का अनुमान है। तुर्कमेनिस्तान वर्तमान में वैश्विक ऊर्जा की कीमतों में गिरावट के कारण आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप इसको ऊर्जा निर्यात से प्राप्त होने वाली आय में कमी आई है।
- **सुरक्षा:** अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तापी गैस पाइपलाइन का मार्ग, आतंकवाद और क्षेत्रीय संघर्ष (पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध लड़ने वाले बलूच अलगाववादी) के बड़े क्षेत्र हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान से नाटो (विशेष रूप से अमेरिकी) सेनाओं की प्रस्तावित वापसी से सुरक्षा का प्रश्न और अधिक गंभीर हो गया है।
- **भू-राजनीति:** भारत और पाकिस्तान के राजनयिक संबंध अप्रत्याशित रूप से ख़राब हो गए हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक और सैन्य शक्ति के संदर्भ में चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं ने तापी परियोजना को खतरे में डाल दिया है।

आगे की राह

- **व्यापक भागीदारी:** तुर्कमेनिस्तान, भारत को अपस्ट्रीम क्षेत्र (उद्योग, जो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का अन्वेषण एवं उत्पादन करता है) में हिस्सेदारी प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पाकिस्तान द्वारा जानबूझकर गैस आपूर्ति में कोई भी व्यवधान न डाला जा सके।
- **पूरक परियोजनाएं:** तुर्कमेनिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस कंपनियों को अपने तटवर्ती तेल / गैस क्षेत्रों में हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए भी अनुमति दे सकता है ताकि तापी परियोजना के विकास में सहायता प्राप्त की जा सके।

2.7. भारत और ईरान संबंध

(India and Iran Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ईरान के राष्ट्रपति हसन रुहानी ने भारत की यात्रा की।

यात्रा के बारे में

- भारत और ईरान ने नौ समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में सामरिक चाबहार बंदरगाह, दोहरा कराधान निवारण, प्रत्यर्पण संधि, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग शामिल थे।

भारत-ईरान संबंधों का महत्व

- **ऊर्जा सुरक्षा-** ईरान, भारत के लिए कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। इसके पास प्राकृतिक गैस का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भंडार भी है जिसका भारत द्वारा ऊर्जा सुरक्षा हेतु लाभ उठाया जा सकता है।
- **कनेक्टिविटी- चाबहार बंदरगाह,** भारत द्वारा पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से बाईपास करने में सहायता कर सकता है और यह स्थलरुद्ध अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों तक पहुंच प्रदान कर सकता है। भारत इसे पाकिस्तान में चीन द्वारा विकसित ग्वादर बंदरगाह के लिए रणनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में देखता है और यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प प्रदान करता है।
    - भारत, वर्तमान में 560 मील लंबी रेलवे लाइन का निर्माण कर रहा है जो कि ईरान के बंदरगाह को दक्षिण अफगानिस्तान में हाजीगाक से जोड़ती है जोकि **ज़रांज-डेलाराम राजमार्ग** के समीप स्थित है।
    - **इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC)** के माध्यम से मध्य एशिया और यूरोप से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ईरान एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
- **व्यापार और निवेश-** भारत, चाबहार मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTZ) में उर्वरक, पेट्रोकेमिकल्स और धातु-विज्ञान (metallurgy) जैसे क्षेत्रों में संयंत्र स्थापित करेगा। यह ईरान को वित्तीय संसाधनों और रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देगा।

VISION IAS

- **फरजाद बी गैस क्षेत्र** का उपयोग करने पर चर्चा चल रही है।
- भारत, ईरान-पाकिस्तान-इंडिया (IPI) गैस पाइपलाइन परियोजना को मूर्त रूप देने का सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है।
- भारत के कृषि उत्पादों, सॉफ्टवेयर सेवाओं, ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल उत्पादों के लिए ईरान एक बड़ा बाजार है। यहां इनके व्यापार में तीव्र वृद्धि हो सकती है। महत्वपूर्ण रूप से, तेहरान ने लगातार गैर-डॉलर मुद्रा में तेल के निर्यात सहित, नई दिल्ली को बहुत सी अनुकूल शर्तों की पेशकश की है।

- **भू-राजनीतिक-** ईरान समग्र पश्चिम एशियाई क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु एक प्रमुख देश है, विशेषकर भारत के संबंध में, शिया-सुन्नी संघर्ष और अरब-इजरायल संघर्ष के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
  - हिंद महासागर क्षेत्र में पाइरेसी का सामना करने के लिए **समुद्री संचार मार्ग (SLoC) को सुरक्षित करने हेतु** भारत एक प्रमुख सुरक्षा प्रदाता बनने की महत्वाकांक्षा रखता है, जहाँ ईरान एक प्रमुख हितधारक है। हिंद महासागर में चीन के स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स का सामना करने में भी ईरान एक महत्वपूर्ण सहयोगी है।
  - **आतंकवाद:** अल-कायदा, ISIS, तालिबान जैसे अन्य वैश्विक आतंकवादी समूहों से लड़ने में ईरान एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। साइबर आतंकवाद का सामना भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहां दोनों देश एक-दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ईरान अन्य संगठित अपराधों जैसे कि नशीली दवाओं की तस्करी, हथियारों के अवैध व्यापार आदि से निपटने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

चुनौतियां

- **राजनीतिक अशांति-** ईरान की वर्तमान सरकार राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में घरेलू मोर्चे पर तथा बिगड़ते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कारण अत्यधिक दबाव में है।
- **परमाणु समझौते पर अनिश्चितता -** 2015 में पश्चिम के साथ हस्ताक्षरित परमाणु समझौते के भाग्य पर अनिश्चितता भारतीय विदेश नीति के लिए एक बड़ी चुनौती है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने से ईरान में भारत का नियोजित निवेश भी प्रभावित होगा।
- **द्विपक्षीय व्यापार -** द्विपक्षीय व्यापार में सबसे बड़ी रुकावट बैंकिंग चैनल का अवरुद्ध होना है। दोनों पक्ष वर्तमान में यूको बैंक के माध्यम से रुपये में भुगतान के साथ ही अन्य वैकल्पिक भुगतान तंत्र की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं।
  - ईरान में भारतीय निर्यात 2013-14 में 4.9 अरब डॉलर से घटकर 2016-17 में 2.379 अरब डॉलर रह गया है जिससे व्यापार घाटा बढ़ रहा है।
- **फरजाद-बी गैस और तेल क्षेत्र-** एक और मुद्दा फरजाद-बी गैस और तेल क्षेत्र पर लंबित वार्ता है, जिस पर भारत ने अपनी रुचि व्यक्त की है।
- **भारत के इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध-** इस क्षेत्र में अमेरिका के निकटतम सहयोगियों में से एक इज़राइल, परमाणु समझौते के खिलाफ रहा है और ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के संबंध और ईरान के बारे में अमेरिकी चिंताओं ने भारत-ईरान संबंधों को भी प्रभावित किया है।
- **भारत के खाड़ी देशों के साथ संबंध -** ईरान के संबंध सऊदी अरब के साथ तनावपूर्ण है। भारत ने खाड़ी के दोनों गुटों के देशों के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत किया है। यह भी एक मुद्दा हो सकता है।
- **कश्मीर का मुद्दा -** ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खमनेई द्वारा कश्मीर संघर्ष को यमन और बहरीन में चल रहे संघर्ष के समान बताना भी भारत में संदेह की भावना उत्पन्न करता है।

निष्कर्ष

ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहाँ भारत और ईरान के हित एक समान है, जैसे कनेक्टिविटी, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, व्यापार, निवेश, सुरक्षा, रक्षा, संस्कृति, लोगों के बीच आपसी संपर्क। दोनों देशों को मजबूत और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध बनाने के लिए अपने सामर्थ्य का लाभ उठाना चाहिए।

2.8. मालदीव में अस्थिरता

(Instability in Maldives)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, मालदीव के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई।

भारत-मालदीव संबंध

- 1966 में ब्रिटिश शासन से मालदीव की स्वतंत्रता के बाद, भारत ने मालदीव के साथ **औपचारिक राजनयिक संबंध** स्थापित किये थे।
- 1988 में भारत द्वारा ऑपरेशन कैक्टस के तहत मालदीव को लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) समर्थित विद्रोही समूहों के सशस्त्र हमले (जो कि तख्तापलट के प्रयास से किया गया था) का सामना करने के लिए 1600 सैनिकों की **सैन्य सहायता** प्रदान की गई थी।

VISION IAS

- भारत ने मालदीव को **उदार आर्थिक सहायता** प्रदान की है और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए मालदीव के साथ सहयोग किया है।
- जब दिसंबर 2014 में इसके एकमात्र जल उपचार संयंत्र ने कार्य करना बंद कर दिया था उस समय भारत ने मालदीव को हेलीकाप्टरों के माध्यम से बोतलबंद जल उपलब्ध करवाया था।
- भारत मालदीव के साथ घनिष्ट सैन्य संबंध साझा करता है, इनमें मालदीव में दो हेलिकॉप्टर बेस, रडारों का एकीकरण और भारतीय तटरक्षक बलों द्वारा मालदीव के तट की निगरानी शामिल है। मालदीव के लिए एक प्रमुख सुरक्षा प्रदाता के रूप में बने रहना भी भारत का लक्ष्य है।

मालदीव में भारतीय हित

मालदीव सामरिक रूप से हिंद महासागर में अवस्थित है और भारत की हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उपस्थिति के कारण भारत के लिए मालदीव में स्थिरता विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण है, जैसे-

- समुद्री संचार मार्ग की सुरक्षा हेतु, समुद्री डकैती (पाईरेसी) और समुद्र आधारित आतंकवाद का मुकाबला करने में,
- चीन के स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स की नीति का सामना करने में,
- हिन्द महासागर को एक संघर्ष मुक्त क्षेत्र बनाने और सी ऑफ़ ट्रैंगक्विल (शांत महासागर) के रूप में अपनी स्थिति को पुन: प्राप्त करने में,
- ब्लू इकॉनमी के अन्वेषण और व्यापार में वृद्धि के लिए
- प्रवासी भारतीय कामगारों की सुरक्षा के लिए

समकालीन स्थिति

- मालदीव की वर्तमान सरकार के अंतर्गत 2013 से भारत-मालदीव संबंध ख़राब हो रहे हैं। मालदीव की चीन से निकटता में वृद्धि हुई है क्योंकि वहां वृहद अवसंरचना परियोजनाएं चीनी कंपनियों को दी गई हैं और चीनी नौसैनिक जहाजों को माले में डॉक करने की अनुमति प्रदान की गई है।
- वर्तमान स्थिति बहुत अधिक गंभीर है क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है, जिससे भारत सरकार के लिए मालदीव के साथ संबंध बेहतर करने पर बातचीत करने में कठिनाई हो सकती है। ये परिस्थितियाँ भारत द्वारा मालदीव में हस्तक्षेप की मांग करती है।
- भारत के कैक्टस ऑपरेशन के दौरान जहां तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया था वहीं वर्तमान मामले में विपक्षी दलों द्वारा हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। यह स्थिति संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 के तहत 'सुरक्षा का उत्तरदायित्व' सिद्धांत तथा भारत की अन्य संप्रभु राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप की परंपरागत नीति की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है।

आगे की राह

मालदीव में पुन: व्यवस्था स्थापित करने और अगले कुछ महीनों में होने वाले आगामी चुनावों के सुचारु ढंग से संपन्न कराने लिए भारत को मालदीव सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक मध्यस्थता में शामिल होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक सरकार मालदीव और भारत दोनों के लिए सर्वोत्तम हित में होगी। भारत को इस कार्य हेतु पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलना चाहिए।

2.9. पाकिस्तान को वित्तीय कार्यवाही कार्यबल (FATF) निगरानी-सूची में रखने का प्रस्ताव

(Proposal to put Pakistan on FATF Watch-List)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्तीय कार्यवाही कार्यबल (FATF) द्वारा पाकिस्तान को जून से अपने आतंकवादी वित्तपोषण निगरानी सूची या "ग्रे सूची (grey list)" में डाल देने की संभावना है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- किसी देश को "ग्रे सूची" में डालने का अर्थ उस पर प्रत्यक्ष कानूनी या दण्डात्मक कार्रवाई नहीं है, बल्कि निगरानी रखने वालों, नियामकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा जांच में की गई वृद्धि है।
- 2010 में एशिया-प्रशांत समूह (APG) द्वारा विस्तृत आकलन और इस्लामाबाद द्वारा आतंकी वित्तपोषण को रोकने के लिए की जाने वाली अनुवर्ती कार्रवाई में कमी के कारण, पाकिस्तान पहले ही 2012 से 2015 तक FATF की 'ग्रे सूची' में रह चुका है।
- अब पाकिस्तान को मई के अंत तक आतंकी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए FATF के समक्ष एक कार्य योजना प्रस्तुत करना आवश्यक है।

VISION IAS

- यदि FATF जून में पाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत की गयी कार्य योजना को मंजूरी दे देता है, तो वह ग्रे सूची में पाकिस्तान को रखने के बारे में एक औपचारिक घोषणा करेगा। अगर इस्लामाबाद एक कार्यवाही योजना प्रस्तुत करने में विफल रहता है या यदि FATF उसे स्वीकार नहीं करता है तो FATF पाकिस्तान को अपनी "ब्लैकलिस्ट" या "गैर-सहयोगी देशों या क्षेत्रों" (NCCTs) में उत्तर कोरिया और ईरान के साथ रख सकता है।
- **सुरक्षा परिषद संकल्प 1267** प्रतिबंध समिति द्वारा प्रतिबंधित समूहों पर कार्यवाही करने के अपने दायित्वों का निर्वहन करने में पाकिस्तान के असफल रहने के बावजूद यह निर्णय लम्बे समय से लंबित था। यह समिति तालिबान से जुड़े संगठनों जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हक्कानी नेटवर्क पर नज़र रखती है।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)

- यह 1989 में स्थापित एक अंतर-सरकारी संस्था है और यह पेरिस में ओईसीडी (OECD) के मुख्यालय में स्थित है।
- वर्तमान में इसके 37 सदस्य हैं (भारत सहित)|
- इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) एवं आतंकी वित्तपोषण का मुकाबला करने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की शुचिता को बनाए रखने से संबंधित अन्य खतरों से निपटने के लिए कानूनी, नियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना और मानदंडों को निर्धारित करना है।

2.10. ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप-11

(Trans-Pacific Partnership-11)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वियतनाम में APEC शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रशांत महासागर के 11 तटीय देशों ने अमेरिका द्वारा संबंध-विच्छेद के बावजूद ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।

पृष्ठभूमि

TPP अमेरिका और 11 अन्य प्रशांत तटीय देशों अर्थात् ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, जापान, कनाडा, मैक्सिको, पेरू और चिली के मध्य एक मुक्त व्यापार समझौता था। इस पर 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका बाद में इससे बाहर निकल गया।

विवरण

- इस समझौते को अब नया नाम **'कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (CPATPP)'** कर दिया गया है।
- पुराने समझौते की तुलना में **'विथड्रॉल', 'एक्सेशन'** और **'रिव्यु'** के संदर्भ में विस्तृत नीतिगत सन्दर्भों (देश-विशिष्ट) और विनियामक लचीलेपन को नई डील में शामिल किया जाएगा। बौद्धिक संपदा के विषय पर भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे।
- अनुसमर्थन प्रक्रिया ने 85% संचयी जीडीपी सीमा को भी हटा दिया है और अब 11 देशों में से 6 देशों द्वारा स्वीकृति देने के पश्चात् यह समझौता लागू हो जाएगा।
- इस समझौते की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है।

2.11. एआईआईबी (AIIB) द्वारा भारत में परियोजनाओं के लिए ऋण को मंजूरी दी गयी

(AIIB Approves Loans for Projects in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक (AIIB) ने भारत को बुनियादी सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं के लिए 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है।

AIIB के बारे में

- AIIB, 84 देशों की सदस्यता वाला एक बहु-पक्षीय विकास बैंक है।
- इसका मुख्यालय बीजिंग में है।
- AIIB की स्थापना का प्रस्ताव बाली में 2013 के एपेक (APEC) शिखर सम्मेलन में रखा गया था और इसका संचालन जनवरी, 2016 से प्रारंभ हुआ।
- चीन, भारत, रूस और जर्मनी क्रमशः 26.06%, 7.5%, 5.93% और 4.5% के साथ बैंक के चार सबसे बड़े शेयरधारक हैं।

VISION IAS

भारत के लिए महत्व

- भारत को ऊर्जा, सड़क, आवास, शहरी विकास और अन्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में भारी निवेश की आवश्यकता है।
- AIIB से ऋण लेना वांछनीय क्योंकि :
    - यह पांच वर्ष के ग्रेस पीरियड सहित दीर्घकालिक पुनर्भुगतान हेतु 1.0-1.5 प्रतिशत ब्याज भारित करता है।
    - बैंक उदार शर्तों पर ऋण प्रदान करता है जिससे उस पैसे के उपयोग के बारे में सरकारें स्वयं निर्णय कर सकती हैं।
- मुंबई मेट्रो,आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती का विकास तथा पश्चिम बंगाल में सिंचाई नेटवर्क सहित विभिन्न परियोजनाओं में AIIB के निवेश के परिणामस्वरूप भारत बैंक के शीर्ष उधारकर्ता के रूप में उभरा है।

2.12. न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा राजस्थान की परियोजना का वित्तपोषण

(New Development Bank Funded Project of Rajasthan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, भारत सरकार ने रेगिस्तानी क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के वित्त पोषण हेतु NDB के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया।
- यह परियोजना 1958-63 के दौरान बनाए गए 678 किमी लंबी इंदिरा गांधी नहर प्रणाली को पुनर्स्थापित करेगी।

NDB के बारे में

- NDB ब्रिक्स देशों की एक पहल है जिसपर 2014 में फोर्टालेज़ा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर हुआ और यह 2015 में उफ़ा (ufa) शिखर सम्मेलन में एक वैधानिक इकाई के रूप में अस्तित्व में आया।
- पाँच सदस्य देशों की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है।
- NDB का मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स देशों में अवसंरचना और सतत विकास के लिए संसाधनों का उपयोग करना है।

NDB की आवश्यकता

- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधारों की धीमी गति, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर बड़ी भूमिका निभाने की प्रमुख विकासशील देशों की इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता।
- यह हाल के वर्षों के सभी संदेहों और आलोचनाओं के बावजूद ब्रिक्स की व्यवहार्यता और गतिशीलता को दर्शाता है।
- अमेरिकी डॉलर के अलावा स्थानीय मुद्रा में अधिक ऋण प्रदान करके अपने सदस्य देशों में स्थानीय पूंजी बाजारों को विकसित और सुदृढ़ करना।
- एक वित्तीय संस्थान जो तकनीक में परिवर्तन की तीव्र गति और अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं के लिए तीव्र, चुस्त और उत्तरदायी हो।

2.13. असम में रसद केंद्र

(Logistics Hub in Assam)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सड़क मंत्रालय ने जोगीघोपा (असम) में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की एक परियोजना की घोषणा की है, जो कि एशियाई विकास बैंक द्वारा समर्थित है।

मुख्य तथ्य

- इस योजना में कंटेनर टर्मिनलों, भंडारण गृहों, गैर-कार्गो प्रसंस्करण, ट्रक टर्मिनल, सामान्य सुविधाएं, आधारभूत ढांचे और अन्य उपकरणों के साथ-साथ सड़क, रेल, जलमार्ग और हवाई परिवहन सुविधाओं को जोगीघोपा से जोड़ना है।
- एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) द्वारा समर्थित एक विशेष प्रयोजन वाहन (स्पेशल पर्पज वेहिकल), परियोजना को लागू करने के लिए बनाया जाएगा।

इस केंद्र का महत्व

- जोगीघोपा दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ ही साथ पूर्वोत्तर के शेष हिस्सों के लिए भी भारत का प्रवेश द्वार बन जाएगा
- भारत की मुख्य भूमि से उत्तर-पूर्व क्षेत्र का वर्तमान ट्रांजिट कॉरिडोर "चिकन नेक" के रूप में जाने जानेवाले एक क्षेत्र से जाता है जोकि बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की सीमाओं के मध्य भारत में स्थित एक संकीर्ण मार्ग है।
- चूंकि यह इन सीमाओं के समीप है और इसका अधिक विस्तार नहीं किया जा सकता है, इसलिए उत्तर-पूर्व क्षेत्र को शेष भारत से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता है।
- राष्ट्रीय जलमार्ग -2 के साथ इंडो-बांग्लादेश सड़क मार्ग इस तरह का एक विकल्प प्रदान करता है।

3. अर्थव्यवस्था

(ECONOMY)

3.1. ऑपरेशन ग्रीन्स

(Operation Greens)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने ऑपरेशन ग्रीन्स पर कार्य करना आरंभ किया है। इसकी घोषणा 2018-19 के बजट में की गई थी।

ऑपरेशन ग्रीन्स क्या है?

- ऑपरेशन ग्रीन्स, फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने तथा इनकी कीमतों में व्याप्त अस्थिरता को कम करने के लिए **ऑपरेशन फ्लड** की तर्ज पर आरंभ की गई **500 करोड़ रूपये की परियोजना** है।
- सरकार ने परियोजना के आरम्भ में तीन मुख्य सब्जियों, अर्थात् **टमाटर, प्याज और आलू** (TOP) पर ध्यान केंद्रित किया है। उक्त सब्ज़ियों के उत्पादन का अनुपात देश में कुल सब्ज़ी उत्पादन का आधा है।
- इस परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भविष्य में किसान उत्पादक संगठन (FPO), कृषि-संभार तंत्र (एग्रो लॉजिस्टिक्स), प्रसंस्करण सुविधाओं और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- यह योजना वस्तुओं की स्थिर कीमतें उपलब्ध कराकर 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में सहायता प्रदान करेगी। शीत भंडारण सुविधाओं की कमी तथा उचित प्रसंस्करण सुविधा और संगठित खुदरा मंडी से किसानों का पर्याप्त संपर्क न होने के कारण, अत्यधिक उपज की स्थिति में किसानों की आय तथा उपज का बाज़ार मूल्य दोनों प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं।
- मूल्य स्थिरता से उपभोक्ताओं के लिए **वहनीय कीमतों पर मुख्य सब्जियों की उपलब्धता** भी सुनिश्चित होगी।

बागवानी उत्पादों की कीमतों में अस्थिरता को नियंत्रित करने हेतु उठाए गए कुछ अन्य कदम

- कृषि उपज की खरीद, बफर स्टॉक अनुरक्षण और बाजार में विनियमित निर्गमन (रेगुलेटेड रिलीज़) के माध्यम से कृषि और बागवानी उत्पादों की कीमतों में अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि के **मूल्य स्थिरीकरण कोष** (PSF) का गठन।
- **किसान मंडियों की स्थापना** जहाँ FPO (फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन) थोक विक्रेताओं, संगठित खुदरा विक्रेताओं और साधारण उपभोक्ताओं को अपने उत्पादों का प्रत्यक्ष रूप से विक्रय कर सकते हैं।
- एकीकृत बागवानी विकास मिशन नामक केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से **बागवानी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना**।
- **आवश्यक वस्तु अधिनियम**, 1955 तथा चोरबाज़ारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 जैसे कानूनों का निर्माण तथा इनके तहत जमाखोरी एवं कालाबाजारी को गैर-जमानती अपराध बनाना।
- **सम्पदा (SAMPADA)** (*स्कीम फॉर एग्रो-मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स*) – इसमें मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन अवसंरचना, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए अवसंरचना, बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेजों का निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता आदि का निर्माण/विस्तार जैसी योजनाएँ सम्मिलित हैं।

बजट घोषणाएँ

- **न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन लागत से जोड़ना** अर्थात् समर्थन मूल्य को उत्पादन की लागत से लगभग 50 प्रतिशत अधिक रखना।
- यदि FPO महत्वपूर्ण अवसंरचना के निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं, तो उनके लिए **पाँच वर्ष तक आयकर में छूट**।
- 470 APMC प्रोन्नत बाजारों को e-nam मार्केट प्लेटफार्म से जोड़ना और 22,000 ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास।

ऑपरेशन फ्लड

- राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने आपरेशन फ्लड आरम्भ किया था।
- इसका उद्देश्य दूध उत्पादन में वृद्धि करना, ग्रामीण आय को बढ़ाना और उपभोक्ताओं के लिए वहनीय मूल्य सुनिश्चित करना था।
- इसके परिणामस्वरूप, भारत दूध और दुग्ध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया।

VISION IAS

शीघ्र नष्ट होने वाली(Perishables) वस्तुओं के लिए मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करने हेतु सुझाव

भारत विश्व में सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देश में लगभग 180 MMT सब्जियों का उत्पादन होता है। यह चीन के बाद सर्वाधिक है। अभी तक सरकार कीमतों में अस्थिरता को नियंत्रित करने हेतु मुख्य रूप से, निर्यात पर रोक लगाने, जमाखोरी रोकने और व्यापारियों पर आयकर छापे डालने जैसे उपायों पर ही निर्भर है। इसके लिए कुछ अन्य कदम भी उठाए जा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं:

- **विविधतापूर्ण फसलें उगाने** के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। इससे कीमतों में होने वाली अस्थिरता के प्रभाव को कम करने में सहायता मिलेगी।
- बड़े पैमाने पर परिचालन का लाभ उठाने के लिए बागवानी फसलों की **क्लस्टर आधारित कृषि।** इससे उत्पादन से लेकर विपणन तक सम्पूर्ण श्रृंखला की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- कम से कम 25% उपज के खाद्य प्रसंस्करण लक्ष्य को स्थापित करके कृषि क्षेत्र में **मूल्य वृद्धि को प्रोत्साहित** करना, क्योंकि वर्तमान में इस क्षेत्र में भारत अधिकांश दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की तुलना में पीछे है।

बाजार संबंधी सुधार

- वृहद उपभोग केंद्रों (मेगा कंज्यूमिंग सेंटर्स) की मैपिंग करना और उनके खुदरा नेटवर्क को प्रत्येक उत्पाद के उन चिह्नित उत्पादन केन्द्रों से जोड़ना जहाँ मध्यस्थों(intermediaries) की संख्या न्यूनतम है।
- FPO से सीधे क्रय करने की अनुमति देने तथा बैक-एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हेतु FPO, निजी कंपनियों और NGOs को प्रोत्साहन देने (जैसा कि दूध के संदर्भ में किया गया था); के लिए कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC) अधिनियम में संशोधन करना।
- यदि दूध के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो किसानों को उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जानी वाली कीमतों का 75% से भी अधिक प्राप्त होता है। दूध के समान ही, अन्य वस्तुओं के लिए भी किसानों को उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमतों का कम से कम 60% प्राप्त होना चाहिए। अतः इस दिशा में उचित कदम उठा कर बाज़ार शोषण को कम किया जाना चाहिए।
- राज्यों को कीमतों में उतार-चढ़ाव की स्थिति में, हरियाणा की **भावांतर भरपाई योजना** (सब्जियों के लिए) जैसी **मूल्य में गिरावट की क्षतिपूर्ति हेतु भुगतान योजना** अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- वायदा कारोबार की अनुमति देना और राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण करना।
- **कृषि-संभार तंत्र (एग्री-लॉजिस्टिक्स) में निवेश,** जिसे आधुनिक गोदामों और कोल्ड स्टोरेज से आरंभ किया जाना चाहिए। इससे किसानों द्वारा खेतों पर किये जाने वाले परंपरागत भंडारण के कारण होने वाली हानि को 25-30% से घटा कर 10% से भी कम किया जा सकता है।

3.2. कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2017 का मसौदा

(Draft Pesticides Management Bill 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2017 प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य कीटनाशकों के विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, निरीक्षण, परीक्षण और वितरण को नियंत्रित करना है।

इस विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

- **पुराने कानून की समाप्ति:** यह 1968 के कीटनाशक अधिनियम को प्रतिस्थापित करने और कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रस्तावित कदम है।
- **केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड की स्थापना:** केंद्र और राज्य सरकार को कीटनाशकों के कारण होने वाले जोखिमों की रोकथाम, पंजीकृत कीटनाशकों के प्रदर्शन की निगरानी, कीटनाशकों के निर्माण की प्रक्रिया, इनके विज्ञापन हेतु विनियम तथा दिशानिर्देश के संबंध में परामर्श देने के लिए।
- **पंजीकरण समिति की स्थापना:** कीटनाशकों के त्वरित पंजीकरण, कीटनाशकों के उपयोग की अनुमति देने या प्रतिबंधित करने और कीटनाशकों को अधिसूचित करने आदि के लिए।
- **वर्गीकरण:** इसके द्वारा मानदंड निर्धारित किए जाएंगे, जिनके आधार पर कीटनाशक को मिसब्रांडेड, सबस्टैण्डर्ड या स्प्यूरियस (नकली) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

VISION IAS

- **दंड:** यह उल्लंघनकर्ताओं के लिए दंड में वृद्धि का समर्थन करता है और राज्य सरकारों को इनके विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए अधिक शक्ति प्रदान करता है।
- **क्षतिपूर्ति:** यह उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रावधानों के तहत प्रभावित किसानों या उपयोगकर्ताओं के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करता है।
- **मानदंडों को कठोर करना:**, इसमें नए कीटनाशकों के पंजीकरण और लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देशों को कड़ा कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कीटनाशकों की टॉलरेंस लिमिट (कीटनाशक की वह अधिकतम स्वीकृत मात्रा जो खाद्य पदार्थ में अवशेष के रूप में बनी रह सकती है) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट की जाएगी।
- **रिपोर्टिंग:** राज्य सरकारों द्वारा त्रैमासिक आधार पर केंद्र को विषाक्तता के सभी प्रकरणों की सूचना दी जाएगी। इसके साथ ही राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे छह महीने तक के लिए रासायनिक कीटनाशकों को प्रतिबंधित कर सकते है। वर्तमान में यह अवधि 2 माह है।

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्तमान में भारत एशिया में कीटनाशकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और कीटनाशकों के उपयोग में विश्व में 12वें स्थान पर है।
- भारत में लगभग **150 कीटनाशक पंजीकृत हैं**।
- **कुल कृषि क्षेत्र का लगभाग 40 प्रतिशत हिस्सा** कीटनाशकों द्वारा उपचारित किया जाता है (भारतीय कृषि की स्थिति 2015-2016)।
- आंध्र प्रदेश, कीटनाशकों का अग्रणी उपभोक्ता हैं, तत्पश्चात महाराष्ट्र और पंजाब का स्थान है।

कीटनाशकों से संबंधित अन्य पहलें

- **राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशकों के अवशेषों की निगरानी:** यह देश के विभिन्न कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों में कृषिगत वस्तुओं में कीटनाशकों के अवशेषों की निगरानी और विश्लेषण के लिए कृषि मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- **भारत में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाना:** एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) को बढ़ावा देने के लिए।
- हितधारकों के बीच जागरुकता उत्पन्न करने के लिए ***ग्रो सेफ फ़ूड*** अभियान आरंभ किया गया है।
- **किसानों की आय को दोगुना करने के लिए नीति आयोग ने** जैविक कृषि का प्रस्ताव दिया है ताकि कीटनाशकों की खपत को कम किया जा सके।
- भारत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के नेतृत्व में संचालित, स्थायी जैविक प्रदूषकों के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन और कीटनाशियों के निर्यात-आयात के लिए रॉटरडम कन्वेंशन का हस्ताक्षकर्ता है।

कीटनाशक अधिनियम 1968 से जुड़े मुद्दे

- **लंबी पंजीकरण प्रक्रिया-** नए कीटनाशकों के पंजीकरण में लगभग 3-4 वर्ष लगते हैं। इससे कृषि के लिए इसका आदान (इनपुट) मूल्य पुन: बाधित होता है।
- **डेटा संरक्षण की कमी-**इसके कारण विकसित विश्व की तुलना में किसानों के लिए नए और हरित रासायनिक कीटनाशकों तक पहुँच में विलम्ब होता है।
- भविष्य के संभावित नकारात्मक परिणामों की स्थिति में **कम क्षतिपूर्ति** राशि।
- **कठोर दंड प्रावधानों की कमी** और कीटनाशक प्रबंधन के लिए अत्यधिक केंद्रीकरण तंत्र।

विधेयक का विश्लेषण

- **अस्पष्ट परिभाषा:** कीटनाशकों और कई अन्य शब्दावलियों की अस्पष्ट परिभाषा जैसे कि 'उपयोगकर्ता' को विधेयक के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। इससे अनुचित उपयोग का उत्तरदायित्व किसानों पर आ सकता है।
- **जवाबदेही का अभाव:** विधेयक में डेटा संरक्षण की समय सीमा और निरीक्षक द्वारा नकली कीटनाशकों के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है।
- **दंड प्रावधान:** विधेयक कीटनाशकों का विपणन करने वाली कंपनियों पर दंड संबंधी प्रावधान लागू करने के मुद्दों को संबोधित नहीं करता हैं।

आगे की राह

- **राष्ट्रीय निगरानी समिति**–निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने हेतु **कीटनाशक विकास और विनियमन प्राधिकरण** गठित करना समय की आवश्यकता है।
- **पारदर्शिता:** पंजीकरण समिति द्वारा एकत्र किए गए सभी नमूने और परीक्षण परिणाम इंटरनेट पर पूर्व निर्धारित अवधि के लिए प्रदर्शित किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त कृषि विभागों के लिए **अनिवार्य ई-प्रलेखन** (IT अधिनियम, 2000 के अनुसार) प्रक्रिया में तेजी लाएगा और पारदर्शिता में वृद्धि करेगा।

VISION IAS

- **शक्ति का प्रत्यायोजन:** वर्तमान में, स्पष्ट उल्लंघन की स्थिति में केवल मजिस्ट्रेट ही कीटनाशकों की बिक्री के निलंबन का आदेश दे सकता है। यें शक्तियाँ पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर को भी प्रदान की जानी चाहिए ।
- प्रवेश संबंधी अवरोधों को दूर करके और नई पीढ़ी के कीटनाशकों के उपयोग को प्रोत्साहित कर **प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना**।
- अर्ह डीलरों द्वारा प्रबंधित **मजबूत खुदरा नेटवर्क** की स्थापना करना ताकि इनके द्वारा, किसानों को केवल कीटनाशकों का विक्रय करने के अतिरिक्त अन्य संबंधित सेवाएँ भी प्रदान की सकें।
- **R&D**:कीटनाशक उद्योग द्वारा की जाने वाली अनुसंधान और विकास (**R&D**) संबंधी गतिविधियाँ को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इससे 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा मिलेगा और आयातित फार्मूलों पर निर्भरता कम होगी।
- **उपयोग पश्चात प्रबंधन:** उपयोग के पश्चात् खाली हो चुके कंटेनरों का प्रबंधन चुनौती के रूप में उभर रहा है। इसके सुरक्षित निपटान और दहन (इन्सिनरेशन) के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता है और इस संबंध में 'स्वच्छ भारत' के एक अंग के रूप में किसानों को शिक्षित किया जाना भी अत्यंत आवश्यक है ।'

(नोट : कीटनाशकों पर अधिक जानकारी के लिए करेंट अफेयर्स का **अक्टूबर 2017 का अंक देखें)**

3.3. किसान उत्पादक कंपनियाँ

(Farmer Producer Companies)

सुर्खियों में क्यों?

सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष से पाँच वर्ष की अवधि के लिए किसान उत्पादक कंपनियों (FPC) के लाभ को कर मुक्त कर दिया है।

FPC क्या हैं?

- यह सहकारी समितियों और निजी लिमिटेड कंपनियों का मिश्रित रूप है, जिसमें सदस्यों के बीच लाभ की साझेदारी होती है।
- इसकी महत्त्वपूर्ण विशेषताओं में सम्मिलित है:
  - इसका गठन उत्पादकों के समूह द्वारा कृषि या गैर-कृषि गतिविधियों के लिए किया जाता है।
  - यह एक पंजीकृत और विधिक निकाय है (कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत)।
  - संगठन में उत्पादक शेयरधारक होते हैं।
  - यह प्राथमिक उत्पाद से संबंधित व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करती है।
  - लाभ का एक हिस्सा उत्पादकों के बीच साझा किया जाता है और अधिशेष को व्यापार विस्तार के लिए स्थापित फंड्स में में जोड़ दिया जाता है।
- इसमें कृषि से संबंधित अनेक चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान करने में सहायता करने के लिए उत्पादकों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, का समूहीकरण किया जाता है।
- NABARD ने उत्पादक संगठन विकास निधि (PODF) का शुभारंभ किया है और लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC) ने 2011 से अब तक लगभग 250 FPOs की स्थापना की है।
- SFAC ने अपना पूंजी आधार सुदृढ़ करने हेतु केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना "**इक्विटी ग्रांट एंड क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर फार्मर्स प्रोड्यूसर कम्पनीज़**" आरंभ की है।

विवरण

- जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, धारा 35CCC के अंतर्गत सहकारी समितियों को कर से छूट प्राप्त होती है, वहीं FPC पर प्राइवेट और पब्लिक-लिमिटेड कंपनियों के समान कर आरोपित किया जाता है।
- वर्तमान में इनमें से अधिकांश कम्पनियाँ 20 प्रतिशत आयकर और 30 प्रतिशत लाभांश कर का भुगतान कर रही हैं।
- उक्त परिवर्तनों के बाद, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत FPCs (100 करोड़ रुपए तक का वार्षिक कारोबार करने वाली कंपनी) को कृषि संबंधी गतिविधियों से प्राप्त लाभ पर कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

FPCs की आवश्यकता

- **संरचनात्मक चुनौतियाँ-** जैसे कि निम्न स्तरीय बाजार अवसंरचना, औपचारिक स्रोतों से ऋण अनुपलब्धता, बाजार के संबंध में ज्ञान एवं बाजार तक पहुँच की चुनौती, सूचना संबंधी विषमताएँ, कारक और उत्पाद बाजार की परस्पर इंटरलॉकिंग, सौदेबाजी की अल्प **शक्ति** और निम्न धारण क्षमता, विखंडित खरीद और बिक्री के कारण उच्च इनपुट लागत तथा उत्पादन एवं बाजार में निजी संगठनों के अन्य रूपों से प्रतिस्पर्धा।
- **छोटे किसान की बाध्यताएँ** - भारत में अधिकांश किसान ऐसे हैं जिनके पास प्रति परिवार **2** हेक्टेयर से भी कम भूमि है। उनमें से अधिकांश अभी भी निर्वाह आधारित कृषि करते हैं। वर्ष 2010-11 में लघु और सीमांत जोतें देश में कुल जोतों का 85% थीं।

- **सहकारी समितियों की विफलता-** अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप, नौकरशाही नियंत्रण और कमजोर नेतृत्व एवं शक्तिशाली अभिजात वर्ग द्वारा प्रबंधन पर कब्जे के कारण सहकारी समितियाँ अपेक्षा के अनुरूप प्रभावी नहीं रहीं। इसके अतिरिक्त ये समितियाँ व्यापार उन्मुख भी नहीं थीं।

FPCs के लिए चुनौतियाँ और अवसर

- **पेशेंट कैपिटल/दीर्घकालिक पूंजी का अभाव-** चूँकि इन संस्थाओं को व्यवहार्य व्यापारिक उद्यम के रूप में नहीं माना जाता है; अतः, इस प्रकार के उद्यमों में एक सुदृढ़ व्यापार योजना सहित पेशेंट कैपिटल (दीर्घकालिक पूँजी जिससे तुरंत प्रतिफल प्राप्त करने का उद्देश्य न हो)और कुशल संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता है।
- **उद्यमशीलता संबंधी क्षमताओं की कमी** के अलावा, छोटे किसानों में व्यापार योजनाओं के सम्बन्ध में आवश्यक समझ का अभाव होता है। इसके साथ ही वे प्रायः यह समझने में भी अक्षम होते हैं कि इंटरप्राइज मॉडल की दिशा में आगे बढ़ने के लिए FPCs का विकास पथ कैसा होना चाहिए। इस प्रकार, विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से बैंकों और गैर-सरकारी संगठनों को, किसानों के मध्य जागरूकता का प्रसार करना चाहिए।
- **प्रशासनिक क्षमता का अभाव है** जिससे खातों का प्रबंधन सही ढंग से नहीं हो पाता है। सरकार समग्र उत्तरदायित्व और पारदर्शिता में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रशासनिक संरचना को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।
- **गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका-** यद्यपि गैर-सरकारी संगठन FPCs के विकास में सहायक संस्थानों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद सहायता और अनुदान देने वाली राजनीतिक अर्थव्यवस्था के दबाव में उन्हें एक निश्चित तरीके से काम करना पड़ता है। परिणामस्वरूप ये संस्थान अन्ततः कमजोर हो जाते हैं तथा एक निश्चित क्षेत्र में सीमित रहते हैं। इस प्रकार, यह आवश्यक है कि FPCs के विकास के लिए इनमें *सोशल इंटरप्राइज* के दृष्टिकोण को भी सम्मिलित किया जाए।

3.4. NABARD अधिनियम, 1981 में संशोधन

(Amendments to NABARD Act, 1981)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, संसद ने ग्रामीण और कृषि क्षेत्र, विशेष रूप से ग्रामीण उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) अधिनियम 1981 में संशोधन किया है।

NABARD का गठन जुलाई 1982 में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए गठित समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष श्री बी. सिवरमन थे।

यह देश का शीर्ष विकास बैंक है और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ऋण तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों में संलग्न है।

कार्य:

- यह बैंकों को पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करता है।
- **यह ग्रामीण उद्योगों, लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देता है।**
- **यह ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और उन्नति संबंधी गतिविधियाँ आरंभ करने के लिए** राज्य सरकारों को फंड उपलब्ध कराता है।
- **कृषि और ग्रामीण उद्योगों के अनुसंधान और विकास (R&D) का वित्तपोषण।**
- **गैर-कृषि गतिविधियों और गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वित्तीयन।**
- **सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निरीक्षण कार्य।**

संशोधन की आवश्यकता क्यों थी?

- **NABARD की गतिविधियों में विस्तार:** इसे समय-समय पर अतिरिक्त इक्विटी प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। अतिरिक्त इक्विटी इसे अपने उद्देश्यों और दीर्घकालिक सिंचाई निधि तथा सहकारी बैंकों को संवर्धित पुनर्वित्त सहायता देने से संबंधित वर्तमान प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सक्षम बनाएगी।
- **RBI की दो भूमिकाओं में व्याप्त द्वंद्व को दूर करना:** NABARD की चुकता पूंजी के 0.4% अंश पर RBI का तथा शेष पूँजी पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। इससे बैंकिंग नियामक के रूप में RBI की भूमिका और NABARD के शेयरधारक के रूप में RBI की भूमिका में द्वंद्व उत्पन्न होता है।
- हालाँकि, विशेषज्ञों का यह मानना है कि इसके परिणामस्वरूप RBI ग्रामीण ऋण गतिविधियों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पर्यवेक्षक और विकास संस्थान को खो देगा।

VISION IAS

- **NABARD की पुनर्वित्त गतिविधियों की सीमा में वृद्धि:** सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों, मध्यम उद्यमों और हथकरघों में रोजगार की क्षमता से संबंधित उद्यमों को **NABARD की पुनर्वित्त गतिविधियों के दायरे में** शामिल करने का प्रस्ताव रखा है।

नाबार्ड (संशोधन) विधेयक, 2017 में संशोधनों का विवरण

- संशोधन, केंद्र सरकार को नाबार्ड की **अधिकृत पूंजी** को 5,000 करोड़ रुपए से **बढ़ाकर 30,000 करोड़ रूपए तक करने का अधिकार देता है क्योंकि** नाबार्ड की वर्तमान अधिकृत पूंजी पूर्णतः चुकता(paid-up) पूँजी ही है। RBI से परामर्श के पश्चात् भविष्य में इसमें और अधिक वृद्धि की जा सकती है।
    - यह विधेयक RBI की नाबार्ड में 20,000 करोड़ रुपये की शेष इक्विटी को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करता है।
- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए:** यह विधेयक 'लघु-स्तर के उद्योग' और 'सूक्ष्म तथा विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में उद्योग' जैसे शब्दों को 'सूक्ष्म उद्यम', 'लघु उद्यम' और 'मध्यम उद्यम' शब्दों से प्रतिस्थापित करता है। यह MSME विकास अधिनियम, 2006 की परिभाषाओं के अनुरूप है।
    - 1981 के अधिनियम के अंतर्गत, नाबार्ड मशीनरी और संयंत्र में 20 लाख रुपये तक का निवेश करने वाले उद्योगों को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी था। यह विधेयक इस सीमा में वृद्धि करते हुए इसे विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये और सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उद्यमों पर लागू करता है।
- **कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ संगतता:** यह विधेयक नाबार्ड अधिनियम, 1981 के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के सन्दर्भों को कंपनी अधिनियम, 2013 के सन्दर्भों से प्रतिस्थापित करता है। अर्थात अब तक जिन स्थानों पर कंपनी अधिनियम 1956 का सन्दर्भ लिया जाता था वहाँ अब कंपनी अधिनियम 2013 का सन्दर्भ लिया जाएगा। इनमें सम्मिलित हैं: (i) सरकारी कंपनी की परिभाषा, और (ii) लेखा परीक्षकों की अर्हता से सम्बंधित प्रावधान।

3.5. कोयले का व्यावसायिक खनन

(Commercial Mining in Coal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, सरकार ने निजी क्षेत्र की भारतीय और विदेशी कंपनियों को कोयले के वाणिज्यिक खनन की मंजूरी प्रदान की है।

वर्तमान व्यवस्था की समस्याएँ

- CIL नए बिजली संयंत्रों की मांगों के साथ तालमेल रखने में असमर्थ है और सरकार के लक्ष्यों को पूर्ण करने में भी निरंतर विफल रहा है। इस प्रकार, हाल ही के वर्षों में, प्रचुर कोयला संपन्न क्षेत्रों और उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- जो कंपनियां स्वयं के उपयोग के लिए बिजली का उत्पादन करती हैं, उन्हें CIL के साथ अनुबंधित मात्रा की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण, महँगा आयातित कोयला खरीदना पड़ता है।
- एकाधिकार ने देश में उत्पादित कोयले की गुणवत्ता पर भी प्रभाव डाला है। भारतीय कोयले में औसत राख की मात्रा लगभग 45 प्रतिशत है। यह कुशल विद्युत उत्पादन सुनिश्चित करने वाले 25-30 प्रतिशत से काफ़ी ज्यादा है।

पृष्ठभूमि

- 1970 के दशक में इस क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के बाद से, कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) और इसके सहयोगियों का कोयले के खनन और बिक्री पर एकाधिकार है। यह देश में 80 प्रतिशत से अधिक कोयले की आपूर्ति करता है।
- शेष आपूर्ति एक अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड और निजी उद्यमियों को आवंटित की गई कुछ कैप्टिव (आवंटित) कोयला खानों से होती है। इस कोयले का अंतिम रूप से उपयोग विशेषकर इस्पात व विद्युत जैसे उद्योगों में किया जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में विभिन्न राज्यों और निजी कंपनियों को आवंटित 204 कोयला ब्लॉकों को रद्द कर दिया था।
- इसके पश्चात्, नीलामी और आवंटन द्वारा कोयला ब्लॉक के प्रशासनिक आवंटन को प्रतिस्थापित करने के लिए कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 को अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम ने निजी संस्थाओं के लिए सैद्धांतिक रूप में वाणिज्यिक कोयला खनन क्षेत्र को खोल दिया।
- 2016 में, राज्य-नियंत्रित खनन निगमों को वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉक प्रदान किए गए।
- अब सरकार ने सभी निजी इकाइयों को अंतिम-उपयोग या मूल्य प्रतिबंधों के बिना, वाणिज्यिक खनन में प्रवेश की अनुमति दे दी है।
- इसके अतिरिक्त नीलामी का मानदंड भी प्रति टन के लिए रूपए में दिया गया मूल्य प्रस्ताव होगा, जो कोयले के वास्तविक उत्पादन पर राज्य सरकार को दिया जाएगा।

भारत में कोयला भंडार

- कोयले के भंडार मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य-प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों में स्थित हैं।
- भारतीय कोयला भंडार मुख्य रूप से लिग्नाइट और बिटुमिनस प्रकार के हैं (अन्य दो प्रकार पीट और एन्थ्रेसाइट हैं)।
- भारतीय कोयले के साथ निम्नलिखित समस्याएँ हैं-
    - निम्न ऊष्मीय मान
    - राख की उच्च मात्रा
    - भारत में कम कुशल कोयला खदानें

वाणिज्यिक खनन की अनुमति के अपेक्षित लाभ

- **उत्पादन में वृद्धि और ऊर्जा सुरक्षा**: यह देश के 2022 तक वार्षिक 1.5 अरब टन कोयले का उत्पादन करने के विज़न को कुछ हद तक साकार करने में सहायक होगा।
- **आयातों में कमी**: इसके फलस्वरूप आयात व्यय में 30,000 करोड़ रूपए तक की बचत होने का अनुमान है। वर्तमान में भारत में घरेलू मांग का लगभग 22 प्रतिशत आयात द्वारा पूरा किया जाता है, जबकि भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। सस्ती घरेलू आपूर्ति आयात की कीमतों को भी नियंत्रण में रखेगी।
- **विद्युत क्षेत्र को लाभ: देश के विद्युत उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा** कोयला द्वारा उत्पादित किया जाता है। इस प्रकार, यह **बेहतर ईंधन प्रबंधन** के माध्यम से दबावग्रस्त ऊर्जा संयंत्रों का कायापलट करने के प्रयास में सहायता करेगा।
- **बेहतर दक्षता**: इसके फलस्वरूप कोयला सेक्टर **एकाधिकार वाले क्षेत्रक से प्रतिस्पर्धा** वाले क्षेत्रक में परिवर्तित हो जायगा। इससे निजी और विदेशी कम्पनियों से **निवेश** इस क्षेत्र की ओर आकर्षित होगा। इस विदेशी निवेश के साथ इसमें **सर्वोत्तम तकनीक** का भी प्रवेश होगा।
- **कोयला धारक राज्यों का विकास**: यह विशेष रूप से देश के पूर्वी भाग के विकास में सहायक होगा, क्योंकि इन नीलामियों से प्राप्त सम्पूर्ण राजस्व पूर्वी राज्यों को प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, राजस्व में वृद्धि हो सकती है क्योंकि कोयला ब्लॉक सर्वाधिक बोली लगाने वाले को आवंटित किये जाएंगे।
- **उद्योग समेकन**: वाणिज्यिक खनन की अनुमति मिलने के फलस्वरूप उर्ध्वाधर रूप से एकीकृत बड़ी ऊर्जा कंपनियों में वृद्धि हो सकती है जिनके हित कोयला खनन, विद्युत उत्पादन, खुदरा आपूर्ति के वितरण और पारेषण (ट्रांसपोर्टेशन) से सम्बंधित होंगे।
- **लोगों के लिए लाभ**: इससे कोयला आधारित क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का निर्माण होगा और साथ ही कम लागत वाली बिजली, इस्पात आदि तक पहुँच में भी वृद्धि होगी।
- **विदेशी निवेश को आकर्षित करना**: यह उन देशों की विदेशी कंपनियों को एक बड़ा अवसर प्रदान करता है जहां कोयला खनन या तो घट रहा है या पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है।

कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए हाल ही में किये गये प्रयास

- विद्युत क्षेत्र के लिए पारदर्शी कोयला आवंटन नीति, SHAKTI, मई 2017 में जारी की गई।
- कोयला उपभोक्ताओं के लिए ग्रेड स्लिपेज (गुणवत्ता में गिरावट) के मामलों और अन्य गुणवत्ता सम्बन्धी मुद्दों को संबोधित करने के लिए **थर्ड पार्टी सैंपलिंग प्रक्रिया** को लागू किया गया।
- कोल इंडिया लिमिटेड की **सभी 366 सक्रिय खानों के इंटर-कंपनी सेफ्टी ऑडिट को पूरा किया गया।**
- नवंबर 2017 में, सड़क मार्ग के माध्यम से कोयले का परिवहन करने वाले उपभोक्ताओं के लाभ के लिए **"ग्राहक सड़क कोयला वितरण ऐप"** का आरम्भ किया गया। पारदर्शिता की दिशा में एक कदम के रूप में, यह ऐप बिक्री के आदेशों के अनुरूप तिथि-वार, ट्रक-वार मात्रा में कोयला वितरण सुलभ करता है।

मुद्दे

- **नियामकीय मुद्दे**: भारत के कोयला संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन भूमियों के अंतर्गत आता है जिन्हें वन और पर्यावरण सम्बन्धी मंजूरियों की आवश्यकता है। इस प्रकार, सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि निजी कोयला खननकर्ता इन नियमों का पालन करें।
- **निजी क्षेत्र के कैप्टिव खननकर्ताओं का खराब ट्रैक रिकॉर्ड**: उत्पादन स्तर अधिक उत्साहजनक नहीं रहा है क्योंकि यह समग्र घरेलू उत्पादन का केवल 6-10 प्रतिशत हिस्सा ही है।
- **मुट्ठी भर कंपनियों द्वारा वर्चस्व का खतरा**: चूँकि कोयला क्षेत्रक एक पूंजी प्रधान निवेश है और उद्योग के अनुमानों के अनुसार 40 से 50 मिलियन टन के ब्लॉक ही उपलब्ध होंगे। ऐसे में केवल बड़ी कम्पनियाँ ही निवेश करने में सक्षम हो सकेंगी।

VISION IAS

- **वैश्विक रुझानों के विरुद्ध:** आने वाले समय में कोयले के उपयोग में कटौती करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और सिविल सोसायटी की ओर से भी दबाव निरंतर जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त, कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयला विजन 2030 का मसौदा जारी किया जिसमें सुझाव दिया गया है कि देश को नई खानों की आवश्यकता नहीं है।
- **स्वच्छ ऊर्जा पर फोकस:** भारत सहित प्रत्येक देश नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा हैं। यदि अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोई सफलता मिलती है, तो तापीय ऊर्जा पीछे पीछे छूट जाएगी ।
- **अन्य मुद्दे:** खनन कार्यों के विरुद्ध स्थानीय विरोध, परिवहन संयोजन और प्रचालन-तंत्र के मुद्दे, भूमि अधिग्रहण में चुनौतियाँ, अनुमोदन में देरी आदि।

आगे की राह

- **राज्य सरकारों का क्षमता निर्माण:** राज्य सरकारों को ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नस में सुधार एवं नियामक मंजूरियों की प्रक्रियाओं का सरलीकरण करते हुए अग्रसक्रिय भूमिका निभानी होगी।
- **कोयला-नीलामी के उद्देश्य को बदलना:** इसका लक्ष्य भारत की ऊर्जा अर्थव्यवस्था में राजस्व को अधिकतम करने के स्थान पर दक्षता में सुधार होना चाहिए। इस प्रकार, बेहतर तकनीक, प्रमाणित खनन अनुभव व कोर कॉम्पिटेंस (विविध संसाधनों एवं कौशलों के समन्वित संयोजन से युक्त कंपनी) वाली निजी और विदेशी कंपनियों को चुना जाना चाहिए।
- **मंजूरी के दबावों में कमी करना:** अल्ट्रा-मेगा विद्युत परियोजनाओं के मॉडल का अनुसरण किया जा सकता है। इसमें परियोजना को निजी क्षेत्र को सौंपने से पूर्व, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक शेल कंपनी का निर्माण किया जाता है।
- **बेहतर विनियमन:** परिचालन दक्षता और खननकर्ताओं की सुरक्षा के लिए मानकों को निर्धारित करके, परीक्षण के लिए दिशा-निर्देशों को निर्धारित करके तथा सैंपलिंग व कोयले की गुणवत्ता को प्रमाणित करके बेहतर विनियमन किया जा सकता है। इस प्रकार, एक स्वतंत्र कोयला नियामक की स्थापना की जा सकती है, जैसा कि व्यपगत हो चुके **कोयला नियामक प्राधिकरण विधेयक, 2013** में उल्लिखित है।

3.6. राष्ट्रीय खनिज नीति 2018 का मसौदा

(Draft National Mineral Policy 2018)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय खनिज नीति 2018 का मसौदा तैयार किया गया। यह नयी नीति राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 को प्रतिस्थापित करेगी।

राष्ट्रीय खनिज नीति 2008

- यह विनियामक तंत्र को तकनीकी रूप से उन्नत तथा निवेश प्रवाह के अनुरूप बनाकर आवंटन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास करती है।
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरो तथा खनन व भू-विज्ञान के राज्य निदेशालयों की भूमिका को सुदृढ़ करना।
- एक सतत विकास फ्रेमवर्क को विकसित एवं कार्यान्वित करना ताकि स्थानिक आबादी के अधिकार बाधित न हों। इसके साथ ही एक धारणीय पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करना।
- अधारणीय खनन को निरुत्साहित करना तथा शून्य-अपव्यय खनन को बढ़ावा देना।
- लघु निक्षेपों (डिपॉजिट्स) के खनन के लिए क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण विकसित करना।

पृष्ठभूमि

- 2 अगस्त, 2017 को **सर्वोच्च न्यायालय** ने सरकार को राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 की पुनर्समीक्षा करने एवं एक नई खनिज नीति की घोषणा करने का निर्देश दिया।
- संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार **खनिज संसाधनों का प्रबंधन** केंद्र (संघ सूची की प्रविष्टि 54 के अंतर्गत) एवं राज्य (राज्य सूची की प्रविष्टि 23 के अंतर्गत), दोनों का उतरदायित्व है।
- नीति आयोग के अनुसार, भारत में उत्पादित खनिजों एवं आयातित खनिजों का अनुपात 1:10 था।
  - भारत के **स्पष्ट भूगर्भीय संभावित क्षेत्र** (Obvious Geological Potential - OGP) के लगभग 90% क्षेत्र का अभी तक अन्वेषण नहीं हुआ है।
  - भारत में प्रति वर्ग किमी में अन्वेषण पर व्यय 9 डॉलर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 5,580 डॉलर एवं कनाडा में 5,310 डॉलर है।

नीति की मुख्य विशेषताएँ

- **पारदर्शी तंत्रः** राज्य एजेंसियों के लिए क्षेत्र आरक्षित करते समय पारदर्शिता बरती जाएगी बशर्ते सुरक्षा सरोकार या विशिष्ट सार्वजनिक हित सम्मिलित न हों।
- सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के विनियमन में **सरकार की भूमिका सुविधाप्रदाता (Facilitator) की होगी।** वहीं निजी क्षेत्र को एक समुचित वित्तीय पैकेज के माध्यम से या नीलामी के समय प्रथम अस्वीकृति के अधिकार (right of first refusal) के माध्यम से अन्वेषण गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **खनन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा:** खनन क्षेत्र के लिए सरल संस्थागत वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करने हेतु।
- इस क्षेत्र में FDI आकर्षित करने के लिए यह नीति खनिजों के निर्यात के सम्बन्ध में आश्वासन प्रदान करेगी।
- **ईज ऑफ डूइंग बिजनेसः** सरल, जवाबदेह एवं समयबद्ध प्रक्रियाओं द्वारा मंजूरी की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा।
- खनिज अन्वेषण कंपनियों द्वारा अन्वेषित खानों की नीलामी में **प्रथम अस्वीकृति का अधिकार (Right of First Refusal)** उन कंपनियों को ही दिया जाएगा।
- अपतटीय क्षेत्रों में देश के विशेष आर्थिक क्षेत्रों के अन्वेषण के साथ-साथ उनका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
- उर्वरक खनिजों, **ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण खनिजों,** कीमती धातुओं व रत्नों एवं रणनीतिक खनिजों (सामान्यतः जिन तक पहुँचना कठिन है) के अन्वेषण पर **विशेष ध्यान** दिया जाएगा।
- आर्थिक विकास में सुधार के लिए, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 आदि जैसे विभिन्न कानूनों और विनियमों का अनुपालन करते हुए **समुद्र तटीय रेत खनन को प्रोत्साहित करना।**
- दूरदराज के खनन क्षेत्रों तक खनिजों के परिवहन की सुविधा के लिए **समर्पित खनिज गलियारों** (डेडिकेटेड मिनरल कॉरीडोर्स) की योजना बनाई जाएगी।
- **माइनिंग टेनमेंट सिस्टम (Mining Tenement System - MTS)** स्थापित करना, जिसमें मुख्य रूप से राज्य के अत्याधुनिक IT सिस्टम का उपयोग करके सम्पूर्ण *कन्सेशन लाइफ साइकल* को स्वचालित करना सम्मिलित है।
- उन क्षेत्रों में **सार्वजनिक निवेश** जहाँ अत्यधिक अनिश्चितताओं के कारण निजी क्षेत्र का निवेश नहीं हो रहा है।
- **अनुसूचित क्षेत्रों** में से किसी एक में स्थित किसी **छोटी खान** के खनन का **अधिमान्य अधिकार** किसी अनुसूचित जनजाति (ST) को प्रदान किया जायेगा।
- जहाँ छोटी खान व्यवहार्य खनन के लिए योग्य नहीं हैं, वहां **क्लस्टर एप्रोच** अपनाया जाएगा। इसके अंतर्गत एक निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में स्थित सभी छोटी खानों को एक साथ लीज पर दिया जायेगा।
- PMKKKY को प्रभावी बनाने के लिए DMF के अंतर्गत कार्यशील योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी और समीक्षा करने के लिए **एक नेशनल वेब पोर्टल का निर्माण।**
- खनन विकास के लिए पर्याप्त जनशक्ति सुनिश्चित करने हेतु आधारभूत एवं विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से **मानव संसाधन विकास।**
- **एक अंतर-मंत्रालयी निकाय का निर्माण करना। इसका उद्देश्य,** खनन क्षेत्रों में पर्यावरण एवं सामाजिक-आर्थिक सरोकारों पर पर्याप्त चिंता को ध्यान में रखते हुए खनन सुनिश्चित करने एवं रॉयल्टी दर, अनिवार्य किराया (डेड रेंट) आदि पर सरकार को सलाह देने के लिए, मौजूदा तंत्र को संस्थागत रूप देना होगा।
- प्रभावित आबादी के जीवनस्तर में **सुधार लाने** तथा उनके लिए एक स्थिर आय सुनिश्चित करने हेतु तंत्र विकसित करना। इसके अतिरिक्त, संधारणीय खनन के लिए मानक स्थापित किए जाएँगे।

नीति के मसौदे से सम्बंधित मुद्दे

- संभावित निवेशक को उपलब्ध कराए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहनों से संबंधित **स्पष्टता का अभाव।**
- खनिज नीति में खनिज रियायतों के अंतरण का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि यह अन्य खनिज संपन्न राष्ट्रों में एक मानक प्रक्रिया है।
- **अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी पर विमर्श नहीं:** अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी, आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 द्वारा संदर्भित एक सिद्धांत है। इसके अनुसार मानवों द्वारा न केवल वर्तमान पीढ़ी के अन्य मानवों के साथ अपितु पिछली और अगली पीढ़ी के सदस्यों के साथ भी उभयनिष्ठ रूप से संसाधन धारण किये जाते हैं।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015

- यह देश के खनन सम्बन्धी कार्यों से प्रभावित सभी जिलों में **जिला खनिज फाउंडेशन** (DMF) की स्थापना एवं खनन के दुष्परिणामों को सहन करने वाले जनजातीय समुदायों के हितों की रक्षा को अधिदेशित करता है। खननकर्ताओं द्वारा जनता को देय कुल रॉयल्टी का एक हिस्सा DMF में देना अनिवार्य है।
- **राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना (NMET):** यह देश में क्षेत्रीय एवं विस्तृत खनिज अन्वेषण को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक गैर लाभकारी निकाय है।

VISION IAS

प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)

- जिला खनिज फाउंडेशन (DMFs) द्वारा प्राप्त निधियों का उपयोग करते हुए खनन सम्बन्धी कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों एवं लोगों के हितों का प्रावधान।
- खनन प्रभावित क्षेत्रों में राज्य एवं केंद्र सरकार की वर्तमान में चल रही योजनाओं/ परियोजनाओं के पूरक के रूप में कार्य करना तथा विभिन्न विकास तथा कल्याणकारी परियोजनाओं/ कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।
- खनन वाले जिलों में खनन के दौरान एवं उसके पश्चात पर्यावरण, लोगों के स्वास्थ्य तथा उनकी सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति से सम्बंधित प्रतिकूल प्रभावों को कम करना।
- खनन-प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के लिए दीर्घकालिक संधारणीय आजीविका सुनिश्चित करना।
- खनन संबंधित कार्यों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित सभी क्षेत्र PMKKKY के अंतर्गत सम्मिलित होंगे।

3.7. रणनीतिक तेल भंडार

(Strategic Oil Reserves)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सऊदी अरब तथा ओमान को भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।
- अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) ने भारत के पहले रणनीतिक तेल रिजर्व में 6 मिलियन बैरल कच्चे तेल के भंडारण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)

- इसकी स्थापना 1974 में की गयी थी। इसका उद्देश्य तेल आपूर्ति में अवरोधों के प्रति सामूहिक रूप से प्रतिक्रिया करने में देशों की मदद करना है।
- यह **OECD फ्रेमवर्क के अंतर्गत** एक स्वायत्त निकाय है। इसके सदस्य देशों (भारत सदस्य नहीं है) की संख्या 30 है।
- यह **वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक** (WEO) का प्रकाशन करती है।

पृष्ठभूमि

- भारत में प्रतिदिन लगभग 3.8 मिलियन बैरल तेल एवं तेल उत्पादों की खपत की जाती है। इस मांग का लगभग 80% भाग आयात करना पड़ता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी** (IEA) का अनुमान है कि 2020 तक भारत विश्व का सबसे बड़ा तेल आयातक देश होगा। इसके साथ ही आपूर्ति अवरोधों एवं मूल्य में बड़े उतार-चढ़ाव के जोखिम के प्रति भारत की सुभेद्यता में भी वृद्धि होगी।
- इसके अतिरिक्त, रणनीतिक तेल भंडार के वैश्विक मानकों की अनुशंसा यह है कि देश को स्ट्रेटेजिक-कम-बफर स्टॉक प्रयोजनों (आपात स्थिति) के लिए 90 दिन के तेल के आयात के बराबर एक भंडार बनाए रखना चाहिए। ये मानक IEA तथा भारत की **एकीकृत ऊर्जा नीति 2006** द्वारा निर्धारित किये गए हैं।

रणनीतिक तेल भंडारण के विषय में

- यह कच्चे तेल का भंडारण है जो किसी भी बाह्य आपूर्ति अवरोध या आपूर्ति-मांग असंतुलन के आघात के प्रति सुरक्षा प्रदान करेगा।
- कच्चे तेल के भंडारों का निर्माण **भूमिगत चट्टानी गुफाओं** में किया गया है तथा ये भारत के पूर्वी व पश्चिमी तट पर स्थित हैं। इन्हें पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है तथा इसमें, धरातल पर किए गए भंडारण में वाष्पीकरण के कारण होने वाली तेल की हानि की अपेक्षा कम हानि होती है।
- इन गुफाओं से भारतीय रिफाइनरियों को कच्चे तेल की आपूर्ति, पाइपलाइनों के माध्यम से या पाइपलाइनों तथा जहाजों के संयोजन के माध्यम से की जा सकती है।
- भंडारण सुविधाओं के निर्माण की देखरेख **इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व लिमिटेड** (पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत तेल उद्योग विकास बोर्ड का एक स्पेशल पर्पस व्हीकल) द्वारा किया जाता है।
- वर्तमान में तेल के रणनीतिक भंडार विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), मैंगलोर (कर्नाटक) तथा पडूर (केरल) में स्थित हैं।
- साथ ही, तीन अतिरिक्त भंडार परियोजनाओं पर कार्य जारी है, जो चंदिखोल (उड़ीसा), बीकानेर (राजस्थान) एवं राजकोट (गुजरात) में स्थित होंगी।

VISION IAS

निष्कर्ष

- सरकार को इस तरह की भंडारण सुविधाएं बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अमेरिका में सस्ती दर पर शेल गैस की उपलब्धता के चलते अमेरिका द्वारा किए जाने वाले आयात में कमी आयी है।आयात में इस कमी के कारण अब खाड़ी देशों का ध्यान भारत में तेल की मांग का दोहन करने पर है।
- इसके अतिरिक्त, ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ़ गल्फ कन्ट्रीज़ (Oil Corporation of Gulf Countries) ने भारत में स्टोरेज-रिफाइनिंग में रुचि दिखाई है, क्योंकि इससे वे दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी परिवहन लागत को कम कर सकते हैं।
- भविष्य में, सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आसानी से इस भंडारण सुविधा का उपयोग कर सकती है। कीमतें बढ़ने पर इन्वेंट्री जारी कर मुनाफा कमा सकती है तथा कीमतों के पुनः गिरने पर इन भंडारणों को दोबारा भरा जा सकता है।
- यद्यपि, भंडारण का कार्य तीव्र गति से पूरा हो सके इसके लिए आवश्यक है कि सरकार इस क्षेत्र में निजी कंपनियों को जोड़ने के लिए व्यवहार्य तंत्र प्रदान करे।

3.8. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्रक

(MSME Sector)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
- इसके साथ ही सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) के लिए क्रिसिडेक्स (**CriSidEx**) जारी किया गया। यह भारत का पहला मनोभाव सूचकांक (सेंटीमेंट इंडेक्स) है।

क्रिसिडेक्स (CriSidEx) के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य

- क्रिसिडेक्स (**CriSidEx**) एक मिश्रित सूचकांक है, जिसे CRISIL एवं SIDBI द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह 8 मापदंडों वाले डिफ्यूज़न इंडेक्स (diffusion index) पर आधारित है तथा लघु एवं मध्यम उद्यम व्यावसायिक मनोभावों का 0 (अत्यंत नकारात्मक) से 200 (अत्यंत सकारात्मक) के पैमाने पर मापन करता है।
- चूंकि लघु एवं मध्यम उद्यम संबंधी आँकड़े देर से प्राप्त होते थे, अतः ऐसे में जमीनी-स्तर के मनोभावों का व्यापक और संक्षिप्त संकेतक; नीति निर्माताओं, ऋणदाताओं, व्यापार निकायों, अर्थशास्त्रियों, रेटिंग एजेंसियों और स्वयं लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए महत्वपूर्ण एक उपकरण बन जाता है।
- क्रिसिडेक्स (**CriSidEx**) का अध्ययन संभावित विपरीत परिस्थितियों और उत्पादन चक्र में परिवर्तनों को चिह्नित करेगा जो बाजार दक्षताओं में सुधार करने में सहायक होगा।
- निर्यातकों और आयातकों के मनोभावों को जानकर, यह विदेशी व्यापार पर कार्यवाही करने योग्य संकेतक भी प्रस्तुत करेगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006 में हाल ही के संशोधन

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के आधार को **'संयंत्र/ मशीनरी में निवेश'** से परिवर्तित कर **'वार्षिक टर्नओवर'** करना। तदनुसार अधिनियम की धारा 7 में संशोधन किया जाएगा।
    - सूक्ष्म उद्यम: **वार्षिक टर्नओवर** पाँच करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है।
    - लघु उद्यम: **वार्षिक टर्नओवर** पांच करोड़ रुपये से अधिक होता है किन्तु 75 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है;
    - मध्यम उद्यम: **वार्षिक टर्नओवर** 75 करोड़ रुपये से अधिक होता है किन्तु 250 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है।

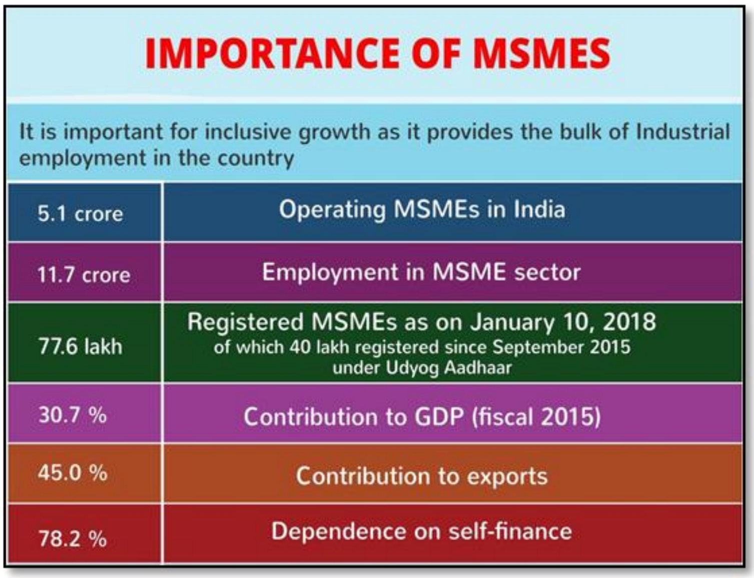

VISION IAS

- यह *ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस* को प्रोत्साहित करेगा, वर्गीकरण के मानदंडों को संवृद्धि उन्मुख बनाएगा एवं उन्हें वस्तु एवं सेवा कर (GST) पर आधारित नई कर व्यवस्था के साथ जोड़ेगा।
- इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा **व्यापार की मात्रा की सीमाओं को परिवर्तित कर सकती है। यह मात्रा** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम **की धारा 7 में निर्दिष्ट सीमाओं के तीन गुने से अधिक नहीं होगी।**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के समक्ष व्याप्त समस्याएँ

सरकारी योजनाओं की बहुतायत के बाद भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं:

- **पूँजी की उपलब्धता –** लगभग 40% लघु उद्यम ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहते हैं।
- **उन्नत प्रौद्योगिकी के अभाव** के कारण ये उद्यम आयातित उत्पादों और सेवाओं की तुलना में कम उत्पादक एवं कम प्रतिस्पर्धी बने हुए हैं।
- **मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं** जैसे जल, विद्युत आपूर्ति, सड़क/रेल और टेलीफोन कनेक्टिविटी इत्यादि की कमी।
- विद्युत, पर्यावरण तथा श्रम से संबंधित **विविध वैधानिक मंजूरियाँ** प्राप्त करना कठिन हो जाता है।
- अन्य चुनौतियों में कच्चे माल एवं कुशल श्रम इत्यादि की अनुपलब्धता सम्मिलित हैं।

आगे की राह

- लक्षित लाभार्थियों के बीच विभिन्न सहायता कार्यक्रमों के विषय में सीमित जागरूकता है। अतः बेहतर संचार रणनीति एवं नए युग के मीडिया उपकरणों जैसे सोशल मीडिया आदि का प्रयोग करना आवश्यक है।
- योजनाओं को मांग प्रेरित बनाने के लिए योजना की डिज़ाइन के चरण पर हितधारकों की भागीदारी की विशेष आवश्यकता है।
- निर्णय निर्धारण प्रक्रिया के स्तरों में कमी की जानी चाहिए एवं परिचालन संबंधी मुद्दों पर लचीलेपन की संभावना रखनी चाहिए।

सरकार की पहलें

- **उद्यमी मित्र पोर्टल–** इसे SIDBI द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) हेतु ऋण की उपलब्धता एवं सहयोग प्रदान करने वाली सेवाओं में सुधार करने के लिए प्रारंभ किया गया है।
- **डिजिटल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम योजना–** यह क्लाउड कंप्यूटिंग के उपयोग को समाविष्ट करती है। इसके तहत MSME द्वारा इंटरनेट के उपयोग से *इन-हाउस* (घरेलू स्तर पर निर्मित) IT अवसंरचना को स्थापित करने के बजाय *टेलर-मेड* (आवश्यकता के अनुसार किसी अन्य द्वारा निर्मित) या सामान्य (कॉमन) IT अवसंरचना (उनकी व्यावसायिक प्रक्रियाओं का प्रबंधन करने के लिए सॉफ्टवेयर सहित) तक पहुँच स्थापित की जाती है|
- **MSME विलम्बित भुगतान पोर्टल – MSME समाधान –** यह सम्पूर्ण देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों / राज्य सरकारों द्वारा विलंबित भुगतान से संबंधित अपने मामलों को प्रत्यक्ष रूप से दर्ज करने में सक्षम बनाएगा।
- **MSME संबंध –** यह पोर्टल केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से सार्वजनिक खरीद के कार्यान्वयन की निगरानी करने में सहायता करेगा।
- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम–** यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है।
- नवीनीकृत स्फूर्ति (Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries:SFURTI) योजना – यह पारंपरिक उद्योगों एवं कारीगरों को समूहों में संगठित करती है और उनकी विक्रेयता में संवर्द्धन कर एवं उन्हें उन्नत कौशलों से सुसज्जित कर प्रतिस्पर्धात्मक बनाती है।
- **नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु योजना** (A Scheme for promoting innovation, entrepreneurship, and agro-industry:**ASPIRE)**– नए रोजगारों का सृजन करती है एवं बेरोजगारी में कमी करती है, उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देती है, नवीन व्यावसायिक समाधान आदि की सुविधा प्रदान करती है।
- **राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (NMCP)** - भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के मध्य वैश्विक प्रतिस्पर्धा विकसित करने के लिए।
- **सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP) -** उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की क्षमता निर्माण के लिए क्लस्टर विकास दृष्टिकोण अपनाना।

VISION IAS

3.9. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद

(National Productivity Council)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) ने अपनी 60वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस एवं राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मनाया।

राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह-2018 की **थीम** "उद्योग **4.0** भारत के लिए बड़ी छलांग लगाने का अवसर (Industry 4.0 Leapfrog Opportunity for India)" निर्धारित की गई है।

उद्योग 4.0 के विषय में

- अगली औद्योगिक क्रांति के रूप में सम्बोधित किये जाने वाले इस अवसर की विशेषता डिजिटलीकरण एवं उत्पादों के पारस्परिक संबंध, गुणवत्ता श्रृंखलाओं और व्यापार मॉडल में वृद्धि है।
- इसका अर्थ **वास्तविक एवं आभासी विश्व (वर्चुअल वर्ल्ड) का अभिसरण** होगा – यह विनिर्माण क्षेत्र में पारंपरिक और आधुनिक प्रौद्योगिकियों को परस्पर समामेलित करने का चरण है।
- यह **"स्मार्ट फैक्ट्री"** में परिणत होगा। स्मार्ट कारखाने के अभिलक्षणों मेंविविधता, संसाधन कुशलता, श्रम दक्ष डिज़ाइन एवं व्यापार भागीदारों के साथ प्रत्यक्ष एकीकरण शामिल है।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) के विषय में

- यह भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक **स्वायत्त संगठन** है।
- यह भारत सरकार द्वारा **1958 में पंजीकृत सोसायटी** के रूप में स्थापित तथा सरकार, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों के समान प्रतिनिधित्व वाला **एक त्रि-पक्षीय गैर-लाभकारी संगठन** है। इसके अतिरिक्त इसके शासी निकाय में स्थानीय उत्पादकता परिषदों एवं चैंबर ऑफ कॉमर्स से सदस्यों समेत तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों का भी प्रतिनिधित्व है।
- यह उत्पादकता के क्षेत्र में प्रशिक्षण व परामर्श और *अंडरटेकिंग रिसर्च* प्रदान करता है।
- यह टोक्यो आधारित **एशियाई उत्पादकता संगठन (APO)** के कार्यक्रमों को सम्पन्न करता है। APO एक अंतर-सरकारी निकाय है तथा भारत इसका संस्थापक सदस्य है।
- इसे राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम के अंतर्गत '**लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पटीटिवनेस स्कीम**' के कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय निगरानी और कार्यान्वयन इकाई (NMIU) के रूप में नियुक्त किया गया है।

राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पटीटिवनेस प्रोग्राम)

इसका मुख्य **उद्देश्य** निम्नलिखित अवयवों के माध्यम से हस्तक्षेप द्वारा विनिर्माण करने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता का संवर्द्धन करना है:

- **लीन मैन्युफैक्चरिंग कम्पटीटिवनेस स्कीम** (इसका उद्देश्य लीन मैन्युफैक्चरिंग अवधारणाओं की सहायता से अपशिष्ट में कमी करके सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की समग्र उत्पादकता में सुधार करना है।)
- डिजाइन क्लिनिक स्कीम।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता उन्नयन समर्थन (TEQUP)।
- विनिर्माण क्षेत्रक में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का संवर्धन।
- बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) पर जागरुकता का निर्माण।
- इनक्यूबेटर्स के माध्यम से लघु एवं मध्यम उद्यमों का उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संबंधित विकास।

3.10. नेशनल ऑटो पॉलिसी 2018 का मसौदा

(DRAFT NATIONAL AUTO POLICY 2018)

सुर्खियों में क्यों?

भारी उद्योग विभाग ने भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग के समग्र विकास के लिए नेशनल ऑटो पॉलिसी मसौदा प्रस्तावित किया है।

आवश्यकता क्यों है?

यह व्यापक नीतिगत रूपरेखा प्रदान करने के लिए आवश्यक है ताकि मोटर वाहन उद्योग में वृद्धि **ऑटोमोटिव मिशन प्लान** 2016-26 (AMP 2026) के लक्ष्यों के अनुसार हो। **ऑटोमोटिव मिशन प्लान का लक्ष्य** भारत को प्रोद्योगिकी, विनिर्माण एवं वाहनों तथा ऑटोमोबाइल के पुर्जों के निर्यात में विश्व के शीर्ष **3** देशों में शामिल करना है।

VISION IAS

भारत चरण (BS) VI मानदंड

- भारत चरण (BS) VI मानदंड मोटर वाहनों सहित आंतरिक दहन इंजन उपकरणों से होने वाले वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन को विनियमित करने वाला उत्सर्जन मानक मानदंड है।
- 1 अप्रैल 2017 से भारत में सभी ऑटोमोबाइल **BS- IV** के अनुरूप हैं।
- 1 अप्रैल 2020 से BS-V को दरकिनार करते हुए **BS-VI** मानदंडों को अपनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- इस प्रकार, वाहन के इंजन में दो परिवर्तन किए जाने आवश्यक हैं:
  - **डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर-** डीजल निकास से पर्टिक्युलेट मैटर (कणिकीय पदार्थ) या सूट (कालिख) हटाने के लिए
  - **सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन टेक्नोलॉजी-** इंजन निकास में नाइट्रोजन आक्साइड को कम करने के लिए
- इसके लिए BS-IV(50 PPM) मानकों से BS-VI(10 PPM) मानकों तक उन्नत ईंधन गुणवत्ता की आवश्यकता होगी।

मुख्य प्रस्ताव

- मोटर वाहन उद्योग के विकास के लिए **व्यापक दीर्घकालिक रोडमैप** विकसित करना और BS VI के बाद वर्ष 2028 तक उत्सर्जन मानकों को वैश्विक मानकों के अनुसार परिभाषित करना।
- कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी **(CAFE)** प्रणाली के माध्यम से 2022 तक **CO_2 उत्सर्जन में कमी** के लिए रोड मैप विकसित करना तथा उसके बाद अर्थदंड/प्रोत्साहनों का प्रावधान करना। CAFÉ मानदंड के अनुसार कारों के लिए 2022 से 30% या उससे अधिक ईंधन दक्षता तथा 2017 और 2021 के बीच 10% या उससे अधिक ईंधन दक्षता अनिवार्य है।
- GST राजस्व पर पड़ने वाले प्रभावों को प्रतिसंतुलित करने और पर्यावरण वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए **वाहन कराधान हेतु वाहन की लंबाई और उत्सर्जन आधारित संयुक्त मानदंड** प्रचलित करना।
- व्यापार के लिए प्रमुख तकनीकी बाधा दूर करने हेतु UNECE WP.29 (यूनाइटेड नेशन्स इकोनॉमिक कमीशन्स फॉर यूरोप- वर्किंग पार्टी ऑफ़ एक्सपर्ट्स ऑन टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ़ व्हीकल्स) के अनुरूप **अगले 5 वर्षों में मानकों की सुसंगतता** को प्राप्त करना।
- कुशल श्रम की मांग और आपूर्ति को पूरा करने करने के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण परिवेश में सुधार करना। यह सुधार ASDC (ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल) द्वारा इसके वित्तपोषण को श्रम बाज़ार सूचना प्रणाली (LMIS) के निष्पादन और कार्यान्वयन से जोड़ते हुए ASDC की जवाबदेहिता को बढ़ा कर किया जा सकता है।
- व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नवाचारों के साथ स्वदेशी R&D में वृद्धि द्वारा, उद्योग-शैक्षणिक समुदाय सहयोग के लिए परिणाम-आधारित वित्त पोषण योजना के क्रियान्वयन तथा R&D व्यय के विभिन्न स्तरों पर कर-छूटों के प्रस्ताव एवं कार्यान्वयन के माध्यम से **नवाचार और R&D को प्रोत्साहित करना।**
- **ऑटोमोबाइल कलपुर्जों के निर्माण को प्रोत्साहित करना-** यह प्रोत्साहन निम्नलिखित उपायों द्वारा प्रदान किया सकता है -
  - ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में कलपुर्जों के विनिर्माण के लिए चिह्नित किए गए क्षेत्रों में क्षमताओं के विकास तथा प्रौद्योगिकी में सुधार कर,
  - सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण AIS (ऑटो वाहन उद्योग मानक) और BIS (भारतीय मानक ब्यूरो) में सामंजस्य स्थापित कर ,
  - ऑटोमोबाइल कलपुर्जों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर, एवं
  - साझा प्रशिक्षण और परीक्षण सुविधाओं की स्थापना करने के लिए समर्पित क्षेत्रों में **ऑटो कॉम्पोनेन्ट क्लस्टर कार्यक्रमों** का समर्थन कर।
- BNVSP के अनुसार परीक्षण सुविधाओं के उन्नयन द्वारा एवं चिह्नित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में तीव्र खरीद (टैक्सियों, किराये की कारों आदि) के लिए न्यूनतम BNVSP रेटिंग को अनिवार्य बनाकर **भारत नवीन वाहन सुरक्षा आकलन कार्यक्रम (BNVSP) का तीव्र अंगीकरण करना।**
- **भारत के लिए ग्रीन मोबिलिटी रोडमैप को परिभाषित करना** और सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रीन मोबिलिटी के अंगीकरण में तेजी लाना। पर्यावरण-अनुकूल वाहनों के लिए सार्वजनिक अवसंरचना की स्थापना हेतु राष्ट्रीय योजना भी परिभाषित की जानी चाहिए और FAME (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ़ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) योजना को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- **निगरानी और समीक्षा** - सतत निगरानी के अतिरिक्त, भारी उद्योग विभाग (DHI) वर्ष 2022 में ऑटो नीति का स्वतंत्र मूल्यांकन और मध्यावधि समीक्षा करेगा। साथ ही, इन नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों (भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय आदि) के मध्य समन्वय की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, इस नीति द्वारा एक केंद्रीय निकाय का गठन प्रस्तावित किया गया है।

VISION IAS

- **अन्य उपायों में सम्मिलित हैं-** वाहनों और पुर्जों का निर्यात बढ़ाने के लिए उपायों को कार्यान्वित करना, ऑटो उद्योग के समक्ष व्याप्त लॉजिस्टिक्स संबंधी चुनौतियों का विस्तृत अध्ययन करना तथा यह सुनिश्चित करना कि परीक्षण सुविधाओं का उन्नयन समग्र उद्योग रोडमैप के अनुरूप हो।

ग्रीन मोबिलिटी (हरित गतिशीलता) क्या है?

- यह उन सभी गतिशीलता सम्बन्धी विकल्पों को संदर्भित करता है जो शुद्ध आंतरिक दहन इंजन वाले वाहनों की तुलना में कम CO_2 ग्राम/कि.मी. का उत्सर्जन करते हैं। वर्तमान तकनीकी परिपक्वता और व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर, देश में निम्नलिखित हरित गतिशीलता विकल्प हैं:
  - बायो-ईंधन और मेथेनॉल आधारित गतिशीलता
  - CNG आधारित गतिशीलता
  - इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड मोबिलिटी (xEV)
  - हाइड्रोजन ऊर्जा और ईंधन-सेल आधारित गतिशीलता
- ऐसी प्रौद्योगिकियों में लोगों और वस्तुओं के परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है। हरित गतिशीलता विकल्पों के उपयोग में चीन, अमेरिका, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम भारत से कहीं आगे हैं।

3.11. शुष्क पत्तन

(Dry Port)

सुर्खियों में क्यों

हाल ही में, **वाणिज्य मंत्रालय** ने **शुष्क पत्तन** या **इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD)** में अवसंरचना मानकों का जीर्णोद्धार करने की घोषणा की है।

शुष्क पत्तन के संबंध में

- शुष्क पत्तन, रेलवे या सड़क द्वारा बंदरगाहों से प्रत्यक्ष जुड़े अंतर्देशीय टर्मिनल होते हैं। शुष्क पत्तन समुद्री पत्तन जैसी सेवाएँ प्रदान करते हैं जैसे कि हैंडलिंग, अस्थायी भंडारण, निरीक्षण और अंतर्राष्ट्रीय माल के लिए कस्टम मंजूरी आदि।
- शुष्क पत्तनों को लॉजिस्टिक्स तंत्र, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार लाने और समुद्री पत्तनों के समक्ष आने वाले क्षमता अवरोधों को कम करने के लिए जाना जाता है।

ICD के साथ समस्याएँ

- भारत में ICD विभिन्न कारणों से केवल 17 से 18% माल का कंटेनरों द्वारा परिवहन करते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मानक (76% से 77% तक) से अत्यधिक कम है:
  - **शुष्क पत्तनों का अल्प उपयोग:** कुछ क्षेत्रों में उपयोगिता **20%** तक निम्न तो कुछ क्षेत्रों में यह **85%** तक उच्च है। इसके कारण व्यापार असमान बन जाता है।
  - **लगभग सरकारी एकाधिकार:** लगभग **70% ICD** सरकारी स्वामित्व वाले कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्वामित्वाधीन हैं। **कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया,** कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित नवरत्न कंपनी है।
  - **अवस्थिति का मुद्दा:** ICD देशभर में असमान रूप से वितरित हैं, इससे इनकी धारणीयता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
  - **अपर्याप्त कनेक्टिविटी:** ICD तक रेल और सड़क संपर्क नेटवर्क पर्याप्त नहीं है।
  - **असंतोषजनक निवेश वातावरण:** ICD के निवेश में बड़े पैमाने पर घरेलू कंपनियों की प्रधानता है जबकि वैश्विक कंपनियों ने इस क्षेत्र में निवेश से अभी भी दूर हैं।

महत्व

- **निर्यात को बढ़ावा देना:** कुशल शुष्क पत्तन अवसंरचना से देश को विश्व निर्यात में **5%** हिस्सेदारी प्राप्त करने के लक्ष्य को पूरा करने में सहायता मिलेगी। यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत को अगले पाँच वर्षों तक **26%** से अधिक की औसत दर से वृद्धि करनी होगी।
- **इकोनॉमीज़ ऑफ़ स्केल प्राप्त करना:** ICD की भागीदारी से **लॉजिस्टिक्स संबंधी लागत कम करने** में सहायता मिलेगी, क्योंकि वर्तमान में यह विनिर्माण लागत का **14-15%** है, जोकि विश्व में सर्वाधिक है।

VISION IAS

- **सागरमाला परियोजना (पत्तन-नेतृत्त्व विकास) के साथ समन्वयन करना:** इसके अंतर्गत, सरकार का लक्ष्य EXIM और घरेलू माल के लिए लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है। लॉजिस्टिक्स लागत को ICD विकास से अनुपूरित किए जाने पर समग्र लागत में और अधिक बचत होगी।

आगे की राह

- **अवस्थिति संबंधी कारक:** धारणीय व्यापार मॉडल बनने के लिए, ICD को विनिर्माण और उपभोग केंद्रों से घिरा होना चाहिए।
- **अवसंरचना का संवर्द्धन:** इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए ICD में और ICD के आसपास अवसंरचना विकास महत्वपूर्ण है।
- **साझेदारी प्रोत्साहित करना:** किसी तृतीय पक्ष की लॉजिस्टिक्स कंपनी या शिपिंग लाइन के साथ साझेदारी, ICD के लिए अनुकूल राजस्व मार्ग प्रदान कर सकती है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रणालियों से जोड़कर **नियामकीय ढाँचे में सुधार लाना।**

(सागरमाला के संबंध में अधिक जानकारी के लिए, जनवरी 2018 का करेंट अफेयर्स देखें।)

3.12. 'पत्तन संभार तंत्र: भारत में मुद्दे और चुनौतियाँ' रिपोर्ट

('Port Logistics: Issues & Challenges In India' Report)

सुर्खियों में क्यों

हाल ही में NITI आयोग की ओर से सलाहकारी फर्म डन एंड ब्रैडस्ट्रीट (DNB) ने **'पत्तन संभार तंत्र: भारत में मुद्दे और चुनौतियाँ' नामक** रिपोर्ट जारी की है।

पत्तन निष्पादन सूचकांक

- यह मात्रात्मक परिणाम आधारित आंकड़ों के साथ हितधारकों की गुणात्मक धारणा को जोड़कर विभिन्न पत्तनों के निष्पादन का मानदण्ड निर्धारित करने का प्रयास है।
- यह भारत का लगभग 67% समुद्री व्यापार संभालने वाले 13 प्रमुख पत्तनों को उनके निष्पादन के आधार पर श्रेणीबद्ध करता है:
  - **उत्तम स्कोर:** जवाहरलाल नेहरू पत्तन, कामराज पत्तन, विशाखापत्तनम पत्तन
  - **औसत स्कोर:** कोचीन, कांडला, परादीप, चेन्नई, मोरमुगाओ, न्यू मंगलोर और V.O. चिदंबरनार पत्तन
  - **खराब स्कोर:** हल्दिया, कोलकाता और मुंबई पत्तन ट्रस्ट।

मुख्य विशेषताएँ

- इस रिपोर्ट में पत्तन क्षेत्र से संबंधित समस्याओं और चुनौतियों का अवलोकन किया गया है और इस क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नीतिगत उपायों का प्रस्ताव किया गया है।
- रिपोर्ट के तीन **प्रमुख निष्कर्ष** इस प्रकार हैं --
  1. सभी पत्तनों में प्रक्रियाएँ और परिचालन मानकीकृत या एकसमान नहीं हैं।
  2. प्रमुख प्रक्रियाओं की लागत और लगने वाला समय अप्रत्याशित है और पत्तनों के मध्य तथा पत्तन के भीतर भिन्नता का अस्वीकार्य स्तर भी विद्यमान है।
  3. उठाए गए कई सरकारी कदमों का पालन करते हुए उन्हें पूर्ण किये जाने की आवश्यकता है।
- पत्तनों के सम्बन्ध में अन्य प्रमुख समस्याएँ पत्तनों **पर अत्यधिक भीड़, कस्टम मंजूरी, शिपिंग लाइन के मुद्दे और शुल्क, प्रलेखन और कागजी कार्रवाई** एवं **विनियामकीय मंजूरी** है।
- इस अध्ययन में पत्तनों **निष्पादन सूचकांक** भी प्रस्तुत किया गया है।

(पत्तन क्षेत्र के संबंध में अधिक जानकारी के लिए, जनवरी 2018 का करेंट अफेयर्स देखें।)

VISION IAS

3.13. स्टेट स्टार्ट-अप रैंकिंग 2018

(State Start-Up Ranking 2018)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) ने स्टेट स्टार्ट-अप रैंकिंग 2018 का शुभारंभ किया है।

स्टेट स्टार्ट-अप रैंकिंग 2018 के संबंध में

- सरकार ने 2016 में हमारे देश में सुदृढ़ **स्टार्ट-अप परिवेश का निर्माण करने, नवाचार को बढ़ावा देने, उद्यमियों को विकसित होने के अवसर प्रदान करने,** आर्थिक संवृद्धि को गति देने और बड़े पैमाने पर अवसर सृजित करने के लिए **स्टार्ट-अप इंडिया** पहल का शुभारम्भ किया था।
- वर्तमान में भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य **प्रतिस्पर्धा** को बढावा देने और **स्वस्थ स्टार्ट अप परिवेश** तक पहुँच के लिए **महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हस्तक्षेप** हेतु **स्टेट स्टार्ट-अप रैंकिंग** का शुभारम्भ किया गया है।
- रैंकिंग के उपकरण हैं -
    - राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्टार्ट-अप रैंकिंग फ्रेमवर्क (स्तंभों के लिए चित्र देखें)
    - भारत में स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के लिए बेहतर कार्य प्रणालियों का संकलन।
    - स्टार्ट-अप इंडिया किट - यह स्टार्ट-अप इंडिया पहल द्वारा स्टार्ट-अप्स के लिए उपलब्ध सभी लाभों हेतु वन-स्टॉप गाइड है।

FRAMEWORK PILLARS	# OF ACTION POINTS	SCORE ASSIGNED
1 Startup policy and implementation	13	17
2 Incubation support	3	20
3 Seed funding support	2	15
4 Funding support: Angel and venture funding support	3	10
5 Simplified regulations	4	13
6 Easing public procurement	5	14
7 Awareness and outreach	8	11
TOTAL	38	100

- राज्यों की रैंकिंग के लिए, यह फ्रेमवर्क 100 के कुल स्कोर के साथ 38 कार्रवाई बिंदुओं को शामिल करते हुए हस्तक्षेप के 7 क्षेत्रों में विस्तृत है।

भारत में स्टार्ट-अप

- भारत, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप केंद्र है, जहां 20% स्टार्ट-अप टियर-2 और टीयर-3 के शहरों से उभर रहे हैं।
- भारत में प्रमुख स्टार्ट-अप तकनीक आधारित (लगभग 45%) हैं और लगभग 72% स्टार्टअप्स के संस्थापक 35 वर्ष से कम आयु के युवा हैं।
- समृद्धिशाली स्टार्ट-अप परिवेश के संवृद्धि चालक हैं- सरकार का स्टार्ट-अप नीति पर केंद्रित ध्यान, जनसांख्यिकीय लाभांश, तीव्र शहरीकरण, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की बड़ी संख्या और एक बड़े बाज़ार के रूप में भारत का उभरना।

3.14. RBI ने SDR, S4A वापस लिया

(RBI Withdraws SDR, S4A)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, RBI ने 'बैड लोन्स' की समस्या को हल करने के लिए आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं को वापस ले लिया।

ऋणशोधन और दिवालियापन संहिता, 2016 (IBC)

- वित्तीय संकट की शीघ्र पहचान के लिए **स्पष्ट, सुसंगत और त्वरित प्रक्रिया** और यदि अंतर्निहित व्यापार को व्यवहार्य पाया जाता है, तो कंपनियों और सीमित दायित्व वाली संस्थाओं का समाधान (रिज़ोल्यूशन)।
- **ऋण वसूली न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण** द्वारा व्यक्तिगत और असीमित साझेदारी वाली फर्मों के संबंध में और क्रमश: कंपनियों और सीमित दायित्व वाली संस्थाओं के संबंध में ऋणशोधन, परिशोधन और दिवालियापन प्रक्रिया से जुड़े प्रकरणों का निर्णय करने वाले प्राधिकरण के रूप में कार्य किया जाना।
- **ऋणशोधन पेशेवरों, ऋणशोधन व्यावसायिक एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं** पर नियामकीय निगरानी करने के लिए **भारतीय ऋणशोधन और दिवालियापन बोर्ड** की स्थापना।
- सीमा पार ऋणशोधन से निपटने वाले प्रावधानों को सशक्त बनाना।

VISION

वापस ली गई योजनाएँ

- **सामरिक ऋण पुनर्गठन(SDR) योजना - SDR** के अंतर्गत, कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को ऋण देने वाले बैंकों को अपना पूरा या आंशिक ऋण उधार लेने वाली कंपनी के इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने का अधिकार मिला था।

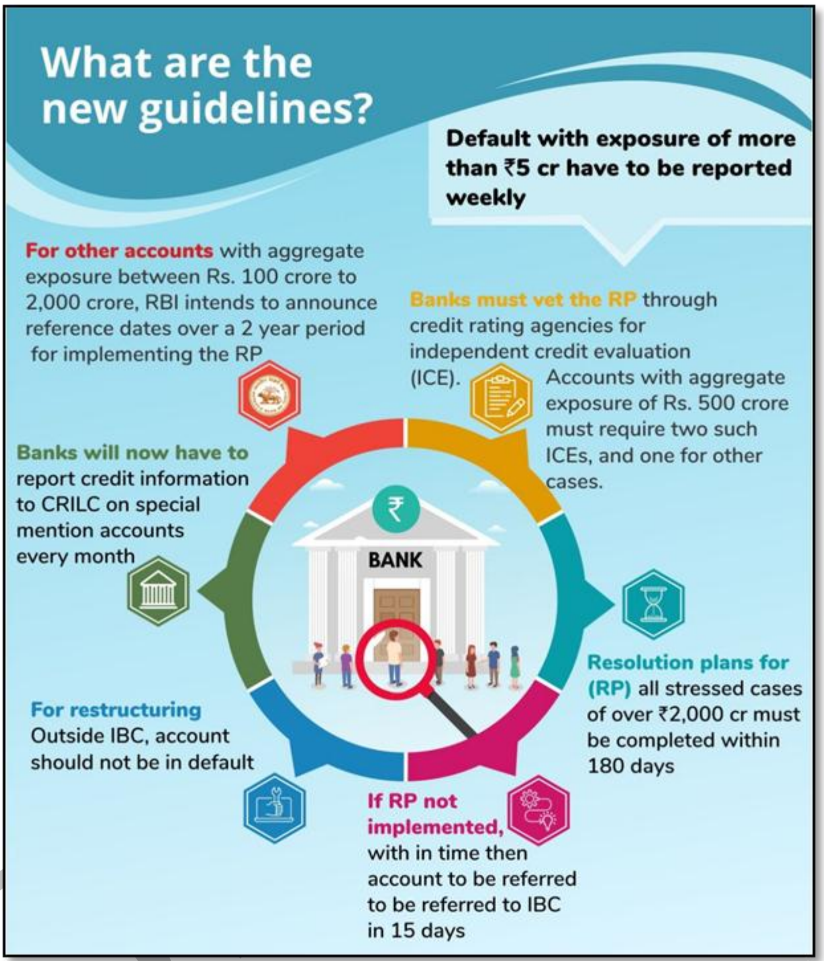

- **संकटासन्न परिसंपदाओं की धारणीय पुनःसंरचना योजना (S4A)**– इसने ऋणदाता (बैंक) को संकटासन्न दबावग्रस्त परियोजना की इक्विटी अधिग्रहित करने की अनुमति दी। इसका उद्देश्य अवसंरचना सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह को पुनर्स्थापित करना था।
- **कॉरपोरेट ऋण पुनर्गठन योजना** - इसका उद्देश्य संकटग्रस्त कम्पनी की तरलता पुनर्स्थापित करने के लिए संकटग्रस्त कंपनी के बकाया दायित्वों का पुनर्गठन करना और संकटग्रस्त कम्पनियों और उनके लेनदारों के बीच समझौता-वार्ता के माध्यम से उन्हें व्यापार में बनाए रखना था।
- **संयुक्त ऋणदाता मंच** (JLF) – इसका गठन सिस्टम में दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था। यह संबंधित उधारकर्ता संस्था को ऋण देने वाले बैंकों से मिलकर बना था।
- **मौजूदा दीर्घकालिक परियोजना ऋणों की लचीली संरचना या 5/25 पुनर्वित्तपोषण** - इसने परियोजनाओं के लिए आवश्यक नकदी प्रवाह को बनाये रखने के लिए प्रत्येक 5 या 7 वर्षों में पुनर्वित्तपोषण करते हुए, बैंकों को 20-25 वर्ष का दीर्घकालिक ऋण देने की अनुमति दी।

पुनर्गठन तंत्र वापस क्यों लिए गए?

- ऋणशोधन और दिवालियापन संहिता, 2016 (IBC) के अधिनियमन के साथ, RBI ने दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों को सुसंगत और सरलीकृत साधारण ढांचे से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया।
- पुनर्संरचना तंत्र के साथ समस्याएँ जैसे,
- **कठोरता-** ऋणदाताओं (बैंकरों) ने RBI के, सभी के लिए एकसूत्री दृष्टिकोण के संबंध में शिकायत की थी, क्योंकि अलग-अलग कंपनियों की अलग-अलग समस्याएँ थीं। इसके कारण बैड लोन्स में वृद्धि हुई थी ।
- विविधतापूर्ण कंपनियों में परिसंपत्ति से निपटने की **बैंकरों की सीमाएँ**, ऋण पुनर्गठन से पहले फोरेंसिक ऑडिट की कमी आदि।
- **असुरक्षित लेनदारों** जैसे कि कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं आदि ने प्राय: न्यायालयों की शरण ली, जिससे सम्पूर्ण प्रक्रिया में विलंब हुआ।

CRILC (सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ़ इनफार्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स), 5 करोड़ रूपये या इससे अधिक राशि के ऋण जोखिम पर ऋण संबंधी आंकडें एकत्रित करने, संग्रहित करने और बैंकों में संचारित करने हेतु उत्तरदायी है।

इन नए दिशानिर्देशों से बैड लोन्स की समस्या में कैसे सहायता मिलेगी?

- नए नियम बैंकों की वित्तीय स्थिति में पारदर्शिता व निवेशक में अधिक आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करेंगे और बैंकों का कारोबार करने का तरीका बदलेंगे।
- ऋण देने की प्रक्रिया अधिक विवेकपूर्ण होगी। डिफ़ॉल्ट के प्रति नरमी नहीं बरती जाएगी। इससे ऋण पुनर्भुगतान शर्तें अधिक यथार्थवादी होंगी।
- बैंक, जोखिम प्रबंधन ढाँचा विकसित करने पर भी बेहतर ध्यान देंगे। सरकार, पुनर्पूंजीकरण के साथ जोखिम प्रबंधन ढाँचे के विकास को अपने बैंकिंग सुधार पैकेज के हिस्से के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

- नए मानदंड समय पर ऋण शोधन संबधी प्रतिबद्धताओं का पालन करने के लिए कॉरपोरेट क्षेत्र पर कुछ अनुशासन सम्बन्धी प्रभाव डालेंगे। इसके फलस्वरूप कंपनी के ऋणमुक्त (लिक्विडेटेड) होने की अधिक संभावना है। साथ ही यह बेहतर प्रवर्तक व्यवहार को भी प्रोत्साहित करेगा।

हालांकि, इस बात की भी चिंता है कि सख्त समयसीमा का यह अर्थ भी हो सकता है कि बड़ी संख्या में खाते दिवालिया हो जाएँ और हेअरकट (संपत्ति के बाजार मूल्य और बैंक से ऋण ली गयी राशि में अंतर) का भार बैंक को वहन करना पड़े। इसके अतिरिक्त कुछ खातों में लिक्विडेशन की संभावना भी बढ़ सकती है।

3.15. कोर बैंकिंग से SWIFT को जोड़ना

(Linking Swift to Core Banking)

सुर्खियों में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को 30 अप्रैल तक **कोर बैंकिंग सोल्युशन्स** (CBS) से SWIFT को जोड़ने का निर्देश दिया है। ध्यातव्य है कि CBS-SWIFT लिंक की विफलता ने हाल ही में हुई PNB धोखाधड़ी का मार्ग प्रशस्त किया था।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- अन्य भारतीय उधारदाताओं से विदेशी ऋण प्राप्त करने के लिए मुंबई में PNB की शाखा से **लैटर ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग** (LOU) लिए गए थे।
- LOU, किसी बैंक द्वारा आयातक की ओर से दायित्व को पूरा करने के लिए अन्य बैंकों की शाखाओं को जारी किया गया आश्वासन या गारंटी पत्र होता है। इसके आधार पर विदेशी शाखाएं खरीदार को ऋण प्रदान करती हैं।
- विश्व स्तर पर बैंकों द्वारा सीमा-पार वित्तीय लेन-देन से संबंधित संदेश प्रेषित करने के लिए 1973 में प्रवर्तित **SWIFT (सोसायटी फॉर वर्ल्ड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम प्लेटफार्म)** का उपयोग किया जाता है। SWIFT उपयोगकर्ताओं के बीच सुरक्षित, निर्बाध और स्वचालित वित्तीय संचार संभव बनाता है।
- SWIFT के माध्यम से संदेश प्राप्त होने पर, विदेशों में बैंक (अधिकांशतः भारतीय बैंकों की शाखाएं) विशेष रूप से भारतीय फर्मों को धन उपलब्ध कराते हैं।
- आयात दस्तावेजों के आधार पर लिया गया यह ऋण सामान्यतः 90 दिनों के लिए होता है। इस सुविधा का विशेषकर **स्वर्ण, रत्न और आभूषण** के व्यापार में संलग्न कंपनियों द्वारा नियमित रूप से उपयोग किया जाता है।
- कंपनियां वित्तपोषण के इस रूप का सहारा इसलिए लेती है क्योंकि रुपये में वित्तपोषण की तुलना में विदेशों में धन जुटाने की लागत अपेक्षाकृत कम होती है।
- यह अनिवार्य रूप से अल्पावधिक विदेशी मुद्रा ऋण है। इस पर बैंक LIBOR के मुकाबले 60 से 90 आधार अंक अधिक प्रभारित करते हैं।

LIBOR (लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट)

- यह इंटरबैंक बाजार में असुरक्षित अल्पावधिक उधारी के लिए वैश्विक संदर्भ दर है।
- यह अल्पावधिक ब्याज दर के लिए मानदण्ड के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग ब्याज दर विनिमय, मुद्रा दर विनिमय तथा साथ ही बंधकों के मूल्य निर्धारण के लिए किया जाता है।
- यह वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य की सूचक है और केंद्रीय बैंकों की आसन्न नीतिगत दरों की दिशा के बारे में विचार प्रदान करती है।
- इसके भारतीय समकक्ष को **मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट (MIBOR)** के रूप में जाना जाता है।

कोर बैंकिंग सोल्यूशन्स (CBS)

- यह एक बैक-एंड सिस्टम है जो दैनिक बैंकिंग लेनदेन को क्रियान्वित करता है तथा खातों और अन्य वित्तीय रिकॉर्डों के अपडेट्स को प्रस्तुत करता है।
- यह ग्राहकों को अपने खातों को प्रबंधित करने और विश्व के किसी भी हिस्से से विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। सरल शब्दों में, बैंकिंग लेनदेन करने के लिए अपनी शाखा पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- **ई-कुबेर** भारतीय रिज़र्व बैंक का CBS है। यह सुरक्षित ढंग से पोर्टल आधारित सेवाओं का उपयोग करके कहीं से भी-कभी भी खाते तक विकेन्द्रीकृत पहुंच के साथ, देश भर में प्रत्येक बैंक के लिए एकल चालू खाते की व्यवस्था प्रदान करता है।

VISION IAS

3.16. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना

(The Ombudsman Scheme For NBFCs)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में RBI द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के लिए लोकपाल योजना (ओम्बड्समैन स्कीम) का शुभारम्भ किया गया।

NBFC क्या है?

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी(NBFC) उस कंपनी को कहते हैं जो

i) कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हो,

ii) इसका मुख्य व्यवसाय उधार देना, विभिन्न प्रकार के शेयरों/स्टॉक/ बांड्स/ डिबेंचर/प्रतिभूतियों, पट्टा कारोबार, किराया-खरीद (हायर-पर्चेज), बीमा व्यवसाय, चिट संबंधी कारोबार में निवेश करना हो; तथा

iii) इसका मुख्य व्यवसाय किसी योजना अथवा व्यवस्था के अंतर्गत एकमुश्त रूप से अथवा किस्तों में जमाराशियां प्राप्त करना है।

किंतु, किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी में ऐसी कोई संस्था शामिल नहीं है जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि, औद्योगिक, व्यापार संबंधी गतिविधियां अथवा अचल संपत्ति का विक्रय/क्रय/निर्माण करना है।

ये कंपनियां RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अंतर्गत RBI के साथ पंजीकृत होती हैं।

बैंकों एवं NBFCs में अंतर

- NBFC मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती हैं;
- NBFC भुगतान एवं निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं हैं एवं स्व-आहरित चेक (cheques drawn on itself) जारी नहीं कर सकती हैं;
- बैंकों में जमा बीमा तथा क्रेडिट गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा उपलब्ध होती है जबकि इसके विपरीत NBFC के जमाकर्ताओं के लिए यह उपलब्ध नहीं है।

NBFCs का महत्वः

- NBFC वित्तीय क्षेत्रक में विविधता एवं दक्षता लाती हैं तथा ग्राहकों की आवश्यकताओं के प्रति इसे अधिक उत्तरदायी बनाती हैं।
- 30 सितंबर, 2017 तक बैंक परिसंपत्तियों का 17% तथा बैंक जमाओं का 0.26% हिस्सा NBFC क्षेत्रक के पास था। NBFC अपनी बैलेंस बैलेंस शीट के वित्तपोषण के लिए काफी हद तक सार्वजनिक निधियों पर निर्भर होती हैं।

आवश्यकता क्यों?

- NBFCs द्वारा अग्रिमों में वृद्धि तथा उनके विरुद्ध, सेवाओं में कमी को लेकर बढ़ती शिकायतें।
- वर्तमान में NBFCs, बैंकिंग लोकपाल के अधीन नहीं है।
- वित्तीय आसूचना इकाई (FIU) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्डरिंग एक्ट) का अनुपालन न करने के कारण 9,491 NBFCs को उच्च जोखिम वाले वर्ग के अंतर्गत रखा है।

योजना का विवरण

- यह इस योजना के अधीन आने वाली NBFC के विरुद्ध सेवाओं में कमी की शिकायतों के लिए एक **निशुल्क एवं त्वरित शिकायत निवारण तंत्र** प्रदान करेगा।
- आरंभ में, इस योजना के दायरे में **जमा स्वीकार करने वाली सभी NBFC** को लाया जायेगा। इसके उपरांत प्राप्त अनुभव के आधार पर RBI, ग्राहक इंटरफेस के साथ 1 बिलियन रुपये या उससे अधिक की परिसंपत्ति वाली NBFCs को योजना में सम्मिलित करने के लिए इस योजना का विस्तार करेगा।
- **भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक या उससे उपर की रैंक के अधिकारी तीन वर्ष के कार्यकाल** के लिए लोकपाल के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं।
- NBFC लोकपाल के कार्यालय **चार मेट्रो केंद्रों** (चेन्नई, कोलकाता, मुंबई एवं नई दिल्ली) से कार्य करेंगे, ताकि देश भर के मामले इसके अधीन आ सकें।
- यदि NBFC शिकायत अस्वीकार कर देती है या एक महीने के भीतर कार्रवाई नहीं करती है तो **ग्राहक लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज** कर सकता है।
- **शिकायत के आधार-** ब्याज के भुगतान में विलंब या भुगतान न करना, जमा का भुगतान न करना, ऋण समझौते में पारदर्शिता का अभाव, RBI के निर्देशों का पालन न करना, ग्राहकों को पर्याप्त सूचना दिए बिना शुल्क लगाना तथा बकाया चुकाने के बावजूद प्रतिभूतियों के दस्तावेजों को वापस करने में विलंब करना या नहीं वापस करना।

- **इस योजना के तहत लोकपाल को संबंधित NBFC से जानकारी मांगने की एवं 1 लाख रुपये तक का मुआवजा लगाने की शक्ति प्राप्त है।**
- शिकायतकर्ता/NBFC के पास लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष **अपील करने का विकल्प** होता है।
- लोकपाल द्वारा 30 जून को पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कार्यालय की गतिविधियों की सामान्य समीक्षा एवं RBI द्वारा मांगी गई सभी अन्य आवश्यक जानकारियों के साथ RBI गवर्नर को **एक वार्षिक रिपोर्ट** भेजनी आवश्यक होगी।

वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (Financial Intelligence Unit – India) क्या है?

- वित्तीय आसूचना इकाई-भारत की स्थापना, सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (हवाला), आतंकवाद के वित्तपोषण एवं अन्य आर्थिक अपराधों के दुरुपयोग से वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित करने व बेहतर वित्तीय आसूचना प्रदान करने के लिए वर्ष 2004 में की थी।
- यह एक स्वतंत्र संस्था है, जिसकी जवाबदेही सीधे वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक आसूचना परिषद (Economic Intelligence Council -EIC) के प्रति है।
- यह केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क (CBEC), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI), कानूनी मामलों के विभाग व आसूचना एजेंसियों सहित विभिन्न सरकारी विभागों के सदस्यों वाला एक बहु-विषयक (multidesciplinary) निकाय है।

कार्य

- संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित सूचना प्राप्त करना, उसका विश्लेषण करना एवं उसका प्रसार करना।
- मनी लॉन्ड्रिंग एवं संबंधित अपराधों के विरुद्ध वैश्विक प्रयासों को आगे बढ़ाने में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आसूचना, अन्वेषण एवं प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों के साथ समन्वय करना एवं उन्हें दृढ़ता प्रदान करना।

3.17. अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक तथा चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018

(Banning Of Unregulated Deposit Schemes Bill And Chit Funds (Amendment) Bill, 2018)

सुर्खियों में क्यों?

निवेशकों की बचत की सुरक्षा हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में निम्नलिखित दो विधेयक प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है - (a) अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक, 2018 तथा (b) चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018।

3.17.1. अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक, 2018

(The Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2018)

आवश्यकता क्यों?

- हाल के दिनों में, देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध जमा योजनाओं के माध्यम से धोखाधड़ी की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। इन योजनाओं के शिकार सबसे अधिक निर्धन तथा वित्तीय रूप से अशिक्षित लोग हैं, तथा ऐसी योजनाओं का संचालन अनेक राज्यों में किया जा रहा है।
- ऐसी योजनाओं को संचालित करने वाली कंपनियाँ/संस्थाएं निर्धन एवं भोले-भाले लोगों को धोखा देने के लिए मौजूदा विनियामकीय अंतराल तथा सख्त प्रशासनिक उपायों के अभाव का लाभ उठाती हैं।
- 2016-17 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि अवैध जमा योजनाओं के खतरे से निपटने के लिए एक व्यापक केंद्रीय कानून लाया जाएगा।
- **हाल ही में हुए घोटाले:** पश्चिम बंगाल में हुआ शारदा ग्रुप घोटाला (फर्म के अचानक बंद होने के बाद जमाकर्ताओं के कम से कम 20,000 करोड़ रुपये जोखिम में हैं), रोज़ वैली घोटाला आदि।

'पोंजी स्कीम' क्या है

पोंजी स्कीम एक प्रकार की निवेश सम्बन्धी धोखाधड़ी है, जो निवेशकों को थोड़े जोखिम के बदले उच्च दरों पर प्रतिफल का विश्वास दिलाती है। पोंजी स्कीम नए निवेशक बना कर पुराने निवेशकों को रिटर्न(प्रतिफल) देती है। परंतु, अंततः सभी निवेशकों को रिटर्न देने के लिए पर्याप्त धन के अभाव में ऐसी स्कीमें असफल हो जाती हैं।

VISION IAS

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

- इसमें एक **महत्वपूर्ण प्रतिबंधात्मक खंड** शामिल किया गया है जो जमा प्राप्तकर्ता को किसी भी अनियमित जमा योजना को बढ़ावा देने, उसका संचालन करने, उसका विज्ञापन जारी करने या जमा स्वीकार करने से रोकता है।
- यह **तीन विभिन्न प्रकार के अपराधों** की पहचान करता है-अविनियमित जमा योजनाएँ संचालित करना, विनियमित जमा योजनाओं में धोखाधड़ी, एवं अविनियमित जमा योजनाओं के संबंध में गलत प्रलोभन।
- ऐसे अपराधों के निवारण के लिए यह **गंभीर दंड एवं भारी आर्थिक जुर्माने का प्रावधान** करता है।
- ऐसे मामलों में जहाँ ऐसी योजनाएँ गैर-कानूनी रूप से धन इकठ्ठा करने में सफल हो जाती हैं, इस विधेयक में **जमा राशि के पुनर्भुगतान** के लिए पर्याप्त प्रावधान किये गए हैं।
- यह **सक्षम प्राधिकारी** द्वारा **संपत्तियों/परिसंत्तियों को जब्त करने** तथा उसके बाद जमाकर्ताओं को पुनर्भुगतान के लिए उन संपत्तियों की कुर्की का प्रावधान करता है। इसके लिए स्पष्ट समयसीमा तय की गयी है।
- यह देश में जमा प्राप्ति की गतिविधियों की जानकारी एकत्र करने व उसे साझा करने के लिए एक **ऑनलाइन केंद्रीय डेटाबेस** की व्यवस्था करता है।
- यह **"जमा प्राप्तकर्ता"** और **"जमा"** को व्यापक रूप से **परिभाषित** करता है:
- कानून द्वारा स्थापित की गयी विशिष्ट कंपनियों को छोड़कर, जमा प्राप्त करने या उसका आग्रह करने वाली सभी संभव संस्थाएँ (व्यक्तियों सहित) "जमा प्राप्तकर्ता" में सम्मिलित हैं।
- "जमा" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि जमा-प्राप्तकर्ता सार्वजनिक जमाओं को पावती के रूप में नहीं दिखा सकते हैं, परंतु किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान पर व्यापार की सामान्य गतिविधियों के दौरान धन स्वीकार करने पर कोई प्रतिबंध या नियंत्रण नहीं लगाया गया है ।
- यह विधेयक **राज्य के कानूनों से सर्वोत्तम प्रक्रियाओं** को अपनाकर कानून के प्रावधानों को लागू करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों को सौंपता है।
- इसके तहत जमाकर्ताओं के पुनर्भुगतान के मामलों की देखरेख तथा अधिनियम के अंतर्गत आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए न्यायालयों के गठन का भी प्रावधान किया गया है।
- विधेयक में नियमित जमा योजनाओं की सूची भी है। इस सूचे के विस्तार या इसमें छंटनी के लिए केंद्र सरकार को सक्षम बनाने वाला एक खंड भी विशेयक में शामिल किया गया है।

3.17.2. चिट फंड (संशोधन) अधिनियम, 2018

(The Chit Funds (Amendment) Bill, 2018)

यह विधेयक, चिट फंड्स क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास की सुविधा प्रदान करने और चिट फंड उद्योग द्वारा अनुभव की जाने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए चिट फंड्स अधियिनम, 1982 में संशोधन करता है। इस प्रकार यह अन्य वित्तीय उत्पादों तक लोगों की अधिक वित्तीय पहुंच को संभव बनाता है।

चिट फंड

- चिट फंड एक प्रकार की बचत योजना है जिसमें एक निश्चित संख्या में सदस्य निर्धारित अवधि के दौरान किश्तों में भुगतान के माध्यम से अंशदान करते हैं। चिट फंड की प्रकृति के आधार पर प्रत्येक ग्राहक लॉट, नीलामी या निविदा द्वारा निर्धारित पुरस्कार राशि का हकदार होता है।

पुरस्कार की राशि = ग्राहक द्वारा किया गया सम्पूर्ण भुगतान - वह छूट जो ग्राहक को लाभांश के रूप में पुनर्वितरित की जाती है

- **महत्व:** भारत में लगभग 10,000 चिट फण्ड हैं जो प्रति वर्ष 30,000 करोड़ रुपये से भी अधिक का लेन-देन करते हैं। इस क्षेत्र की विशालता के कारण चिट फंड के समर्थक इसे अत्यंत महत्वपूर्ण वित्तीय उपकरण मानते हैं।
- हालांकि, इनके प्रवर्तकों द्वारा इनका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा लोगों द्वारा इस तरह की पोंजी स्कीम चलाने और निवेशकों का धन लेकर भागने के कई उदाहरण मौजूद हैं।
- **विनियमन:** भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का भाग होने के कारण चिट फंड के संबंध में केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है।
- RBI बैंकों और अन्य NBFC का नियामक है, किन्तु यह चिट फंड कारोबार को विनियमित नहीं करता है। हालांकि, RBI राज्य सरकारों को नियम बनाने या कुछ चिट फंडों को छूट देने जैसे विनियामकीय पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।
- SEBI सामूहिक निवेश योजनाओं को विनियमित करता है। हालांकि, SEBI अधिनियम में विशेष रूप से चिट फंड सम्बन्धी प्रावधान शामिल नहीं हैं।

VISION IAS

विधेयक का विवरण

- चिट फंड व्यापार की मूल प्रकृति को इंगित करने के लिए **"फ्रैटर्निटी फण्ड"** शब्द का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही **"प्राइज चिट"** से ऐसे फण्ड की क्रियाविधि को पृथक किया गया है। प्राइज चिट को एक पृथक कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।
- यह एक फ़ोरमैन(प्रमुख) द्वारा विधिवत रिकॉर्ड की गयी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से **दो न्यूनतम आवश्यक अंशदाताओं** (चिट निकासी के लिए) को सम्मिलित करने की अनुमति देता है, क्योंकि चिट के अंतिम चरण में अंशदाताओं की भौतिक रूप से उपस्थिति पूर्णतः सुनिश्चित नहीं की जा सकती। ऐसे में कार्यवाही के बाद दो दिनों की अवधि के भीतर फोरमैन के पास कार्यवाही का विवरण होगा जो ऐसे अंशदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित होगा।
- यह **फोरमैन के कमीशन की अधिकतम सीमा** 5% से बढ़ाकर 7% करता है, क्योंकि पुराने अधिनियम के लागू होने के बाद से दरें स्थिर रही हैं जबकि अतिरिक्त व्यय एवं अन्य लागतें कई गुना बढ़ गई हैं।
- यह **फोरमैन को अंशदाताओं से बकाया राशि के पूर्णतः प्राप्त होने तक उनकी किसी परिसंपत्ति पर स्वामित्व का अधिकार) देता है,** ताकि चिट कंपनी उन अंशदाताओं के लिए *सेट-ऑफ़* (बकाया राशि के लिए ग्राहक द्वारा किये जाने वाले भुगतान की प्रक्रिया) कर सके जो पहले से ही फंड निकाल चुके हैं और ऐसे अंशदाता किसी भी प्रकार का डिफ़ॉल्ट न कर सकें।
- यह 1982 में निर्धारित सौ रुपये की ऊपरी **सीमा को समाप्त करता है,** जिसकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है। साथ ही इस प्रस्तावित विधेयक में राज्य सरकारों को सीमा निर्धारित करने और समय-समय पर उसे बढ़ाने के लिए अधिकृत किया गया है।

3.18. सरकार द्वारा राजस्व घाटा लक्ष्यीकरण का त्याग

(Government Abandons Revenue Deficit Targeting)

सुर्खियों में क्यों?

बजट 2018 में, FRBM अधिनियम में पर्याप्त संशोधन के माध्यम से, अगले वर्ष से राजस्व घाटा कम करने के लिए किये जाने वाले लक्ष्यीकरण (टार्गेटिंग) को त्यागने का प्रस्ताव किया गया है।

इस निर्णय के पीछे तर्क

- भारत जैसे देश में, जहाँ अनेक विकास घाटे (डेवलपमेंट डेफिसिट) विद्यमान हैं, वहाँ राजस्व घाटे पर आवश्यकता से अधिक बल देना समतापूर्ण विकास के लिए हानिकारक हो सकता है।
- मानव पूंजी विकास पहलें, जो राजस्व व्यय की प्रकृति की हैं, उत्पादकता में सुधार के लिए भवनों और सड़कों जितनी ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें विद्यालय, अस्पताल और परिसंपत्तियों का रखरखाव शामिल है।
- इस प्रकार, सरकार के पूंजी और राजस्व व्यय में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है तथा जो अंतर है भी, वो कृत्रिम अधिक है, वास्तविक कम।

- **राजस्व घाटा** राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता या राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त ऋण की सीमा को संदर्भित करता है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि क्या सरकार का दिन प्रति दिन का व्यय सरकार की दिन प्रति दिन आय से पूरा किया जा सकता है? **FRBM अधिनियम 2003** में इस घाटे को **2008-09 तक पूर्णतः शून्य** करने का लक्ष्य रखा गया था।
- **प्रभावी राजस्व घाटा** = राजस्व घाटा - पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए राज्यों को दिए गए अनुदान।
- **राजकोषीय घाटा** कुल व्यय और राजस्व प्राप्तियों एवं गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों के योग के बीच का अंतर है। इसके माध्यम से वह राशि ज्ञात होती है जिसे सरकार को अपना वार्षिक लक्ष्य पूरा करने के लिए ऋण के रूप में लेना होता है।
- **प्राथमिक घाटे** का मापन, राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को घटाकर किया जाता है। इससे पता चलता है कि यदि किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता तो इस विशेष वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा कैसा होता। इसमें पिछले वित्तीय वर्षों में पिछली सरकारों द्वारा लिए गए ऋणों की अवहेलना की जाती है।
- **पूंजीगत व्यय:** वह व्यय जिसके परिणामस्वरुप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण या वित्तीय देनदारियों में कमी होती है।
- **राजस्व व्यय:** केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण से भिन्न प्रयोजनों के लिए किया गया व्यय। यह सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज के लिए किए गए व्ययों से संबंधित होता है।

चिंताएँ

- इस निर्णय से सरकार का व्यय अधिक उत्पादक पूंजीगत व्यय के बजाय अधिक उपभोग व्यय की ओर जा सकता है। भारत में भौतिक अवसंरचना की काफी कमी है, इसलिए राजस्व घाटे में कमी के लक्ष्यीकरण की समाप्ति को प्राथमिकता देने के बजाय संधारणीय अवसंरचना संसाधनों के निर्माण के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित किए जाने चाहिए।

- FRBM अधिनियम का लक्ष्य सरकार को उपभोग से हटाकर पूंजीगत व्यय की ओर जाने के लिए विवश करना था क्योंकि पूंजीगत व्यय का GDP संवृद्धि पर अपेक्षाकृत उच्च गुणक प्रभाव पड़ता है। राजस्व घाटा लक्ष्यीकरण समाप्त करने का न केवल GDP संवृद्धि पर बल्कि सार्वजनिक ऋण लक्ष्य प्राप्त करने पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
- व्यय के लिए ऋण लेना, जिसे वर्ष प्रति वर्ष लेना होगा (जो कि वास्तव में राजस्व घाटा है); न तो वांछनीय है और न ही धारणीय क्योंकि इससे सरकार के लिए ऋण पाश (डेब्ट ट्रैप) उत्पन्न होगा।
- N.K. सिंह समिति ने भी राजस्व घाटा कम करने की अनुशंसा की थी।

N.K. सिंह (FRBM समीक्षा) समिति की अनुशंसाएँ

- GDP और सार्वजनिक ऋण के अनुपात को भारत में राजकोषीय नीति के लिए मध्यम अवधि का एंकर(medium-term anchor) माना जाना चाहिए। साथ ही केंद्र और राज्यों का संयुक्त GDP से ऋण अनुपात 2023 तक कम करके 60% के स्तर पर लाया जाना चाहिए (केंद्र के लिए 40% और राज्यों के लिए 20% सहित) जो वर्तमान में क्रमश: 49.4% और 21% है।
- इसने सार्वजनिक ऋण को कम करने के लिए राजकोषीय घाटे को परिचालन (ऑपरेटिंग) लक्ष्य बनाने का पक्ष लिया। राजकोषीय समेकन के लिए, केंद्र को अपना राजकोषीय घाटा वर्तमान 3.5% (2017) से कम करके 2023 तक 2.5% करना चाहिए। समिति ने चक्रीय उतार-चढ़ाव के साथ समायोजन करने के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य के लिए 0.5% **एस्केप क्लॉज़** (इसके अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा या आपदा जैसी कुछ निश्चित परिस्थितियों में राजकोषीय लक्ष्य में रियायत दी जा सकती है) निर्धारित किया है।
- केंद्र सरकार को, 2017 में 2.3% के अनुमानित मूल्य से 2023 तक 0.8% तक पहुंचने के लिए हर वर्ष स्थिर रूप से अपने राजस्व घाटे में 0.25 प्रतिशत (GDP का) तक की कमी लानी चाहिए।
- इसने एक 'राजकोषीय परिषद' की स्थापना का सुझाव दिया, जो स्वतंत्र निकाय होगा। इसे किसी भी दिए गए वर्ष के लिए सरकार की राजकोषीय घोषणाओं की निगरानी करने का काम सौंपा जाएगा। यह इसके लिए अपना स्वयं का पूर्वानुमान और विश्लेषण प्रदान करेगी और साथ ही वित्त मंत्रालय को एस्केप क्लॉज़ के प्रयोग के सम्बन्ध में सलाह देगी।

आगे की राह

- कर-GDP अनुपात में वृद्धि के माध्यम से स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सामाजिक अवसंरचना का वित्तपोषण किया जाना चाहिए, जबकि राजस्व घाटा संतुलित रखते हुए राजकोषीय घाटे का भौतिक पूंजी निर्माण के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- हालांकि, सरकार ने वित्तीय अनुशासन पर N.K. सिंह समिति की प्रमुख अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है। इसका उद्देश्य 2024-25 तक GDP से ऋण अनुपात 40% तक लाना और प्रमुख परिचालन संबंधी मापदंड के रूप में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का उपयोग करना है।

3.19. सेंट्रलाइज्ड कम्यूनिकेशन स्कीम 2018

(Centralized Communication Scheme 2018)

सुर्खियों में क्यों?

आयकर विभाग ने सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन स्कीम 2018 को अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य करदाताओं और विभाग के बीच फिजिकल इंटरफ़ेस को समाप्त करना है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- आयकर विभाग धारा 133C के अंतर्गत केवल सूचना प्राप्त करने के लिए लोगों को नोटिस जारी करता है। हालांकि नोटिस का पालन करने के लिए कर कार्यालय जाना, इस प्रकार की नोटिस प्राप्त करने वालों के लिए अत्यधिक तनाव और चिंता का कारण बन जाता है।
- इस योजना के तहत करदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक नोटिस प्राप्त करने की सुविधा होगी। इसके द्वारा करदाता निर्धारित प्रारूप में सत्यापन के उद्देश्य से जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे।
- किसी भी कार्यवाही के संबंध में किसी भी व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।
- यह करदाताओं के प्रश्नों के समाधान के लिए कॉल सेंटर और शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करेगा।

3.20. न्यूनतम वैकल्पिक कर

(Minimum Alternate Tax)

सुर्खियों में क्यों?

सरकार ने विदेशी कंपनियों की कुछ श्रेणियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) समाप्त करने की योजना का निर्माण किया है। यह संशोधन निर्धारण वर्ष 2001-02 के साथ-साथ उत्तरवर्ती कर निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

3.21. शहरी अवसंरचना वित्तीयन

(Urban Inf Rastructure Finance)

शहरी अवसंरचना क्यों महत्वपूर्ण है?

- कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता से लेकर संकुलन जैसे विविध कारकों के कारण शहरों को आर्थिक प्रगति का इंजन माना जाता हैं। आने वाले समय में भारत में होने वाली वृद्धि के इसके शहरों के माध्यम से संपन्न होने की सम्भावना व्यक्त की गयी है।
- भारत की वर्तमान जनसंख्या का लगभग 31% भाग शहरी क्षेत्रों में निवास करता है, तथा सकल घरेलू उत्पाद में उसकी भागीदारी **63% (2011 की जनगणना के अनुसार) तक है। बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण 2030 तक शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का 40% भाग** निवास कर रहा होगा। सकल घरेलू उत्पाद में जनसंख्या के इस हिस्से की भागीदारी **75% तक होने की संभावना है।**

सुर्ख़ियों में क्यों?

लोकसभा में प्रस्तुत एक लिखित उत्तर में आवासन और शहरी कार्य मंत्री ने कहा कि **उच्च-क्षमता युक्त विशेषज्ञ** समिति द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार, 2012-13 से लेकर 2031-32 के मध्य 20 वर्षों की अवधि में शहरी क्षेत्रों के लिए आवश्यक निवेश के 39 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

शहरी अवसंरचना पर होने वाले व्यय की स्थिति

- शहरों पर भारत में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति होने वाला व्यय 50 डॉलर है जो चीन (362 डॉलर), दक्षिण अफ्रीका (508 डॉलर) तथा यूनाइटेड किंगडम (1772 डॉलर) की तुलना में बहुत कम है।
- यदि संचालन तथा रख-रखाव संबंधी व्यय को जोड़ दिया जाए तो 39 लाख करोड़ की प्रस्तावित राशि 59 लाख करोड़ तक चली जाती है।
- स्मार्ट सिटी मिशन तथा AMRUT का संयुक्त परिव्यय केवल 1 लाख करोड़ या 2031 तक इस क्षेत्र में आवश्यक निधि का 2% है।

शहरी अवसंरचना वित्तीयन से संबंधित मुद्दे

- **निधि हेतु केंद्र तथा राज्यों पर निर्भरता:** विशेष रूप से राज्यों की ओर से निधि का अंतरण निश्चित तथा समयबद्ध नहीं होता। इसके अतिरिक्त, यह अंतरित निधि किसी न किसी विशिष्ट मद (किसी विशिष्ट क्षेत्रक या योजना से) से जुड़ी होती है। इसके फलस्वरूप स्थानीय प्रबन्धन की, अपनी स्वयं की प्राथमिकताओं के अनुसार, स्थानीय सार्वजनिक मुद्दों पर व्यय करने की क्षमता बाधित होती है।
- **अपर्याप्त राजस्व उत्पादन:** वे अपनी क्षमता से कम राजस्व उत्पन्न कर पाते हैं तथा सेवाओं और अवसंरचना पर उनका व्यय और भी कम होता है। भारतीय शहरों का राजस्व सकल घरेलू उत्पाद के 1% से भी कम होता है।
- भूमि के अल्प मूल्यांकन, सीमित करारोपण शक्ति (व्यावसायिक कर) आदि कारकों के चलते किसी क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकायों (ULB) की राजस्व हिस्सेदारी प्रायः आर्थिक विकास के साथ सुसंगत रूप से नहीं बढ़ती है।
- कुप्रबन्धित तथा अप्रचलित लेखा प्रणाली के कारण **ऋण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त विश्वसनीयता के अभाव तथा आवश्यकता से कम विकसित 'म्यूनिसिपल बॉण्ड मार्केट' के चलते,** निजी निवेशक इस क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, जिन 94 शहरों का सर्वेक्षण किया गया, उनमें से 39 शहरों को इन्वेस्टमेंट ग्रेड से कम क्रेडिट रेटिंग(BBB-) मिली।
- **वित्तीय निवेश का अभाव:** विशेषज्ञता तथा संसाधनों के अभाव में योजनाएँ पूर्ण नहीं हो पाती।
- **हितधारकों से परामर्श का अभाव:** परियोजनाओं के प्रतिपादन तथा कार्यान्वयन में हितधारकों से परामर्श के अभाव के कारण ULBs तथा नागरिकों के बीच कोई सामंजस्य या जुड़ाव नहीं रहता।
- काफी मात्रा में परिसंपत्तियों के स्वामित्व धारण करने के बाद भी **परिसंपत्तियों के कमज़ोर प्रबंधन** के कारण ULBs को राजस्व की हानि उठानी पड़ती है।
- **आंकड़ों की उपलब्धता तथा प्रतिचित्रण (mapping)** के अभाव में क़ानूनी झगड़े तथा अकुशल नीति निर्धारण व कार्यान्वयन जैसे मुद्दे सामने आते हैं।

आगे की राह

- सार्वजनिक सड़कों के साथ-साथ जल तथा सीवर लाइनें प्रदान करने पर आने वाली लागत डेवलपर्स से भूमि कर, विकास शुल्क तथा उन्नयन शुल्क(बेटरमेंट फी) के रूप में ली जानी चाहिए।
- समृद्ध व्यक्तियों को सब्सिडी प्राप्त न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए जलापूर्ति जैसी सार्वजनिक सेवाओं के अबाध वितरण हेतु निर्धनों के लिए उचित दर पर मासिक लाइफलाइन चार्ज (जीवन रेखा शुल्क) तथा समृद्ध व्यक्तियों के लिए उचित रूप से दर में क्रमिक वृद्धि (उपयोग पर आधारित) वाला प्रयोक्ता शुल्क आरोपित किया जाना चाहिए।
- किसी विशेष गलियारे या भौगोलिक क्षेत्र से संलग्न विकास कार्यों हेतु धन उगाहने के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड जैसे वित्तीय साधनों के उपयोग की आवश्यकता है। इससे नगर प्रबंधन डेवलपर्स पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं वृद्धि को नियंत्रित कर सकेगा।
- शहरों की भावी वृद्धि के संबंध में,उपयुक्त कदमों को क्रियान्वित करने के एक उपकरण के रूप में, भारत को सभी हितधारकों की साझेदारी में स्वयं की **राष्ट्रीय शहरी नीति (NUP)** विकसित करनी चाहिए। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो सम्पूर्ण विश्व के लगभग एक तिहाई देशों में NUP मौजूद है।

शहरी अवसंरचना में निवेश में वृद्धि हेतु सरकारी पहल

- प्रधान मंत्री आवास योजना – हाउसिंग फॉर आल (URBAN) के अंतर्गत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी।
- सस्ते आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए चार मेट्रो शहरों में 30 वर्ग मीटर तथा अन्य शहरों में 60 वर्ग मीटर तक के आवासों (फ्लैट्स) हेतु बनी आवासीय परियोजनाओं में संलग्न उपक्रम के लाभों में 100% कटौती।
- अवरुद्ध परियोजनाओं समेत ग्रीनफील्ड तथा ब्राउनफील्ड दोनों ही प्रकार की व्यावसायिक रूप से साध्य परियोजनाओं में अवसंरचनात्मक विकास के लिए **राष्ट्रीय निवेश तथा अवसंरचना निधि (NIIF) की स्थापना।**
- प्रासंगिक नियमों तथा प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए शहरी आवागमन तथा परिवहन, जलापूर्ति, नालियों तथा मलजल उपचार जैसी शहरी अवसंरचनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत **100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** की अनुमति दी गयी है।
- **शहरों तथा कस्बों के लिए क्रेडिट रेटिंग:** स्मार्ट सिटी मिशन तथा AMRUT में सम्मिलित 500 शहरों में से 94 शहरों को ऐसी रेटिंग प्राप्त हो चुकी है। यह रेटिंग संसाधन जुटाने के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड निर्गत करने के लिए आवश्यक है।
- **वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग (VCF):** VCF नीति संबंधी फ्रेमवर्क को फरवरी 2017 में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा ज़ारी किया गया।

VISION IAS

VCF एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अनुसार, अवसंरचना में किए जाने वाले निवेश से लाभ उठा रहे लोगों को इसके शुल्क का भुगतान करना चाहिए।

- **स्वच्छ भारत मिशन-शहरी:** इससे आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी, जिससे और अधिक निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। भारत में अपर्याप्त सफ़ाई व्यवस्था के कारण होने वाले आर्थिक प्रभाव संबंधी एक विश्व बैंक सर्वेक्षण के अनुसार, अपर्याप्त सफ़ाई व्यवस्था के कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद के 6.4% के समतुल्य हानि हुई।

3.22. राष्ट्रीय शहरी आवास कोष

(National Urban Housing Fund: NUHF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अपने एक प्रमुख कार्यक्रम **प्रधानमंत्री आवास योजना** –हाउसिंग फॉर आल बाय 2022 **(शहरी)**, के वित्तपोषण हेतु 60,000 करोड़ रुपयों के राष्ट्रीय शहरी आवास कोष (NUHF) के गठन को मंजूरी प्रदान की है।

विवरण

- इस कोष को **भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद** (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाईटी) के अधीन रखा जाएगा।
- NUHF **गैर-बजटीय स्रोतों** के माध्यम से अगले चार वर्षों के दौरान धन जुटाने में सहायता करेगा।
- इस वर्ष के बजट में कहा गया है कि **2018-19** में शहरी क्षेत्रों में **3.7 मिलियन घरों** का निर्माण किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के सम्बन्ध में:

- **जून 2015** में प्रारम्भ हुई इस योजना के तहत 2022 तक 1.2 करोड़ घर बनाए जाने हैं।
- इसका उद्देश्य **पेयजल सुविधा, स्वच्छता और 24 घंटे विद्युत आपूर्ति** के साथ वहनीय पक्का घर उपलब्ध कराना है।
- यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS-वार्षिक आय < 3 लाख), निम्न-आय वर्ग (LIG-वार्षिक आय < 6 लाख) और मध्यम-आय वर्ग (MIG) को कवर करती है।
- विभिन्न कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता:
    - **स्व-स्थाने स्लम पुनर्वास (In-Situ Slum Redevelopment: ISSR)** – निजी डेवेलपर्स, घरों के निर्माण द्वारा मलिन बस्तियों के क्षेत्रों का कायापलट करने में सहयोग करेंगे (EWS को 1 लाख रुपयों की सहायता)।
    - **ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना (Credit Linked Subsidy Scheme: CLSS)**– नए निर्माण/विस्तार के लिए 3% (12 लाख रुपयों तक के ऋण के लिए) से 6.5% (EWS और LIG के लिए 6 लाख रुपयों तक के ऋण के लिए) की ब्याज सब्सिडी।
    - **भागीदारी में किफायती आवास (Affordable Housing in Partnership: AHP)**- EWS के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ (1.5 लाख रुपयों की सहायता)।
    - **लाभार्थी आधारित निर्माण (Beneficiary Linked Construction: BLC)**– व्यक्तिगत आवास निर्माण/विस्तार के लिए EWS को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता।
- CLSS एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना है, जबकि अन्य **तीन केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (CSS) हैं।**
- घरों का आवंटन परिवार की महिला मुखिया के नाम से या पुरुषों के साथ संयुक्त नाम से किया जाता है।

योजना के पीछे का तर्क: भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के निर्धनों के लिए 5–15 लाख की कीमत के आधार पर लगभग 2 करोड़ आवासीय इकाइयों की कमी है।

इससे कैसे सहायता होगी?

यह शहरी निर्धन लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध कराएगी, कम हुई ब्याज दर से बैंकों और आवासीय वित्त कम्पनियों की ऋण वृद्धि में सुधार होगा तथा रियल एस्टेट क्षेत्र के साथ-साथ सीमेंट, स्टील जैसे सम्बद्ध क्षेत्रों के व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलेगा।

VISION IAS

3.23. सेवा क्षेत्र में चैम्पियन क्षेत्रक

(Champion Sectors in Services)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा विशेष ध्यान देने के लिए चिह्नित 12 चैम्पियन सेवा क्षेत्रकों(champion services sector) के लिए एक कार्य योजना को मंजूरी दी है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- प्रधानमंत्री को दी गयी अपनी अनुशंसाओं में सचिवों के समूह ने दस चैम्पियन क्षेत्रकों को चिह्नित किया है। इनमें से सात विनिर्माण क्षेत्र से और तीन सेवा क्षेत्र से सम्बंधित हैं। इन क्षेत्रकों के विकास तथा इनकी क्षमताओं की प्राप्ति हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।
- बाद में यह निर्णय लिया गया कि **औद्योगिक नीति और प्रोत्साहन विभाग** (DIPP) विनिर्माण के चैम्पियन क्षेत्रकों की पहल का नेतृत्व करेगा और **वाणिज्य विभाग** सेवा क्षेत्र के चैम्पियन क्षेत्रकों की प्रस्तावित पहल का समन्वय करेगा। DIPP 'मेक-इन-इंडिया' के लिए नोडल विभाग है।
- तदनुसार, वाणिज्य विभाग ने विस्तृत हितधारकों के परामर्श से कई सेवा क्षेत्रकों के लिए प्रारम्भिक क्षेत्रीय सुधार योजनाओं का प्रारूप और तत्पश्चात् कार्ययोजना के निर्माण का समन्वय किया।
- **कैबिनेट सचिव के अधीन सचिवों की समिति (COS)** के समग्र मार्गदर्शन में कार्यान्वियन पर निगरानी रखने के साथ-साथ सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग, कार्य योजनाओं और समय-सीमाओं को अंतिम रूप भी देंगे।
- चैम्पियन क्षेत्रकों की क्षेत्रीय कार्य योजना की पहल को सहायता देने के लिए **5000 करोड़ रुपयों की एक समर्पित निधि** की स्थापना का प्रस्ताव भी किया गया है।

महत्व

- यह केन्द्रित और पर्यवेक्षित कार्य योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत के सेवा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करेगा, जिससे GDP की वृद्धि, अधिक नौकरियों का सृजन और वैश्विक बाजारों में निर्यात को प्रोत्साहन प्राप्त होगा।
    - वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की भागीदारी 2014 के 3.1% की तुलना में 2015 में 3.3% थी। इस पहल के आधार पर 2022 के लिए 4.2% का लक्ष्य रखा गया है।
    - वर्ष 2022 तक GVA में सेवाओं का हिस्सा 60% (निर्माण सेवाओं सहित 67%) प्राप्त करने के लक्ष्य की परिकल्पना की गयी है, जो वर्तमान में 52% है।

3.24. बेटर रेगुलेटरी एडवाइजरी ग्रुप

(Better Regulatory Advisory Group)

- **बेटर रेगुलेटरी एडवाइजरी ग्रुप** का गठन **औद्योगिक नीति और प्रोत्साहन विभाग** के अंतर्गत किया गया है। इसका उद्देश्य घरेलू और विदेशी दोनों ही प्रकार की कम्पनियों से निवेश की प्रक्रिया को त्वरित बनाने हेतु, इनसे सम्बंधित नियामकीय प्रक्रियाओं के मुद्दों पर ध्यान देना है।
- इसके साथ ही नियामकीय बाधाओं की पहचान और विश्व भर में सर्वोत्तम प्रथाओं का सुझाव देने के लिए छह उप-समूहों का गठन किया गया है।
- ये उप-समूह **आयकर, वस्तु और सेवा कर, कॉर्पोरेट कानून, वित्तीय प्रतिभूति कानून, विनियामकीय प्रभाव आकलन और MSMEs** क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे।
- यह देश में व्यवसाय करने को सुगम बनाने में सहायता करेगा।

3.25. कुसुम

(KUSUM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (KUSUM) योजना की घोषणा 2018-19 के बजट में की गयी थी।

KUSUM के सम्बन्ध में

- इसका उद्देश्य किसानों को अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए खेतों में सौर जल पम्प चलाने एवं बंजर भूमि का उपयोग सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए करने हेतु प्रोत्साहित करना है।
- इस योजना के अंतर्गत कुल क्षमता लागत 1.4 लाख करोड़ रूपये की होगी, जिसमें से केंद्र 48,000 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

KUSUM के घटक

- किसानों द्वारा **10,000 MW** सौर ऊर्जा का उत्पादन करने और इसे ग्रिड को बेचने के लिए **बंजर भूमि का उपयोग किया जाना है।** इसके लिए, विद्युत् वितरण कंपनियों (Discoms) को किसानों से पांच वर्षों तक बिजली खरीदने के लिए 50 पैसे प्रति इकाई की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- सरकार किसानों को **खेतों के लिए 17.5 लाख ऑफ-ग्रिड (ग्रिड रहित) सौर पम्प खरीदने** के लिए **सब्सिडी** प्रदान करेगी। केंद्र और राज्य प्रत्येक सौर पम्प पर 30% सब्सिडी प्रदान करेंगे। अन्य 30% ऋण के माध्यम से प्राप्त होगा, जबकि 10% लागत किसान द्वारा वहन की जाएगी।
- 7,250 MW क्षमता के **ग्रिड से सम्बद्ध(ग्रिड-कनेक्टेड) खेतों के पम्पों का सौरकरण (Solarisation) किया जाएगा।**
- **सरकारी विभागों के ग्रिड से सम्बद्ध जल पम्पों का सौरकरण किया जाएगा।**

अपेक्षित लाभ

- यह **कृषि क्षेत्र को डीजल-रहित** बनाने में सहायता करेगा। यह क्षेत्रक लगभग 10 लाख डीजल चालित पम्पों का उपयोग करता है।
- यह कृषि क्षेत्र में **सब्सिडी का बोझ कम कर डिस्काम्स की वित्तीय स्थिति** में सुधार करने में सहायता करेगी।
- **विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन** को प्रोत्साहन।
- ऑफ-ग्रिड और ग्रिड कनेक्टेड, दोनों प्रकार के सौर जल पम्पों द्वारा सुनिश्चित जल स्रोतों के प्रावधान के माध्यम से किसानों को जल-सुरक्षा।
- नवीकरणीय खरीद दायित्व के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्यों का समर्थन करना।
- छतों के ऊपर और बड़े पार्कों के बीच इंटरमीडिएट रेंज में सौर ऊर्जा उत्पादन की रिक्तियों को भरना।
- ऑफ़-ग्रिड व्यवस्था के माध्यम से पारेषण क्षति को कम करना।

3.26. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

(Prime Minister's Employment Generation Programme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में) ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) को 12वीं योजना से आगे तीन वर्षों – 2017-18 से 2019-20 तक जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी है।

PMEGP के सम्बन्ध में

यह एक प्रमुख **क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम** है जिसे MSME मंत्रालय द्वारा 2008-09 से दो योजनाओं; प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का विलय कर कार्यान्वित किया गया था।

इसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्रों में सूक्ष्म-उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पारम्परिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए स्व-रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है।

VISION IAS

विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन: खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) राष्ट्रीय स्तर पर PMEGP की नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है। राज्य/जिला स्तर पर KVIC के राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIBs) और जिला उद्योग केंद्र (DIC) इसकी कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।
योजना के लक्ष्यों को राज्य के पिछड़ेपन की सीमा; बेरोजगारी की सीमा, पिछले वर्ष के लक्ष्यों की पूर्ति की सीमा, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या और पारम्परिक कौशल तथा कच्चे मालों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है।
सब्सिडी की उच्चतर दर (25%-35%) महिलाओं, SC/ST, OBC, शारीरिक रूप से अक्षम एवं ग्रामीण क्षेत्रों के NER आवेदकों के लिए लागू होगी।

योजना में किए गए परिवर्तन

- बेहतर प्रदर्शन करने वाली मौजूदा PMEGP इकाइयों को 15% की सब्सिडी के साथ अपग्रेडेशन के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि का दूसरा ऋण।
- PMEGP में कॉयर उद्यमी योजना का विलय। कॉयर उद्यम योजना, कॉयर यूनिट्स स्थापित करने के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है।
- **समवर्ती निगरानी** और मूल्यांकन की प्रस्तावना।
- **अनिवार्य आधार** व पैन कार्ड तथा इकाइयों की जियो-टैगिंग।
- KVIC/KVIB/DIC के लिए **30:30:40 के अनुपात** में वितरण।
- होटल/ढाबा में मांसाहारी भोजन परोसने/बेचने और गैर-कृषि/कृषि सम्बद्ध गतिविधियों के लिए **नकारात्मक सूची** (जिसमें सूक्ष्म उद्यमों/परियोजनाओं/इकाईयों की स्थापना के लिए PMEGP के अंतर्गत वह सूची सम्मलित है, जिन्हें अनुमति नहीं दी गयी है) में संशोधन किया गया है।
- विनिर्माण इकाइयों के लिए **कार्यशील पूँजी घटक** की सीमा, परियोजना लागत की 40% और सेवा/व्यापार क्षेत्रक के लिए परियोजना लागत की 60% निर्धारित की गयी है।
- समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिए देश के सभी जिलों में 75 परियोजनाएं/जिले का न्यूनतम लक्ष्य दिया गया है।

3.27. गोबर-धन योजना

(Gobar-Dhan Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हरियाणा सरकार द्वारा गोबर-धन योजना का शुभारम्भ किया गया। इसकी घोषणा 2018-19 के बजट में की गयी थी।

गोबर-धन (गैल्वनाइजिंग बायो-एग्रो रिसोर्सेज-धन) योजना के सम्बन्ध में:

- इसका कार्यान्वयन स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अंतर्गत किया जाएगा। इसके दो उद्देश्य हैं; प्रथम, गाँव को स्वच्छ बनाना तथा द्वितीय, मवेशियों के अपशिष्टों व अन्य कचरों से धन एवं ऊर्जा उत्पन्न करना।
- यह मवेशियों के गोबर और ठोस अपशिष्ट को खेतों में कम्पोस्ट खाद, बायोगैस और बायो CNG के रूप में प्रबंधित और परिवर्तित करने पर ध्यान केन्द्रित करेगा।
- किसानों को खरीददारों से जोड़ने के लिए एक ऑनलाइन व्यापार मंच भी बनाया जाएगा ताकि वे गाय के गोबर और कृषि अपशिष्ट के लिए उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
- इस सन्दर्भ में एक प्रमुख चुनौती यह है कि किसानों को यह सोचने के लिए प्रेरित किया जाये कि उनके मवेशियों के अपशिष्ट से आय प्राप्त की जा सकती है और इस प्रक्रिया में वे अपने समुदायों को भी स्वच्छ बना सकते हैं।

VISION IAS

आवश्यकता

- उन्नीसवीं पशुधन गणना (2012) का अनुमान है कि भारत के मवेशियों की जनसंख्या 300 मिलियन (विश्व में सबसे अधिक) है, जिनसे प्रतिदिन 3 मिलियन टन गोबर का उत्पादन होता है।
- 2014 के ILO के एक अध्ययन के अनुसार, गोबर का उत्पादक उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर 1.5 मिलियन नौकरियाँ उपलब्ध करा सकता है। किसान के लिए गोबर बिक्री से अधिक आय की महत्त्वपूर्ण सम्भावना है।
- ILO अध्ययन में यह भी उल्लेख किया गया है कि एक किग्रा गोबर का मूल्य 10 गुना से अधिक बढ़ सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या अंतिम उत्पाद ताजा गोबर है (बिक्री मूल्य 0.13 रूपए) अथवा एक बायोगैस प्लांट के 1 MW के इनपुट के साथ कम्पोस्ट आउटपुट (1.6 रूपए) के रूप में है।

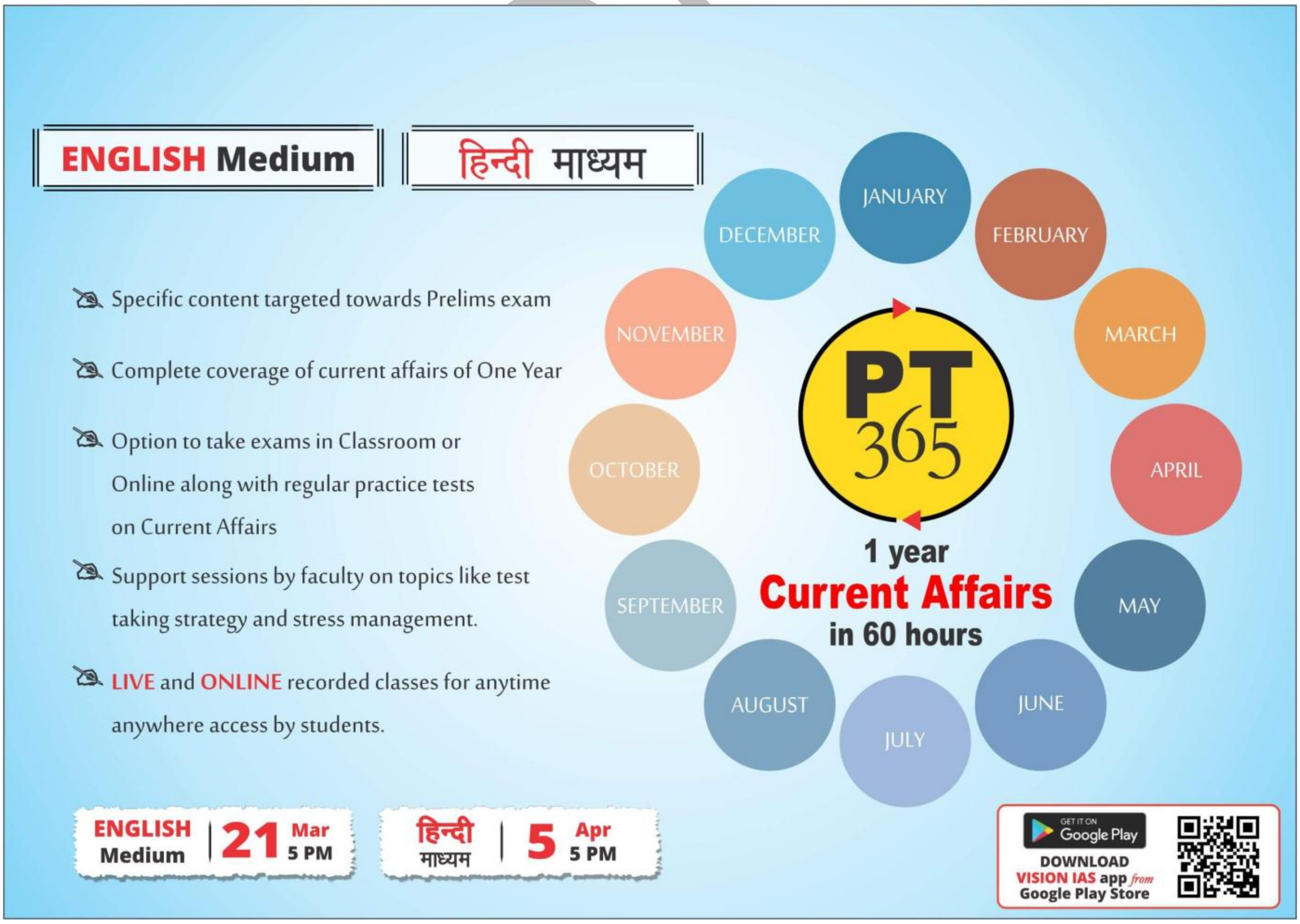

4. सुरक्षा

(SECURITY)

4.1. एंटी-नारकोटिक्स योजना की अवधि में 3 वर्षों का विस्तार

(Anti-Narcotics Scheme Gets A 3 Year Extension)

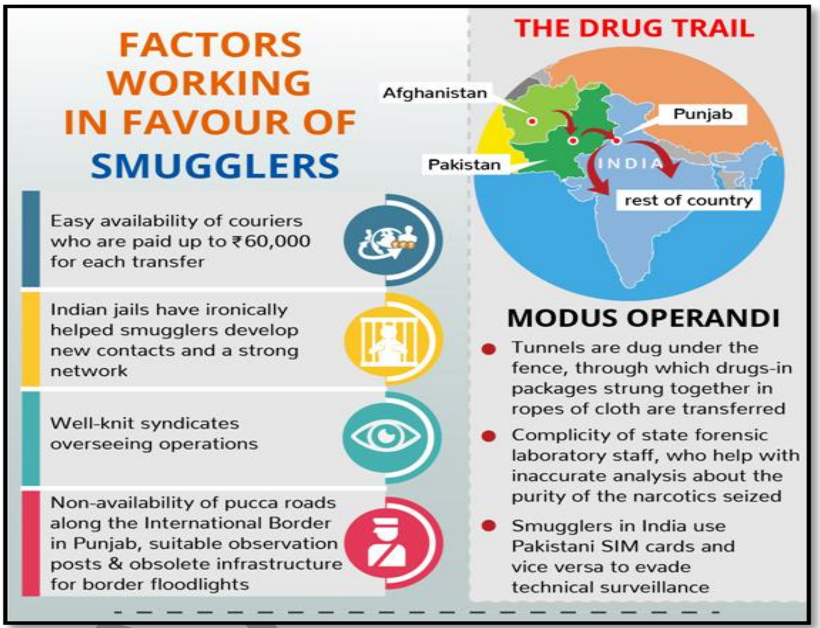

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने मादक एवं मन:प्रभावी पदार्थों (ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेन्स) के अवैध व्यापार की रोकथाम से सम्बंधित योजना का 3 वर्षों (वर्ष 2020 तक) के लिए विस्तार किया है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- *नारकोटिक्स कंट्रोल स्कीम* के अंतर्गत वर्ष 2004 से ही राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को सहायता देना आरम्भ कर दिया गया था। वर्ष 2004 के पश्चात् बाद अब जाकर इस योजना का विस्तार किया गया है।
- इस योजना के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) एक नोडल एजेंसी है।
- इस के अंतर्गत मादक औषधियों एवं मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम एवं उनकी प्रवर्तन क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए सभी एंटी-नारकोटिक्स एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इसकी रणनीतियों में मांग एवं आपूर्ति, दोनों में कमी लाना शामिल होगा। आपूर्ति में कमी के लिए इसमें प्रवर्तन गतिविधियाँ शामिल होंगी जबकि मांग में कमी के लिए पुनर्वास व नशा मुक्ति (डीएडिक्शन) के उपाय सम्मलित होंगे।

भारत में मादक पदार्थों के दुरूपयोग एवं तस्करी की स्थिति

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 40 लाख लोग नशे के आदी हैं। नशे के लिए सामान्यतः 'गांजा', 'चरस', 'अफीम' एवं 'हेरोइन' जैसे मादक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं:

- इस क्षेत्र में गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल की उपस्थिति के कारण भारत, नारकोटिक्स के अवैध व्यापार एवं इसके दुरूपयोग के प्रति अधिक सुभेद्य हो गया है।
- राज्यों द्वारा नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेन्स एक्ट,1985 जैसे कानूनों का क्रियान्वयन मंद एवं अप्रभावी रहा है।
- इसके अतिरिक्त बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसियों (आभासी मुद्राओं) में वृद्धि ने तस्करों के लिए वित्तीयन के नए स्रोत खोल दिए हैं।
- 'ब्यूप्रेनॉर्फिन', कोडीन आधारित कफ़ सिरप व प्रॉक्सीवॉन जैसे दर्द निवारकों का देश में होने वाला दुरुपयोग।
- **अन्य कारक:** विभिन्न एजेंसियों के मध्य क्षेत्र सम्बन्धी विवाद, भ्रष्टाचार, खुफिया तंत्र की विफलता, मानवबल और अवसंरचनात्मक कमी, ड्रग्स के अन्वेषण (डिटेक्शन) के क्षेत्र में अकुशल प्रशिक्षण, प्रक्रियात्मक विलंब जैसे अनेक कारक हैं जो देश में मादक पदार्थों की रोकथाम के प्रयासों को प्रभावी होने से रोकते हैं।

प्रभाव

- **सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव:** मादक पदार्थों की तस्करी, सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता के साथ ही धारणीय विकास को भी कमज़ोर करती है।
- **मानव जीवन की क्षति:** नशीले पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग के कारण सम्पूर्ण विश्व में सतत मूल्यवान मानवीय जीवन एवं साथ ही अनेक व्यक्तियों के जीवन के उत्पादक वर्षों की हानि हुई है।
- UNDOC ने पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के मध्य HIV/AIDS के **निरंतर बढ़ते मामलों** को भी इसके प्रमुख प्रभाव के रूप में प्रदर्शित किया है।
- **संगठित अपराधों के साथ जुड़ाव :** इसे छोटे अपराधों के साथ-साथ जघन्य अपराधों जैसे हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी एवं मनी लॉन्ड्रिंग का भी जनक माना जाता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** नशीली दवाओं की तस्करी में विभिन्न आतंकवादी समूहों की संलिप्तता, नार्को - टेररिज्म के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्यों की संप्रभुता के लिए खतरा उत्पन्न करती है।

VISION

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **वैधानिक उपाय:** भारत सरकार स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act) और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ का अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 के क्रियान्वयन के माध्यम से देश में मादक पदार्थों की समस्या के विभिन्न पहलुओं को सम्बोधित कर रही है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन:** भारत ने तीनों संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनके नाम हैं-
    1. सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, 1962
    2. UN कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, 1971
    3. UN कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफ़िकिंग ऑफ़ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस,1988

इसके साथ ही भारत ने UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC) के नेतृत्व में मादक पदार्थों की बढ़ती समस्या का नियंत्रण करने के प्रयासों का भी समर्थन किया है।

- **अंतर-सरकारी पहलें:** भारत ने नेपाल, थाईलैंड और म्यांमार के साथ विभिन्न समझौता ज्ञापनों, द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए तथा इसके साथ ही इस क्षेत्र में विभिन्न देशों के साथ आतंकवाद-रोधी और न्यायिक सहयोग पर संयुक्त कार्यदल जैसी विभिन्न व्यवस्थाएँ भी की हैं।
- भारत ने **नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस पर राष्ट्रीय नीति** का निर्माण किया है, जो आपूर्ति तथा मांग में कमी करने पर समान बल देती है।
- हाल ही में, नारकोटिक ड्रग्स की जब्ती से सम्बंधित मामलों में अधिकारियों, सूचना प्रदाताओं और अन्य व्यक्तियों को **पुरस्कार देने के सम्बन्ध में नए दिशा-निर्देश** जारी किए गए।
- **गश्त और निगरानी को सुदृढ़** करके सीमाओं और तटों की भौतिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
- नारकोटिक तथा सिंथेटिक ड्रग्स के दुरुपयोग को रोकने के प्रयास में **स्वैच्छिक संगठनों के साथ सहयोग करना।**
- **अन्य पहलें:** ड्रग्स के दुरुपयोग की रोकथाम के क्षेत्र में कार्य करने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करना तथा नेशनल ड्रग एब्यूज हेल्पलाइन सेवा को आरम्भ करना जिससे मादक पदार्थों के दुरुपयोग से पीड़ित लोगों और उनके परिवारों को परामर्श एवं अन्य सम्बंधित सहायता प्रदान की जा सके।

आगे की राह

- ड्रग्स की तस्करी तथा अपराधियों के सीमापार आवागमन की रोकथाम हेतु पड़ोसी देशों के **घरेलू कानूनों के मध्य समन्वय और सुसंगतता स्थापित करना।**
- समुद्री मार्गों से मादक पदार्थों की तस्करी के उभरते खतरे से निपटने के लिए **साझी रणनीतियों का विकास करना।**
- **खुफिया तंत्र** को मजबूत व अद्यतन बनाया जाना चाहिए। **निगरानी उपकरणों** को अद्यतन किया जाना चाहिए और भावी आवश्यकताओं (जैसे प्रशिक्षण अकादमी व ड्रग प्रयोगशालाओं की स्थापना) के अनुरूप उचित कदम उठाये जाने चाहिए।

गोल्डन ट्रायंगल:

यह म्यांमार, लाओस और थाईलैंड की सीमाओं के मध्य का क्षेत्र है। यह क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।

गोल्डन क्रिसेंट:

यह एशिया में अवैध अफीम उत्पादन का दूसरा प्रमुख क्षेत्र है; जो तीन देशों अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान तक विस्तृत है।

यह मध्य, दक्षिण तथा पश्चिमी एशिया के संधिस्थल पर स्थित है।

स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act), 2014 पर राष्ट्रीय नीति

- भारत में CPS (कंसन्ट्रेट ऑफ़ पॉपी स्ट्रॉ अर्थात् अफीम की भूंसी) का उत्पादन किसी कंपनी अथवा निगम द्वारा किया जाए ताकि भारत ORM (ओपिएट रॉ मैटेरियल) के परंपरागत आपूर्तिकर्ता का दर्जा बनाए रख सके।
- नशे के आदी लोगों में पॉपी स्ट्रॉ के उपभोग में धीरे-धीरे कमी लाना।
- सैटेलाइट चित्रों के माध्यम से अफ़ीम और कैनबिस की अवैध फसलों का पता लगाना तत्पश्चात इसका उन्मूलन करना एवं जोतदार की आजीविका हेतु वैकल्पिक साधनों का विकास करना।
- निजी क्षेत्रों को अफीम से एल्केलॉयड के उत्पादन की अनुमति देना, जिसे वर्तमान में गवर्नमेंट ओपियम एंड एल्केलॉयड फैक्टरी (GOAFs) द्वारा ही तैयार किया जाता है।
- पैलिएटिव केयर (Palliative care) लिए आवश्यक मॉर्फिन और अन्य ओपिऑइड तक पर्याप्त पहुँच।
- इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार **योजनाओं की समयबद्ध कार्रवाई।**

VISION IAS

4.2. मिसाइल परीक्षण

(Missile Tests)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विभिन्न स्थानों से कई मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। जैसे-

- ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि II मिसाइल का परीक्षण।
- ओडिशा तट के नौसैनिक जहाज से धनुष नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण।
- चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पृथ्वी-II मिसाइल का परीक्षण।
- मरुस्थलीय परिस्थितियों में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM) नाग का परीक्षण।

अग्नि II

- यह स्वदेशी रूप से निर्मित, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसे एडवांस्ड सिस्टम्स लेबॉरेट्री द्वारा DRDO प्रयोगशालाओं की सहायता से विकसित एवं भारत डाईनेमिक्स लिमिटेड द्वारा समेकित किया गया है। इसे सेना में पहले से ही शामिल किया जा चुका है।
- अग्नि II, 2000 किमी की मारक क्षमता वाली एक द्वि-चरणीय मिसाइल है। यदि पेलोड का वजन कम कर दिया जाए तो इसकी मारक क्षमता को बढ़ाकर 3000 किमी तक किया जा सकता है।
- यह उच्च परिशुद्धता युक्त उन्नत नौवहन प्रणाली (एडवांस्ड हाई एक्यूरेसी नेविगेशन सिस्टम) से लैस है, जो नॉवेल स्कीम ऑफ़ स्टेट ऑफ़ दी अर्थ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम द्वारा निर्देशित है। यह ठोस रॉकेट प्रणोदक प्रणाली द्वारा चालित होती है।
- यह मिसाइल अग्नि मिसाइलों की श्रृंखला का भाग है, जिनमें से अग्नि 1 की रेंज 700 किमी तथा अग्नि III की रेंज 3000 किमी है जबकि अग्नि IV और अग्नि V दोनों ही लंबी रेंज वाली मिसाइलें हैं।

धनुष

- यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यह इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम (IGMDP) के तहत स्वदेशी तकनीक से विकसित 'पृथ्वी' मिसाइल का एक नौसैनिक संस्करण है।
- इसकी मारक क्षमता 350 किमी है तथा यह अपने भूमि एवं समुद्र आधारित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है।
- यह एक चरणीय तरल प्रणोदक आधारित मिसाइल है जो 500 किलोग्राम भार का पारंपरिक या परमाणु हथियार पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसे रक्षा सेवाओं में पहले से ही शामिल किया जा चुका है।

पृथ्वी-II

- पृथ्वी-II स्वदेशी तकनीक से विकसित तथा परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यह DRDO द्वारा विकसित शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (SRBM) है।
- पृथ्वी-II, 500-1000 किलोग्राम तक के आयुध ले जाने में सक्षम है। 350 किमी की मारक क्षमता वाली पृथ्वी-II मिसाइल को दो इंजनों (तरल प्रणोदक आधारित) की सहायता से प्रक्षेपित किया जाता है।
- यह अपने लक्ष्य को भेदने के लिए मैन्यूवरिंग ट्रैजेक्टरी युक्त उन्नत जड़त्वीय निर्देशन प्रणाली (advanced inertial guidance system with manoeuvring trajectory) का उपयोग भी करती है।

नाग

- यह DRDO के द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी की "दागो और भूल जाओ (fire and forget)" प्रकृति की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM) है।
- यह मिसाइल अत्यधिक उन्नत इमेजिंग इन्फ्रारेड रडार (IRR) सीकर से लैस है। इसने अपने शस्त्रागार में एविऑनिक्स प्रौद्योगिकी को एकीकृत किया है।

VISION IAS

- नाग को भूमि तथा वायु आधारित प्लेटफॉर्म से प्रक्षेपित किया जा सकता है। भूमि आधारित संस्करण वर्तमान में नाग मिसाइल कैरियर (NAMICA) के साथ समेकन के लिए उपलब्ध है, जिसे BMP-2 ट्रैक्ड इंफेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की तर्ज़ पर निर्मित किया गया है।
- हेलिना (helicopter-launched NAG: HELINA), नाग को हेलिकॉप्टर से प्रक्षेपित किया जा सकने वाला संस्करण है। इसे ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) तथा HAL रूद्र अटैक हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित किया जा सकता है।
- इसके भूमि आधारित संस्करण की रेंज 4 किलोमीटर जबकि वायु आधारित संस्करण की रेंज 7 किलोमीटर है।

- भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ ए.पी.जे.अब्दुल कलाम द्वारा **इंटिग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्लान** की कल्पना की गई। इसका उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है।
- इस प्लान के तहत पाँच मिसाइल प्रणालियाँ - अग्नि, आकाश, त्रिशूल, पृथ्वी और नाग विकसित की गई हैं।

4.3. रुस्तम-2 ड्रोन

(Rustom-2 Drone)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में DRDO ने रुस्तम-2 ड्रोन का सफल परीक्षण किया।

रुस्तम-2 से संबंधित अन्य तथ्य

- रूस्तम -2, DRDO के एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेन्ट (ADE) और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया मीडियम-एल्टिट्यूड लॉन्ग एंड्योरेन्स (MALE) ड्रोन है।
- यह 22,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने और 20 घंटों तक वायु में रहने में सक्षम है।
- यह रात्रि के दौरान मिशन के क्रियान्वयन हेतु इलेक्ट्रॉनिक इंटेलीजेंस (ELINT), सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR), कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस (COMINT) और सिचुएशनल अवेयरनेस पेलोड (SAP) जैसे पेलोड के विभिन्न प्रकार भी रख सकता हैं।
- भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं द्वारा इसका प्रयोग मुख्य रूप से इंटेलीजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉनसंस (ISR) के संचालन हेतु किया जाएगा।
- मिशन के दौरान रुस्तम-2 मैनुअल के साथ-साथ ऑटोनॉमस मोड पर भी उड़ने में सक्षम है।

4.4. भारत-सेशेल्स संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास-लामिती

(Indo-Seychelles Joint Army Exercise-Lamitye)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय थल सेना और सेशेल्स पीपुल्स डिफेंस फोर्सेज के मध्य 8वें संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया।

युद्धाभ्यास के संदर्भ में अधिक जानकारी

- यह एक एंटी-नारकोटिक, एंटी-पायरेसी तथा काउंटर-टेररिज्म ऑपरेशन है, जिसे पहली बार 2001 में दोनों देशों की सेनाओं के मध्य सैन्य सहयोग और अंतर-परिचालन क्षमता (इंटर-ऑपरेबिलिटी) बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।
- इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत अर्द्ध-शहरी परिवेश में विप्लव-रोधी तथा आतंकवाद-रोधी ऑपरेशनों का संचालन करना है।
- इस अभ्यास के माध्यम से प्रतिभागी, UN पीसकीपिंग के अधीन विप्लव और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपने सामरिक और तकनीकी कौशल को बेहतर बनाते हैं।

VISION IAS

4.5. पश्चिम लहर अभ्यास

(Paschim Lehar Exercise)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पश्चिमी नौसेना कमान द्वारा सेना के तीनों अंगों का संयुक्त (ट्राई-सर्विसेज) समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर आयोजित किया गया।

अभ्यास के संदर्भ में अधिक जानकारी

- इस अभ्यास का आयोजन अरब सागर में किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान कमान के जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य अंतर-परिचालन (इंटर ऑपरेबिलिटी) क्षमता को सुदृढ़ करना है।
- पूर्वी नौसेना कमान, भारतीय थलसेना, भारतीय वायुसेना तथा भारतीय तटरक्षक बल की इकाइयाँ इस अभ्यास में भाग ले रही हैं।
- हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की उपस्थिति हेतु एवं हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए यह अभ्यास महत्वपूर्ण है।

VISION IAS

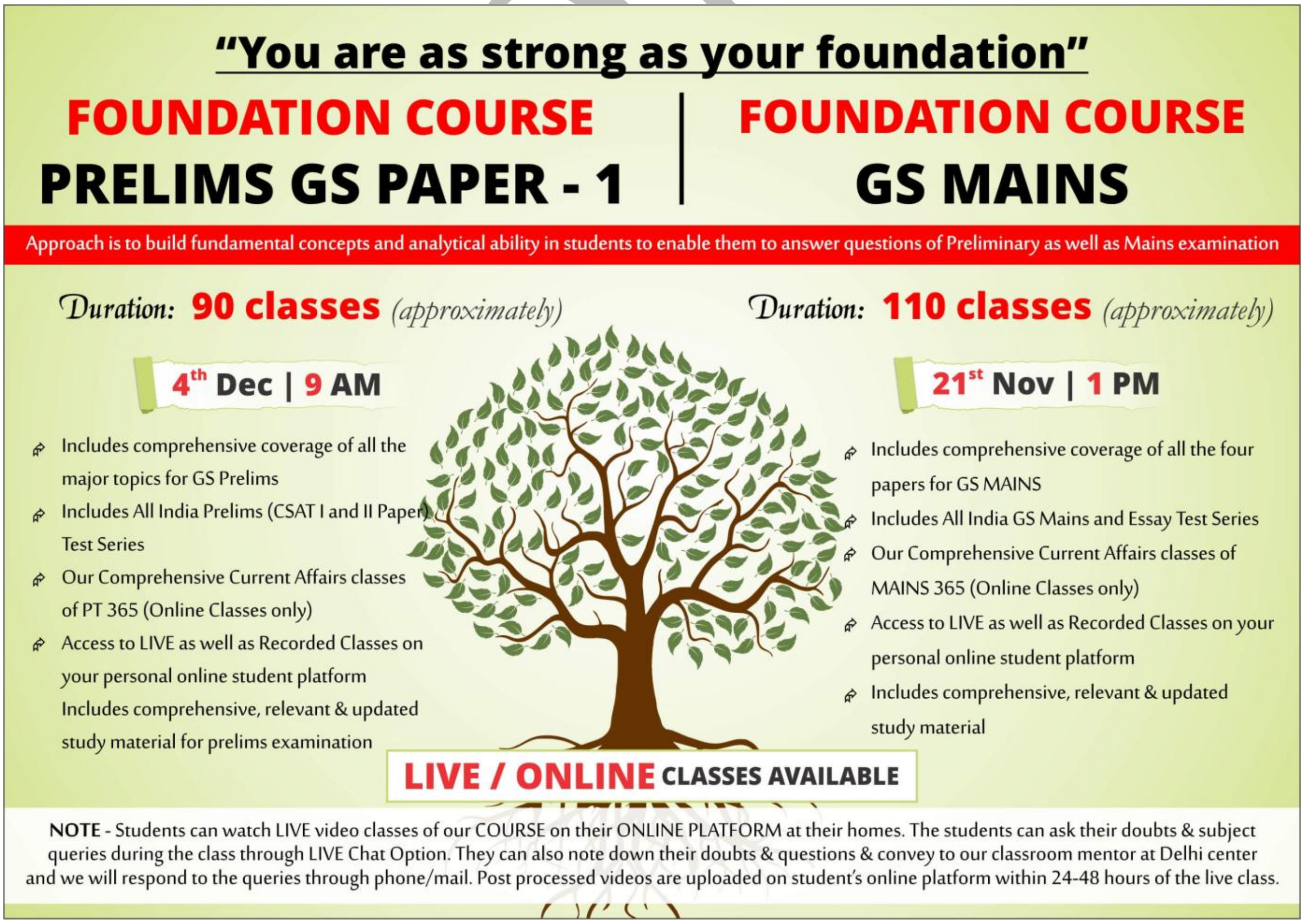

5. पर्यावरण

(ENVIRONMENT)

5.1. भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017

(India State of Forest Report 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) द्वारा तैयार की गयी द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2017 जारी किया।

भारतीय वन सर्वेक्षण

MoEFCC के अधीन एक राष्ट्रीय संगठन है, जो नियमित रूप से देश के वन संसाधनों के मूल्यांकन एवं निगरानी हेतु उत्तरदायी है। यह प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं प्रसार सेवाएं उपलब्ध करवाने में भी संलग्न है

मुख्य निष्कर्ष

वन आवरण:

- भारत की भूमि के **24.4%** क्षेत्र पर वन (21.53%) एवं वृक्ष आवरण है। इस मामले में भारत विश्व में **10वें** स्थान पर है। अपनी भूमि के **33 % क्षेत्र पर वनावरण** भारत का लक्ष्य है।
- 2015 में हुए पिछले सर्वेक्षण की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में 1% (8,021 वर्ग किमी) की वृद्धि हुई है।
- सबसे अधिक अति सघन वन (VDF) तथा उसके पश्चात खुले वन (OF) के वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है।
- कृषि वानिकी और निजी वानिकी में भी विस्तार हुआ है। 'वनों के बाहर के वृक्ष' (TOF-Trees outside Forests) श्रेणी में लकड़ी उत्पादन 2011 के 42.77 घन मीटर से बढ़कर 74.51 घन मीटर हो गया है।

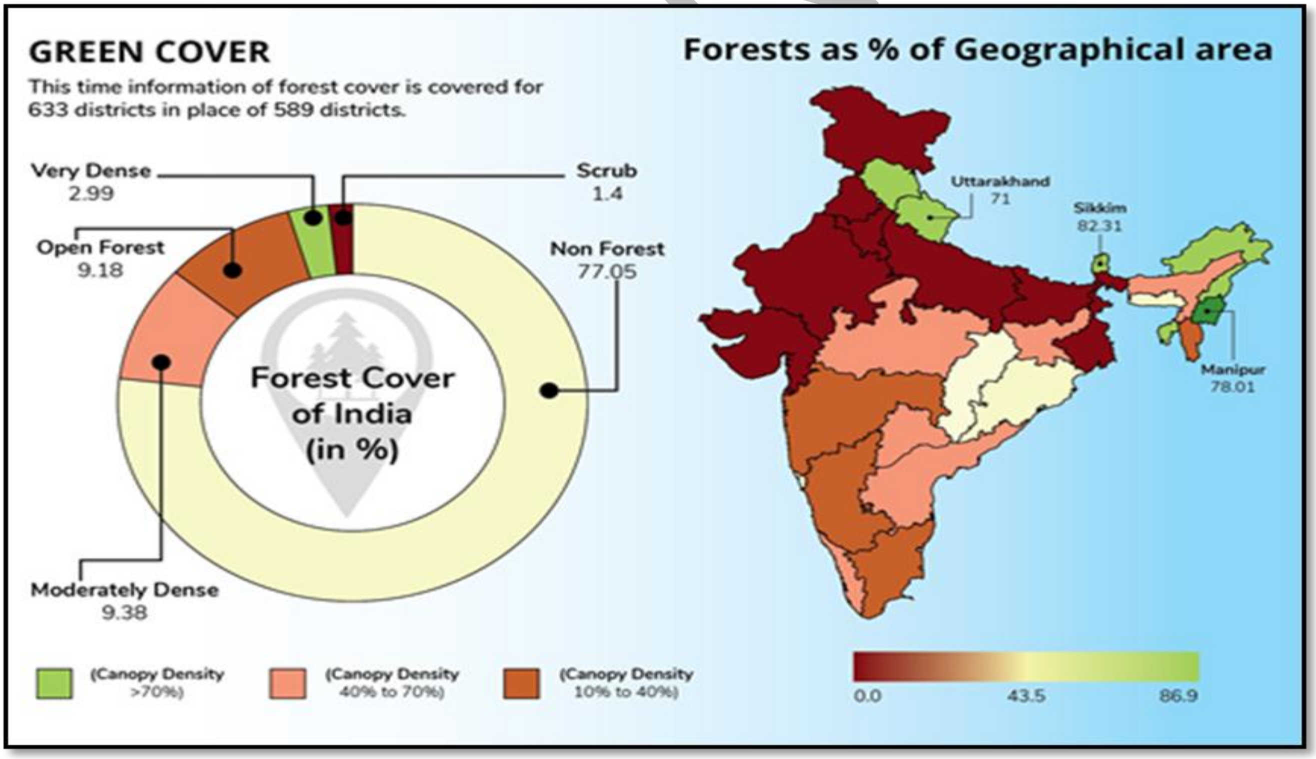

राज्यों में वन आवरण:

- 15 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत है। देश का लगभग 40% वन आवरण 10,000 वर्ग कि.मी. या उससे अधिक आकार के 9 बड़े संस्पर्शी क्षेत्रों में उपस्थित है।
- 7 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में 75% से अधिक वन आवरण हैं: मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर।

- 8 राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों में 33% से 75% के बीच वनक्षेत्र है: त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम, केरल, उत्तराखंड, दादरा एवं नगर हवेली, छत्तीसगढ़ और असम।
- अधिकतम वनावरण (क्षेत्रफल के संदर्भ में) वाले तीन प्रमुख राज्य: मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़।
- भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के संदर्भ में सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य: लक्षद्वीप (90.33%), मिजोरम (86.27%) और अंडमान निकोबार द्वीप समूह (81.73%)।

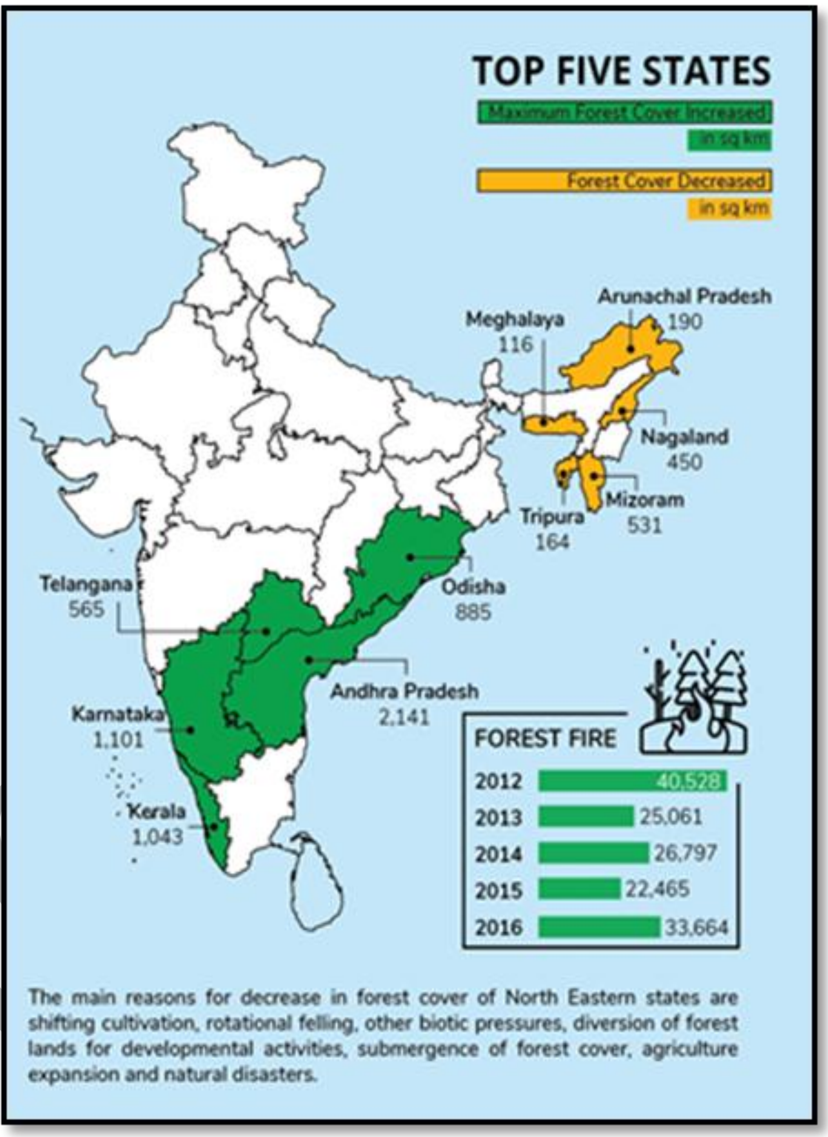

वैश्विक प्रवृत्ति:

- पिछले दशक के दौरान वनावरण में कमी के वैश्विक रुझान की तुलना में भारत में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जा रही है।
- FAO की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वन क्षेत्र में सर्वाधिक निवल वार्षिक वृद्धि दर्ज करने वाले शीर्ष 10 देशों में भारत का स्थान 8वां है।
- **कार्बन स्टॉक:** भारत के कार्बन स्टॉक में 38 मिलियन टन की वृद्धि हुई है जिससे यह 7083 मिलियन टन तक पहुँच गया है। भारत का NDC (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) लक्ष्य, 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3.0 अरब टन CO_2 के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना है।
- **वनाग्नि:** अधिकांश वर्षों में वनाग्नि की सर्वाधिक घटनाएँ खुले वन तत्पश्चात मध्यम सघन वनों (MDF) में देखी गयी है। हालांकि, 2012 और 2016 (गंभीर वनाग्नि वाले वर्ष) में, MDF और VDF में वनाग्नि का अनुपात OF के तुलना में अधिक था।
- **मैंग्रोव:** सम्पूर्ण मैंग्रोव वनों में 181 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 12 मैन्ग्रोव राज्यों में से 7 में मैन्ग्रोव आवरण में वृद्धि हुई है और उनमें से कोई भी राज्य नकारात्मक परिवर्तन प्रदर्शित नहीं कर रहा है।
- **बांस आवरण** : देश में बांस-आवरण के अंतर्गत 15.69 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र आंकलित किया गया है। बांस क्षेत्र में 1.73 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। हाल ही में सरकार ने बांस को वृक्ष की श्रेणी से बाहर कर दिया है, जहां यह वन क्षेत्रों के बाहर उगाया जाता है। इसके फलस्वरूप लोगों को निजी भूमि पर बांस को उगाने का प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही देश के हरित आवरण और कार्बन स्टॉक में वृद्धि होगी।
- **वनों के अंदर स्थित जलाशय -** वन, जल संरक्षण और किसी क्षेत्र में जल व्यवस्था के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दशक के दौरान वनों में स्थित जलाशयों के क्षेत्रफल में 2,564 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। लगभग सभी राज्यों ने जलाशयों के परिप्रेक्ष्य में सकारात्मक परिवर्तन दर्शाया है।

5.2. टाइगर रिज़र्व क्षेत्रों से आदिवासियों के विस्थापन पर रोक

(No Tribal to be Evicted from Tiger Reserves)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने वन क्षेत्रों तथा महत्वपूर्ण टाइगर रिज़र्व क्षेत्रों से आदिवासियों के विस्थापन पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि आदिवासियों के अधिकारों का उल्लंघन न हो।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- मार्च 2017 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने एक परिपत्र जारी किया जिसमें कहा गया है कि महत्वपूर्ण टाइगर रिज़र्व क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासियों को अपनी भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं।
- तत्पश्चात, NCST ने कुछ सिफारिशें दीं और इस मुद्दे के अध्ययन के लिए **तीन सदस्यीय समिति** का भी गठन किया।
- NCST ने अनुसूचित जनजातियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न टाइगर रिज़र्वों में टीमों को भेजने का भी निर्णय लिया है।
- **NCST की सिफारिशों का विवरण**
  - **वन अधिकार अधिनियम के तहत जनजातीय अधिकारों को सुनिश्चित करना:** आदिवासियों को उनकी सहमति के बिना टाइगर रिज़र्व से बेदखल नहीं किया जा सकता है।
  - **पुनर्वास नीति पर पुनर्विचार:** NCST ने पर्यावरण मंत्रालय को निम्नलिखित परिवर्तनों को लागू करने का निर्देश दिया है:
    - CAMPA निधि का प्रयोग कर मुआवजा राशि को वर्तमान में रुपये 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये प्रति परिवार किया जाए।
    - विस्थापित परिवार को 4 हेक्टेयर भूमि प्रदान करना।
    - जब तक आदिवासियों को वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं करायी जाती है तब तक उनका विस्थापन नहीं कराया जाए।
    - तीन वर्ष के भीतर स्थानान्तरण और पुनर्वास की सम्पूर्ण प्रक्रिया को समाप्त कर लेना।

  (वन अधिकार अधिनियम के लिए करंट अफेयर्स जनवरी 2018 का अंक देखें)

5.3. संरक्षित क्षेत्रों को दोगुना करना

(Doubling of Protected Areas)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत का पर्यावरण मंत्रालय राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों की संख्या को दोगुना करने पर विचार कर रहा है।

वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 729 है और यह भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के 4.9% या 162,072 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है।
- भारत में EEZ (अनन्य आर्थिक क्षेत्र) का लगभग 0.3% भाग समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़:MPA) के अंतर्गत है।

भारत में संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 के अंतर्गत हैं।

- **अभ्यारण्य** एक ऐसा क्षेत्र है जो पर्याप्त पारिस्थितिक, जंतु-वर्ग, पादप-वर्ग, भू-आकृति विज्ञान संबंधी , प्राकृतिक या प्राणिशास्त्र संबंधी महत्व का है। यह वन्यजीव या पर्यावरण के संरक्षण, प्रसार या विकास के उद्देश्य के लिए घोषित किया गया है। अभ्यारण्य के अंदर रहने वाले लोगों को कुछ अधिकार प्रदान किये जाने की अनुमति दी जा सकती है।
- **राष्ट्रीय उद्यान** किसी अभ्यारण्य की तरह ही हैं परन्तु किसी राष्ट्रीय उद्यान में कोई भी अधिकार प्रदान करने की अनुमति नहीं है।
- **कंज़र्वेशन रिजर्व (संरक्षण क्षेत्र)** को राज्य सरकार द्वारा सरकार के स्वामित्व वाले किसी भी क्षेत्र में घोषित किया जा सकता है, विशेष रूप से राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के आस-पास के क्षेत्र और उन क्षेत्रों में जो एक संरक्षित क्षेत्र को दूसरे के साथ जोड़ते हैं। संरक्षण रिजर्व के अंदर रहने वाले लोगों के अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं।
- किसी भी ऐसी निजी या सामुदायिक भूमि को राज्य सरकार द्वारा **सामुदायिक रिजर्व** घोषित किया जा सकता है जो नेशनल पार्क, अभ्यारण्य या संरक्षण क्षेत्र में शामिल नहीं है। यहां एक व्यक्ति या एक समुदाय द्वारा स्वेच्छा से वन्यजीव और उसके आवास का संरक्षण किया जाता है। किसी सामुदायिक रिजर्व के अंदर रहने वाले लोगों के अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं।

क्यों आवश्यक है?

- भारत के संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क "आईची लक्ष्य" से काफी नीचे है।
- संरक्षित क्षेत्र लुप्तप्राय वन्य जीवों के अंतिम शरण स्थल हैं। वे नदी जलविभाजक और कार्बन प्रच्छादन के रूप में पारितंत्र सेवाएँ भी प्रदान करते हैं।
- भूमि के प्रतिस्पर्धात्मक उपयोग के कारण भविष्य में वनों पर और अधिक दबाव पड़ेगा।
- जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से निपटने के लिए। इसके अलावा, भारत के INDCs के अंतर्गत वनावरण में वृद्धि की घोषणा की गई है।

VISION IAS

आइची जैव-विविधता लक्ष्य

यह लक्ष्यों की एक श्रृंखला है जो 2010 में जैव-विविधता की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु कांफ्रेंस ऑफ़ पार्टीज के **कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी** की बैठक में निर्धारित किए गए थे।

लक्ष्य 11: 2020 तक, स्थलीय एवं अंतर्देशीय जल का कम से कम 17% और तटीय एवं समुद्री क्षेत्रों के 10% भाग को संरक्षित क्षेत्रों की प्रणालियों और अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों के माध्यम से संरक्षित किया जाना है।

आगे की राह

- उत्तर प्रदेश (2.4%), राजस्थान (2.8%), झारखंड (2.7%), पश्चिम बंगाल (3.2%), बिहार (3.4%), मध्य प्रदेश (3.5%), तमिलनाडु (4.1%), जैसे राज्यों का संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क में योगदान राष्ट्रीय औसत से भी कम है। ऐसे राज्यों से संरक्षित क्षेत्र की 4 श्रेणियों के तहत अपने भौगोलिक क्षेत्रफल के कम से कम 5% भाग (जो कि औसत राष्ट्रीय लक्ष्य भी है) पर संरक्षित क्षेत्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है।
- भारत के प्रादेशिक जल के भीतर महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र में से कुछ क्षेत्रों को अभ्यारण्यों के रूप में घोषित करने पर विचार किया जा सकता है जबकि एक बड़े समुद्री क्षेत्र को कंज़र्वेशन रिज़र्व के तहत कवर किया जा सकता है।
- हालांकि, जहाँ एक ओर भारत ने बाघ जैसी कुछ प्रजातियों के संरक्षण में अच्छा प्रदर्शन किया है, वहीं दूसरी ओर संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के संबंध में, भूटान और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों का प्रदर्शन हमारे 5% से काफी अच्छा है। हालांकि,इस विषय में केवल घोषणा करना ही पर्याप्त नहीं होगा बल्कि हमें वास्तविक रूप से संरक्षण भी करना होगा।

5.4. प्रतिपूरक वनीकरण अधिनियम, 2016 के लिए मसौदा नियम

(Draft Rules for Compensatory Afforestation Act, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पर्यावरण मंत्रालय ने भारत के वनावरण का विस्तार करने के लिए प्रतिपूरक वनीकरण अधिनियम के मसौदा नियमों को अधिसूचित किया है।

पृष्ठभूमि

- प्रतिपूरक वनीकरण निधि (CAF) अधिनियम वर्ष 2016 में लागू हुआ।
- CAMPA फंड के तहत, खनन जैसी औद्योगिक परियोजनाओं जैसे गैर-वन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वन भूमि की प्रतिपूर्ति के रूप में 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि एकत्रित की गयी है।
- वर्तमान में राज्य को वनीकरण और वन संरक्षण के लिए उपयोग करने हेतु केवल 10% धन प्राप्त होता है, जबकि अधिनियम में 90% का प्रावधान किया गया है।

प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016

- यह **भारत के लोक लेखा** के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि (NCAF) तथा राज्यों के लोक लेखा के अंतर्गत राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि (SCAF) की स्थापना करने का प्रावधान करता है।
- ये निधियां निम्नलिखित हेतु भुगतान प्राप्त करेंगी:
    - प्रतिपूरक वनीकरण,
    - वनों का वर्तमान निवल मूल्य (NPV),
    - अन्य परियोजना विशिष्ट भुगतान।
- राष्ट्रीय निधि को इस निधि का 10% एवं राज्य निधि को शेष 90% प्राप्त होगा।
- यह निधि नॉन-लैप्सेबल (अव्यपगत) होगी और ब्याज केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दर पर वार्षिक आधार पर देय होगा।
- इस निधि का प्रयोग प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण, दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण, निवल वर्तमान मूल्य, जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना हेतु किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत अनुमोदन के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा नियत शर्तों के अनुपालन हेतु किसी धन के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है।
- अधिनियम दो तदर्थ संस्थानों हेतु **सांविधिक स्थिति** प्रदान करता है, नामतः;

VISION IAS

- NCAF के प्रबंधन तथा उपयोग हेतु **राष्ट्रीय** क्षतिपूरक वनरोपण कोष प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण **(CAMPA)**।
- राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि के उपयोग हेतु राज्य क्षतिपूरक वनारोपण कोष प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण।
- यह अधिनियम इन निधियों से प्रारम्भ की गई गतिविधियों की निगरानी हेतु एक बहु-विषयक निगरानी समूह के गठन का प्रावधान भी करता है।

- यह अधिनियम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा खातों की वार्षिक लेखा परीक्षा भी उपलब्ध करवाता है।

हाल ही में भारतीय वन सर्वेक्षण ने CAMPA के अंतर्गत राज्य वन विभागों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न वनीकरण कार्यों की ऑनलाइन निगरानी हेतु **ई-ग्रीन वॉच** नामक पहल की है।

नियमों की मुख्य विशेषताएँ

स्वीकृत/अनुमति प्राप्त गतिविधियां :

- राज्यों द्वारा संचित निधियों के 80% भाग का उपयोग 12 सूचीबद्ध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है जिसमें वृक्षारोपण और वनों का संरक्षण, वनों में कीट एवं रोग नियंत्रण, वनाग्नि की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्य, वन्य जीवन के आवास में सुधार, संरक्षित क्षेत्रों से गांवों का पुनर्वास इत्यादि शामिल हैं।
- जबकि शेष 20% निधि का उपयोग वन और वन्यजीव संबंधित बुनियादी ढांचे, राज्य वन विभागों के कर्मियों के क्षमता निर्माण और अन्य संबद्ध एजेंसियों एवं संगठनों को मजबूत करने के लिए किया जाएगा।
- **निषिद्ध गतिविधियाँ**: फण्ड का इस्तेमाल राज्य वन विभाग के नियमित कर्मचारियों को वेतन और यात्रा भत्ते तथा विदेश यात्राओं जैसी गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता है।
- **जवाबदेही ढाँचा:** समय-सीमा में प्रतिपूरक वनीकरण की कार्यवाही करने में राज्य की विफलता के लिए वन नौकरशाही जवाबदेह होगी।
- **राज्य निधि में उपलब्ध राशि पर अर्जित ब्याज का उपयोग:** वनों और वन्यजीवों के संरक्षण और विकास के लिए फण्ड का 60% भाग खर्च किया जाएगा, जबकि उपर्युक्त प्राधिकरण की संचालन समिति के अनुमोदन के पश्चात्,फण्ड का 40% भाग राज्य प्राधिकरण के गैर-आवर्ती (नॉन-रेकरिंग) और आवर्ती व्यय के लिए खर्च किया जाएगा।
- **ग्राम सभा या वन संरक्षण समिति (VSS) अथवा ग्राम वन समिति के साथ परामर्श:** वन विभाग के नियंत्रण में वन भूमि में वनीकरण या वृक्षारोपण परियोजनाएँ लेते समय ग्राम सभा या वन संरक्षण समिति (VSS) अथवा ग्राम वन समिति के साथ परामर्श और कार्य योजना में स्थानीय लोगों की भागीदारी प्रबंधित की जा रही है।
- **राष्ट्रीय और राज्य निधि का प्रबंधन:** राष्ट्रीय निधि का प्रबंधन सरकार के लेखांकन नियम, 1990 और सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। राज्य निधि का प्रबंधन राज्य के वित्तीय नियमों के प्रावधानों या किसी भी ऐसे नियम के अनुसार किया जाएगा जो राज्य या संघ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित हो तथा राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।

प्रतिपूर्ति वनीकरण से जुड़े मुद्दे

- **वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006 का उल्लंघन:** मसौदा नियम, परामर्श तंत्र के सम्बन्ध में स्पष्टता की कमी के कारण, ग्राम सभा की अपेक्षा VSS को वरीयता देते हैं, जो कि एक विधिक निकाय नहीं है। यह वन नौकरशाहों को वनों पर अपने नियंत्रण को और मज़बूत बनाने और FRA अधिनियम, 2006 एवं PESA अधिनियम, 1996 द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक वन शासन व्यवस्था को कमजोर करने में सक्षम बनाता है।
- **निधि से किये जाने वाले व्यय के लिए निगरानी तंत्र का अभाव:** 2013 में वन विभाग द्वारा धन के अत्यधिक दुरुपयोग के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के बावजूद भी निगरानी तंत्र का अभाव है।
- **राज्य वन विभागों का क्षमता निर्माण**: क्योंकि 90% निधियों का उपयोग इस पर निर्भर है और उनमें क्षतिपूर्ति वनीकरण को पूरा करने के लिए योजना और कार्यान्वयन क्षमता की कमी है।
- **भूमि की खरीद में कठिनाई:** भूमि एक सीमित संसाधन है और कृषि, उद्योग जैसे कई उद्देश्यों के लिए आवश्यक है। भूमि के अस्पष्ट स्वामित्व के कारण समस्या और अधिक बढ़ जाती है।
- **निम्न गुणवत्ता वाले वन आवरण:** मौजूदा वनों को काटने से पारिस्थितिक मूल्य में होने वाली क्षति की भरपाई प्रतिपूरक वनीकरण द्वारा नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही, वन के उपयुक्त NPV की गणना करना एक चुनौती है।
- **आदिवासियों और वनवासियों पर अत्याचार में वृद्धि :** क्योंकि ये वन विभागों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा अवैध वृक्षारोपण की संभावनाओं को जन्म देता है।

VISION IAS

5.5. फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड

(Floating Treatment Wetland)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर हैदराबाद में नेकनामपुर झील पर फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड (FTW) का उद्घाटन किया गया।

भारत की आर्द्रभूमियाँ (Wetlands in India)

- **रामसर कन्वेंशन** के अनुसार, **आर्द्रभूमि** को अग्रलिखित प्रकार से परिभाषित किया गया है, "वे दलदली क्षेत्र, निम्न आर्द्रभूमि, पीट भूमि या जलीय क्षेत्र, जो प्राकृतिक हों या कृत्रिम, स्थायी हों या अस्थायी, जिसका जल स्थिर, प्रवाहमान, मीठा, खारा या लवणीय हो तथा समुद्री जल के वे क्षेत्र जिसकी गहराई निम्न ज्वार पर **6 मीटर से अधिक न हो।**"
- प्रत्येक वर्ष, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन **आर्द्रभूमियों पर रामसर कन्वेंशन** को अपनाया गया था। इस वर्ष (2018) के विश्व आर्द्रभूमि दिवस का विषय **"सतत् शहरी भविष्य के लिए आर्द्रभूमियाँ (Wetlands for a Sustainable Urban Future)"** है।

FTWs क्या हैं?

- FTWs **प्लवनशील संरचनाओं** या **आद्र्भूमि वनस्पतियों** से युक्त बेड़े (rafts) होते हैं जो तालाबों और झीलों जैसे **स्थायी जल निकायों** में कार्य करते हैं।
- ये **पौधे बारहमासी गैर-आक्रामक इमर्जेंट** (ऐसे पौधे जो अपने आस-पास के पौधों की अपेक्षा काफी उंचाई तक वृद्धि करते हैं) पौधे होते हैं, जो प्राकृतिक आद्र्भूमि के कार्यों का अनुकरण करते हैं।
- हालांकि, परंपरागत आद्र्भूमियों के विपरीत, पौधों की जड़ें मिट्टी में नहीं होती हैं बल्कि वे **जल के स्तंभ में निलंबित** रहती हैं ताकि यह पौधों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए, जल के उतार-चढ़ाव को समायोजित कर सकें।
- FTW पर उगाए गए विभिन्न पौधे खस (vetivers), सर्वजया (canna), कैटेल्स (cattails), नरकुल (bulrush), गंजनी (citronella), हिबिस्कस, फाउंटेन ग्रास, फ्लावरिंग हर्ब्स, तुलसी और अश्वगंधा हैं।
- **महत्व -**
  - यह सूक्ष्म जैविक विघटन के माध्यम से FTW की जड़ प्रणाली में वृद्धि कर रहे सूक्ष्म जीवों की सहायता से जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ के वियोजन एवं उसके उपभोग द्वारा झील को शुद्ध करने में सहायता करता है।
  - झील के **जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग** (BOD) को कम करता है।
  - झील में सूर्य की किरणों के प्रवेश को सीमित करके शैवाल की वृद्धि को कम करता है।
  - झील की जैव विविधता में सुधार।

हाइड्रोपोनिक्स (Hydroponics)

यह हाइड्रोकल्चर का एक उपवर्ग है, जिसका अर्थ है पौधों को मृदा विहीन माध्यम अथवा जल आधारित वातावरण में उगाना। इस विधि में मृदा की अनुपस्थिति में पौधों के पोषण हेतु जल में घुले हुए खनिजों और पोषक तत्वों का प्रयोग किया जाता है। इसप्रकार पौधे सिर्फ सूर्य के प्रकाश और जल के माध्यम से ही वृद्धि करते हैं।

- नेकनामपुर संयंत्र को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा देश के सबसे बड़े FTW के रूप में मान्यता दी गई है। यह संयंत्र मृदा-विहीन हाइड्रोपोनिक तकनीक पर आधारित है।

5.6. ऋषिकुल्य में ओलिव रिडले नेस्ट

(Olive Ridley Nest at Rushikulya)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ओलिवे रिडले कछुओं द्वारा उड़ीसा के गंजाम जिले में ऋषिकुल्या रूकरी तट पर बड़े पैमाने पर नेस्टिंग (नीड़न) का सर्वकालिक रिकॉर्ड बनाया गया।

VISION IAS

ओलिव रिडले के बारे में

- ये अपने अद्वितीय सामूहिक नेस्टिंग के लिए जाना जाता है, जिन्हें अरिबदा कहा जाता है। इसमें प्रत्येक वर्ष अंडे देने के लिए हजारों की संख्या में मादाएँ एक ही समुद्र तट पर एक साथ आती हैं।
- IUCN रेड लिस्ट द्वारा इसे वल्नरेबल की श्रेणी में शामिल किया गया है क्योंकि ये बहुत ही कम स्थानों में घोंसले बनाते हैं अतः किसी भी एक नीड़न समुद्र तट पर हुए विक्षोभ का इसकी सम्पूर्ण आबादी पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।
- वे भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर पाए जाते हैं।
- ओडिशा में दो अन्य प्रमुख नीड़न स्थल हैं - गहिरमाथा समुद्र तट (विशालतम नीड़न स्थल) और देवी नदी का मुहाना।
- CITES के तहत ओलिव रिडले के उत्पादों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रजाति को भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया गया है।

ओलिवे रिडले पर विद्यमान खतरे:

- उनकी प्रजनन ऋतु के दौरान नीड़न समुद्र तटों के आसपास अनियंत्रित मत्स्यन के कारण ट्रॉल जाल और गिल जाल में उलझने के फलस्वरूप दुर्घटनावश वयस्क कछुओं की मृत्यु।
- नीड़न समुद्र तटों का पत्तनों एवं पर्यटन स्थलों के रूप में विकास और दोहन।
- मांस, खोल (SHELL), अंडे और चमड़े के लिए इनका शिकार।

संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)

- यह सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि वन्य जीवों और पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व के लिए खतरा न बने।
- यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है, किंतु यह राष्ट्रीय कानूनों का स्थान नहीं ले सकता।
- CITES द्वारा कवर की गई प्रजातियों को सुरक्षा के स्तर की आवश्यकतानुसार तीन परिशिष्टों में सूचीबद्ध किया गया है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- कछुए की आकस्मिक मृत्यु को कम करने के लिए मछुआरों द्वारा टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेज़ (TEDs) का उपयोग अनिवार्य करना।
- शिकारियों को रोकने के लिए 4.5 किमी की दूरी पर अस्थाई बाड़ लगाए गए हैं।
- सम्मिलन क्षेत्र में मछली पकड़ने के ट्रॉलरों के प्रवेश की जांच के लिए समुद्र में लगातार गश्त लगाना।
- नीड़न तटों में पर्यटकों के आवागमन को व्यवस्थित और विनियमित करना।

5.7. रेड सैन्डर्स

(Red Sanders)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में यह पता चला कि आंध्र प्रदेश के वन से पारंपरिक मार्गों के बजाय नए मार्गों से रेड सैंडर्स (लाल चन्दन) की तस्करी पुनः आरम्भ हो गई है।

रेड सैंडर्स

- टेरोकार्पस सेंटेलिनस या रेड सैंडर्स दक्षिण भारत के स्थानिक वृक्ष है।
- ये आंध्र प्रदेश के पालकोंडा और शेषाचलम पर्वत श्रृंखला के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के साथ-साथ तमिलनाडु और कर्नाटक में भी पाए जाते हैं।
- रेड सैंडर्स सामान्यतः लाल मिट्टी और गर्म तथा शुष्क जलवायु के साथ चट्टानी, निम्नीकृत और रिक्त भूमि में वृद्धि करते हैं।
- अवैध कटाई और तस्करी के परिणामस्वरूप इसकी संख्या में होने वाली कमी को देखते हुए इसे IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है।
- इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे कि प्रतिरक्षा चिकित्सा, फर्नीचर, विकिरण शोषक, संगीत वाद्ययंत्र, खाद्य रंजकों और मसालों, आयुर्वेद और सिद्धा चिकित्सा, सजावटी वस्तुओं एवं आभूषणों आदि के लिए किया जाता है।
- यह एक दुर्लभ प्रकार का चंदन है, इसकी लाल रंग की लकड़ी के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी उच्च मांग है। इसकी लकड़ी के प्रमुख बाजार हैं - चीन, जापान, मध्य पूर्व, श्रीलंका, भूटान और नेपाल।
- CITES और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अनुसार इसका निर्यात भारत में प्रतिबंधित है। हालांकि, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दक्षिणी राज्यों में अत्यंत व्यापक स्तर पर इसकी तस्करी होती है।

VISION IAS

5.8. संधारणीय जैव ईंधन

(Sustainable Biofuels)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत द्वारा मिशन इनोवेशन और बायोफ्यूचर प्लेटफॉर्म की ओर से संधारणीय जैव ईंधन पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

मुख्य तथ्य

- सम्मेलन का उद्देश्य उन्नत जैव ईंधन के विकास और स्केलिंग से संबंधित अनुभवों और चुनौतियों का आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।
- संधारणीय जैव ईंधन के महत्व के कारण, **सस्टेनेबल बायो-फ्यूल इनोवेशन चैलेंज** (SBIC) की स्थापना को मिशन इनोवेशन (MI) के तहत सात चुनौतियों में से एक के रूप में शामिल किया गया।
- इस चुनौती का उद्देश्य उच्च GHG स्तर पर प्रभाव डालने वाले उन्नत जैव ईंधन के अनुसंधान, विकास और कम लागत के परिनियोजन में तेज़ी लाना है।
- संधारणीय जैव ईंधन चुनौती में सह-नेतृत्वकर्ता देश चीन, ब्राजील, कनाडा और भारत हैं।

जैव ईंधन की विभिन्न पीढ़ियाँ

प्रथम पीढ़ी का जैव ईंधन

- ये **सीधे खाद्य फसलों से उत्पादित होते हैं।**
- गेहूँ और गन्ने जैसी फसलें सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाली फसलें हैं।

दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन

- इन्हें **खाद्यान्न उत्पादन या गैर-खाद्य फसलों जैसे कि लकड़ी, कार्बनिक अपशिष्ट, खाद्य फसल अपशिष्ट और विशिष्ट बायोमास फसलों के लिए अनुपयोगी सीमांत कृषि भूमियों से** उत्पादित किया जाता है। उदाहरण के लिए - जेट्रोफा
- इस प्रकार, यह पहली पीढ़ी के जैव ईंधन के संबंध में प्रचलित खाद्यान्न बनाम ईंधन के विवाद को समाप्त करती है।
- इसका उद्देश्य मौजूदा जीवाश्म ईंधनों के संबंध में लागत प्रतिस्पर्धी होना और निवल ऊर्जा प्राप्ति में वृद्धि करना भी है।

तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन

- यह ऊर्जा स्रोत के रूप में शैवाल जैसी **विशेष रूप से अभियन्त्रित (इंजिनियर्ड) ऊर्जा फसलों** का लाभ उठाते हुए बायोमास के उत्पादन में सुधार करने पर आधारित है।
- शैवाल को कम लागत वाले, उच्च ऊर्जा युक्त और पूर्णतः नवीकरणीय फीडस्टॉक के रूप में कार्य करने के लिए उगाया जाता है।
- शैवाल में परंपरागत फसलों की तुलना में प्रति एकड़ अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है।

चौथी पीढ़ी के जैव ईंधन

- चौथी पीढ़ी के जैव ईंधनों का लक्ष्य धारणीय ऊर्जा का उत्पादन करना और कार्बन डाइऑक्साइड का उद्ग्रहण (कैप्चर) और भंडारण (स्टोरिंग) करना है।
- यह प्रक्रिया दूसरी और तीसरी पीढ़ी के उत्पादन से भिन्न होती है, क्योंकि उत्पादन के सभी चरणों में कार्बन डाइऑक्साइड का उद्ग्रहण किया जाता है, जिसका भू-प्रच्छादन (Geo-sequestered) किया जा सकता है।
- यह कार्बन कैप्चर चौथी पीढ़ी के जैव-ईंधन उत्पादन को मात्र कार्बन-तटस्थ बनाने की बजाए कार्बन-ऋणात्मक बनाता है, क्योंकि यह कार्बन की उत्पादित होने वाली मात्रा से अधिक मात्रा को 'आबद्ध' कर लेता है।

मिशन इनोवेशन (MI)

- यह प्रभावशाली ढंग से **ग्लोबल क्लीन एनर्जी इनोवेशन** (global clean energy innovation) को बढ़ावा देने हेतु 22 देशों एवं यूरोपीय संघ की एक वैश्विक पहल है।
- यह अगले पाँच वर्षों में क्लीन एनर्जी इनोवेशन पर किए जाने वाले निवेशों को दोगुना करने का लक्ष्य रखता है।
- भारत में इस मिशन हेतु जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) नोडल एजेंसी है।

बायोफ्यूचर प्लेटफॉर्म

- यह **उन्नत निम्न कार्बन जैव-अर्थव्यवस्था (advanced low carbon bio economy)** को बढ़ावा देने हेतु 20 देशों का एक प्रयास है जो संधारणीय, नवाचारी एवं मापन योग्य है।
- इसका प्रस्ताव ब्राज़ील द्वारा किया गया है और ब्राज़ील ही इस प्लेटफॉर्म हेतु अंतरिम सचिवालय के रूप में सेवाएं दे रहा है।

5.9. विश्व सतत विकास सम्मेलन 2018

(World Sustainable Development Summit 2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व सतत विकास सम्मेलन 2018 का उद्घाटन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया।

दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट (TERI)

- यह दिल्ली में स्थित एक गैर-लाभकारी, वैज्ञानिक एवं नीति शोध संगठन है। यह 1974 से उर्जा, पर्यावरण व सतत विकास के क्षेत्र में कार्यरत है।
- **ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटैट असेसमेंट (GRIHA)** की अवधारणा TERI द्वारा प्रस्तुत की गई तथा इसका विकास नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया। यह भारत में हरित भवनों हेतु रेटिंग की एक राष्ट्रीय प्रणाली है।

विश्व सतत विकास सम्मेलन (WSDS) के बारे में

- यह **'दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट' (TERI)** की एक फ्लैगशिप फोरम है। इसकी अवधारणा सतत विकास एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति कार्यवाहियों में गति लाने के उद्देश्य से एक एकल प्लेटफॉर्म के रूप में की गई है।
- इसका उद्देश्य सतत विकास के विभिन्न मुद्दों पर वैश्विक नेताओं व चिंतकों को एक साझे मंच पर लाना है। इन मुद्दों में स्वच्छ उर्जा की ओर संक्रमण, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र व वायु प्रदूषण से निपटना आदि सम्मिलित है।
- इसकी नींव **दिल्ली सतत विकास सम्मेलन (DSDS-Delhi Sustainable Development Summit)** की सफलता पर रखी गई है जो सतत विकास के मुद्दों पर चर्चा हेतु एक अग्रणी मंच था।
- 2018 के आयोजन की थीम है- **'पार्टनरशिप्स फॉर ए रेज़िलिएंट प्लेनेट'।**

5.9.1. एनर्जी ट्रांजीशंस कमीशन इंडिया (ETC INDIA)

(Energy Transitions Commission India (ETC India))

- दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट (TERI) द्वारा विश्व सतत विकास सम्मेलन (WSDS), 2018 के अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया।
- यह एक विशिष्ट, उच्च स्तरीय, बहु हितधारकों वाला प्लेटफॉर्म है जिसमें विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ सम्मिलित होते हैं और जो भारत में उर्जा एवं विद्युत क्षेत्र के संक्रमण से जुड़े उपाय सुझाता है।
- यह कमीशन ऑन इकॉनमी एंड क्लाइमेट व उसकी फ्लैगशिप परियोजना न्यू क्लाइमेट इकॉनमी के कार्य से प्रेरित है।
- यह पहला देश-विशिष्ट आयोग है और इस प्रकार अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं (जो नवीकरणीय उर्जा स्त्रोतों की ओर मुड़ना चाहते हैं) के लिए एक प्रतिमान के रूप में कार्य करता है।
- यह निम्न-कार्बन ऊर्जा प्रणालियों की ओर परिवर्तन करने में सहायक होगा जो मजबूत आर्थिक विकास को सक्षम बनाएगा व वैश्विक तापमान को 2 डिग्री से काफी कम तक सीमित रखेगा।

5.10. ऐश ट्रैक

(ASH Track)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत सरकार ने एक वेब आधारित निगरानी प्रणाली व ऐश ट्रैक नामक फ्लाई ऐश मोबाइल एप्लीकेशन का आरंभ किया है।

प्लेटफॉर्म्स के बारे में

- ये प्लेटफॉर्म्स फ्लाई ऐश (राख) उत्पादकों (तापीय विद्युत संयंत्रों) व भावी ऐश प्रयोगकर्ताओं (जैसे सड़क ठेकेदार, सीमेंट प्लांट आदि) के बीच इंटरफ़ेस उपलब्ध करवाकर, तापीय विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित ऐश के बेहतर प्रबंधन करने को सक्षम बनाएंगे।
- ऐश ट्रैक ऐप किसी निर्धारित स्थान से 100 कि.मी. से 300 कि.मी. के दायरे के भीतर स्थित कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों, फ्लाई ऐश की उपलब्धता तथा साथ ही उसी परिधि में भावी प्रयोक्ताओं का पता लगाकर 200 मिलियन टन फ्लाई ऐश का प्रबंधन करेगा।
- यह ऐप देश में संयंत्र, प्रतिष्ठान और राज्य वार उपयोग का स्तर प्रदर्शित करता है।
- तापीय संयंत्रों के लिए फ्लाई ऐश उत्पादन, उपयोग एवं स्टॉक का ब्यौरा वेब पोर्टल व ऐप पर अपडेट करना आवश्यक होगा।

VISION IAS

फ्लाई ऐश से संबंधित तथ्य

- यह एक बारीक पाउडर है जो तापीय विद्युत संयंत्रों में कोयले के जलने से उत्पन्न हुआ उप-उत्पाद होता है।
- यह निर्माण उद्योग के अनेक अनुप्रयोगों हेतु उपयुक्त संसाधन सामग्री है। वर्तमान में इसका प्रयोग पोर्टलैंड सीमेंट, ईंटो/ब्लॉक्स/टाइलों के निर्माण, सड़क किनारों के निर्माण और निम्न तल वाले क्षेत्रों के विकास इत्यादि के लिए किया जा रहा है।
- इसे कृषि में लाभकारी ढंग से अम्लीय मृदाओं हेतु एक अभिकारक, मृदा कंडीशनर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है- इससे मृदा की महत्वपूर्ण भौतिक-रसायन विशेषताओं (जैसे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, बल्क डेंसिटी, पोरोसिटी, जल धारण क्षमता आदि) में सुधार होगा।
- भारत अभी तक फ्लाई ऐश प्रयोग की अपनी संभावनाओं का पूर्ण प्रयोग कर पाने में सक्षम नहीं है। हाल ही के CSE के एक अध्ययन के अनुसार, उत्पादित की जाने वाली फ्लाई ऐश का मात्र 50- 60% ही प्रयोग हो पाता है। इसकी संभावनाओं के पूर्ण प्रयोग हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:
    - MoEF की 2009 में जारी अधिसूचना ऐश उपयोग के दिशानिर्देश उपलब्ध कराती है तथा किसी तापीय विद्युत संयंत्र की 100 किमी. की परिधि में इसके उपयोग का समर्थन करती है।
    - इसके नए व नवाचारी उपयोग भी किए जा रहे हैं- जिनमें IIT-दिल्ली एवं IIT-कानपुर के साथ मिलकर NTPC जैसी विद्युत कंपनियों की पहल से किए जा रहे प्रयास महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के तौर पर प्री-स्ट्रेस्ड रेलवे कंक्रीट स्लीपर्स का निर्माण।
    - फ्लाई ऐश उपयोग नीति अपनाने वाला महाराष्ट्र देश का प्रथम राज्य बन गया है और इसने सिंगापुर व दुबई जैसे स्थानों पर सृजित माँग के आलोक में फ्लाई ऐश के निर्यात की एक नीति भी बनाई है।

5.11. हीट वेव

(Heat Wave)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने वार्षिक ग्रीष्मकाल पूर्वानुमान में भविष्यवाणी व्यक्त की है कि मार्च से मई के महीने सामान्य से अधिक "गर्म" रहेंगे।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) राज्यों को 2018 में हीट वेव से निपटने हेतु तैयार कर रहा है।
- हीट वेव की घटनाओं में वृद्धि हो रही हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के अनुसार, 1961 से 1970 के मध्य, गंभीर हीट वेव के औसतन 74 दिन देखे गए जो 2001 से 2010 के मध्य बढ़कर 98 दिन हो गए।
- **ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2018** के अनुसार, भारत विश्व में सर्वाधिक चरम मौसमी घटनाओं [तूफ़ान, बाढ़ और चरम तापमान (हीट एंड कोल्ड वेव्स)] का सामना करने वाले देशों में छठे स्थान पर है।

हीट वेव के कारण

- **मौसमी परिघटना:** ग्रीष्म ऋतु में, राजस्थान एवं गुजरात में ऊपरी वायु प्रति-चक्रवात अवस्था का निर्माण होता है। यह मरुस्थल से उष्ण एवं शुष्क वायु को ग्रहण करता है और उसे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व ओडिशा तक परिवहित करता है।
- **एल नीनो प्रभाव:** अध्ययनों से, हीट वेव में वृद्धि व एल निनो घटनाओं अथवा मध्य प्रशांत महासागर में असंगत उष्णता वाले वर्षों में अधिक वृद्धि के बीच संबद्धता का पता चला है।
- **हिंद महासागर के तापमान** में अन्य महासागरों की अपेक्षा तीव्रता से वृद्धि हो रही है जो भारत की मुख्य भूमि पर आर्द्रता की मात्रा में कमी ला सकता है। इसप्रकार गर्म दिनों की अवधि बढ़ने में हिंद महासागर के तापमान का भी कुछ योगदान हो सकता है।
- **अन्य कारण:** निर्वनीकरण, शहरी ऊष्मा-द्वीप प्रभाव एवं औद्योगिक प्रदूषण आदि भी हीट वेव की गंभीरता के लिए उत्तरदायी माने जा सकते हैं।

सामान्य तापमान: इसका आशय 1981 से 2010 के मध्य की अवधि के उन महीनों (मार्च से मई) के दौरान के औसत तापमान से है।

हीट वेव: NDMA के अनुसार, यह असामान्य रूप से उच्च तापमानों (सामान्य उच्च तापमान से अधिक) की वह अवधि है जो ग्रीष्म

ऋतु के दौरान दृश्य होती है और इसके परिणामस्वरूप प्रभावित जनसंख्या में शारीरिक अवसाद, और यहाँ तक कि मृत्यु की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं।

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार हीट वेव का वर्गीकरण:

- हीट वेव तब तक नहीं मानी जाती जब तक किसी स्थान का अधिकतम तापमान समतल मैदानों के लिए कम से कम 40°C और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 30°C न हो जाए।
- जब किसी स्थान का अधिकतम सामान्य तापमान 40°C से कम अथवा उसके बराबर है, तब;
    - **हीट वेव:** यदि तापमान सामान्य से 5° C से 6° C अधिक हो
    - **गंभीर हीट वेव:** यदि तापमान सामान्य से 7° C अथवा इससे भी अधिक हो
- जब किसी स्टेशन का अधिकतम सामान्य तापमान 40°C से अधिक है, तब;
    - **हीट वेव:** यदि तापमान सामान्य से 4° C से 5° C अधिक हो
    - **गंभीर हीट वेव:** यदि तापमान सामान्य से 6° C अथवा इससे भी अधिक ऊपर हो
- जब अधिकतम सामान्य तापमान के निरपेक्ष वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या अधिक रहता है तो हीट वेव की घोषणा कर दी जाती है।

हीट वेव के प्रभाव: इसके अंतर्गत डिहाइड्रेशन, हीट क्रैम्प्स, हीट इग्ज़ॉस्चन (exhaustion) एवं हीट स्ट्रोक जैसे स्वास्थ्य प्रभाव सम्मिलित हैं। इनके कारण वर्ष 2013 से 2016 के मध्य 4620 लोगों की मृत्यु हुई।

हीट वेव वल्नेरेबिलिटी इंडेक्स

- यह इंडेक्स 2017 में, दि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एनवायरनमेंट रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित हुआ था।
- ऊष्णता के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव से जनता की सुरक्षा हेतु योजना बनाने वालों, नीति निर्माताओं और आपदा शमन विशेषज्ञों द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है।

कार्य योजना तैयार करने हेतु NDMA के दिशानिर्देश– हीट वेव की रोकथाम एवं प्रबंधन

- **एक पूर्व चेतावनी प्रणाली को सक्षम बनाना** जो उच्च तापमान एवं आसन्न हीट वेव के बारे में अग्रिम पूर्वानुमान प्रदान करता है।
- **राज्यों द्वारा हीट एक्शन प्लान का प्रारूप तैयार करना एवं उसका विकास करना:** ऐसा राज्य व जिला प्रशासन के नेतृत्वकर्ताओं, नगर पालिका की स्वास्थ्य एजेंसियों, आपदा प्रबंधन प्राधिकारियों व स्थानीय सहभागियों की भागीदारी से किया जाएगा।
- **एक राज्य नोडल एजेंसी व अधिकारी की नियुक्ति:** राज्य एवं जिला स्तरों पर हीट एक्शन प्लान की निगरानी के लिए।
- **सुभेद्यता आंकलन एवं हीट-हेल्थ थ्रेशोल्ड टेम्प्रेचर स्थापित करना :** गतिविधियों के लिए प्राथमिकतायें और हीट अलर्ट की न्यूनतम सीमा निर्धारित करने हेतु सुभेद्य क्षेत्रों व जनसंख्या की पहचान करना।
- **संस्थाओं के मध्य सहयोग एवं अनुबंध:** संस्थाओं मध्य एक सुपरिभाषित आपातकालीन अनुक्रिया योजना विकसित की जाए जिसकी भूमिकाएं व सूचना आदान-प्रदान की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निर्धारित हो।
- **कार्यान्वयन एवं निगरानी:** जनता के साथ-साथ सरकार को हीट एक्शन प्लान के अवयवों के कार्यान्वयन एवं निगरानी हेतु उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।
- **योजना का मूल्यांकन एवं उसे अद्यतन बनाना:** प्रत्येक गर्म मौसम के पश्चात, सरकार को अपने हीट एक्शन प्लान का प्रभावी आंकलन करना चाहिए तथा हितधारकों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के माध्यम से इसे अद्यतन बनाना चाहिए।
- **एक्सट्रीम हीट एक्सपोज़र को घटाने हेतु रणनीतियां एवं जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन (दीर्घकालीन योजनाएं):** राज्यों को चरम उष्णता का प्रभाव घटाने हेतु शमन रणनीतियों (जैसे शहर का ग्रीन कवर बढ़ाकर शहरी उष्मा द्वीप प्रभाव आदि को घटाना) पर विचार करना चाहिए।
- **स्थानीय स्तर की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी में सुधार लाना:** ऐसा गर्मी से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे लोगों का उपचार करने वाले स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों का क्षमता निर्माण करके किया जा सकता है।
- **जन जागरूकता और समुदाय तक पहुँचने की पहलों को अपनाना:** इसके लिए मीडिया, गैर-सरकारी संगठनों व नागरिक समाज आदि की सहायता ली जा सकती है।

VISION IAS

आगे की राह

- **तापमान में वृद्धि को 1°C तक सीमित रखना:** पेरिस समझौते का अनुपालन और वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 2°C तक की सीमा में रखने के बावजूद भी इस सदी के अंत तक हीट वेव के गंभीर मामलों में 30 गुना वृद्धि होने की संभावना है।
- अहमदाबाद (जिसने NDMA के दिशानिर्देशों की तर्ज पर हीट एक्शन प्लान को अपनाया है) की भांति **शमन तैयारी में राज्य सरकार की क्षमता को मजबूत करना।**
- हीट वेव को प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में सम्मिलित कर **संस्थागत सहायता प्राप्त करना।**
- घर के भीतर रहने व आरामदायक कपड़े पहनने जैसी **पारंपरिक अनुकूलन विधियों को बढ़ावा देना।**
- छायादार खिड़कियाँ, भूमिगत जल संग्रहण टैंकों और आवरणयुक्त आवास निर्माण सामग्री जैसी **साधारण डिज़ाइन विशेषताओं को लोकप्रिय बनाना।**

5.12. डस्ट मिटिगेशन प्लान

(Dust Mitigation Plan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र ने धूल से फैलने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए डस्ट मिटिगेशन नियम अधिसूचित किए हैं।

इन नियमों की आवश्यकता

- दिल्ली के वायु प्रदूषण पर IIT कानपुर द्वारा 2015 में किये गए एक अध्ययन में पता चला है कि सड़क की धूल इस शहर में निलंबित कणकीय पदार्थों (suspended particulate matter) का सबसे बड़ा स्रोत है।
- **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)** के अनुसार 31 शहरों ने PM2.5 तथा 195 शहरों ने PM10 की नियत मानक सीमा को पार कर लिया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

यह एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1974 में जल (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत की गई थी। साथ ही, CPCB को वायु (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ व कार्य दिए गए थे।

कार्य

- राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण व न्यूनीकरण के माध्यम से जल धाराओं एवं कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना, और
- देश में वायु की गुणवत्ता को सुधारना एवं वायु प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण अथवा न्यूनीकरण।

अन्य संबंधित तथ्य

- नियमों को **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है जो पर्यावरण मंत्रालय को उन कार्यवाहियों के गैर-क्रियान्वयन हेतु स्थानीय प्राधिकरणों व राज्य अभिकरणों के विरुद्ध नोटिस जारी करने की शक्ति देता है।
- इन मानकों को राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS) के एक भाग के रूप में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित किया गया था।
- यह नियम उन शहरों पर लागू हैं जो PM 2.5 हेतु 40 μg/m³ और PM10 हेतु 60 μg/m³ की वार्षिक नियत सीमा को पार कर लेते हैं।
- यह CPCB को इन नियमों का अनुपालन नहीं करने वाली कंपनियों एवं एजेंसियों पर अर्थदंड लगाने की शक्ति देते हैं।

NAAQS के अंतर्गत कवर किए जाने वाले प्रदूषक

सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड, ओजोन, PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, आर्सेनिक, बेंजीन, बेंजोपाइरीन, निकेल।

नियमों की मुख्य बातें

- पर्यावरणीय मंजूरी के इच्छुक उन सभी भवनों अथवा अवसंरचना परियोजनाओं के लिए **डस्ट मिटिगेशन योजना को अनिवार्य बनाया गया** है।
- उपयुक्त डस्ट मिटिगेशन उपायों के बिना **मृदा उत्खनन पर प्रतिबन्ध।**

VISION IAS

- अबद्ध मृदा, बालू, निर्माण अपशिष्ट को **बिना ढके** छोड़ने की अनुमति नहीं। **अनिवार्य जल छिड़काव** व्यवस्था।
- खुले स्थानों में भवन सामग्री की **घिसाई व कटिंग के कार्य पर प्रतिबन्ध**।
- निर्माण सामग्री एवं अपशिष्ट ले जाने वाले **वाहनों को बिना ढके चलने की अनुमति नहीं**।
- निर्माण स्थलों की तथा उन तक जाने वाली सड़कों को **पक्का एवं ब्लैकटॉप करना** (अर्थात् मैटेलिक सड़कें).
- उचित ऊँचाई के **विंड-ब्रेकर** अर्थात् जो भवन की ऊँचाई का 1/3 भाग और अधिकतम 10 मीटर हों, का प्रावधान;
- निर्माण स्थल पर डस्ट मिटिगेशन उपाय का स्पष्ट प्रदर्शन ताकि वे **सरलता एवं सार्वजनिक रूप से दृश्य हों**।
- निर्माण स्थल छोड़ने से पूर्व **सभी वाहनों की सफाई।**
- **घिसाई एवं पत्थर कटाई के लिए वेट जेट।**

5.13. ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम

(Green Skill Development Programme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार, ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम (GSDP) को अखिल भारतीय स्तर पर विस्तृत करने की योजना बना रही है।

एनवायरनमेंट इनफार्मेशन सिस्टम (ENVIS)

- यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इसे MoEF&CC द्वारा 1982-83 से लागू किया जा रहा है।
- यह केन्द्रों का एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क है ENVIS Hubs इसके अंतर्गत
  - कुछ केन्द्र "पर्यावरण व इससे संबंधित मुद्दों की स्थिति" को संबोधित करते हैं। इन्हें राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ये केन्द्र **ENVIS हब से जाने जाते** हैं।
  - कुछ केन्द्रों का प्रबंधन पर्यावरण सम्बंधित विभिन्न विषयों पर कार्य कर रहे सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों/ पेशेवर दक्षता वाले संस्थानों द्वारा किया जाता है। ये केन्द्र **ENVIS रिसोर्स पार्टनर्स** से जाने जाते हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- ENVIS हब्स/RPs के विशाल नेटवर्क व विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने पर्यावरण एवं वन क्षेत्र में दक्षता विकास की एक पहल आरंभ की है इस पहल का उद्देश्य भारतीय युवाओं को लाभप्रद रोजगार/ अथवा स्व-रोजगार प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाना है। इस पहल को **ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम (GSDP)** से जाना जाता है।
- 2017 की एक पायलट प्रोजेक्ट के पश्चात्, मंत्रालय ने इसका विस्तार करने के लिए अब निम्नलिखित कदम उठाए हैं:
  - 2018-19 के बजट में ENVIS के लिए **बजट आवंटन 33% बढ़ा दिया गया** है। इसमें से GSDP के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का वित्तपोषण किया जाएगा।
  - **लक्ष्य में वृद्धि:** कुल 5 लाख 60 हजार लोगों को 2018-19 तथा 2020-21 के बीच प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
  - **अपेक्षाकृत अधिक ग्रीन स्किल्स:** सरकार ने प्रदूषण निगरानी (वायु/जल/ध्वनि/मृदा), अपशिष्ट उपचार संयंत्र कार्य, वन प्रबंधन, जल बजटन आदि सहित 35 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को चिह्नित किया है।

ग्रीन स्किल्स: ग्रीन स्किल्स वे दक्षताएं हैं जो उत्पादों, सेवाओं व प्रक्रियाओं के जलवायु परिवर्तन एवं संबंधित पर्यावरणीय आवश्यकताओं व विनियमों के अनुसार अनुकूलन हेतु आवश्यक हैं। इनमें सतत् एवं संसाधन कुशल समाज (OECD की परिभाषानुसार) में रहने, उसके विकास व समर्थन के लिए आवश्यक ज्ञान, योग्यताएं, मूल्य और दृष्टिकोण सम्मिलित हैं।

ये दक्षताएं नवीकरणीय उर्जा, अपशिष्ट जल उपचार, जलवायु सहिष्णु शहर, ग्रीन निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि क्षेत्रों के लिए आवश्यक हैं।

VISION IAS

क्यों महत्वपूर्ण है?

- **अकुशल को कुशल बनाना:** 2022 तक भारत को विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 10.4 करोड़ नए कर्मकारों की आवश्यकता होगी और इसलिए कौशल विकास इस माँग को पूरा कर पाने की एक पूर्वशर्त है।
- इस कार्यक्रम के प्रशिक्षुओं को **वन्यजीव संरक्षण, नर्सरियों, बागवानी आदि की विशेषज्ञता** भी प्रदान की जा सकती है तथा उन्हें राज्य सरकारों के पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा भी नियोजित किया जा सकता है।
- **निष्पक्षता पर ध्यान:** यह कार्यक्रम उन युवाओं के प्रशिक्षण का उद्देश्य रखता है जो विभिन्न वित्तीय अथवा सामाजिक बाधाओं के कारण अपनी उच्च शिक्षा जारी रख पाने में अक्षम हैं किंतु उनके भीतर नई चीजें सीखने व कुछ सार्थक करने की ललक मौजूद है।
- तकनीकी ज्ञान एवं सतत विकास के लिए प्रतिबद्धता वाला ग्रीन स्किल्ड कार्यबल **SDGs, INDCs तथा राष्ट्रीय जैव-विविधता लक्ष्यों की प्राप्ति** में सहायक होगा।
- ग्रीन स्किल, **ऊर्जा व उत्सर्जन गहन अर्थव्यवस्था से उत्पादन एवं सेवा के स्वच्छ एवं अधिक हरित स्वरूपों की ओर मुड़ने** की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है।

VISION IAS

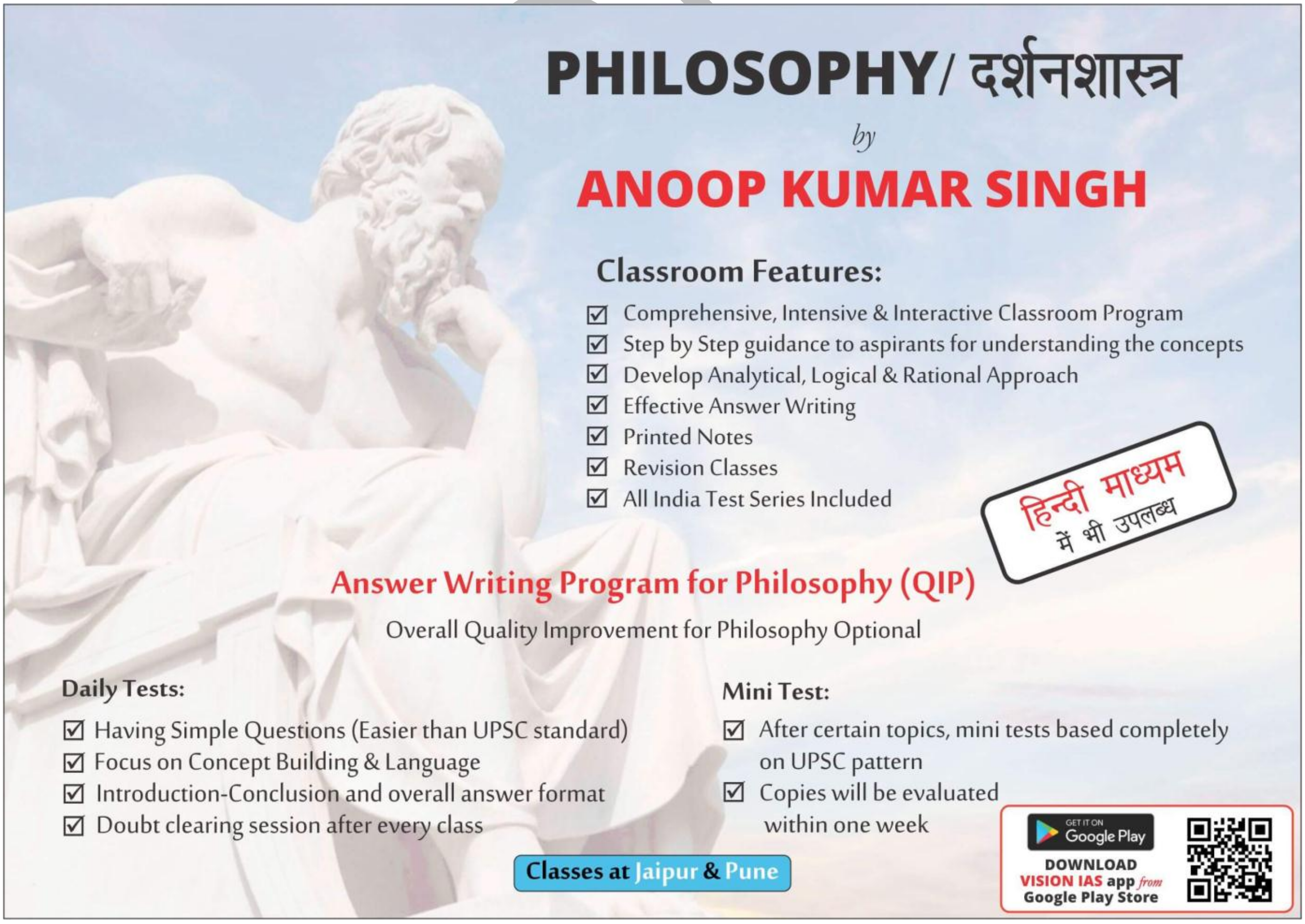

6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी

(SCIENCE AND TECHNOLOGY)

6.1. थ्री पेरेंट्स बेबी

(Three Parents Baby)

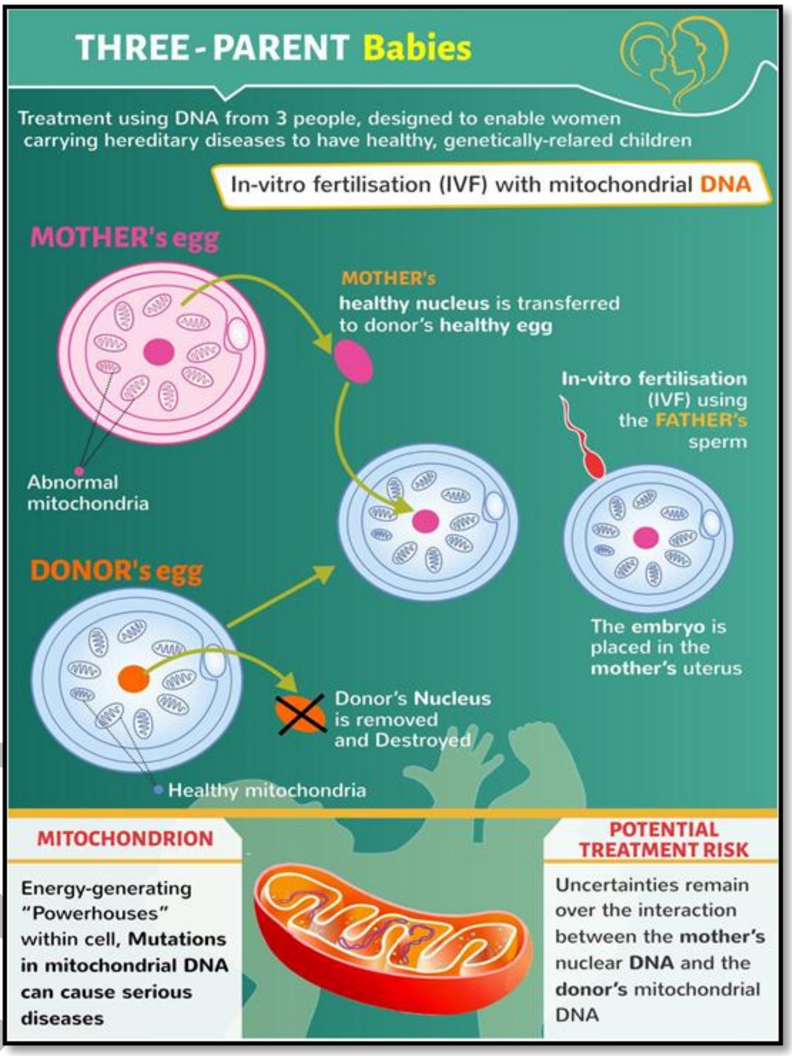

सुर्ख़ियो में क्यों ?

UK "थ्री पेरेंट्स" बेबी को जन्म देने वाली प्रक्रियाओं को आधिकारिक तौर पर स्वीकृत करने वाला पहला देश बन गया है।

"थ्री पेरेंट" बेबीज के बारे में

- **माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी (MRT)** का उपयोग, IVF (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) प्रक्रिया के दौरान **माता के दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए को डोनर महिला के स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया से प्रतिस्थापित** करने में किया जाता है, इसी कारण इसे "थ्री पेरेंट" बेबी नाम से जाना जाता है।
- इस प्रकार जनित संतान के एक-एक माता और पिता ही होते हैं लेकिन "थ्री पेरेंट" बेबीज में माता और पिता के नाभिकीय डीएनए के साथ साथ और दाता (डोनर) का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी उपस्थित होगा।
- बच्चे में माता-पिता के 20,000 से अधिक जीनों की तुलना में डोनर का माइटोकॉन्ड्रिया **केवल 37 जीनों** का योगदान देता है। यह एक **नगण्य मात्रा** है तथा रक्ताधान या अंग प्रत्यारोपण में इससे बहुत अधिक जीन प्राप्त हो जाते हैं।
- **अन्य विशेषताएं** जैसे कि बुद्धिमत्ता, आंखों एवं बालों का रंग, ऊंचाई इत्यादि परिवर्तित नहीं होती हैं।

संबंधित मुद्दे

- **सुरक्षा निहितार्थ-** इसके दीर्घकालिक उद्विकास सम्बन्धी निहितार्थ तथा आनुवंशिकता एवं भावी पीढ़ियों पर अवांछित परिणाम अज्ञात हैं।
- **धार्मिक आधार-** कुछ समूहों का मानना है कि मानव अंडाणुओं और भ्रूणों में हस्तक्षेप अथवा परिवर्तन करने वाली तकनीकों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- **नैतिक मुद्दे -** माता-पिता "आनुवंशिक रूप से परिवर्तित" या "डिजाइनर" बच्चों को प्राप्त करने के लिए इस तकनीक का दुरुपयोग कर सकते हैं।

माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित रोगों के बारे में

- माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं के अंदर उपस्थित कोशिकांग हैं जो **एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट (ATP)** का उत्पादन करके ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो कि उपापचय को संचालित करने वाली प्रमुख ऊर्जा इकाई है।
- **माइटोकॉन्ड्रिया पूर्णत: माता से वंशानुगत** होता है और यदि माता में दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रियल DNA उपस्थित होता है तो उत्पन्न संतान **दुर्लभ माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित रोगों** से पीड़ित होती है।

VISION

आगे की राह

MRT तकनीक को विनियमित परिवेश में विकसित और प्रशासित किया जाना चाहिए ताकि घातक बीमारियों को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जा सके लेकिन साथ ही ऐसा भी सुनिश्चित हो सके कि इसका दुरुपयोग न हो और केवल उन लोगों तक इसकी पहुंच प्राप्त हो, जिन्हें इसकी आवश्यकता है।

6.2. स्टेम करियर में महिलाएं

(Women in Stem Careers)

सुर्ख़ियो में क्यों ?

'रीविज़िटिंग वीमेन इन STEM सर्वे' के अनुसार, STEM (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिसिन) क्षेत्रों में कार्यरत 45% महिलाएं, अपने वर्तमान कैरियर चुनाव से असंतुष्ट थी।

स्टेम में महिलाओं का प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण क्यों है?

- स्टेम क्षेत्र में अधिकांश उच्च-तकनीकी नौकरियां, उच्च-वेतन वाली होती हैं, जिसका तात्पर्य है कि इन भूमिकाओं में महिलाओं का अभाव लैंगिक वेतन अंतराल को बढ़ाने में योगदान दे रहा है।
- इन क्षेत्रों में महिलाओं के अभाव का कारण, वर्तमान महिला स्टेम कर्मचारियों और करियर विकल्प की तलाश कर रहीं लड़कियों - दोनों के लिए महिला रोल मॉडल की कमी है।
- स्टेम तेजी से वृद्धि करता एक क्षेत्र है जिसमें नए तकनीकी नवाचार हो रहे हैं। ये नवाचार हमारी जीवनशैली को परिवर्तित कर रहे हैं।
- महिलाओं की कम उपस्थिति के कारण विज्ञान अन्य दृष्टिकोणों का लाभ लेने से वंचित रह जाता है।

महिलाएं स्टेम से क्यों नहीं जुड़ रही हैं?

- सतत कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता
- कार्य के अधिक घंटे
- कार्यालय में पुरुष-प्रधान वातावरण
- समाज और मीडिया द्वारा सामान्यतः महिलाओं को स्टेम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहन का अभाव
- पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं के अनुरूप कार्य करने के लिये पारिवारिक दबाव
- पुरुषों के समान भुगतान प्राप्त होने की कम संभावना
- प्रदर्शन मूल्यांकन में लैंगिक पूर्वाग्रह का पाया जाना

भारत में आरंभ की गई पहलें

- CBSE ने "उड़ान" योजना का शुभारंभ किया है। यह देश के प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों हेतु प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कक्षा XI और कक्षा XII की छात्राओं को मुफ्त ऑनलाइन संसाधन प्रदान करती है।
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) द्वारा तकनीकी शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी के लिए सहायता प्रदान करने की योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 4000 छात्रवृत्तियां प्रदान करने का विचार है।

क्या किया जा सकता है?

- समुदाय स्तर पर कार्यक्रम और नीतियों को केन्द्रित करने की तथा समस्त अध्ययन के क्षेत्रों और क्षेत्रकों में सभी अभिकर्ताओं और हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है।
- लड़कियों को आवश्यक शिक्षा प्रदान किये जाने की आवश्यकता है, ताकि वो नेतृत्व के लिए तैयार हो सकें। नेतृत्व की भूमिका में महिलाएं नीति निर्माण में सहयोग कर सकती हैं तथा लड़कियों और महिलाओं के लिए स्टेम करियर में प्रवेश एवं पहुंच को प्रभावित कर सकती हैं।
- स्टेम प्रशिक्षण को सुगम्य बनाने के लिए डिज़ाइन की गई वर्तमान नीतियों और कानूनों को कार्यान्वित किए जाने की आवश्कता है।
- राष्ट्रीय योजनाओं को स्थानीय स्तर के अनुकूल बनाया जाना चाहिए, जिससे स्टेम करियर को शीघ्र अपनाने का रास्ता सुनिश्चित किया जा सके।

VISION IAS

6.3. द्वितीयक पेटेंट

(Secondary Patents)

सुर्ख़ियो में क्यों ?

भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा लगभग 1,700 फार्मास्यूटिकल पेटेंट को अस्वीकार कर दिया। ये आवेदन अति प्रचलित (ब्लॉकबस्टर) दवाओं के लिए द्वितीयक पेटेंट के रूप में संरक्षण की मांग करते थे।

द्वितीयक पेटेंट के बारे में

- ये पेटेंट अपने धारकों को एक सीमित समय अवधि के लिए बाजार विशिष्टता या अनन्यता प्रदान करते हैं । दवाओं के लिए, इस अनन्यता की अवधि उतनी ही होनी चाहिए जितनी प्राथमिक पेटेंट के प्रभावी होने की होती है, जो सामान्यतया 20 वर्ष के लिए मान्य होता है। प्राथमिक पेटेंट दवाओं के **एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रीडीएन्ट (API)** से संबंधित है।
- पेटेंट अनन्यता की समाप्ति को **पेटेंट क्लिफ** के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके बाद दवाओं की कीमतों में 80% तक गिरावट आती है, यह गिरावट जेनरिक ड्रग्स के कारण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होने के कारण होती है।
- लेकिन मुनाफे में इस तीव्र गिरावट के खतरे से बचने के लिए फार्मास्युटिकल कम्पनियाँ अनन्यता की अवधि को बढ़ने के लिए तरीके खोजने लगती हैं। इसके लिए ये कम्पनियाँ API के डेरिवेटिव और वेरिएंट्स के लिए द्वितीयक पेटेंट फाइल करती हैं, उदाहरण के लिये API का एक भौतिक संस्करण, एक नया फॉर्मूलेशन, डोस रेजीमैन, अथवा दवा के प्रशासन की एक नई पद्धति आदि।
- द्वितीयक पेटेंट, प्राथमिक पेटेंट की समाप्ति से पहले ही आरम्भ हो जाते हैं, जिससे इस प्रकार की अनन्यता की अवधि बढ़ती ही जाती है। इस प्रक्रिया को **एवर ग्रीनिंग** कहा जाता है। 1 अरब डॉलर से अधिक वार्षिक राजस्व प्राप्त करने वाली तथाकथित ब्लॉकबस्टर दवाओं के मामले में यह रणनीति सबसे अधिक लाभकारी होती है ।

द्वितीयक पेटेंट को रोकने के लिए भारतीय पेटेंट कानून में नवाचार

- **पेटेंट अधिनियम की धारा 2(1)(ja),** संबंधित उत्पाद अपने पूर्ववर्ती उत्पाद की तुलना में तकनीकी रूप से अधिक उन्नत होना चाहिए, जो कि एक कुशल व्यक्ति के लिए स्वाभाविक न हो। चूँकि फार्मास्यूटिकल्स के लिए द्वितीयक पेटेंट प्रायः आंशिक भिन्न रूपों के लिए मांगे जाते हैं, वे आम तौर पर एक आविष्कार के रूप में अर्हता नहीं रखते हैं।
- **धारा 3(d):** जब दवा केवल ज्ञात एक फार्मास्यूटिकल पदार्थ का एक प्रकार होती है तो धारा 3(d) के अंतर्गत इसकी चिकित्सीय प्रभावकारिता में सुधार का प्रदर्शन किया जाना आवश्यक है। यह ज्ञात फार्मास्यूटिकल पदार्थों के नए उपयोगों और नए गुणों के लिए पेटेंट को प्रतिबंधित करने का प्रावधान करती है।
- **धारा 3(e)** यह सुनिश्चित करती है कि ज्ञात फार्मास्यूटिकल पदार्थों के संयोजन के लिए पेटेंट की अनुमति केवल तब दी जाए जब सहक्रियात्मक प्रभाव (synergistic effect) उपस्थित हो।
- **धारा 3(i)** यह सुनिश्चित करती है कि उपचार के तरीकों पर कोई अनन्यता का दावा नहीं कर सकता है।
- ये प्रावधान **बायोलॉजिक्स** पर भी लागू होते हैं जो चिकित्साविधान बाज़ार में प्रमुख प्रवेशकर्ता हैं। इनकी जटिल संरचना के कारण इनकी द्वितीयक पेटेंटिंग करवाने की अधिक संभावनाएं होती हैं, जिससे पेटेंट की अवधि बढ़ाई जा सके।
- एक अध्ययन के अनुसार, धारा 3(d), 3(e) और 3(i) मिलकर फार्मास्यूटिकल्स के लगभग 1,000 द्वितीयक पेटेंटों को अस्वीकार करने में सहायक रहे हैं।

6.4. सुपर क्रिटिकल CO2- ब्रेटन चक्र

(Supercritical CO2-Brayton Cycle)

सुर्ख़ियो में क्यों ?

भारतीय वैज्ञानिकों ने एक सुपरक्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेटन टेस्ट लूप सुविधा विकसित की है। यह भविष्य में विद्युत संयंत्रों से स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायक होगी।

मुख्य तथ्य

- प्रयोगशाला स्तर पर टेस्ट लूप को इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर एनर्जी रिसर्च (ICER) , IISc में एक अनुसंधान समूह द्वारा विकसित किया गया था। इसका विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त-पोषित *सोलर एनर्जी रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स* नामक *इंडो-यूएस कॉन्सॉर्टियम* के भाग के रूप में किया गया था।

- यह भारत के विद्युत उत्पादन के लिए अगली पीढ़ी के कुशल, कॉम्पैक्ट, जल विहीन *सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेटन चक्र टेस्ट लूप* का प्रथम परीक्षण है।
- "सुपरक्रिटिकल" शब्द 31 डिग्री सेल्सियस के क्रिटिकल तापमान और 73 वायुमंडलीय क्रिटिकल दाब से ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिति को वर्णित करता है। इस तापमान तथा दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प की तुलना में दोगुनी सघन हो जाती है।

महत्व

- वर्तमान समय के ताप विद्युत संयत्रों में वाष्प की मदद से स्रोत से ऊष्मा निष्कर्षित की जाती है तथा इस ऊष्मा से टरबाइन चलाकर विद्युत् उत्पादन किया जाता है। हालांकि, वाष्प के स्थान पर **सुपरक्रिटिकल CO_2 (SCO_2)** का उपयोग किये जाने से अधिक बिजली उत्पन्न हो सकती है।
- बंद CO_2 चक्र (*क्लोज्ड CO_2 साइकिल*) को *वर्किंग फ्लूइड* (मशीन को चालू करने वाला दाबित द्रव) के रूप में इस्तेमाल करने वाले नई पीढ़ी के उच्च दक्षता वाले विद्युत संयंत्रों में वाष्प पर आधारित परमाणु और तापीय विद्युत संयंत्रो का स्थान लेने की क्षमता है। इस प्रकार ऐसे संयत्र उल्लेखनीय रूप से कार्बन फुट प्रिंट को कम कर सकते हैं।

ब्रेटन चक्र - यह एक उष्मागतिकी चक्र है जिसमें किसी टरबाइन की पंखुड़ियों को घुमाने के लिए नियत दाब, ऊष्मा अवशोषण तथा उत्सर्जन का प्रयोग किया जाता है तथा विद्युत् का उत्पादन किया जाता है।

6.5. एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रीडीएट्न्स

(Active Pharmaceutical Ingredients)

सुर्ख़ियों में क्यों?

औषध विभाग (DoP) ने **एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रीडीएट्न्स (APIs)** पर भारत की निर्भरता कम करने के लिए अन्य सरकारी विभागों से सहायता की मांग की है।

पृष्ठभूमि

- बल्क ड्रग्स या APIs, एक दवा में उपयोग होने वाली सक्रिय कच्ची सामग्रियां हैं जो उस दवा का चिकित्सीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं।
- 2016-17 में **भारत का API आयात** शीर्ष पांच देशों से 18,372 करोड़ रुपये का हुआ था, जिसमें चीन का 66% हिस्सा था।
- भारत में APIs / बल्क ड्रग्स के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने हेतु दीर्घकालिक नीति और रणनीति तैयार करने के लिए **वी. एम. कटोच समिति** का गठन किया गया था।

कटोच समिति की सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं

- APIs के लिए **लार्ज मैन्युफैक्चरिंग जोन्स (LMZs) / मेगा पार्कों** की स्थापना।
- मेगा पार्कों को आम सुविधाएं जैसे कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (ETPs), परीक्षण सुविधाएं, आश्वासित विद्युत आपूर्ति, सामान्य उपयोगिताएं / सेवाएं जैसे- भंडारण, परीक्षण प्रयोगशालाएं, IPR प्रबंधन आदि प्रदान की जानी चाहिए।
- राज्यों में राष्ट्रीय विनिर्माण निवेश क्षेत्रों/पेट्रोलियम रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्रों **(PCPIRs)** में बड़े विनिर्माण क्षेत्र स्थापित किए जा सकते हैं, जिनके पास आवश्यक सुविधाएं / तंत्र उपलब्ध है।
- बल्क ड्रग्स उद्योग **प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योगों** में से एक है, इसलिए प्रदूषण स्तर और उत्पादन की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए उचित नियम और विनियमन का होना आवश्यक है।
- देश के विकास के लिए, कुछ बड़े **API मध्यवर्ती क्लस्टरों** को आरंभ करने की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे क्लस्टरों से प्रति वर्ष लगभग एक अरब डॉलर के राजस्व की प्राप्ति हो सकती है।
- **सिंगल विंडो क्लीयरेंस** तथा राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन जैसे टैक्स ब्रेक, सॉफ्ट लोन इत्यादि उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

API उद्योग में चुनौतियां

- **कम लाभप्रदता** API व्यवसाय में उन प्रमुख कारणों में से एक है। इसके कारण भारतीय कंपनियों द्वारा दवा निर्माण उद्योग पर अपना ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- **मौद्रिक नीति**: जहां चीन में ऋण पर ब्याज दर 5% है, वहीँ हमारे देश में 12% की उच्च ब्याज दर है।

- **सरकार द्वारा अवहेलनापूर्ण व्यवहार:** दवा निर्माण उद्योग को कर मुक्त क्षेत्र और अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाती है, जबकि API उत्पादकों को इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जैसी विसंगतियों का सामना करना पड़ता है।
- **विनियामक बाधाएं:** फार्मास्युटिकल फर्मों को वर्तमान में एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए अनेक स्वीकृतियां लेने की आवश्यकता है, जिसने कुछ APIs विनिर्माण में देश की प्रतिस्पर्धात्मकता और क्षमता को प्रभावित किया है।
- **आयातित API की गुणवत्ता:** जनवरी 2018 में, भारत के दवा नियामक **ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI)** ने गुणवत्ता संबंधी चिंता के आधार पर चीन की छह प्रमुख दवा कंपनियों से दवाओं की सामग्रियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

भारत में API को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास

- सरकार ने भारत को बल्क ड्रग्स में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, **2015 को 'एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रीडीएट्न्स' का वर्ष** घोषित किया।
- इसके अंतर्गत सीमा शुल्क में छूट को वापस ले लिया गया। यह छूट घरेलू विनिर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए कुछ श्रेणियों की दवाओं और बल्क ड्रग्स को दी गई थी। यह स्वदेशीय रूप से निर्मित सभी APIs के लिए "सीमा शुल्क की चरम दरें" प्रस्तावित करता है।
- **वाणिज्य विभाग** को APIs के निर्बाध आयात को रोकने के लिए और *'कैनालाइजेशन'* की व्यवस्था प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
- **विद्युत मंत्रालय** को घरेलू API विनिर्माण संयंत्रों के लिए सस्ती दरों पर विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।
- **स्वास्थ्य मंत्रालय** को आयात पर उच्च पंजीकरण शुल्क लागू करने के लिए कहा गया है। साथ ही ऐसी विदेशी कंपनियों के लिए समयबद्ध आवश्यकताओं की शर्त को निर्धारित करने के लिए कहा गया है, जो अपनी भारतीय उत्पादन सुविधाओं को स्थापित करने के लिए भारत को API का निर्यात कर रहे हैं।

6.6. स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट

(Svalbard Global Seed Vault)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- नॉर्वे स्थित स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट ने अपने आधिकारिक उद्घाटन के 10 वर्ष पूरे किये।

स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट के बारे में

- यह एक अत्याधुनिक बीज संरक्षण सुविधा है, जिसे **'डूम्सडे'** या **'एपोकलिप्स' बीज बैंक** या **'नोआज़ आर्क फॉर सीड्स'** भी कहा जाता है।
- यह सुदूर **आर्कटिक के स्वालबार्ड द्वीपसमूह** में स्थित है।
- इसे 2008 में स्थापित किया गया था। यह **दुनिया के अन्य बीज बैंकों के लिए प्राथमिक बैकअप** के रूप में कार्य करता है तथा वर्तमान में दुनिया भर के जीन बैंकों से प्राप्त लगभग 10 लाख बीजों के नमूने रखता है।
- बीजों के पैकेजों को केवल जमा करने वाले अधिकारी द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है तथा इस प्रक्रिया में बीज पर **स्वामित्व का हस्तांतरण** नहीं होता है।

भारत की सीड वॉल्ट

- यह **चांग ला, लद्दाख** में स्थित है।
- यह 2010 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के तत्वावधान में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च (DIHAR) और नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लान्ट जेनेटिक रिसोर्सेज (NBPGR) द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था। यह *परमाफ्रॉस्ट सीड बैंक* दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीड बैंक है।
- वर्तमान में, भारत में इसके अलावा बीज के दीर्घकालिक भंडारण के लिए एकमात्र सुविधा **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR),** नई दिल्ली द्वारा स्थापित की गई है।

VISION IAS

6.7. स्पेसएक्स के फॉल्कन हेवी रॉकेट का प्रक्षेपण

(Spacex's Falcon Heavy Launched)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केप कैनावेरल से *फॉल्कन हेवी रॉकेट* का प्रक्षेपण किया गया।

फाल्कन हेवी के बारे में

- फाल्कन हेवी, नासा के सैटर्न V के बाद विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है।
- इसे **निजी स्पेस फ्लाइट कंपनी स्पेसएक्स** द्वारा विकसित किया गया है और यह 230 फीट लंबा है। यह लगभग 64 मीट्रिक टन के पेलोड को निम्न भू-कक्षा में, 90 मिलियन अमरीकी डालर की लागत पर प्रक्षेपित कर सकता है।
- विभिन्न कक्षाओं जैसे कि **निम्न भू-कक्षा *(लो अर्थ ऑर्बिट)*, भू-तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा (*जियोसिंक्रोनस ट्रान्सफर ऑर्बिट:* GTO) और भू-तुल्यकालिक कक्षा (*जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट*)** में पेलोड को स्थापित करने के लिए इंजन को कई बार शुरू किया जा सकता है।

6.8. प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता योजना

(Prime Minister's Research Fellowship Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में मंत्रिमंडल ने "प्रधानमंत्री अध्येता योजना" (*प्राइम मिनिस्टर्स फेलोशिप स्कीम*) को लागू करने का निर्णय लिया है।

योजना के बारे में

- यह विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड (SERB) (जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय है) तथा भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के बीच एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) है।
- इसका उद्देश्य देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करके और ब्रेन ड्रेन को कम करके अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- इस योजना के अंतर्गत विज्ञान एंव प्रौदयोगिकी विषयों में B.Tech.अथवा इंटीग्रेटेड M.Tech अथवा M.Sc पास करने वाले लगभग 1000 छात्रों को IITs / IISc में फेलोशिप की एक निश्चित राशि के साथ PhD कार्यक्रम में सीधा प्रवेश दिया जाएगा।
- इसके अलावा प्रत्येक अध्येता को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 2 लाख रूपये का शोध अनुदान दिया जाएगा।

विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड

- संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित यह एक वैधानिक निकाय है।
- बोर्ड का प्राथमिक कार्य विज्ञान और इंजीनियरिंग के उभरते क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान का समर्थन करना है।
- अनुसंधान के मुद्दों पर शीघ्र निर्णय करने के लिए, बोर्ड के पास **वित्तीय और प्रशासनिक** दोनों शक्तियां निहित हैं। इस प्रकार से अनुसंधान वैज्ञानिकों और S&T तंत्र की वास्तविक आवश्यकताओं के प्रति हमारी अनुक्रियाशीलता में सुधार किया जा सकता है।

अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अन्य योजनाएं

- **INSPIRE-** यह प्रतिभाओं को आकर्षित करने तथा उन्हें कम उम्र से विज्ञान का अध्ययन करने और अनुसंधान में कैरियर बनाने में प्रेरित करती है। साथ ही देश में S&T और R&D के आधार को मजबूत एवं विस्तृत करने के लिए अपेक्षित महत्वपूर्ण मानव संसाधन पूल बनाने में सहायता करती है।
- **रिसर्च प्रमोशन स्कीम-** यह निर्धारित क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देती है।
- **ई-शोध सिंधु-** इसका उद्देश्य 94 AICTE समर्थित तकनीकी संस्थानों को तकनीकी शिक्षा हेतु ई-संसाधन प्रदान करना है।
- **ग्रांट फॉर आर्गेनाईजिंग कांफ्रेंस-** यह तकनीकी शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांफ्रेंस के आयोजन के लिए संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

6.9. डिजिटल थेराप्यूटिक्स या डिजीस्यूटिकल

(Digital Therapeutics or Digiceuticals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अमेरिका के फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने कुछ *डिजिटल थेराप्यूटिक्स* (चिकित्साविधानों) को अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

डिजिटल थेराप्यूटिक्स के बारे में

- इसे व्यापक रूप से एक ऐसे उपचार या चिकित्सा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें चिकित्सा या मनोवैज्ञानिक स्थिति का इलाज करने हेतु रोगी व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए डिजिटल और प्रायः इंटरनेट-आधारित स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है। यह रोगियों को जीवन शैली में परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए **संज्ञानात्मक व्यवहार उपचार** (*कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी*) में निहित विधियों का उपयोग करता है।
- इसका प्रायः उन रोगियों के लिए निवारक उपाय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है जिन्हें अधिक गंभीर रूप से बीमार होने का जोखिम है। उदाहरण के लिए, एक *प्रीडायबिटीज* रोगी को अपने आहार और व्यवहार में परिवर्तन लाने के एक उपाय के रूप में डिजिटल थेराप्यूटिक्स लेने का सुझाव दिया जा सकता है।
- इसका रोगियों के मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल विकारों के उपचार के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अल्जाइमर्स या डिमेंशिया (मनोभ्रंश) से पीड़ित व्यक्ति भ्रम और चिंता को कम करने के लिए रेमिनिसेंस थेरेपी के साथ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

6.10. ग्राम संसाधन केंद्र

(Village Resource Centres)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इसरो ने चयनित गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), ट्रस्टों व राज्य सरकार के विभागों के सहयोग से 473 ग्राम संसाधन केंद्रों (VRCs) को एक पायलट आधार पर स्थापित किया है।

ग्राम संसाधन केंद्र (VRC) क्या है?

यह एक अद्वितीय पहल है, जो गांवों में स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए *सैटेलाइट कम्युनिकेशन* (SATCOM) नेटवर्क और *अर्थ ऑब्जरवेशन* (EO) सैटेलाइट डेटा का उपयोग करती है जिससे गांवों तक पहुँच स्थापित की जा सके।

अनुप्रयोग: VRCs ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं:

- **टेलीमेडिसिन** की अवधारणा के अंतर्गत, VSAT नेटवर्क के माध्यम से गांवों में बीमार लोगों का शहरों/शहरी क्षेत्रों में स्थित या सुपर-स्पेशलिटी अस्पतालों में डॉक्टरों से संपर्क स्थापित किया जाता है, ताकि उन्हें उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकें।
- **टेली-एजुकेशन** में SATCOM का उपयोग करके देश में दूरदराज के गांवों या दूर-दराज क्षेत्रों में वर्चुअल कक्षा सुविधा प्रदान की जाती है तथा यह ज़रूरतमंदों के लिए शिक्षा देने में सहायता करती है।
- कृषि से संबंधित परामर्श देना जैसे फसल कीट और बीमारियों, उर्वरक/कीटनाशकों, जैविक कृषि, फसल बीमा आदि; पशुधन / कुक्कुट, ग्रामीण छात्रों के लिए करियर मार्गदर्शन सलाह प्रदान करना।
- ग्रामीण आबादी के लिए कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि।

अनुप्रयोग के अन्य क्षेत्रों में पंचायत योजनानिर्माण, मौसम की जानकारी, विपणन सूचना, वाटर-शेड विकास, पेयजल आदि शामिल हैं।

VISION IAS

क्यों महत्वपूर्ण है?

- VRCs का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग का प्रदर्शन करता है।
- VRCs द्वारा 6500 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से सम्बंधित थे जैसे: कृषि/बागवानी विकास; मत्स्य उद्योग विकास; पशुधन विकास; जल संसाधन; टेली हेल्थकेयर; जागरुकता कार्यक्रम; महिला सशक्तिकरण; अनुपूरक शिक्षा; कंप्यूटर साक्षरता; लघु ऋण; लघु वित्त व्यवस्था; जीविकोपार्जन में सहायता के लिए कौशल विकास/व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि।

आगे की राह

VRCs को उन्नत बनाने और सभी गांव पंचायतों को जोड़ने की आवश्कता है। इससे गांवों में उपलब्ध संसाधनों के कुशल उपयोग में सहायता मिलेगी और मूलभूत स्वास्थ्य, शिक्षा सुविधाओं कि कमी और सूचना विषमता के कारण गांवों से होने वाले संकट प्रवास में कमी आएगी।

6.11. अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा सूचकांक, 2018

(International Intellectual Property Index 2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, US चैंबर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर (GIPC) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक (IIPI) का प्रकाशन किया गया।

सूचकांक के बारे में

- यह एक वार्षिक सूचकांक है। यह देश के बौद्धिक संपदा (IP) फ्रेमवर्क को आठ श्रेणियों के संकेतकों-पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, व्यापारिक गोपनीय बातें (*ट्रेड सीक्रेट्स*) और IP परिसंपत्तियों के व्यावसायीकरण, प्रवर्तन, बाजार पहुंच,प्रणालीगत दक्षताओं और अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुसमर्थन का परीक्षण करता है।

IIPI, 2018 के प्रमुख निष्कर्ष

- रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका 37.98 अंकों के साथ शीर्ष पर तथा उसके ठीक बाद यूके 37.97 अंकों और स्वीडन 37.03 अंकों के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है।
- IIPR सूचकांक, 2018 में यह उल्लेख किया गया है कि परिवेश में सीमित सुधारों को लागू करने वाली अर्थव्यवस्थाओं को सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक परिणाम प्राप्त होते हैं। इन परिणामों में वित्तपोषण सुगम्यता और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से लेकर आर्थिक मूल्य सृजन का उच्च तक शामिल थे।

अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक में भारत की स्थिति

- 5वें संस्करण में भारत 45 देशों में से 43वें स्थान पर तथा 2018 में 50 देशों में से 44 वें स्थान पर रहा है।
- भारत का स्कोर 5वें संस्करण में कुल स्कोर के (35 में से 8.75) 25% से बढ़कर 6 वें संस्करण में 30% (जो कि 40 में से 12.03 है) हो गया है, जो कि किसी भी देश का उच्चतम सुधार है।

VISION IAS

7. सामाजिक

(SOCIAL)

7.1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (NHPS)

सुर्खियों में क्यों?

बजट 2018 में, नए भारत 2022 के लिए **आयुष्मान भारत कार्यक्रम** के अंतर्गत **राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना** (NHPS) की घोषणा की गई थी।

आयुष्मान भारत कार्यक्रम के दो अवयव है अर्थात् **राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना तथा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र।**

स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र: इन केन्द्रों की स्थापना की कल्पना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के अंतर्गत की गई थी।

- इसके अंतर्गत 1.5 लाख केन्द्रों के माध्यम से लोगों को उनके घरों के निकट स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्रदान की जाएंगी।
- ये केंद्र समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेंगे जिनमें गैर-संचरणीय रोगों से सुरक्षा एवं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं भी सम्मिलित होंगी।
- कारपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी (CSR) एवं लोकोपकारी संस्थाओं के माध्यम से इन केंद्रों को अपनाने में निजी क्षेत्रक के योगदान की भी कल्पना की गई है।
- इससे प्रैक्टिशनर्स नर्स जैसे गैर-चिकित्सक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की संख्या में वृद्धि होगी। मौजूदा कर्मचारियों के अतिरिक्त स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (HWC), आवश्यक दवाएं और बुनियादी नैदानिक व्यवस्थाएं नि:शुल्क प्रदान करेगा।
- इस वितरण केंद्र पर विभिन्न ऊर्ध्वाधर रोग नियंत्रण कार्यक्रमों का संमिलन होगा।
- **स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र** (HWC) द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग कर, स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न संकेतकों की निगरानी हेतु रियल टाइम डेटा उत्पन्न किया जा सकता है।
- चुनौतियाँ - निम्न बजटीय आबंटन संबधी चिंताओं के साथ-साथ मानव संसाधन की कमी।

राज्यों की भूमिका –इसके बेहतर क्रियान्वयन हेतु राज्य की भूमिका सर्वोपरि है, क्योंकि :-

- जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है इसलिए स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने सहित जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी वितरण करना राज्य की जिम्मेदारी हैं।
- महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गोवा जैसे विभिन्न राज्यों की स्वयं की स्वास्थ्य देखभाल योजनाएँ हैं, अत: NHPS को इन विभिन्न राज्यों में स्थित भिन्न-भिन्न स्वास्थ्य सेवा बाजार का समेकन करने वाली योजना के रूप में देखा जा रहा है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY)

- 2007-8 में लांच की गई यह योजना असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों एवं कामगारों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना है।
- यह सूचना-प्रौद्योगिकी सक्षम एवं स्मार्ट-कार्ड आधारित कैशलेस स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था करती है, जिसके अंतर्गत प्रति वर्ष 30,000/- रुपए तक फैमिली फ्लोटर बेसिस के आधार पर मातृत्व लाभ भी सम्मिलित है।
- **वित्तपोषण का स्वरुप**: भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिया जाने वाला योगदान 75:25 के अनुपात में होगा।
- इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है।

देश में स्वास्थ्य अवसंरचना

- **निम्न सार्वजनिक व्यय** - भारत में स्वास्थ्य पर कुल सार्वजनिक व्यय, सकल घरेलू उत्पाद का 1.4 प्रतिशत है जो **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति** में परिकल्पित सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% से कम है।
- **जन स्वास्थ्य से संबंधित निम्न स्तरीय अवसंरचना - राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO-2015)** के अनुसार 70% से अधिक बीमारियों (ग्रामीण क्षेत्रों में 72% एवं शहरी क्षेत्र में 79%) का उपचार निम्न स्तरीय जन स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के कारण निजी स्वास्थ्य सुविधाओं में किया जाता था।

VISION IAS

- **आउट ऑफ पॉकेट (OOP) व्यय -** विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 2014 में देश के कुल स्वास्थ्य व्यय का 62.4% आउट ऑफ पॉकेट **(OOP)** (वैश्विक औसत 18%) था, जिसके कारण प्रतिवर्ष भारत की जनसंख्या के 7% लोग निर्धन होते जा रहे हैं।
- विश्व बैंक के अनुसार, भारत का **2014 में $267 के साथ प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य देखभाल व्यय सबसे कम में से एक था,** जो विश्व औसत $1,271 से बहुत नीचे है।

विशेष बिन्दु

- **लक्ष्य -** द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रति वर्ष प्रति घर 5 लाख रूपए तक चिकित्सा उपलब्ध कराना।
- **कवरेज -** सामाजिक-आर्थिक एवं जातिगत जनगणना (SECC) डेटा, 2011 के अनुसार देश भर में अनुमानित 10 करोड़ परिवार, "वंचन और व्यवसाय संबंधी मानदंड" के आधार पर कुल जनसंख्या के 40% का गठन करते हैं।
- **JAM का उपयोग –** यह लाभार्थियों के बेहतर लक्ष्यीकरण करने हेतु कैशलेस और आधार सक्षम होगा।

वित्त - यह एक **केन्द्र प्रायोजित योजना** है जिसमें प्रीमियम के प्रति अंशदान का अनुपात होगा:

- इसके अंतर्गत केन्द्र और राज्य के मध्य **60:40** के अनुपात में वित्त साझा किया जाएगा तथा इसे सभी राज्यों एवं विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा।
- केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों एवं तीन हिमालयी राज्यों के मध्य यह अनुपात **90: 10** का होगा।
- बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के लिए केंद्र द्वारा **100%** का योगदान किया जाएगा।
- **केन्द्रीय वित्तपोषण**: इसके लिए आरंभिक कोष 2000 करोड़ रुपए का घोषित किया गया था और शेष का वित्तपोषण 1% अतिरिक्त उपकर (बजट-2018) के माध्यम से किया जाएगा।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (NHPS), के अंतर्गत **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY)** को समाविष्ट किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (NHA)-** इसकी स्थापना राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (NHPS) का प्रबंधन करने के लिए की जाएगी।
- इसका संचालन जोखिम संयोजन **(रिस्क पूलिंग)** के बीमा सिद्धांत के आधार पर होगा। जब बड़ी संख्या में लोग बीमा योजना के सदस्य बनते हैं, तो उनका केवल एक छोटा समूह ही किसी भी दिए गए वर्ष में अस्पताल में भर्ती होगा।

चुनौतियाँ

- पारिवारिक आय के अतिरिक्त **लाभार्थी की पहचान** अत्यधिक चुनौतीपूर्ण होगी, जिससे भारी असंतोष उत्पन्न होगा।
- **प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की उपेक्षा करना** - ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2016 के अनुसार, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या पिछले तीन दशकों से स्थिर बनी हुई है और यह योजना **स्वास्थ्य देखभाल के अनावश्यक तृतीयककरण(tertiarization of healthcare)** को और अधिक बढ़ा सकती है, परिणामस्वरूप लागत में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी।
- पिछले अनुभव **(राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) का मूल्यांकन)** यह दर्शाते है कि भारत में संस्थागत विशेषज्ञता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा के प्रभावी क्रियान्वयन करने की क्षमता का अभाव है।
- **अंतरराष्ट्रीय अनुभव** ने अनुसार भी बीमा-आधारित स्वास्थ्य देखभाल संबंधी प्रावधान, सरकार के लिए स्वास्थ्य देखभाल वित्तपोषण का एक महंगा मॉडल है।
- **निम्न स्तरीय स्वास्थ्य अवसंरचना** जैसे अस्पताल में बड़ों की संख्या, चिकित्सक (मुख्यतः विशेषज्ञ), स्वास्थ्य देखभाल स्टाफ, नैदानिक सुविधाएं, फार्मेसियाँ आदि जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
- **संघवाद के विपरीत–** इससे राज्यों की स्वयं की नीति निर्माण करने की स्वायत्तता कम हो जाती है, जो कि संवैधानिक रूप से राज्यों के डोमेन में होना चाहिए।
- पिछली योजना के अंतर्गत विद्यमान **अनैतिक चिकित्सा पद्धतियाँ, जैसे** त्वरित मौद्रिक लाभ हेतु अस्पताल में अनावश्यक भर्ती, अस्पताल में भर्ती की अवधि को बढ़ाना आदि।
- **धोखाधड़ी की घटनाएँ** - पंजीकरण, नैदानिक जाँच एवं उपचार के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने एवं सरकारी बीमा योजनाओं के अंतर्गत नकली लाभार्थियों को सम्मिलित कर झूठा बीमा दावा करने के लिए अस्पताल और बीमा कंपनी के मध्य अनैतिक गठजोड़ पाया गया था।
- रोग निगरानी एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय, दोनों ही स्तरों पर भारत की निम्न स्थिति के कारण **संरचनात्मक समस्याएं बनी हुई** हैं।

VISION IAS

आगे की राह

- लंबी अवधि की दीर्घकालीक बीमारी के लिए बाह्य रोगी सेवाओं (outpatient services) पर होने वाले व्यय को साझा कर **आयुष्मान भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इसके दायरे का विस्तार करना।**
- **डाइवर्स डिजीज प्रोफाइल (Diverse disease profile)–** प्रत्येक राज्य को चिकित्सा प्रक्रियाओं की अपनी सूची निर्धारित करने की स्वायत्ता प्रदान की जानी चाहिए।
- योजना को व्यवहार्य और संधारणीय बनाने के लिए **प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना** (NHPS) के अंतर्गत एकीकृत करना।
- रोग में वृद्धि के कारणों, अस्पताल में भर्ती के बोझ को कम करने तथा पोषण की स्थिति में सुधार, जागरूकता और कुशल स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु **निवारक स्वास्थ्य देखभाल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना** (NHPS) का अभिन्न अंग बनाया जाए।
- **ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी का उपयोग बीमा-आधारित NHPS के लिए एक समेकित रोगी इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (EMRs) विकसित करने के लिए किया जा सकता है ताकि धोखाधड़ी पर रोक और जवाबदेहिता एवं निगरानी सुनिश्चित किया जा सके।**
- परिणामों का मापन करने और योजना के दुरुपयोग से निपटने के लिए रोगी और प्रदाताओं दोनों के मध्य **नियंत्रण एवं संतुलन तंत्र की स्थापना।**

महत्व

- यह विश्व का सरकार द्वारा वित्तपोषित सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम होगा।
- इसके द्वारा उत्पादकता में वृद्धि कर, वेतन हानियों और निर्धनता को कम कर **नए भारत 2022 का निर्माण करने में सहायता** प्राप्त होने की संभावना है।
- विभिन्न राज्यों में उपस्थित भिन्न-भिन्न **स्वास्थ्य देखभाल बीमा सुविधाओं को समेकित** करना।
- यह 2025 तक GDP के 2.5 प्रतिशत तक स्वास्थ्य व्यय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता कर सकता है तथा इससे **यूनिवर्सल हेल्थकेयर कवरेज** को प्राप्त किया जा सकेगा।
- यह निजी व सरकारी अस्पतालों में **रोगियों के समान वितरण को बढ़ावा** दे सकती है क्योंकि इस योजना को सार्वजनिक और निजी अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से लागू किया जाएगा।

7.2. भारत में शहरी पोषण

(Urban Nutrition In India)

सुर्खियों में क्यों?

शहरी पोषण पर शहरी हंगामा (HUNGaMA) (भूख और कुपोषण) रिपोर्ट, 2014 में कुपोषण के विरुद्ध नागरिकों के गठबन्धन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर जारी की गई थी।

विवरण

- शहरी हंगामा (HUNGaMA) सर्वेक्षण 2014 भारत के 10 सबसे बड़े शहरों में 0-59 महीने की आयु के बच्चों के आवश्यक पोषण आंकड़ों को संग्रहित करने हेतु किया गया था।
- सर्वेक्षण में संग्रहित किए आंकड़े पोषण (वजन, ऊंचाई, आयु) एवं परिवार (माता-पिता की स्कूली शिक्षा के वर्षों, धर्म, सेवाओं तक पहुँच) से संबंधित थे।

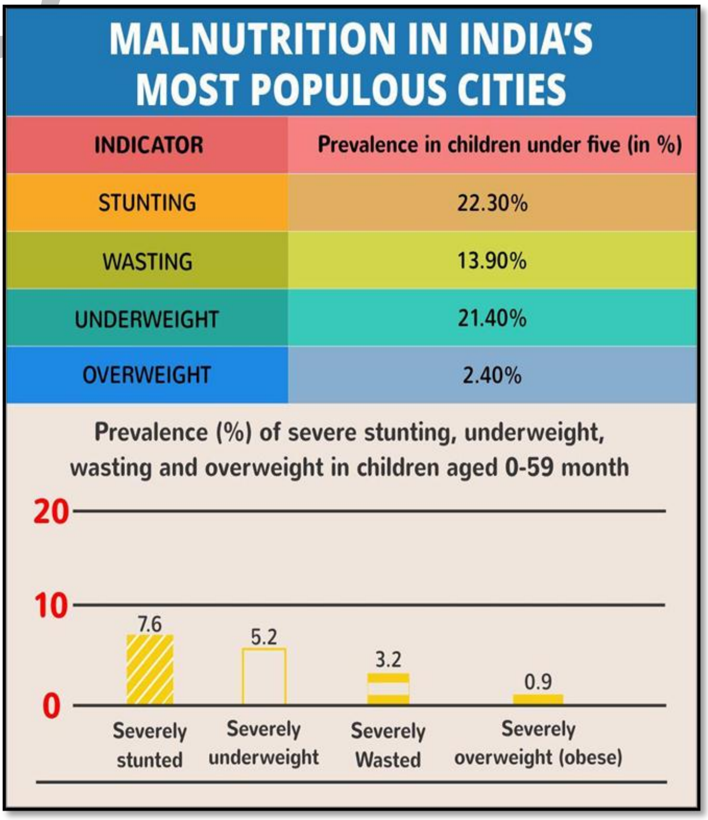

शहरी पोषण संबंधी समस्याएं

शहरी पोषण संबंधी समस्याओं का परिणाम मोटापे से लेकर कुपोषण तक विस्तृत होता है।

- कई निर्धनों के लिए, भोजन की कमी मुख्य समस्या नहीं

VISION IAS

है बल्कि यह कमी स्वयं और अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए उपभोग किए जाने वाले सस्ते खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न होती है।

  - निम्न स्तरीय पोषण की इन "लागतों" के कारण स्वास्थ्य देखभाल संबंधी लागतों में और अधिक वृद्धि होती हैं, जिसके कारण वे उत्तरोत्तर गरीबी के चक्र में फंसते चले जाते हैं।
- इसके अतिरिक्त, शहरी जीवनशैली में शारीरिक गतिविधियों की कमी होती है और साथ ही ऊर्जा का अत्यधिक उपभोग किया जाता है, परिणामस्वरूप अधिकतर शहरों में बढ़ते मोटापे और आहार-संबंधी दीर्घकालिक रोगों की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
  - शहरी आहारों में अधिक ऊर्जा और वसा घनत्व वाले खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की प्रवृति पाई जाती है, जिनसे दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

भारत में बढ़ते शहरीकरण के कारण पोषण से जुड़ी चुनौतियों की संभावना व्यापक पैमाने पर बनी रहती है, जिसका अध्ययन सर्वेक्षण में किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

- इसने **कुपोषण से संबंधित सभी संकेतकों** के लिए लड़के और लड़कियों के मध्य निम्न अंतराल को प्रदर्शित किया है। यह लड़के और लड़कियों के मध्य बहुत ही कम अंतराल को प्रदर्शित करता है: कुपोषण के प्रत्येक मापन के अंतर्गत लड़कियों की तुलना में लड़के अधिक कुपोषित पाए गए थे।
- इस निष्कर्ष में ऐसे बच्चों के मध्य कुपोषण का पर्याप्त उच्च प्रसार हुआ हैं, जिनकी माताओं ने **निम्न या बिल्कुल भी स्कूली शिक्षा** प्राप्त नहीं की थी।
- निम्न सम्पत्ति वाले परिवारों की तुलना में **उच्च सम्पत्ति** वाले परिवारों के मध्य बाल कुपोषण की व्यापकता पर्याप्त रूप से कम थी। जबकि अति-पोषण के मामले में, उच्च सम्पत्ति वाले परिवारों के बच्चों की संख्या अधिक थी।
- सर्वेक्षण के पूर्ववर्ती माह में केवल 37.4% परिवारों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग किया था, जो सूरत में सबसे कम (10.9%) और कोलकाता में सबसे अधिक (86.6%) था।
- चार बच्चों में एक से भी कम बच्चे को ऐसा आहार प्रदान किया गया था जो स्वस्थ वृद्धि और विकास के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

7.3. नवजात शिशुओं पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता

(Need to Focus on Newborns)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यूनिसेफ ने हाल ही में नवजात मृत्यु दर पर "एवरी चाइल्ड अलाइव" नामक एक रिपोर्ट जारी की है।

नवजात मृत्यु दर (NM) – इसे जीवन के प्रथम चार सप्ताह के भीतर मृत्यु होने के रूप में परिभाषित किया गया है।

शिशु म़त्यु दर(CM) – इसे पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु के रूप में परिभाषित किया गया है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य और आंकड़े

- सभी नवजात शिशुओं में से 80 प्रतिशत से अधिक की मृत्यु ऐसे कारणों से हुई हैं, जिन्हें बुनियादी समाधानों के माध्यम से दूर किया जा सकता है।
- **"एवेरी न्यूबोर्न एक्शन प्लान (Every Newborn Action Plan)"** के अनुमानों के अनुसार, देखभाल में सुधार कर प्रत्येक वर्ष 3 मिलियन माताओं, नवजात शिशुओं और मृत-जन्मे बच्चों के जीवन को बचाया जा सकता है।
- हाल के दशकों में NM की दर (49%) में गिरावट आई है, लेकिन यह दर अभी भी 1 महीने से 5 वर्ष की आयु के बच्चों (62%) को प्राप्त होने वाले प्रभावी लाभों से दूर हैं।
- प्रत्येक वर्ष, लगभग 2.6 मिलियन शिशु मृत-जन्म लेते हैं, जिनमें अधिकांश मृत्यु निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं।

एवेरी न्यूबोर्न एक्शन प्लान (Every Newborn Action Plan)

- इसका नेतृत्व WHO और UNICEF द्वारा किया जा रहा है।
- 2014 में, 67वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 194 सदस्य देशों (भारत सहित) द्वारा कार्य योजना की पुष्टि गयी थी।
- यह नवजात मृत्यु और मृत-जन्मे बच्चों की रोकथाम करने हेतु सामरिक कार्ययोजना का एक रोडमैप प्रस्तुत करती है और मातृ मृत्यु दर व रुग्णता को कम करने में योगदान करती है।

VISION IAS

रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं

- NM की उच्च दर के कारणों की दो प्रमुख कारकों के आधार पर व्याख्या की जा सकती है।
- निवारक कारण जैसे, अपरिपक्वता, जन्म के समय की जटिलताएं और सेप्सिस, मैनिंजाइटिस और निमोनिया जैसे संक्रमणों के लिए व्यापक-व्यवस्था आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है क्योंकि उनका उपचार एकल दवा से नहीं किया जा सकता।
- विश्व समुदाय द्वारा NM को समाप्त करने की चुनौती की ओर ध्यान न दिया जाना।
- नवजात की उत्तरजीविता उस देश के आय स्तर से निकटता से सम्बन्धित है। उदाहरण के लिए, जापान में NM 1000 पर एक है, जबकि पाकिस्तान में यह 1000 पर 46 है।
- हालाँकि, एक देश की आय का स्तर, कहानी का केवल एक पक्ष ही उजागर करता है। भले ही संसाधन सीमित हों, परन्तु एक सशक्त स्वास्थ्य व्यवस्था में नवजात शिशुओं को प्राथमिकता प्रदान करना और निर्धनतम एवं सर्वाधिक सीमांत लोगों तक पहुंच पाने और उसमें निवेश करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति का होना अति महत्त्वपूर्ण है, इससे बहुत बड़ा अंतर लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक निम्न आय वाले देश रवांडा ने 1990 की NM दर को 41 से घटाकर 2016 में 17 कर दिया था।
- पारिवारिक सम्पदा, माता की शिक्षा और शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में निवास आदि कारकों के आधार पर एक देश के भीतर भी NM भिन्न-भिन्न हो सकती है।
- निम्नतम NM जापान में है और उच्चतम NM पाकिस्तान में है।

भारत में स्थिति

- 2016 में 6,40,000 नवजात शिशुओं की मृत्यु के साथ, भारत में मरने वाले बच्चों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है।
- भारत में पांच वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या 2016 में पहली बार 1 मिलियन से कम हो गयी थी।
- पांच वर्ष से कम आयु की बालिका मृत्यु दर, बच्चों की प्रति हजार 37 की मृत्यु दर की तुलना में प्रति हजार 41 है जो बच्चों से 11 प्रतिशत अधिक थी।
- भारत की पांच वर्ष से कम आयु की वर्तमान मृत्यु दर 39/1000 है।
- गिरावट की वर्तमान दर के कारण, भारत सतत् विकास लक्ष्य (SDG) के 2030 तक प्रति 1000 जीवित जन्म पर 25 की मृत्यु दर प्राप्त करने दिशा में आगे बढ़ रहा है।
- भारत की (2016) नवजात शिशु मृत्यु दर 25.4/1000 थी।

उच्च नवजात मृत्यु दर वाले देशों के लिए प्रभावी नीतिगत कार्य:

- पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के द्वारा मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार करना, NM के मुख्य कारणों से निपटने के लिए सुविधाओं को बढ़ावा देना, समुदाय की आसान पहुंच सुनिश्चित करना आदि।
- गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, जो न केवल यह सुनिश्चित करे कि संसाधन एवं सेवाएँ किस प्रकार विद्यमान हैं बल्कि यह भी सुनिश्चित करे कि उन्हें किस प्रकार स्थापित किया गया हैं।

संबंधित सूचना - इंडिया न्यूबोर्न एक्शन प्लान(India Newborn Action Plan)-2014

- यह महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए वैश्विक रणनीति को आगे बढ़ाने के ENAP के प्रति भारत की प्रतिबद्ध अनुक्रिया है।
- इसका लक्ष्य 2030 तक नवजात शिशु मृत्यु दर और मृतजात दर (Stillbirth Rate) को एकल-अंकीय करना है।
- इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के वर्तमान प्र**जनन, मातृत्व, नवजात, शिशु और किशोरावस्था स्वास्थ्य (RMNCH+1)** ढांचे के भीतर ही कार्यान्वित किया जाना है।
- इस हस्तक्षेप के **छह स्तंभों** में शामिल हैं:
  - गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व देखभाल
  - प्रसव और शिशु जन्म के दौरान देखभाल
  - नवजात शिशु की तात्कालिक देखभाल
  - स्वस्थ नवजात की देखभाल
  - छोटे और बीमार नवजात की देखभाल
  - नवजात के बचने के बाद की देखभाल (Care beyond newborn survival)

VISION IAS

7.4 'स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत' रिपोर्ट

(Healthy States, Progressive India Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में नीति-आयोग द्वारा 'स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत' शीर्षक नाम से एक व्यापक स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की गई।

रिपोर्ट के सम्बन्ध में

- यह एक वार्षिक रिपोर्ट है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य परिणामों में वृद्धिशील परिवर्तनों और एक दूसरे की तुलना में समग्र प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को विभिन्न श्रेणियों में रखा गया है।
- **नीति आयोग** द्वारा इसे **टेक्निकल असिस्टेंट एजेंसी (विश्व बैंक), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW),** राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के विशेषज्ञों और अन्य विकास भागीदारों के परामर्श द्वारा विकसित किया गया है।
- इसका उद्देश्य वांछित स्वास्थ्य परिणामों को प्राप्त करने हेतु राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मध्य **सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक** भावना को प्रोत्साहित करना है।
- यह स्वास्थ्य सूचकांक तीन प्रमुख श्रेणियों (डोमेन) पर आधारित है, जो परिणाम, शासन एवं सूचना तथा महत्त्वपूर्ण आगतों पर फोकस करते हैं -
  - **स्वास्थ्य परिणाम–** सूचकांक के कुल स्कोर में 70% भारिता प्रदान करने वाले 10 संकेतकों को सर्वोच्च महत्त्व प्रदान किया गया है। इस डोमेन के मुख्य संकेतक नवजात मृत्यु दर, पांच वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर और जन्म के समय लिंगानुपात आदि हैं।
  - **शासन और सूचना–** इस रिपोर्ट में 12% भारिता वाले 3 संकेतक हैं – आंकड़ों की प्रमाणिकता सम्बन्धी उपाय, किसी अधिकारी की पदधारण की औसत अवधि (संगठन की स्थिरता को दर्शाता है) और सभी जिलों के पूर्णकालिक अधिकारियों की पदधारण की औसत अवधि।
  - **प्रमुख आगतें और प्रक्रियाएं –** 18% भारिता वाले 10 संकेतकों के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के रिक्त पदों का भाग, कुल कर्मचारियों का वह भाग जिसके लिए ई-पेस्लिप उत्पन्न की जा सकती है, आदि सम्मिलित किये गए हैं।
- राज्यों का वर्गीकरण आंकड़ों की उपलब्धता के आधार पर और इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य पर किया गया है कि एक समान राज्यों की ही परस्पर तुलना होनी चाहिए। इसलिए, राज्यों को बड़े राज्य, छोटे राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है।
- उपर्युक्त श्रेणियों के आधार पर राज्यों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है – ऐस्परन्ट (Aspirants)(48 से कम अंक प्राप्त करने वाले निचले पायदान के एक तिहाई राज्य), अचीवर (Achievers)(48 और 63 के मध्य अंक प्राप्त करने वाले बीच के एक तिहाई राज्य) और 63 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले फ्रंट रनर (Front runners) राज्य।
- सूचकांक के कुल अंकों की गणना एक आधार वर्ष अर्थात् 2014-15 और एक सन्दर्भ वर्ष अर्थात् 2015-16 के आधार पर की जाती है। वृद्धिशील रैंक की माप इन दोनों वर्षों की अवधि के मध्य के प्रदर्शन अंतर के आधार पर की जाती है।
- सूचकांक के लिये आंकड़ों के स्रोत हैं: नमूना पंजीकरण प्रणाली, स्वास्थ्य प्रबन्धन सूचना प्रणाली, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़े, राज्य रिपोर्ट, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नागरिक पंजीकरण प्रणाली आदि।

सूचकांक के उद्देश्य हैं -

- प्रमुख स्वास्थ्य परिणामों, स्वास्थ्य प्रणाली और सेवा वितरण सूचकांकों के आधार पर समग्र स्वास्थ्य सूचकांक विकसित करना।
- राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी और स्वामित्व को सुनिश्चित करने के लिए वेब आधारित पोर्टल पर स्वास्थ्य सूचकांक आंकड़ों को जमा करना।
- स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा निष्पक्ष सत्यापन के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा देना।
- वार्षिक समग्र प्रदर्शन के आधार पर स्वास्थ्य सूचकांक स्कोर का निर्माण और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक प्रदान करना।

THE GAP BETWEEN BEST-PERFORMING AND LEAST-PERFORMING STATES

INDEX	BEST-PERFORMER		LEAST-PERFORMER		GAP
Overall index	Kerala	76.55	Uttar Pradesh	33.69	42.86
Health outcomes	Kerala	82.89	Rajasthan	29.58	53.31
Key input and processes	Tamil Nadu	78.06	Uttar Pradesh	25.02	53.04

UN-SDG & National Health Policy: how states have performed versus goals

HEALTH INDICATOR	UN-SDG	NHP	BEST-PERFORMER	LEAST PERFORMER
Neonatal mortality rate	Under 12 by 2030	Under 16 by 2025	Kerala (6)	Odisha (35)
Under 5 mortality rate	Under 25 by 2030	Under 23 by 2025	Kerala (13)	Assam Madhya Pradesh (62)
Total fertility rate	Below replacement level (2.1)	Below replacement level (2.1)	Tamil West Bengal (1.6)	Bihar (3.3)
Low birth weight	NA	NA	Telangana (5.7)	Rajasthan (25.5)
Sex ratio at birth	NA	NA	Kerala (967)	Harayana (831)

VISION IAS

सूचकांक के प्रमुख निष्कर्ष

आगे की राह

- स्वास्थ्य, राज्य सूची का विषय है। अतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्यों और सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए, स्वास्थ्य देखभाल की पहल को प्रोत्साहित करने हेतु यह सूचकांक एक स्वागतयोग्य कदम है।
- हालाँकि प्रक्रिया में और अधिक सुधार करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाये जा सकते हैं:
    - चूंकि सूचकांक, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान करता है, साथ ही इसके द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहन सहित सूचकांक से जोड़ने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए।
    - समयबद्धता, निरंतरता, सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य संबंधी आकंड़ा प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए।
    - अधिक व्यापक कवरेज के लिए संभावित क्षेत्रों और नए स्रोतों से संबंधित आंकड़ों, जैसे कि निजी क्षेत्र के आंकड़ों आदि को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

7.5. इंडिया हेल्थ फण्ड

(India Health Fund)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ग्लोबल फण्ड के सहयोग से टाटा ट्रस्ट द्वारा इंडिया हेल्थ फण्ड (IHF) की स्थापना की गई है। इसके द्वारा क्षय रोग और मलेरिया से निबटने के लिए डिजाइन किये गये नवाचार और प्रौद्योगिकियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

क्षय रोग (TB), बैक्टरिया (माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस) के कारण फैलता है। प्रायः इस रोग से फेफड़े प्रभावित होते हैं क्षय रोग उपचार और रोकथाम योग्य है। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे में हवा के माध्यम से फैलता है।
मलेरिया रक्त संबंधित एक रोग है। यह **प्लास्मोडियम पैरासाइट** के कारण होता है। यह रोग मच्छरों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलाया जाता है। मनुष्यों में मलेरिया केवल **मादा एनोफेलीज प्रजाति** द्वारा ही फैलता है। लगभग 430 एनोफेलीज प्रजातियों में से केवल 30-40 द्वारा ही मलेरिया फैलता है।

प्रमुख तथ्य

- भारत के लिए क्षय रोग एवं मलेरिया ने लम्बे समय से स्वास्थ्य चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। इन दो रोगों के कारण प्रति वर्ष 4.23 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है तथा प्रतिवर्ष लगभग 15 मिलियन नए मामले सामने आते हैं।
- **इसे 2025 तक क्षय रोग और 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ संरेखित किया गया है।**
- IHF का उद्देश्य **पहले से स्थापित नवाचारी रणनीतियों, सेवाओं, उत्पादों से सम्बद्ध** संगठनों और व्यक्तियों की सहायता करना है। यह अनुसन्धान आरंभ करने हेतु कोई फेलोशिप नहीं है।
- **ग्लोबल फण्ड का निर्माण एड्स, क्षय रोग और मलेरिया** जैसी महामारियों के उन्मूलन में तेजी लाने हेतु किया गया है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। यह सरकारों, नागरिक समाजों, निजी क्षेत्र और रोग से प्रभावित लोगों के मध्य एक साझेदारी है।

7.6. उत्कृष्टता के संस्थान

(Institute of Eminence)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने शीर्ष 20 उत्कृष्ट उच्च शिक्षा संस्थानों की पहचान करने हेतु एन. गोपालस्वामी की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है।

उच्च शिक्षा में निराशाजनक प्रदर्शन के कारण

- पीएचडी-योग्य शोधकर्ताओं की निम्न संख्या, शोध उत्पादकता और नवाचारी विचारों को बाधित करती है।
- कुछ विश्वविद्यालयों में अपर्याप्त शिक्षक/छात्र अनुपात है।
- विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी समर्थित शिक्षा के साथ समेकन की कमी।
- पुराने पाठ्यक्रम और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रायोगिक कार्यों की कमी आदि।
- संस्थानों को चलाने के लिए अपर्याप्त अवसंरचना के साथ-साथ फंड की अनुपलब्धता।

ऐसे संस्थानों की विशेषताएं -

- इन संस्थानों को मुख्यतः बहु-विषयक होना चाहिए और असाधारण उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण एवं शोध, दोनों पर ही केन्द्रित होना चाहिए।
- इन संस्थानों द्वारा नियमित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त, विभिन्न अंतर्विषयक पाठ्यक्रम भी उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। इन अंतर्विषयक पाठ्यक्रम में उभरती हुई प्रौद्योगिकियों एवं सरोकारों वाले पाठ्यक्रमों के साथ-साथ भारत जैसे देशों की विकास संबंधी चिन्ताओं के लिए प्रासंगिक पाठ्यक्रम भी सम्मिलित होने चाहिए।
- **घरेलू और विदेशी छात्रों** का उचित सम्मिश्रण होना चाहिए।
- प्रवेश के लिए एक **योग्यता आधारित पारदर्शी** चयन प्रक्रिया होनी चाहिए, ताकि मेधावी छात्रों के प्रवेश पर फोकस बना रहे।
- विश्व स्तरीय संस्थान के रूप में घोषित किये जाने के तीन वर्षों के पश्चात शिक्षक-छात्र अनुपात 1:10 से कम नहीं होना चाहिए।
- संस्थान के पाठ्यक्रमों से संबंधित प्रतिष्ठित पत्रिकाओं की सदस्यता सहित संस्थान में एक **विश्व स्तरीय पुस्तकालय** होना चाहिए।
- यहाँ विश्व स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों के समान ही **छात्र सुविधाएँ** उपलब्ध होनी चाहिए।
- संस्थान के पास उपयुक्त रूप से बड़ा परिसर होना चाहिए और भविष्य में स्वयं के विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान भी उपलब्ध होना चाहिए।

उत्कृष्टता के संस्थान

- **UGC (इंस्टीटूशन्स ऑफ़ एमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज) रेगुलेशन 2017,** उन सभी संस्थानों को विनियमित करेगा, जिन्हें प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान की गई हैं, ताकि उनकी पूर्ण शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित की जा सके।
- ये विनियम UGC के अन्य सभी विनियमों का अधिरोहण (override) करेंगे और UGC के प्रतिबंधात्मक निरीक्षण व्यवस्था और शुल्क एवं पाठ्यक्रम पर नियामकीय नियन्त्रण से संस्थानों को मुक्त रखेंगे।

IoE के लाभ

- IOE, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन, छात्र शुल्क, पाठ्यक्रम एवं विषय सामग्री तथा अन्य मामलों सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वायत्तता का उपभोग करेंगे।
- IOE के रूप में मान्यता, संस्थान को और अधिक प्रतिष्ठा प्रदान करेगी जो अधिक निधीयन तथा विश्व स्तर के विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग में वृद्धि को आकर्षित करेगा।

सम्मिलित मुद्दे

संस्थानों के स्तर पर

- **आरक्षण व्यवस्था** के लागू न होने के कारण इन संस्थानों को समाज के एक विशेष वर्ग के असंतोष का सामना करना पड़ सकता है।
- UGC की पर्यवेक्षी सहायता की अनुपस्थिति के कारण, दीर्घकाल में ये संस्थान राजनीतिक प्रभाव में आ सकते हैं और इनके अनुसन्धान की गुणवत्ता में कमी आ सकती है।
- प्रतिभा पलायन से बचने के लिए शोधकर्ताओं को **सामाजिक-आर्थिक प्रोत्साहन** दिए जाने चाहिए।

रैंकिंग पद्धति के स्तर पर

- स्वतंत्र रूप से आयोजित किए गए सर्वेक्षणों का उपयोग कर अनुमानित किए गए **सब्जेक्टिव परसेप्शन-बेस्ड मैट्रिक्स** पर अत्यधिक बल दिया गया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग सर्वेक्षणों में** भारत ने सामान्य रूप से और शिक्षाविदों/शोधकर्ताओं के स्तर पर ऐतिहासिक रूप से बहुत कम भागीदारी की है, जिससे भारत का औसत प्रदर्शन कम ही बना रहा है।
- राष्ट्रीय महत्त्व, केंद्र, राज्य, राज्य के निजी, एवं डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में **संस्थानों के जटिल वर्गीकरण** तथा UGC, AICTE, NBA, NAAC जैसे विभिन्न निकायों द्वारा अति विनियमन ने भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग को बाधित किया है।

आगे की राह

- भारत को विश्वविद्यालयों में **विशेषीकृत शोध** करने की वर्तमान प्रथा के स्थान पर आधारभूत शोध करने के अमेरिकी मॉडल को अपनाना चाहिए। भारत की वर्तमान शोध व्यवस्था, शोध कार्य हेतु निम्न पंजीकरण का कारण हो सकती है।
- नेशनल फाउंडेशन फॉर रिसर्च इन साइंस, टैक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिटीज के गठन की आवश्यकता है। इसके लिए कम से कम 5,000 करोड़ रूपये की वार्षिक गैर-व्यपगतनीय (non-lapsable) अनुदान राशि होनी चाहिए ताकि अनुसंधान अनुदान प्रतिस्पर्धात्मक और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर प्रदान किया जा सके।
- उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन और स्थानीय राज्य विश्वविद्यालयों का लेखा-परीक्षण महत्त्वपूर्ण है।

VISION IAS

7.7. तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम

(Technical Education Quality Improvement Programme : TEQIP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने **TEQIP के तीसरे चरण के एक भाग के रूप में** IITs, NITs जैसे **प्रमुख कॉलेजों के स्नातकों को** पिछड़े जिलों के इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाने हेतु 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

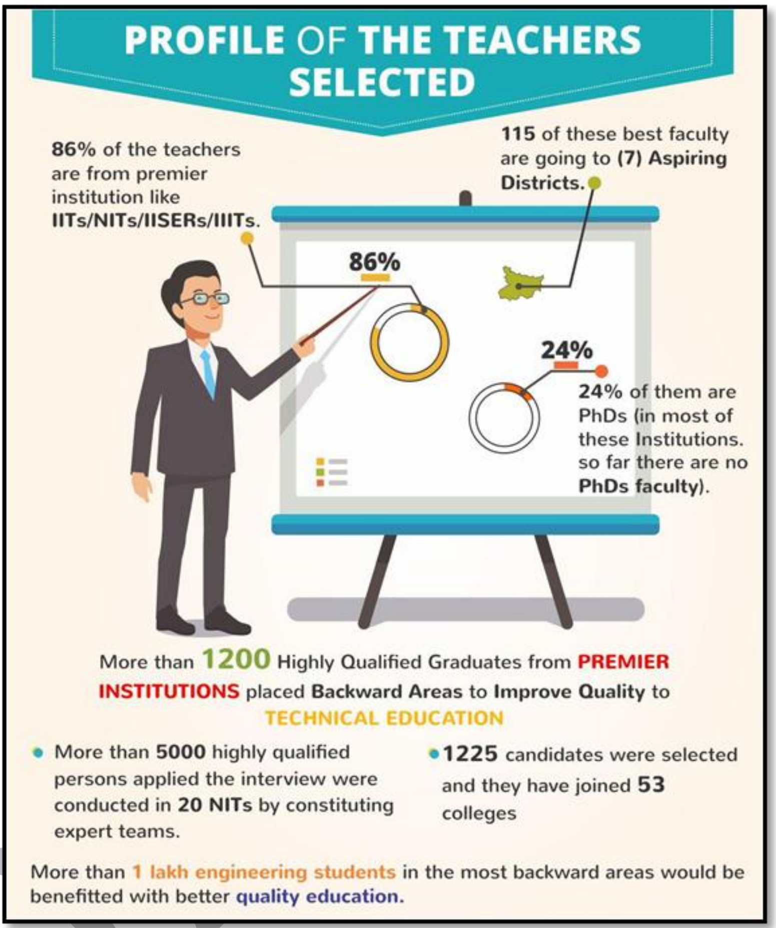

TEQIP के सम्बन्ध में

- 2002 में HRD मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ की गयी इस योजना का उद्देश्य निम्न आय वाले राज्यों और विशेष श्रेणी के राज्यों (SCS) में **तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।**
- TEQIP को भारत सरकार द्वारा 10–12 वर्षों की अवधि के 2-3 चरणों वाले कार्यक्रम के रूप में विश्व बैंक की सहायता से प्रारम्भ किया गया है।
- वर्तमान योजना के तीसरे चरण का मुख्य फोकस मध्य, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों पर है।
- **TEQIP के अंतर्गत किये गये उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:**
    - **संस्थान आधारित:** नेशनल बोर्ड ऑफ़ एक्रेडिटेशन (NBA) के माध्यम से पाठ्यक्रमों का प्रमाणन, प्रशासन-सुधार, प्रक्रियाओं में सुधार, डिजिटल पहल तथा कॉलेजों के लिए स्वायत्तता प्राप्त करना।
    - **छात्र आधारित:** शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण, कक्षा के कमरों को सभी प्रकार के साधनों से सुसज्जित करना, पाठ्यक्रमों में संशोधन, छात्रों व उद्योगों के मध्य अन्योन्यक्रिया, छात्रों के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप, छात्रों को उद्योग-आधारित कौशल का प्रशिक्षण तथा उन्हें GATE आदि परीक्षाओं के लिए तैयार करना।

आगे की राह

अस्थाई शिक्षक (faculty) उतने लाभप्रद नहीं होते जितना स्थायी शिक्षक हो सकते हैं। इसलिए राज्य सरकारों को प्रतिभाशाली स्नातकों के व्यापक समूह (pool) से या इस समूह के बाहर से बेहतर स्थायी शिक्षकों की भर्ती के लिए कदम उठाने चाहिए।

7.8. रिवाइटलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन

(Revitalization Infrastructure and Systems in Education)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार द्वारा 2018 के केन्द्रीय बजट में रिवाइटलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन (RISE) नामक एक नयी योजना की शुरुआत की गई है।

RISE के संबंध में

- यह केन्द्रीय वित्त पोषित संस्थानों जैसे- IITs, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और ऐसे ही अन्य संस्थाओं **में निवेश को प्रोत्साहित** करने के लिए एक नयी पहल है।
- वित्तपोषण, **उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी** (HEFA) के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी [HEFA] के संबंध में

- यह भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केनरा बैंक का एक संयुक्त उपक्रम है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी** (NBFC) के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है।

- यह एक **मार्केट-लिंक्ड एजूकेशन फाइनेंसिंग सिस्टम** उपलब्ध कराने का प्रयास है।
- इसका उद्देश्य सरकार के उच्च शैक्षणिक संस्थानों को **निम्न लागत वाली निधि उपलब्ध** कराना है।

7.9. एजुकेशन डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड

(Education Development Impact Bond)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट द्वारा भारत के लिए **1 करोड़ डॉलर का एजुकेशन डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉण्ड** तैयार किया गया है।

बॉण्ड का परिचय

- यह एक नवाचारपूर्ण तथा सतत सामाजिक प्रभाव वाला निवेश का साधन होगा जो भारत में शैक्षिक पहलों के निष्पादन तथा उनसे प्राप्त परिणामों से जुड़ा होगा।
- इससे कई प्रकार की गतिविधियों के लिए **निधि** प्राप्त होगी। इन गतिविधियों में प्रधानाचार्यों तथा शिक्षकों का प्रशिक्षण, प्रत्यक्ष विद्यालय प्रबंधन तथा सहायक कार्यक्रम भी सम्मिलित होंगे।
- डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉण्ड की अवधारणा, विकास के लिए **परिणाम-आधारित मार्ग** से पूँजी को आकर्षित करने पर आधारित है, जिसमें आंकड़ों तथा प्रमाणों पर अत्यधिक बल दिया जाएगा।
- इसका मुख्य बल दिल्ली, गुजरात तथा राजस्थान के सीमांत समुदायों के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले दो लाख से अधिक विद्यार्थियों में **साक्षरता तथा संख्यात्मक ज्ञान के स्तरों में सुधार** करने पर है।
- इस बॉण्ड को परोपकार के एक रूपांतरणकारी साधन के रूप में **सामाजिक प्रभाव वित्त-पोषण पर अधिक बल** देने की दिशा में उठाए गए कदम के रूप में वर्णित किया गया है।
- यू.के. सरकार के डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (DfID) द्वारा व्यापक साझेदारी के एक भाग के रूप में इस परियोजना को तकनीकी सहायता तथा अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराई जाएगी।

7.10. राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण

(National Achievement Survey)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण ज़ारी किया गया।

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एक परिचय

यह पांच मुख्य विषयों, अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण तथा एनुअल स्टेटस ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट (ASER) के मध्य तुलना	
राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण	ASER
यह एक विद्यालय आधारित सर्वेक्षण है।	यह घर या परिवार आधारित सर्वेक्षण है।
यह सर्वेक्षण NCERT द्वारा कक्षा 3, 5 तथा 8 के विद्यार्थियों के लिए किया जाता है।	इसे ASER के केंद्र (प्रथम) द्वारा किया जाता है।
यह कागज़-कलम परीक्षण आधारित होता है।	एक-एक विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है।
इसमें सरकारी विद्यालयों में नामांकित बच्चों को लिया जाता है।	विद्यालय जाने वाले या नहीं जाने वाले, सभी बच्चों को इसमें सम्मिलित किया जाता है।
यह विविध प्रकार के कौशलों पर आधारित होता है।	इसमें पठन तथा गणित जैसे आधारभूत कौशलों पर ध्यान दिया जाता है।
यह शहरी तथा ग्रामीण, दोनों ही क्षेत्रों के लिए होता है।	यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होता है।

सर्वेक्षण के निष्कर्ष

- कक्षा III से कक्षा VIII की ओर बढ़ने पर पर्यावरण विज्ञान, भाषा और गणित में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में गिरावट आयी है।
- इस धारणा के विपरीत कि शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होती है, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों ने शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों से अधिक अंक प्राप्त किए।
- कक्षा V तथा VIII में अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों ने सामान्य श्रेणी के बच्चों की अपेक्षा अधिक अंक प्राप्त किए।

VISION IAS

- सभी स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के औसत अंक निम्नतम थे जबकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों ने कुछ अधिक अंक प्राप्त किए।
- छात्राओं ने छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया।

7.11. खाप पंचायत

(Khap Panchayats)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि खाप पंचायतों या उससे जुड़ी किसी भी संस्था द्वारा अंतरजातीय विवाह करने वाले किसी भी वयस्क पुरुष और महिला पर किया गया कोई भी हमला पूर्णतः गैर-कानूनी होगा।

खाप पंचायतों के बारे में

ये ऐसी परम्परागत सामाजिक संस्थाएँ हैं जो ग्रामीण समुदायों में विवादों के समाधान से सम्बंधित हैं। ये वैध रूप से चयनित ग्राम पंचायतों से पूर्णतः तथा औपचारिक रूप से विलग होती हैं तथा इनके निर्णयों को न्यायालयों की दृष्टि में क़ानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है।

- ये हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित हैं। यद्यपि इनका अस्तित्व सम्पूर्ण उत्तर भारत में किसी न किसी रूप में है। सामान्यतः, खाप पंचायतें पूर्णतः पुरुष प्रधान संस्था होती है तथा इसके नेता निर्वाचित नहीं बल्कि सामाजिक प्रभाव के आधार पर चयनित होते हैं।

खाप पंचायतों द्वारा उठाए गए अतिरंजित निर्णयों के विरुद्ध सरकारी कदम

खाप पंचायतों से सम्बंधित, विशेष रूप से ऑनर किलिंग को रोकने के लिए, दो विधि आयोगों द्वारा ड्राफ्ट किए गए विधेयक

- **विधिविरुद्ध जमाव का प्रतिषेध (वैवाहिक साहचर्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप) विधेयक, 2011**
- **इंनडेंजरमेंट ऑफ़ लाइफ एंड लिबर्टी (प्रोटेक्शन, प्रॉसिक्यूशन एंड अदर मेज़र्स) बिल, 2011**

ये दोनों विधेयक केवल प्रस्ताव के रूप में हैं तथा खाप पंचायतों के प्रभाव को कम करने के लिए अब तक कोई ठोस वैधानिक सुधार सामने नहीं आया है।

इस सम्बन्ध में सुझाए गए कुछ विधायी कदम या उपाय निम्नलिखित हैं-

- ऑनर किलिंग के मामलों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन;
- विवाह के पंजीकरण की अवधि कम करने के लिए विशिष्ट विवाह अधिनियम में संशोधन;
- अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराना।

महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम,निषेध,और निवारण) अधिनियम, 2016 जाति, समुदाय, धर्म, रिवाज़ों तथा परम्पराओं के आधार पर सामाजिक बहिष्कार को प्रतिबंधित करता है।

खाप पंचायतों के प्रभाव को कम करने के लिए न्यायिक फैसले।

- लक्ष्मी कछवाहा बनाम राजस्थान राज्य मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जातिगत पंचायतों का कोई न्यायाधिकार क्षेत्र नहीं होता तथा वे किसी पर आर्थिक दंड या बहिष्कार का प्रावधान नहीं कर सकतीं।
- अर्मुगम सेरवई बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि खाप अवैध होती हैं तथा उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए।

खाप के विवादास्पद पहलू

- खाप पंचायतें बहुधा **संविधानेत्तर प्राधिकरणों** की भाँति कार्य करती हैं। वे प्रायः ऐसे निर्णय सुनाती हैं जिनसे जीवन और स्वतन्त्रता के अधिकार, निजता के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, संगठन बनाने के अधिकार, आवागमन तथा शारीरिक एकात्मकता के अधिकार जैसे मूल मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है।
- ये **ऑनर किलिंग**, बलात् विवाह, मादा भ्रूण हत्या, व्यक्तियों तथा परिवारों के सामाजिक बहिष्कार तथा न्याय प्रदान करने के मनमाने तरीकों आदि से जुड़ी रही हैं। ये लोगों को **डरा कर चुप करने** की संस्कृति को बढ़ावा देती हैं।
- **पंचायती राज में विद्यमान कमियों** के कारण इन्हें और बढ़ावा मिलता है। इनकी उस क्षेत्र में सशक्त राजनीतिक पकड़ होती है जिसमें ये कार्य कर रही होती हैं, इसलिए किसी भी राजनीतिक दल को उनके निर्णयों के विरुद्ध जाने की स्वतन्त्रता नहीं होती। यहाँ तक की पुलिस जैसा सरकारी तंत्र भी उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में हिचकता है।
- ये अतिवादी **पुरुषसत्तात्मक संगठन** हैं तथा अधिकांशतः युवा महिलाएँ उनके मनमाने निर्णयों का शिकार होती हैं। खाप पंचायतें युवा महिलाओं के लिए विशेष वस्त्र अनुशंसित करती हैं, उनके बाहर आने-जाने तथा रोज़गार संबंधी विकल्पों पर भी रोक लगाती हैं तथा मनपसंद जीवन-साथी चुनने के अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाती हैं।
- इन संगठनों की सतत विद्यमानता सामाजिक गतिशीलता, विकास, पारिवारिक संबंधों व विश्वास को बाधित करती है तथा इनमें सामाजिक समानुभूति, करुणा, भ्रातृत्व आदि का अभाव परिलक्षित होता है।

VISION IAS

अन्य संबंधित पहलू

- हालांकि ये अवैध संगठन नहीं, बल्कि युगों पुरानी सामाजिक संस्थाएँ हैं जो एक ही कुल से जुड़े होने की भावनाओं तथा सांस्कृतिक जुड़ावों पर आधारित हैं तथा यही इन्हें शक्ति प्रदान करते हैं।
- ये पंचायतें गाँवों में चारागाहों, खेल के मैदान तथा जल के वितरण, भूमि विवादों, विवाह संबंधी विवादों, पैत्रिक संपत्ति के बंटवारे तथा गाँवों में आम संसाधनों के बंटवारे को लेकर थोड़ी-बहुत असहमति जैसी अनेक सामाजिक समस्याओं का समाधान करती हैं।
- इनके द्वारा न्याय को न्यायालयों की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से प्रदान किया जाता है। ग्रामीण लोगों के पास न्यायालयों के माध्यम से अपने मामलों के समाधान हेतु आवश्यक धन तथा विशेषज्ञता का अभाव होता है। फलस्वरूप अपने समाज के समकक्षों के समक्ष कोई भी व्यक्ति सरलता से गवाही देने को तैयार हो जाता है तथा सत्य कहता है, जबकि न्यायालयों में ऐसा करने में उन्हें असुविधा का अनुभव होता है।
- भूमि विवादों जैसे बहुत से मामलों में कई बार दस्तावेज़ संबंधी प्रमाण नहीं होते। सारे प्रमाण केवल बड़े- बुज़ुर्गों तथा उनकी गवाही के रूप में उपलब्ध होते हैं।
- इन पंचायतों ने बहुधा मादा भ्रूण गर्भपात, अत्यधिक मद्यपान एवं दहेज़ जैसी समस्याओं से लड़ने तथा शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर कई निर्णय भी सुनाए हैं।

7.12. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0: एक मूल्यांकन

(Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 2.0: An Assessment)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

सरकार की फ्लैगशिप कौशल-प्रदायी योजना– प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) में कौशल प्राप्त कर चुके उम्मीदवारों को नियुक्तियाँ या रोज़गार प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) की एक प्रमुख योजना है। इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संबंधी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे उन्हें बेहतर आजीविका प्राप्त करने में सहायता मिल सके। इसके तहत पूर्व में प्रशिक्षण अनुभव या कौशल प्राप्त व्यक्तियों का मूल्यांकन कर, उन्हें भी 'रिकग्निशन ऑफ़ प्रायर लर्निंग (RPL)' के अंतर्गत प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है ।

PMKVY का शुभारम्भ **15 जुलाई, 2015** को 24 लाख युवाओं को रोज़गार प्रदान करने के लिए किया गया था।

इस योजना के पुनर्मूल्यांकन के पश्चात, अक्टूबर 2016 में PMKVY **2.0** आरम्भ की गयी थी। इसका लक्ष्य 2016 से 2020 तक की अवधि में 12, 000 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।

PMKVY की तुलना में PMKVY 2.0 में हुए परिवर्तन

- नियोजन निगरानी को आवश्यक कर दिया गया है।
- जिलों में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (PMKK) नामक मॉडल कौशल केन्द्रों की स्थापना की गयी है।
- जिला स्तर पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टरों को इससे जोड़ कर राज्यों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है।
- प्रत्येक जिले के लिए मांग-आपूर्ति की स्थिति को समझने हेतु जिला स्तर पर डाटा क्रंचिंग एक्सरसाइज प्रारम्भ की गयी है।
- संकुल-आधारित मॉडल अर्थात् किसी क्षेत्र विशेष में उम्मीदवारों को समूह में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उद्योगों, विशेषकर MSME क्षेत्रक को सम्मिलित करना।

विवरण

- कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय से प्राप्त नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त प्रत्येक छः व्यक्तियों में से केवल 1 को रोजगार प्राप्त हो सका है।
- अक्टूबर 2016 में PMKVY 2.0 के शुभारम्भ के पश्चात इस योजना के प्रदर्शन में सुधार आया है। केन्द्रीय कौशल विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इसके तहत पिछले 17 महीनों में PMKVY 2.0 के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कुल 612,000 युवाओं में से 318,000 युवाओं को नौकरियों तथा स्व-रोज़गार के तहत रोजगार प्रदान किया गया है। यद्यपि PMKVY 2.0 के तहत 70% रोज़गार लक्ष्य को देखते हुए यह संख्या अभी भी कम है।

कमी क्यों?

गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के अभाव तथा कुशल उम्मीदवारों की मांग-आपूर्ति गतिशीलता को लेकर सूचनाओं की अस्पष्टता के कारण यह योजना सफल नहीं हो पा रही है।

PMKVY की सफलता महत्वपूर्ण क्यों?

- भारत में प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ 20 लाख लोग श्रम बाज़ार में प्रवेश करते हैं। जनांकिकीय लाभांश का उपयोग करने, सामाजिक समरसता तथा राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए इस विशाल कार्य-बल को लाभप्रद रोज़गार प्रदान करना महत्वपूर्ण है।
- भारत में रोज़गार की समस्याओं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा हुई है। वर्ल्ड बैंक तथा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाईजेशन (ILO) ने देश में अच्छे वेतन वाली नौकरियों को आवश्यक बताया है। 2047 तक वैश्विक मध्य वर्ग में सम्मिलित होने के लिए भारत में स्व-रोज़गार की अपेक्षा नियमित, आय वृद्धि वाली वेतनयुक्त नौकरियों के सृजन की अधिक आवश्यकता है।

आगे की राह

- PMKVY की समस्या इसका कमज़ोर जॉब प्लेसमेंट (नियोजन) रिकॉर्ड नहीं है। सरकार को उम्मीदवारों को रोज़गार प्राप्ति योग्य बनाने पर ध्यान देना चाहिए।
- सरकारों को केवल औपचारिक कौशल प्रदान करने पर ही बल नहीं देना चाहिए अपितु अच्छी शिक्षा प्रदान करने, श्रम सुधार तथा कारोबार को आसान बनाने संबंधी उपायों पर भी ध्यान देना चाहिए।

(नोट: PMKVY संबंधी विस्तृत विवरण हेतु करंट अफेयर्स के सितम्बर 2017 का अंक देखें।)

7.13. स्वजल योजना

(Swajal Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने ग्राम भीकमपुरा, जिला करौली, राजस्थान में स्वजल पायलट परियोजना का शुभारम्भ किया गया था।

स्वजल परियोजना के सम्बन्ध में

- यह एक समुदाय के स्वामित्व वाला पेयजल कार्यक्रम है जो न केवल वर्ष-भर अनवरत स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा बल्कि रोजगार भी सृजित करेगा।
- यह स्वजल परियोजना के अंतर्गत **दूसरी परियोजना** है। इससे पहले यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में लागू की जा चुकी है।
- परियोजना लागत का 90% सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि परियोजना लागत के शेष 10% का योगदान समुदाय द्वारा किया जायेगा।
- इस परियोजना का नाम पुरानी स्वजल परियोजना से लिया गया है, जो 1996 में उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जल और पर्यावरण स्वच्छता को समर्पित एक विश्व बैंक की परियोजना थी।

7.14. सोशल मीडिया केंद्र

(Social Media Centres)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मतदाताओं तक सरकार के संदेश के त्वरित वितरण के लिए सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव्स की भर्ती को स्वीकृति दी है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- सोशल मीडिया विंग की स्थापना **ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड** द्वारा की जाएगी।
- प्रत्येक जिले से एक एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति की जाएगी।
- इस कार्य के लिए ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेन्ट्स इण्डिया लिमिटेड (BECIL) द्वारा एक नयी मीडिया शाखा की स्थापना की जा रही है।

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इण्डिया लिमिटेड

- यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का एक उपक्रम है।
- यह एक **मिनी रत्न** कम्पनी है जिसकी स्थापना 1995 में की गयी थी।
- यह **प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी सेवाएं** और **टर्नकी (turnkey)** समाधान प्रदान करता है, जिनमें रेडियो और टेलीविजन प्रसारण इंजीनियरिंग की सम्पूर्ण सेवाएं सम्मलित हैं।

उद्देश्य

- ये सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव्स स्थानीय समाचारों का विश्लेषण करेंगे और सरकार को इन प्रतिक्रियाओं के लिए अनुकूलित होने में सहायता करेंगे।
- ये यह विश्लेषण भी करेंगे कि सरकार का संदेश सकारात्मक रूप से लिया जा रहा है या नकारात्मक रूप से।

महत्त्व

यह कदम सरकार को राजधानी को छोड़कर अन्य स्थानों पर रहने वाले लोगों की **जमीनी स्तर की प्रतिक्रियाओं** से अवगत होने का अवसर प्रदान करेगा। अब तक इनकी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती थी।

VISION IAS

7.15. प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना

(Pradhan Mantri Ujjwala Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लक्ष्य को पांच करोड़ से बढ़ाकर आठ करोड़ करने की अनुमति प्रदान की है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मई 2016 में प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को जमाराशि के बिना नया LPG कनेक्शन लेने के लिए नकद सहायता दी जाती है।

आरंभ में, PMUY ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर 3 वर्षों की अवधि में 8000 करोड़ रुपयों के आवंटन के साथ 5 करोड़ कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया था।

पूर्व में पात्रता: राज्य सरकार द्वारा बनाई गयी जिला BPL सूची में सम्मिलित गरीबी रेखा (BPL) से नीचे स्थित कोई भी परिवार।

विवरण

- प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना (PMUY) का संशोधित लक्ष्य 2020 तक 4800 करोड़ रुपयों के अतिरिक्त वित्तीय आवंटन के साथ प्राप्त किया जाएगा।
- पिछली योजना में उन वास्तविक निर्धन परिवारों के नाम सम्मिलित नहीं थे, जिनके नामों को सामाजिक-आर्थिक जाति सर्वेक्षण (SECC) सूची में सम्मलित नहीं किया गया था।
- SECC द्वारा पहचान किए गए परिवारों के अतिरिक्त, अब यह योजना सभी SC/ST परिवारों, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व अन्त्योदय अन्न योजना (AAY) के लाभार्थियों, वनवासियों, अति पिछड़ा वर्ग (MBC), टी और एक्स-टी ट्राइब्स (चाय के बागानों में कार्य करने वाले लोग), द्वीपों और नदीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों आदि को लाभार्थियों के रूप में कवर करेगी।

वर्तमान स्थिति

PMUY के अंतर्गत, मूल लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत तक 3 करोड़ कनेक्शन जारी करने का था; किन्तु योजना के कुशल कार्यान्वयन और निगरानी के परिणामस्वरूप अभी तक 3.35 करोड़ से अधिक कनेक्शन जारी कर दिए गये हैं।

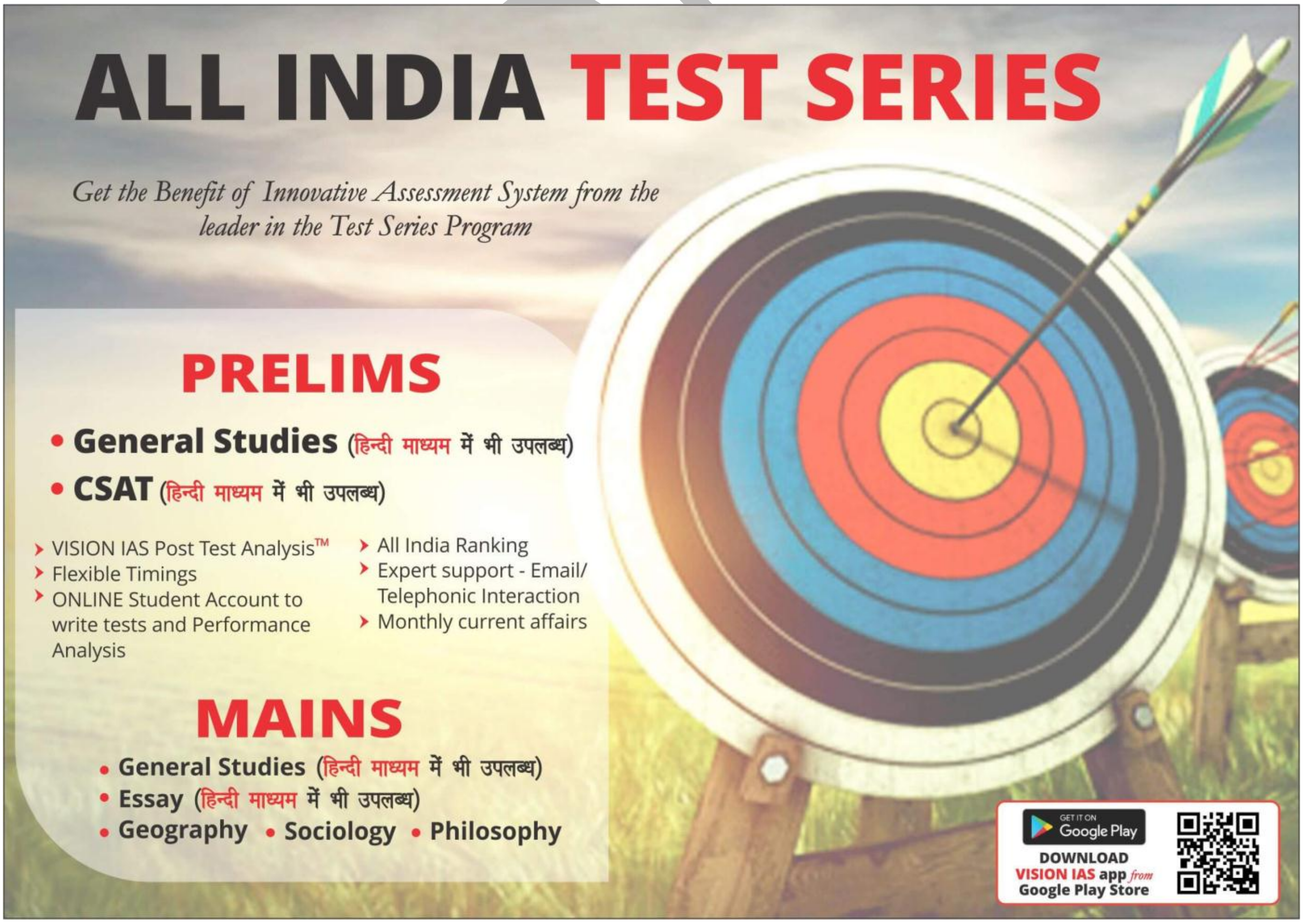

8. संस्कृति

(CULTURE)

8.1. महामस्तकाभिषेक

(Mahamastakabhisheka)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रपति ने कर्नाटक के **श्रवणबेलगोला** में **महामस्तकाभिषेक** का शुभारम्भ किया। यह सम्पूर्ण विश्व के जैन समुदाय का सबसे बड़ा समारोह है।

महामस्तकाभिषेक

- यह दिगम्बर जैन परंपरा के अनुसार प्रत्येक 12 वर्षों के पश्चात किया जाने वाला बाहुबली का **मस्तक अभिषेक समारोह** है।
- गोमतेश्वर की प्रतिमा 24 जैन तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर **ऋषभनाथ** के पुत्र बाहुबली को समर्पित है।
- प्रतिमा को कायोत्सर्ग मुद्रा में दर्शाया गया है। कायोत्सर्ग का अर्थ है 'भौतिक सुख और शारीरिक गतिविधियों का त्याग', अर्थात्; खड़ी या किसी अन्य मुद्रा में स्थिर रहना तथा आत्मा की यथार्थ प्रकृति पर ध्यान केन्द्रित करना।
- ऐसा कहा जाता है कि इस प्रतिमा का निर्माण 10वीं शताब्दी ई. के उत्तरार्ध में **गंग राजा रचमल्ल** के प्रधानमंत्री एवं प्रधान सेनापति **चामुण्डाराय** द्वारा करवाया गया था।

श्रवणबेलगोला के बारे में

- चन्द्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान पड़े एक भीषण अकाल के कारण जैन भिक्षुओं के एक समूह ने **भद्रबाहु** के नेतृत्व में उज्जैन से श्रवणबेलगोला की ओर प्रवास किया था।
- प्रवास करने वाले जैन भिक्षुओं के इस समूह को **दिगंबर** (नग्न या आकाश ही जिनका वस्त्र है) कहा गया तथा जो जैन भिक्षु **स्थूलभद्र** के नेतृत्व में उत्तर में ही रह गए वे श्वेताम्बर (जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं) कहलाए।
- तत्पश्चात चन्द्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र बिन्दुसार के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया तथा अपने जीवन के अंतिम दिनों को श्रवणबेलगोला में व्यतीत करने का निर्णय लिया।

8.2. वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम

(World Cities Cultural Forum)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मुंबई **वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम (WCCF)** का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय शहर बना।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- मुंबई एक **सांस्कृतिक केंद्र** है, जो अपने मनोरंजन एवं फैशन उद्योग, संग्रहालयों, मंदिरों इत्यादि के माध्यम से संस्कृति को प्रोत्साहित करता है।
- यह फोरम मुंबई को विचारों, तकनीकों व चुनौतियां साझा करने तथा अन्य शहरों की कला एवं संस्कृतियों तक पहुंच बनाने व अपने दृष्टिकोण को व्यापक करने में सक्षम बनाएगा।

वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम (WCCF)

- WCCF वैश्विक नेटवर्क का सबसे बड़ा मंच है, जो 33 शहरों को उनकी संस्कृति, डेटा-आधारित अनुसंधान और सूचना को साझा करने हेतु एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है। इसके साथ ही यह भविष्य की समृद्धि में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका एवं प्रभाव का भी अन्वेषण करता है।

8.3. यूनेस्को की इन्डैन्जर्ड सूची में 40 से अधिक भाषाएँ

(More than 40 Languages in UNESCO's Endangered List)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- यूनेस्को द्वारा तैयार की गई एक सूची के अनुसार भारत की 42 भाषाएँ लुप्तप्राय (इन्डैन्जर्ड) हैं और सम्भवतः यह विलुप्ति की ओर अग्रसर हैं। ये भाषाएँ 10,000 से भी कम लोगों द्वारा बोली जाती हैं।

संबंधित तथ्य

- भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची (अनुच्छेद 344(1) एवं 351) में भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं का उल्लेख किया गया है।
- इन 22 अनुसूचित भाषाओं के अतिरिक्त, 31 अन्य भाषाओं को राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है।

VISION IAS

- जनगणना निदेशालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 100 गैर-अनुसूचित भाषाएँ हैं, जो एक लाख या उससे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं।

यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति तथा संचार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के समन्वय हेतु उत्तरदायी है।

यूनेस्को ने विलुप्ति के संकट (endangerment) के आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण निम्नानुसार किया है:

- सुभेद्य (Vulnerable)
- निश्चित रूप से लुप्तप्राय (Definitely Endangered)
- गम्भीर रूप से लुप्तप्राय (Severely Endangered)
- अत्यधिक गम्भीर रूप से लुप्तप्राय (Critically Endangered)

सरकारी पहलें

- **भारत सरकार** ने 2014 में **"भारत की लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण"** की एक योजना प्रारम्भ की थी।
- इस योजना के अधीन, **केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (CIIL), मैसूर** देश में 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली सभी मातृभाषाओं/भाषाओं (विलुप्ति की मात्रा और उपयोग के प्रक्षेत्र (domain) में कमी को ध्यान में रखते हुए) की सुरक्षा, संरक्षण और प्रलेखन का कार्य करता है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत व्याकरण संबंधी व्याख्याएँ, एकभाषीय एवं द्विभाषीय शब्दकोश, भाषा प्रवेशिका, लोक-साहित्य के संकलन, सभी भाषाओं या उपभाषाओं (विशेष रूप से वे जो 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाती हैं) के विश्वकोष तैयार किए जा रहे हैं।

9. नीतिशास्त्र

(ETHICS)

9.1. एनकाउंटर में होने वाली मौतें और नैतिकता

(Ethics and Encounter Killings)

फ़र्जी एवं पूर्व सुनियोजित एनकाउंटर आजकल बहुत ही सामान्य बात हो गयी है। यहां तक कि अतीत में आत्मरक्षा के नाम पर कीमती इमारती लकड़ियों के संदिग्ध तस्करों का भी एनकाउंटर किया जा चुका है। पुलिस एनकाउंटर में मौतों पर सुप्रीम कोर्ट के विस्तृत दिशा निर्देशों के बावजूद हाल ही में उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर के मामलों में वृद्धि देखी गयी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी उत्तर प्रदेश में हुए ऐसे एनकाउंटरों का संज्ञान लेकर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

भारत में विलंबकारी न्यायिक व्यवस्था और अंतर्निहित भ्रष्टाचार, आसानी से जमानत मिल जाना, जेल के भीतर रहते हुए अपराधियों द्वारा अपने गैर-कानूनी कार्यों का सुगम संचालन आदि ऐसे विभिन्न कारण हैं जो अपराधियों के एनकाउंटर करने को प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन इसका परिणाम 'वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इंडेक्स', 'रूल ऑफ़ लॉ इंडेक्स' जैसे अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स में निम्नतर रैंकिंग के रूप में प्रदर्शित होता है।

गैर न्यायिक मौतों में कई नैतिक मुद्दे भी शामिल हैं:

- **सार्वजनिक विश्वास को प्रभावित करता है-** एनकाउंटर आपराधिक न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं और 'विधि के शासन' का उल्लंघन करते हैं। साथ ही यह सरकारी अधिकारियों की स्थापित व्यवस्था में विश्वास की कमी को भी दर्शाते हैं।
- **राज्य अधिकारियों द्वारा सत्ता का दुरुपयोग-** जबकि उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सम्मान और आधारभूत मानवाधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए।
- **पुलिस का लापरवाह रवैया-** जांच की दिशा, विधि के शासन और जीवन के अधिकार के प्रति पुलिस का रवैया काफी लापरवाही युक्त रहा है।
- **अन्याय की भावना-** विधि की उचित प्रक्रिया का पालन न करने और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिए जाने के कारण अन्याय की भावना विकसित होती है। साथ है यह कुंठा तथा क्रोध को भी जन्म देता है जो निकट परिजनों/रिश्तेदारों द्वारा भविष्य में कानून और व्यवस्था के उल्लंघन के मामलों में वृद्धि करता है।
- **सार्वजनिक हित की अपेक्षा स्व-हित को प्राथमिकता-** कभी-कभी, इस तरह के कदम व्यक्तिगत समृद्धि या राजनीतिक लाभ के लिए उठाये जाते हैं।
- **जवाबदेहिता और पारदर्शिता को प्रभावित करता है-** जबकि पुलिस अधिकारियों द्वारा विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया और जनता के प्रति जवाबदेहिता और पारदर्शिता आवश्यक है।
- **प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के आधारभूतमानवाधिकार के विरुद्ध-** जोकि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त है। यह गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का भी उल्लंघन करता है।
- **सामाजिक ढांचे को प्रभावित करता है-** चूंकि युवा पीढ़ी पेशेवर योग्यता (विशेषकर पेशेवर नैतिकता) की अपेक्षा बिना कानूनी प्रक्रिया के पालन के मामलों के जल्दी निपटान या कानूनी प्रक्रिया को अवैध तरीकों से तीव्र करने के गलत आदर्शों से प्रभावित हो सकती है। राज्य द्वारा किये जा रहे इन एनकाउंटर की घटनाओं से विजलैन्टिज़्म (कानून अपने हाथ में लेना और सही-गलत की अपनी निजी समझ के अनुसार तुरंत न्याय करना) को समर्थन मिल सकता है।
- **आपराधिक तत्वों को वैधता देता है-** एनकाउंटर की इन घटनाओं को आधार बनाकर आपराधिक तत्वों द्वारा लोगों को आपराधिक गतिविधियों की ओर आकृष्ट किया जाता हैं। राज्य द्वारा भी यदि बदले की भावना से कार्य किया जाता है, तो राज्य और अपराधियों में कोई विभेद ही नहीं रह जायेगा।
- **करुणा और सहानुभूति की कमी** - एनकाउंटर की घटनाओं की पुनरावृति मानव जीवन के प्रति करुणा के अभाव को दर्शाती है।
- **व्यक्तिगत प्रतिशोध-** कभी-कभी पुलिस या सेना वाले अपने सहयोगियों और नागरिकों को लक्षित करने वाले आतंकवादियों या चरमपंथियों से प्रतिशोध लेने के लिए गैर-न्यायिक हत्याओं का सहारा लेते हैं।
- **गैरकानूनी साधन** - लक्ष्य प्राप्त करने का साधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। कानून के रक्षकों द्वारा कानून को तोड़कर कानून और व्यवस्था की रक्षा नहीं की जा सकती है।

VISION IAS

यद्यपि सार्वजनिक सुरक्षा और सामाजिक कानून एवं व्यवस्था की नैतिकता हेतु कभी-कभी हिंसक अपराधों के आदतन अपराधियों के तीव्र निराकरण की आवश्यकता होती है ताकि समाज को और अधिक अव्यवस्था से बचाया जा सके। दंडात्मक (Retributive) न्याय का सिद्धांत भी आपराधिक गतिविधियों हेतु अपराधियों की सजा देने का प्रावधान करता है ताकि समाज में शांतिपूर्ण संतुलन को पुनः स्थापित किया जा सके। चूंकि इस तरह के एनकाउंटर के घटनाओं में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने भी अपनी जानें गंवाई हैं। इसलिए, हमें ऐसे साधनों के प्रति संतुलित विचार अपनाने की आवश्यकता है।

हालांकि, विधि का शासन यह कहता है कि निकृष्टतम अपराधी सहित प्रत्येक व्यक्ति को मानवाधिकारों और उचित प्रक्रियाओं के पालन का अधिकार प्राप्त है। एक शक्तिशाली पक्ष होने के कारण, खासकर जब विरोधी पक्ष कम हथियार युक्त एक छोटा समूह हो, पुलिस सदैव आत्मरक्षा के सिद्धांत का सहारा नहीं ले सकती है। साथ ही, उपयोगितावादी दर्शन एक दूरगामी विचार है जो पुनर्सुधार तथा सामाजिक लाभों में विश्वास करता है।

इस प्रकार,दंड एवं बदले की इस संस्कृति को खत्म करने साथ ही आधारभूत मानव मूल्यों को समाहित करने के लिये पुलिस प्रशिक्षण को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। मौलिक मूल्य यह है कि संवैधानिक उत्तरदायित्व के अनुसार नियम आचरण करना राज्य के प्रत्येक अंग की जिम्मेदारी है। यही विधि का सर्वश्रेष्ठ शासन है।

9.2 नैतिकता और एसिड हमला

(Ethics and Acid Attack)

विश्व में एसिड हमलों के सर्वाधिक मामलें भारत में देखे गए है। सख्त कानूनों और सजाओं के प्रावधान के बावजूद एसिड हमलों के मामलों में निरंतर वृद्धि हो रही है। NCRB आंकड़ों के मुताबिक, 2016 में भारत में 187 एसिड हमले और इस तरह के हमलों के 202 प्रयास हुए।

ऐसे जघन्य कृत्यों से जुड़े कई नैतिक मुद्दे हैं:

- **गलत इरादा:** यह पीड़ित को स्थायी रूप से कुरूप बनाने के इरादे से हिंसा का एक पूर्वनियोजित कृत्य है।
- **लैंगिक रूप में विद्यमान सांस्कृतिक असमानता**: एसिड हिंसा एक लिंग आधारित हिंसा है क्योंकि पीड़ितों में अधिकांशतः महिलाएं हैं।
- **सरकार द्वरा गंभीर प्रयास नहीं किया जाना/उदासीन रवैया :** इस मुद्दे से निपटने में सरकार की ओर से गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है क्योंकि एसिड बिक्री का विनियमन और पीड़ितों के कल्याण सम्बन्धी नीति को गंभीरता से लागू नहीं किया जा रहा है।
- **आजीवन मनोवैज्ञानिक आघात**: क्योंकि उनके चेहरे की विकृति और रूप-रंग उनके लिए रोजगार की संभावनाओं को कम कर देता है जोकि पीड़ित की पारिवारिक दशा को असंतुलित करने के साथ ही समाज में उसकी भागीदारी को भी प्रभावित करता है।
- **पुरुष प्रभुत्ववादी प्रवृति**: समाज पुरुष आधिपत्य और शक्ति की एक विशिष्ट मानसिकता को प्रदर्शित करता है। कई बार हमलों का कारण किसी लड़के के प्रस्ताव की अस्वीकृति, पति की इच्छाओं का पालन नहीं करना आदि के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार, यह महिलाओं के व्यवहार को नियंत्रित करने के उपाय के रूप में देखा जाता है। इसके अतिरिक्त, हमलावर का इरादा पीड़ित की सुंदरता को कुरुपित करना है, जो एक महिला के सबसे मूल्यवान गुणों में से एक माना जाता है।
- **आधारभूत मूल्यों की कमी**: करुणा और लैंगिक समानता को विकसित करने में यह समाज और शिक्षा प्रणाली की विफलता को प्रदर्शित करती है।

सरकार हथियार की बिक्री को विनियमित करती है। यद्यपि, एसिड का उपयोग नियमित रूप से महिलाओं के विरुद्ध हथियार के रूप में किया जा रहा है फिर भी इसके विनियमन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पीड़ितों के प्रति घोर अन्याय की सीमा तक अपने मिथ्या गौरव और सम्मान की पुनर्प्राप्ति हेतु अपराधियों द्वारा इसका प्रयोग बिना किसी डर के किया जा रहा है। इसकी तुलना लैंगिक आतंकवाद के साथ की जा सकती है।

भारत अपने पड़ोसी बांग्लादेश से सीख ले सकता है जहां एसिड हमले के लिए मृत्यु दंड और एसिड की बिक्री का सख़्त विनियमन जैसे सख्त कानूनों की उपस्थिति से ऐसे हमलों में गिरावट आई है। बेहतर कानूनों और सख्त कार्यान्वयन के अतिरिक्त पीड़ित को समय पर मुआवजे, विशेष चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास प्रदान किया जाना चाहिए।

VISION IAS

10. विविध

(MISCELLANEOUS)

10.1. भारत की प्रथम राजमार्ग क्षमता नियम पुस्तिका (इंडो-एचसीएम)

(India's First Ever Highway Capacity Manual (Indo-HCM))

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत की पहली राजमार्ग क्षमता नियम पुस्तिका (Indo-HCM) जारी की गयी।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- 2012 में Indo-HCM परियोजना को मंजूरी दी गई थी। इसे CSIR-CRRI द्वारा पूरे देश की विभिन्न श्रेणियों की सड़कों की ट्रैफिक विशेषताओं के अध्ययन के आधार पर विकसित किया गया है।
- यह नियम पुस्तिका विभिन्न प्रकार की सड़कों, चौराहों की क्षमता में वृद्धि तथा उनके प्रबंधन एवं उनकी सेवाओं के स्तर को बढ़ाने के लिए दिशानिर्देश देती है।
- नियम पुस्तिका, रोड इंजीनियर्स व नीति निर्माताओं को देश में सड़क अवसंरचना की वैज्ञानिक योजना एवं विस्तार हेतु मार्गदर्शन प्रदान करेगी। यह भारतमाला परियोजना जैसे प्रयासों को पूरा करने एवं सुरक्षित सड़क डिजाइनों को बढ़ावा देकर सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में भी सहायक होगी।
- इसने सड़क निर्माण में नई सामग्री जैसे कि फ्लाई-ऐश, प्लास्टिक, आॅयल स्लैग और नगरपालिका अपशिष्ट के उपयोग को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है।

10.2. स्विट्ज़रलैंड वित्तीय गोपनीयता सूचकांक में सर्वोच्च स्थान पर

(Switzerland Tops Financial Secrecy Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, टैक्स जस्टिस नेटवर्क (एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क) द्वारा वित्तीय गोपनीयता सूचकांक (फाइनेंसियल सीक्रेसी इंडेक्स) 2018, जारी किया गया।

वित्तीय गोपनीयता क्या है?

- यह वह स्थिति है, जब वित्तीय सूचनाओं को वैध अधिकारियों जैसे- कर प्राधिकरण, पुलिस आदि के साथ साझा करने से मना कर दिया जाता है।
- यह मनी-लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार, कर चोरी व अवैध वित्तीय प्रवाह जैसे वित्तीय अपराधों के लिए अनुकूल सुविधा प्रदान करती है।
- वित्तीय गोपनीयता बनाए रखने में असफल होने के कारण नागरिकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है जिससे वैश्विक असमानता को बढ़ावा मिलता है।
- यह सरकारों को बुनियादी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु आवश्यक संसाधनों से वंचित करता है तथा प्राकृतिक संसाधनों की लूट को प्रोत्साहित करता है।

सूचकांक के बारे में

- वित्तीय गोपनीयता सूचकांक देशों की एक रैंकिंग है, जो उनके गोपनीयता स्कोर तथा उनकी अपतटीय वित्तीय गतिविधियों के आधार पर रैंक प्रदान करता है।
- यह सूचकांक **गोपनीयता के बीस संकेतकों** पर आधारित है जिसे चार बड़े आयामों में विभक्त किया जा सकता है-
  - **स्वामित्व पंजीकरण (Ownership registration) -** इसमें बैंकिंग गोपनीयता, ट्रस्ट और फाउंडेशन रजिस्टर आदि शामिल हैं।
  - **कानूनी निकाय पारदर्शिता (Legal entity transparency) -** इसके अंतर्गत सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व, सार्वजनिक कंपनी के खाते आदि शामिल हैं।
  - **कर और वित्तीय विनियमन की समग्रता (Integrity of tax and financial regulation) -** इसमें कर प्रशासन, सुसंगत व्यक्तिगत आयकर आदि सम्मिलित हैं।
  - **अंतर्राष्ट्रीय मानक एवं सहयोग (International standards and cooperation) -** इसमें एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, द्विपक्षीय संधियों इत्यादि को शामिल किया गया है।

VISION IAS

FSI 2018 के निष्कर्ष

- नवीनतम सूचकांक में स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है, उसके बाद अमेरिका, केमैन द्वीप समूह, हांगकांग और सिंगापुर का स्थान है।
- भारत **52 अंकों के कम स्कोर के साथ 32 वें स्थान पर है**। भारत की रैंकिंग तथा स्कोर उन देशों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भारत द्वारा निवेश किया जाता है।

10.3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी A श्रेणी का दर्जा बनाए रखने में सफल

(National Human Rights Commission Retains Status A)

सुर्ख़ियों में क्यों?

NHRC ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिदेशित ग्लोबल एलायंस ऑफ़ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टिट्यूशन (GANHRI) के प्रत्यायन की A श्रेणी का अपना दर्जा लगातार चौथी बार बरक़रार रखा है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- यह प्रत्यायन, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और संरक्षण देता है तथा GANHRI के कार्यों व निर्णयन में भागीदारी प्रदान करने के साथ ही मानवाधिकार परिषदों व संयुक्त राष्ट्र के अन्य तंत्रों के कार्यों में भी भागीदारी प्रदान करता है।
- NHRIs को उस अवस्था में प्रत्यायन प्रदान किया जाता है जब वे **UN द्वारा अधिदेशित पेरिस सिद्धांतों** का पूर्ण अनुपालन कर रहे हों। इसकी समीक्षा **प्रत्यायन पर बनी उप-समितियों के माध्यम से प्रत्येक पाँच वर्ष में GANHRI** द्वारा की जाती है।
- भारत को प्रत्यायन का 'स्टेटस A' दर्जा पहली बार 1999 में प्रदान किया गया था, जिसे भारत ने 2006 और 2011 में भी बनाए रखा।
- 2017 में भारत के NHRC के प्रत्यायन को नवंबर 2017 तक स्थगित कर दिया गया था, जिससे NHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत का प्रतिनिधित्व करने से वंचित रह गया। इसके लिए NHRC में, महिलाओं के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, सेवानिवृत्त CJI के अध्यक्ष के रूप में चयन द्वारा प्रत्याशियों के संभावित समूह को सीमित करने जैसे कारण बताए गए।

भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

- यह एक वैधानिक निकाय है। इसे 1993 में मानव अधिकार अधिनियम, 1993 के अंतर्गत स्थापित किया गया था जिसे 2006 में संशोधित किया गया।
- यह संविधान अथवा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा गारंटीकृत एवं भारत के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय मानवाधिकारों का निगरानीकर्ता है।
- यह एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष (भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए) और चार अन्य सदस्य (जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं तथा दो व्यक्ति, जो मानवाधिकारों से सम्बंधित ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हों।

पेरिस सिद्धांत

इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में अपनाया गया था जो कि GANHRI द्वारा NHRIs के प्रत्यायन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक प्रदान करता है।

पेरिस सिद्धांतों के अनुसार NHRIs को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता है:

- शिकायतों को प्राप्त करने, जांच करने और हल करने एवं संघर्षों में मध्यस्थता तथा निगरानी गतिविधियों के माध्यम से मानवाधिकारों की रक्षा करना।
- शिक्षा, आउटरीच, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण आदि के माध्यम से मानवाधिकारों को बढ़ावा देना।

ग्लोबल एलायंस ऑफ़ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टिट्यूशन (GANHRI)

- इसे पूर्व में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति (ICC) के रूप में जाना जाता था।
  - इसे 1993 में स्थापित किया गया था।
- GANHRI के मुख्य कार्य निम्नलिखित है -
  - यह संयुक्त राष्ट्र अधिकार परिषदों और संधियों तथा संधि संगठनों के साथ NHRIs के संपर्कों को सुगम बनाता है एवं समर्थन करता है।
  - पेरिस सिद्धांतों के अनुसार यह NHRIs का प्रत्यायन करता है तथा देशों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ संयुक्त राष्ट्र के अंदर NHRIs की भूमिका को बढ़ावा देता है।

VISION IAS

o यह NHRIs के बीच सहयोग और सूचना साझाकरण को प्रोत्साहित करता है।
o मानवाधिकारों के उच्चायुक्त के कार्यालय (OHCR-Office of the High Commissioner for Human Rights) के सहयोग से क्षमता निर्माण में मदद करता है।

- GANHRIs के प्रत्यायन के स्तर निम्नलिखित हैं:
  - o "A" श्रेणी में मतदान सदस्य - ऐसे सदस्य पेरिस सिद्धांत का पूरी तरह से पालन करते हैं और राष्ट्रीय संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यों तथा बैठकों में मतदान करने वाले सदस्य के रूप में भाग ले सकते हैं।
  - o "B" श्रेणी में पर्यवेक्षक सदस्य: वे सदस्य जो पेरिस सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं और जिन्होंने आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए हैं।
  - o "C" श्रेणी में गैर-सदस्य: वे पेरिस सिद्धांतों का पालन नहीं करते और ICC के अंतर्गत कोई अधिकार या विशेषाधिकार नहीं रखते।

10.4. रूल ऑफ़ लॉ इंडेक्स

(Rule of Law Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट** (एक स्वतंत्र, बहु-विषयक संगठन) द्वारा जारी **रूल ऑफ़ लॉ इंडेक्स** (2017-18) में **भारत का 62 वां स्थान** है।

सूचकांक के बारे में

- इसमें 44 संकेतकों के आधार पर 113 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। स्कोर 0 से लेकर 1 के बीच दिए जाते हैं। स्कोर 1, रूल ऑफ़ लॉ के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रदर्शित करता है।
- यह किसी देश में रूल ऑफ़ लॉ के प्रदर्शन को आठ कारकों के आधार पर मापता है: **सरकारी शक्तियों पर नियंत्रण , भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, ओपन गवर्नमेंट, मौलिक अधिकार, व्यवस्था और सुरक्षा, विनियामकीय प्रवर्तन, नागरिक न्याय** (CIVIL JUSTICE) **और आपराधिक न्याय।**
- डेनमार्क इस वर्ष इंडेक्स में सबसे ऊपर है, उसके बाद नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड का स्थान हैं।